खण्ड-362, अंक-4
बुधवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1905
(23 मार्च, 1983 ई0)

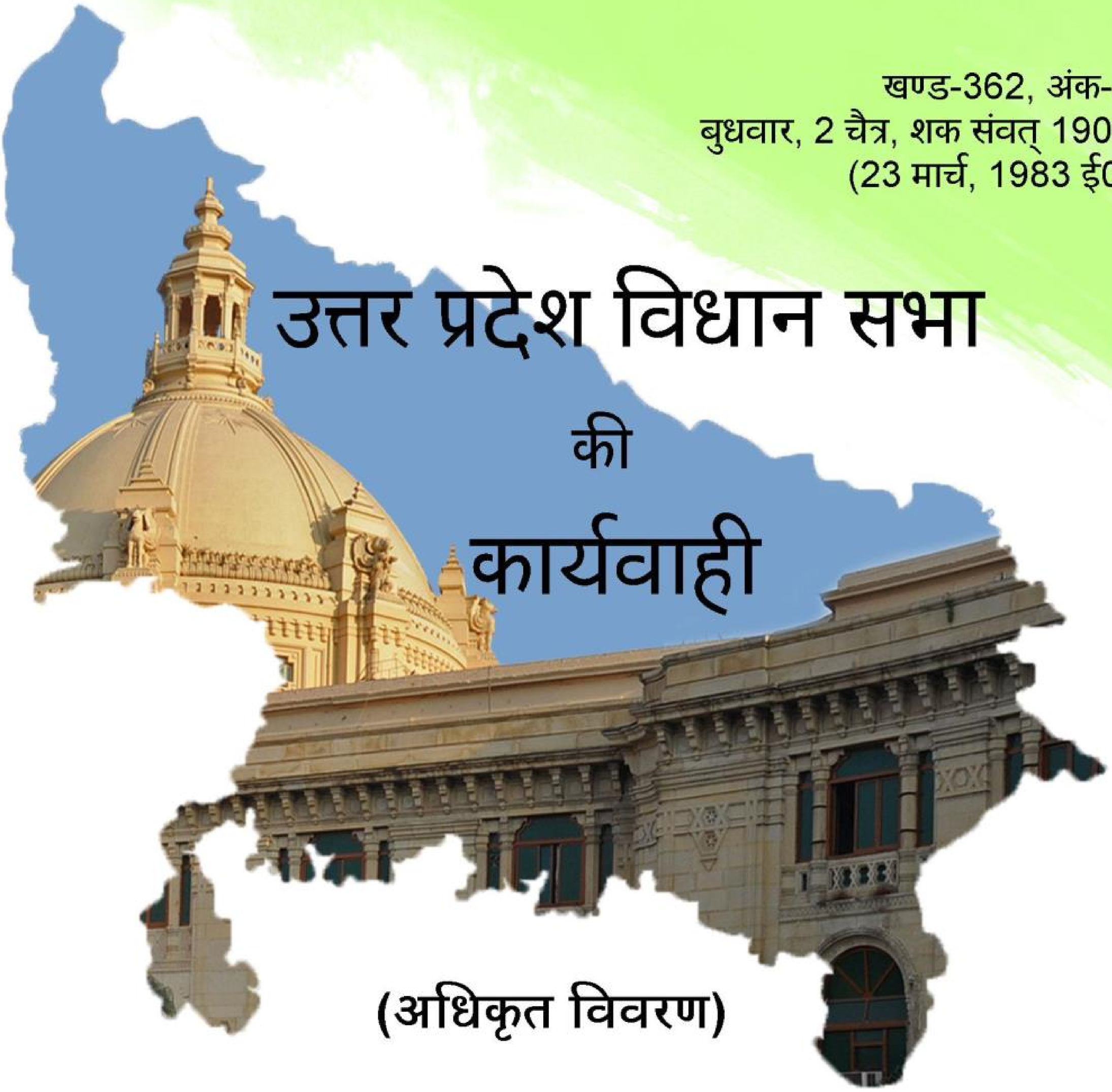

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 362 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	507—511
प्रश्नोत्तर	512—573
बोर्ड के परीक्षा केन्द्र, डी0 ए0 वी0 कालेज बाराबंकी को असामाजिक तत्वों द्वारा फूंक दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	573
अम्बिका प्रताप नारायण डिग्री कालेज, बस्ती के विधि छात्रों द्वारा प्रधानाचार्य एवं पुलिस ज्यादती के विरोध में परीक्षा का बहिष्कार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	574
जनपद पौड़ी में सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्यान्न उपलब्ध न होने से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	574
अदरता जमातुल के कुरेश जालन्धरी (आजमगढ़) फर्जी मदरसा हेतु 2 लाख रुपये के अनुदान को स्वीकृत किये जाने की जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	575
हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा चालित प्राइमरी पाठशाला, कालपी (जालौन) के अध्यापकों को वेतन भुगतान न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	575
जनपद बुलन्दशहर में पशुओं की गला घोंटू बीमारी के फैलने एवं रोक-थाम न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	576
जनपद टिहरी गढ़वाल में सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा सड़े चावल की बिक्री के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	576
सदन के उपवेशन काल में जिला स्तर की मीटिंग बुलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	577
नियम 301 की सूचना का उत्तर समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	579
दिनांक 22 मार्च, 1983 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 (नत्थी "ख") को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	581
कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा सी0 पी0 एम0 टी0 में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	586

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 588

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983, को संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा पुरास्थापित किये जाने पर आपत्ति 589

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) 590

श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री गोपीनाथ वर्मा तथा जमुना प्रसाद के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 597

श्री गोपीनाथ वर्मा के निलम्बन की वापसी का प्रस्ताव (स्वीकृत) 597

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचानाएं (क्रमागत) 599

श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 602

वित्तीय वर्ष, 1983-84 के आय-व्ययक के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 22-नगर विकास विभाग (स्वीकृत) 603

नियम 51 के अन्तर्गगत सूचनाएं 643

प्रदेश के बुनकरों के समक्ष सरकारी देयों एवं बैंक के कर्जों की वसूली में कुर्की, डिक्री एवं गिरफ्तारियों से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में वक्तव्य 644

सीतापुर में नदी-नालों की बाढ़ से हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य 649

झांसी-लखनऊ मार्ग में परिवहन निगम की बस पर पड़ी डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य 657

गाजियाबाद में एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की कथित हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य 660

जनपद फैजाबाद के पत्रकार को परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा गिरफ्तार कर अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 661

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निष्क्रियता एवं राजकीय बसों की दुर्दशा के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा 663

नत्थियां 666L 666R

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—375

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री उर्फ अनिल सिंह (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलू अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी, (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री नाम निर्देशित (आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्र श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती बस्ती
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड, श्री (टिहरी गढ़वाल)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)

चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदा लाल श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल,
'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराजी गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री, पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन बन महंथ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभु नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)

बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र डा० (देवरिया)
बेनी बाई श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्र, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, (श्री उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री,(आगरा)
महेश चन्द्र, श्री, (मेरठ)
महेश प्रसाद,श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद,श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मारकन्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायू)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद श्री (बदायू)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी (वाराणसी)
यदूनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द सिंह कुंवर (फर्रुखाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, (इलाहाबाद)
रमेश चन्द शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराईच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह श्री, (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याय वर्मा श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)

राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण, उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राज श्री (फैजाबाद)
रामधनी श्री (गाजीपुर)
राम नरायण सिंह एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल श्री (खीरी)
राम यश सिंह श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि श्री (जौनपुर)
राम समुझावन श्री (जौनपुर)
राम सागर श्री, (बाराबंकी)
राम सिंह श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह यादव, श्री (एटा)
राम सेवक श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन श्री (मुरादाबाद)
रेवती रमण सिंह, (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी श्री, (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा श्री (मथुरा)
बासुदेव सिंह श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री गाजीपुर)
विजय सिंह श्री (मर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बाँदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फर नगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बाँदा)
शिव नरायन सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सुरत उपाध्याय, श्री(इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायू)
श्रीनाथ सिंह श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, सी (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खाँ नवाब, श्री (शाजहाँपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह, जहलौत श्री (गाजियाबाद)

सुग्रीव सिह, श्री (देवरिया)
सुजान सिह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुन्दर सिह, श्री (बहराइच)
सुमनलता' श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री मुजफ्फरनगर)
स्वामी प्रशाद सिह, श्री (हमीरपुर)
हन्स राज सिह वर्मा, श्री एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

संसद पुस्तकालय

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 23 मार्च, 1983 ई0

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मिर्जापुर नहर प्रखंड द्वारा नहरों में कराई गई लाइनिंग में अनियमितताओं की जांच

× 1—श्रीमती गौरी देवी —

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले में घाघरा पोषक नहर निर्माण परियोजना के त्रुटिपूर्ण डिजाइन के बनाने से लगभग 1 करोड़ रुपए के धन का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, मिर्जापुर ने जुलाई, 81 में सरकार को सूचित किया था जिसके सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हाँ, तो कारण क्या है और नहरों की त्रुटिपूर्ण डिजाइनों के निर्माण का क्या औचित्य है ?

उद्योग एवं सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह) —

मिर्जापुर जिले में घाघरा पोषक नहर परियोजना निर्माणधीन नहीं है । अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मंडल मिर्जापुर ने मिर्जापुर नहर प्रखंड द्वारा नहरों में कराई गई लाइनिंग में अनियमितताओं के सम्बन्ध में जुलाई, 1981 में सूचना दी थी । सतर्कता अधिष्ठान द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही है ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, यह सतर्कता अधिष्ठान को जाँच कब दी गयी तथा उसकी रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ? क्या माननीय मन्त्री जी इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, सतर्कता विभाग के द्वारा जाँच हो रही है विजीलेन्स की जो रिपोर्ट होती है वह हमारे बस की नहीं होती है । जब वे अपनी जाँच पूरी कर लेंगे, तभी रिपोर्ट देंगे ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, यह एक करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है । जब यह जांच सतर्कता विभाग को सौंपी गयी । उससे पूर्व क्या विभागीय जांच की रिपोर्ट मिला थी कि उसमें आरोप साबित हुए थे ? यदि हाँ, तो अधीक्षण अभियन्ता की रिपोर्ट पर विभागीय कार्यवाही क्या की गयी ? यदि नहीं, तोक्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, विभागीय जांच में मिर्जापुर के सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर ने इसको देखकर रिपोर्ट भेजी थी जुलाई, 1981 में । इसी पर जांच हो रही है । यह मामला करोड़ों का नहीं, बल्कि लाखों का है उन्होंने अपनी जाच में 4 लाख रु० की गड़बड़ी बतलाई थी तो अभी इसकी जांच हो रही है ।

श्री रियासत हुसेन—

श्रीमान् यह देखते हुए कि डिपार्टमेन्टल इनक्वायरी इस केस में जरूर हुई होगी और उसमें कुछ तथ्य भी प्रकाश में आये होंगे तो अपने विभागीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर नियम यह होता है कि जब विजलेन्स को जांच दे दी जाती है तो फिर डिपार्टमेन्ट कोई ऐक्शन नहीं ले सकता है, इसलिये डिपार्टमेन्ट की सारी बातें बन्द कर दी गयी ।

समन्वित बाल विकास परियोजनाओं हेतु मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार एवं आयु सीमा का निर्धारण

× 2—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समन्वित बालाहार परियोजना के हेतु मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति के लिए 1982 मे कितनी बार साक्षात्कार आयोजित किए गये ? इन साक्षात्कारों में अलग-अलग समय पर अभ्यर्थिनियों की आयु सीमा क्या-क्या निर्धारित की गयी ? क्या अब यह आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 33 कर दी गयी है यदि हां, तो बार-बार आयु सीमा बदले जाने का क्या कारण है तथा क्या सरकार इसे फिर से निर्धारित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्यमन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)—

वर्ष 1982 में समन्वित बाल विकास परियोजनाओं (सही नाम यही है) हेतु मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति के लिये तीन बार साक्षात्कार आयोजित किये गये ।

पहले दो भर्तियों में मुख्य सेविकाओं की आयु सीमा अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति 18 से 28 वर्ष के बीच निर्धारित थी । भरती की तीसरी कार्यवाही माह नवम्बर, 1982 में प्रारम्भ की गई जिसमें शासन के दिनांक 7 जुलाई, 1982 के द्वारा मुख्य सेविकाओं की आयु सीमा 25-33 वर्ष निर्धारित की गई थी ।

आयु सीमा में परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य प्रौढ़ तथा अनुभवी महिलाओं की सेवायें प्राप्त करना था । शासन द्वारा निर्धारित उक्त आयु सीमा में फिलहाल परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

श्रीमान्, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । मैं उनसे सर्वप्रथम यह पूछना चाहता हूँ क्योंकि मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि शासन द्वारा निर्धारित उक्त आयु सीमा में फिलहाल परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है । और जिस दिन यह प्रश्न स्थगित हुआ था 9-3-83 को, उस दिन माननीय मन्त्री जी ने यह जवाब दिया था कि जो 18 से 33 वर्ष तक की आयु थी—

श्री अध्यक्ष—

मैं उसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, वह स्थगित इसीलिये हुआ था कि पूरी जानकारी नहीं थी, आप उसका कोई हवाला न दें ।

श्री विद्यासागर नौटियाल –

क्या यह आयु सीमा अभी भी जैसा कि मन्त्री जी ने कहा है कि 25-33 है या फिर बढ़ा दिया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन् दूर दराज के इलाकों में इन महिलाओं को बाल विकास योजना में काम करना पड़ता है। विशेष रूप से कम उम्र की महिलायें दूर दराज के इलाकों में नहीं जा पाती हैं। अनुभवी और निपुड़ महिलाओं के लिये 25-से 33 कर दिया गया है। यही नियम इस समय लागू है।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

कहां की महिलाओं के साथ क्या किया, यह नहीं पूछा था। 1 मार्च, 1983 को विज्ञापन करवाया इन पदों के लिये और इसमें 25 से 35 वर्ष की आयु सीमा लिखी है। उत्तर प्रदेश रोजगार डाइजेस्ट पाक्षिक, 1 मार्च, 1983 में छपा है। और जगहों पर भी छपा होगा। मन्त्री जी आदरणीय सदन में कह रहे हैं कि 25 से 33 वर्ष की आयु है। अखबार में विज्ञापन किया आता है 25 से 35 का। पहले इस बात को बता दें। मैंने मुख्य प्रश्न किया था कि बार-बार आयु सीमा बदली जाती है। क्या आज भी 5 वर्ष है ?

श्री गुलाब सेहरा —

विज्ञापन में मिस प्रिन्ट हो सकता है। चयन उसी आयु सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा –25 से 33।

श्री हुकम सिंह--

मैं आपके माध्यम से मा० मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आधार रखा था परिवर्तन का वह यह रखा था कि कम उम्र की लड़कियाँ दूर जाना नहीं चाहती या उपलब्ध नहीं हो पातीं। ऐसी लड़कियों की कमी नहीं है जो सामाजिक सेवा के लिये जाना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं। इसको देखते हुये जो आयु सीमा रखी थी 18 से 35 इसको रख लें ताकि कम उम्र की लड़कियाँ चयन में बुलाई जा सकें। वह वंचित न होने पायें।

श्री गुलाब सेहरा –

फिर देख लेंगे।

श्री विद्यासागर नौटियाल –

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ यह प्रश्न एक बार स्थगित हो चुका है, कि 18 से 24 वर्ष की कितने अभ्यर्थियों ने प्रार्थना पत्र दिये थे ? कितने प्रार्थना-पत्र पर्वतीय क्षेत्र की अभ्यर्थिनियों के थे जो कि विज्ञापन में निर्धारित समय में प्राप्त हुये थे ?

श्री गुलाब सेहरा –

अलग-अलग है। वर्ष 82 में पहले किया गया था, तब 56 पोस्टों के लिये 457 को बुलाया गया था। उसके बाद करीब 1714 में अभ्यावेदन दिया 1714 को बुलाया गया।

श्री कुंवर सिंह नेगी –

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसके लिये आपने पर्वतीय क्षेत्र

के किसी अखबार में विज्ञापन दिया था ? यदि नहीं दिया, तो भविष्य में आप आदेश करेंगे कि वहाँ के अखबारों में विज्ञापन चला जाये ?

श्री गुलाब सेहरा—

पर्वती क्षेत्र को ध्यान में रखते हुये बरेली से अमर उजाला निकलता है, उसमें विज्ञापन निकाला गया था।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैं जानना चाहता हूँ कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रार्थना-पत्र दिये हुये थे उनसे पूछा गया था कि वे जाना चाहेंगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि बार-बार यह आयु सीमा बदली गयी है, इसकी आवश्यकता क्या थी ? अभ्यर्थी यहाँ दूर दराज से आते हैं, उनका कितना खर्च होता है, क्या इसका ध्यान रखा गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

यह कभी नहीं हुआ। अप्रेल में जो पोस्ट्स एडवर्टाइज की गयीं थीं उसमें 18 से 28 की आयु सीमा थी। जुलाई में जो प्रार्थना-पत्र माँगे गये उनमें 25 से 33 किया गया। इसमें परेशानी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रानी खेत कैन्टोनमेंट बोर्ड के विद्यालयों के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं पुस्तक सहायता

×3—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 से 20-11-82 तक रानी खेत कैन्टोमेंट बोर्ड के प्राइमरी तथा माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं पुस्तक सहायता नहीं दी गयी ? यदि हाँ, तो क्यों ? अब कब तक भुगतान हो जाने की आशा है ?

श्री गुलाब सेहरा

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट

मान्यवर, आप इसको देखें कि 14-1-83 को यह प्रश्न सरकार को भेजा गया था और रानी खेत जो कि एक विश्व-विख्यात जगह है, तीन महीने हो गये हैं और उसके बारे में आप अभी तक सूचना एकत्र नहीं कर पाये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा

मान्यवर, सूचना उपलब्ध नहीं हो पायी, यही कारण है ?

(बुधवार 23 मार्च, 1983 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

श्री भगवन्त स्वरूप दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता गंडक नहर निर्माण खंड-15 का निलम्बन तथा बहाली व निर्वाह भत्ता सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

× 1—श्रीमती गौरी देवी

क्या सिंचाई मन्त्री कृपा बतायेंगे कि श्री भगवत स्वरूप दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता, गंडक नहर निर्माण खंड-15 गोरखपुर जिसको 16-3-81 को निलम्बित किया गया था को अप्रेल, 81 से मई, 82 तक के 14 माह का जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया ? यह सच है कि दिनाँक 30-8-82 को भगवत स्वरूप दीक्षित ने सचिव, सिंचाई विभाग को जाँच अधिकारी के माध्यम से अपने बहाली व निर्वाह भत्ता के सम्बन्ध में कोई पत्र दिया है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह

श्री भगवन्त स्वरूप दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता (निलम्बित) को अप्रैल, 81 से मई, 82 तक का जीवन निर्वाह भत्ता दिनाँक 26-6-82 को भुगतान किया गया है।

श्री दीक्षित ने निलम्बन से बहाल किये जाने तथा जीवन निर्वाह भत्ता बढ़ाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था, उनका जीवन निर्वाह भत्ता शासन के आदेश दिनाँक 3-11-82 द्वारा बढ़ा दिया गया है।

श्री दीक्षित के विरुद्ध जाँच अभी पूरी नहीं हुई। जाँच पूरी हो जाने से उपरान्त उनको बहाल करने के मामले पर विचार किया जा सकेगा।

श्रीमती गौरी देवी

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूँ कि यह बढ़ा हुआ जीवन निर्वाह भत्ता उनको कब से दिया जा रहा है ? निलम्बन की तिथि से अथवा बढ़ाने की तिथि से ? यदि निलम्बन की तिथि से नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह

मान्यवर, इनको जीवन निर्वाह भत्ता जो पहले दिया जा रहा था उसे बढ़ा दिया गया है। अक्टूबर, 1982 तक का जीवन निर्वाह भत्ता उनको दे दिया गया है और अब नवम्बर-दिसम्बर से जो निकलेगा, वह दे दिया जायेगा।

श्रीमती गौरी देवी

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि दोनों आरोपों का जवाब प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो जाँच कब तक पूरी कर ली जायेगी और क्या मन्त्री जी कोई निश्चित समय बतायेंगे कि कब तक उनका यह निलम्बन वापस हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह

मान्यवर, जाँच पूरी हो जायेगी और उसमें जो आयेगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

गोरखपुर के मधुबनी नहर निर्माण खंड के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र के आरोपों की जाँच

× 2—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के मधुबनी नहर निर्माण खंड

के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध पावर स्केप पर फर्जी ढंग से बालू निकालने, नहर कटवाने मरस्मत कराने आदि कार्यों पर लगभग 7 लाख फर्जी भुगतान करने एवं मौलागंज से मुजरी होते नरकटहा तक नहर की पटरी की सोलिंग कराने हेतु खरीदे गये घटिया व कम माप की ईंटों पर 20 प्रतिशत कमीशन लेने का शिकायती पत्र प्रश्न-कर्त्ता ने माह अक्तूबर से 20 नवम्बर, 82 के बीच मुख्य मन्त्री को भेजा है ? यदि हाँ, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिह

जी हाँ।

शिकायती पत्र के आरोपों की जाँच के आदेश मुख्य अभियन्ता (गण्डक) को दिये गये हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद-

मान्यवर, आप प्रश्न की गम्भीरता को देखें। 7 लाख रुपये का आरोप लगाया गया है फर्जी ढंग से बालू निकालने, नहर कटवाने और मरम्मत कराने आदि कार्यो के बारे में। मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि श्री जैदी के विरुद्ध स्पष्ट रूप से आरोप मैंने और इस माननीय सदन के सदस्य, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा इन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने भी लगाये थे। माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस भ्रष्ट इंजीनियर को हटाकर उनके विरुद्ध जांच न कराने के क्या कारण है ? वह वहां पर लोगों को प्रभावित कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता दिया कि आरोपों की जांच के आदेश मुख्य अभियन्ता (गंडक) को दे दिये गये हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, जाँच के आदेश दे दिये गये हैं लेकिन वह इंजीनियर अभी वहाँ पड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ी धनराशि का इन्होंने गोलमाल किया है। क्या मन्त्री जी उनको वहाँ से हटाकर जाँच करवाने के आदेश देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिह--

मान्यवर, मैंने कहा कि जो विशारद जी ने आरोप लगाया है, उसकी जाँच हो रही है। जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी के खिलाफ यह कह देना कि उसके प्रति गम्भीर आरोप हैं, ठीक नहीं है। जब तक कोई तथ्य सामने न आ जाय, तब तक कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद-

मान्यवर, मैंने सन्दर्भ दिया कि मैंने और माननीय ओझा जी ने तथा अन्य माननीय सदस्य ने बालू निकालने, नहर कटवाने, आदि में नहर की पटरी की सोलिंग कराने हेतु जो इतनी बड़ी धनराशि का गोलमाल किया गया है, उसके सम्बन्ध में मेरी सूचना को सही मानते हुये और आपने भी उसे महसूस किया, फिर भी ऐसे इंजीनियर को वहाँ से तत्काल न हटाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह

मान्यवर, शिकायतों पर केवल ट्रांसफर नही होता, शिकायतों के बाद जाँच होती है और उस पर जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर ट्रांसफर नहीं बल्कि जो भी सजा होती है, दी जाती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा

मान्यवर, यह मामला बहुत पुराना है मैंने माननीय मन्त्री जी से कई बार व्यक्तिगत रूप से कहा और उन्होंने इसकी गम्भीरता का एहसास भी किया और जो मीटिंग उनके चेम्बर में हुई थी, उसमें एक वरिष्ठ इंजीनियर को निर्देश दिया था कि तत्काल जाँच कराई जाय, लेकिन जाँच नहीं हुई। मामला इतना पुराना है कि अब स्पाट पर कुछ मिलेगा नहीं। वर्षाति के दिनों में इंजीनियर ने स्वयं खड़े होकर नहर को कटवाया। फर्जी तौर पर मामला बनाकर 8 लाख का मामला बनाया। मेरी जानकारी है कि 8 लाख का मामला नहीं, 25 लाख का है। तो इस 25 लाख के मामले में अभिलेख सीज करके उस इंजीनियर को हटा कर किसी वरिष्ठ अभियन्ता से या अपाडिट सेल से जाँच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह

इस तरह की जाँच सुपरिन्टेडिंग इंजीनियर करते हैं लेकिन मैंने इसकी जाँच मुख्य अभियन्ता से करने के लिए कहा माननीय सदस्य की रिपोर्ट पर जाँच बैठा दी है। वह सब करें, जाँच रिपोर्ट जल्दी आ जायेगी और उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद

इस इंजीनियर के खिलाफ इस सदन में कई बार आरोप आ चुके हैं, वह मन्त्री जी का मुंह बोला इंजीनियर हो गया है। इनके क्षेत्र में भी उसने गड़बड़ की है, खराब ईंटे उसने नहर में लगाई हैं, वर्क आर्डर करके खुद 20 परसेन्ट कमीशन ले लेता है। मन्त्री जी अपने क्षेत्र में भी देख लें, आज भी उनके क्षेत्र में काम पूरा नहीं हुआ है। तो क्या इन सब बातों पर विचार करके तत्काल जाँच करायेंगे और उनको उसका ट्रांसफर करने में क्यों हिम्मत नहीं पड़ रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह

मानयीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि मैं अपने क्षेत्र में जाता रहता हूँ। लोगों को सुनता हूँ छोटे-छोटे गाँवों में भी जाता हूँ। इसलिए मेरे क्षेत्र की वह चिन्ता न करें वे अपने क्षेत्र को देखें। इसमें जल्दी जाँच हो जाय यह मैं कोशिश करूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा :

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि संदर्भित अभियंता के विरुद्ध इसी सदन में आरोप आचुके हैं और प्रशासनिक कारणों पर कई बार उनका ट्रांस्फर किया गया लेकिन वह कहीं से किसी न किसी परिस्थिति में रुकवा लेता है। मैं माननीय मंत्री जी से पुनः आश्वासन चाहूँगा कि उसका ट्रांस्फर करेगे और जो अभिलेख हैं उनको अपने अधिकार में करेंगे ताकि वह जाँच को प्रभावित न करें ?

श्री वीर बहादुर सिंह ---

खाली आश्वासन देने से काम नहीं होता, काम करने से होता है। मैं देखूंगा जो कोई आवश्यकता होगी वह करूंगा।

मुसहर जाती के लोगों को अनुसूचित जाति के लोगों की तरह सुविधायें

×3- - श्री नन्दकिशोर सिंह, श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा तथा श्री सरदारसिंह

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने कृपा करेगें कि पूर्वी जनपदों में मुसहर जाति के लोग जो मछली पकड़ने तथा चूहा मारने का कार्य करते हैं को अनुसूचित जाति के लोगों की तरह सुविधायें देने का विचार है ? यदि हाँ, तो कब से ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा

मुसहरा जाति समस्त उ0प्र0 में अनुसूचित जाति घोषित है। अतः अनुसूचित जाति के लोगो को मिलने वाली सभी सुविधायें मुसहर जाति के लोगों को भी उपलब्ध हैं।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नन्द किशोर सिंह- --

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित हमारे देवरियाजिले के पडरौना तहसील में गन्डक नदी के किनारे इस जाती के लोग बसते हैं, उनको कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं दी गयी है जो कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को मिलती हैं। तो क्या वह इस बात की जांच करायेंगे कि देवरिया जिले कि पडरौना तहसील में इन लोगों को इोई सुविधायें दी गयी हैं ?

श्री गुलाब सेहरा---

मान्यवर, वह तो पहले से नोटिफाइड है कि 66 जातियां जो हैं उनको अनुसूचित जाति और जनजाति की सुविधायें मिलेंगी। अगर उस इलाके में कभी कोई दिक्कत है तो श्रीमान् मुझे लिख कर दे दें मैं उसे दिखवा लूंगा।

श्री नन्द किशोर सिंह--

पूरे पडरोना तहसील में 10 हजार लोग मुसहर जाति के रहते हैं। वह मूसों को मारते हैं और उनको खाते हैं। उनके पास कोई खेत नहीं हैं। जो अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि आवंटित होती है उस आधार पर इनको कभी कोई भूमि आवन्टित नहीं की गयी। इसमें लिखकर देने की क्या बात है मैं सदन मे कह रहा हूँ कि उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है। तो उनको यह सुविधा देने का कष्ट करेगे ?

श्री गुलाब सेहरा---

श्रीमन्, इसमें स्पष्ट बात है कि शासन द्वारा प्रदत्त सुविधायें अनुसूचित जातियों को जो मिलती हैं उनमें से उनको कौन सी सुविधा नही मिल रही है, जाति का प्रमाण-पत्र नही मिल रहा है या क्या बात है, इसलिए इस पर विस्तृत जो सुविधा नही मिल रही है वह लिखादें तो इसको अवश्य दिखवा लेंगें।

संयुक्त निदेशक, उ0प्र0 भूतत्व एवं खनि कर्म निदेशालय के मुख्यालय के स्थानान्तरण की माँग

×4— डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त निदेशक, उ0 प्र0 भूतत्व एवं खनि कर्म निदेशालय विभाग जो पर्वतीय जिलों में खनिज के अन्वेषण के लिए उत्तरदायी है उनका मुख्यालय पर्वतीय क्षेत्रों के बजाय लखनऊ में रखने का क्या औचित्य है ? कब तक उन का मुख्यालय पर्वतीय क्षेत्र स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बाहदुर सिंह --

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक का केवल एक पद मैंदानी क्षेत्र में स्वीकृत है। इस पदाधिकारी द्वारा निदेशालय के पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों से संबंधित प्रशासनिक तथा खनिज अन्वेषण से संबंधित समन्वय एवं देख-रेख का कार्य किया जाता है। वर्तमान में इस अधिकारी को पर्वतीय क्षेत्रों के कार्यों का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है तथा इस हेतु इन्हें विभागाध्यक्ष के अधिकार भी दिये गए हैं। इस पद को मुख्यालय पर रखकर निदेशालय के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त कार्यों का समन्वित ढंग से कराना ही व्यवहारिक व उचित समझा गया है।

इस प्रकार संयुक्त निदेशक का मुख्यालय पर्वतीय क्षेत्र स्थानान्तरित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको जानकारी हैं कि पर्वतीय अंचल में तांबे की खाने हैं, सोने की खान का पता चला है, अभ्रक का वहाँ भंडार है, और अनेक खानों का वहां पता चला है तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या वहां के लिए अलग से संयुक्त निदेशालय रखने की और वहाँ रहने की व्यवस्था करेंगें ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर,'पहाड़ों 'के लिए इस तरह का अलग पद नही है लेकिन और भी प्रभाग अधिकारी पहाड़ों के लिए रखे गये हैं, जो कार्य कर रहे हैं, और कोई परेशानी होगी तो उस पर विचार किया जायेगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

मान्यवर, सौभाग्य से पर्वतीय विकास मन्त्री भी बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पर्वतीय विकास के बजट से तमाम विभागों के लिए सेवायें ली जाती हैं, मेरी सूचना है कि पर्वतीय विकास विभाग के बजट से खनिकर्म संयुक्त निदेशक का अलग पद है, तो नया डाइरेक्टर बनाने मैं आप को क्या आपत्ति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, खनिकर्म निदेशक पर्वतीय क्षेत्र का कोई अलग पद नहीं है और न वहाँ के बजट से वेतन दिया जाता है।

ड़ाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

मान्यवर, मेरी सूचना है कि पर्वतीय अंचल के विकास के लिए जितने भी विभाग हैं,

वहाँ के जितने उच्च अधिकारी हैं, उसके लिए पर्वतीय विकास के बजट में प्राविधान है और वह रुपया वहाँ दिया जाता है। वह रुपया खनिकर्म के लिए पहाड़ों के लिए दिया गया है लेकिन मेरी जानकारी है कि वहाँ अधिकारीयों के न जाने से सारे काम रुके हुए हैं संयुक्त निदेशक तो वहाँ जाना ही नहीं चाहते हैं जिससे वहाँ काम रुके हैं, इस लिए मैं जानना चाहता हूँ कि पहाड़ों का दोहन करने के लिए चूँकि पर्वतीय विकास से पुनः पैसा दिया जा रहा है, इसलिए नया पद सृजन करने में क्या आपत्ति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, पर्वतीय विकास परिषद ने कहा है, और उत्तर में लिखा है कि संयुक्त निदेशक का एक पद मैदानी क्षेत्र में स्वीकृत है, तो पर्वतीय विकास परिषद से पूछा गया तो उन्होने कोई आपत्ति नहीं किया उन्होंने कहा कि इससे काम चल जायेगा, उनको निदेशक का काम परवतीय क्षेत्र में दिया गया हैं, बाकी काम नीचे के अधिकारियों से काम पूरा किया जा रहा है, इसलिये जो माननीय सदस्य को चिन्ता है उससे कम सरकार को चिन्ता नहीं है, इसलिए वहाँ कोई काम बिगड़ने नहीं दिया जायेगा।

ग्राम मोहनरी पट्टी मल्ला कल्लासों, जिला अल्मोड़ा के गरीब किसानों की उपजाऊ भूमि पर मोटर मार्ग का निर्माण

×5--- श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम मोहनरी, पट्टी मल्ला कल्लासों, जिला अल्मोड़ा के निवासियों ने इस गाँव से बाजार तक जिस एलाइनमेंट पर मोटर सड़क को मांग की है उस पर मोटर मार्ग का निर्माण न करा कर गरीब किसानों की उपजाऊ भूमि के ऊपर मोटर मार्ग बनाया जा रहा है ? यदि हाँ, तो इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

परिवहन एवं पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)

प्रश्नगत ग्राम के निवासियों से किसी विशेष एलाइनमेन्ट पर मोटर मार्ग निर्माण हेतु कोई मांगे प्राप्त नहीं हुई है मार्ग निर्माण हेतु सबसे उयुक्त एवं उपयोगी एलाइनमेन्ट रखा गया है, जिसमें कुछ खेतीहर भूमि आती है। मार्ग के स्वीकृत भाग का कार्य लगभग 60 प्रतिशत हो चुका है, जिसे रोका जाना इस स्थित में अब संभव नहीं हैं।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

अध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ, पहले तो यह बता दें कि इस मार्ग को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसने इसका प्रस्ताव रखा ? फिर कितने गाँवों को इस मार्ग से लाभ होगा ? इस मार्ग बनाने में किस विशेष व्यक्ति का हाँथ है और उसमें किन-किन लोगों का ठेका हैं ? यह भी वह बताने का कष्ट करेगें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

यह सौगढ़ से मौहनरी तक मोटर मार्ग है जो मंजूर हुआ और उन्हीं गाँवों की मार्ग पर यह मोटर मार्ग बनाने का निश्चय हुआ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

अध्यक्ष जी, जो मैंने जानना चाहता था वह तो उन्होंने बताया नहीं। एक तो मैं

मन्त्री, जी को बताना चाहता हूँ कि इस मोटर मार्ग का जो एलाइनमेंट रखा गया था रीची से चमढ़खान से उसको बदला गया है और जिस गाँव के लिए सड़क बनाई जा रही है

(श्री विद्यासागर नौटियाल के सदन का फ्लोर क्रास करने पर)

श्री अध्यक्ष--

नौटियाल जी, देखिए कृपया आप इस प्रकार से नहीं जायेंगे, भविष्य में ध्यान दो आपको पीछे होकर जाना चाहिए, सामने से इस प्रकार नहीं जाना चाहिए।

श्री विद्यासागर नौटियाल---

मान्यवर, क्षमाप्रार्थी हूँ।

श्री जसवन्त सिह बिष्ट---

तो रीची से, चमढ़खान से इसका निर्माण होना चाहिए था और दूसरी बात यह है कि यह जो मोटरमार्ग बन रहा है, वहाँ के जो हमारे साँसद सदस्य हैं, जिनका गाँव सड़क से एक फर्लांग की दूरी पर है, उन्हीं के लिए यह सड़क बन रही है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक जो काम हो रहा है, कितनी दूरी का हो रहा है, कितने किलोमीटर मे हो रहा है ? और चमढ़खान तक कितने वर्षों में बनेगी ?

श्री बलदेव सिह आर्य--

यह 40 किलोमीटर की कुल सड़क है, प्रारम्भ में तीन किलोमीटर स्वीकृत हुई, मोहनरी गाँव, जिसके लिए यह कह रहे हैं उसके लिए किसी ने आपत्ति लिख कर नही भेजी है। जो प्रभावित गाँव हैं, जो उससे सम्बधित गाँव हैं, उन गाँवों और उनके प्रधानों ने लिखकर है कि यह एलाइनमेंट ठीक है। माननीय विधायक की जो शिकायत है, जितने क्षेत्र में निर्माण काम हो गया है उसको रोकना अब सम्भव नहीं है।

(अगला प्रश्न लेने पर व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

हमे कहने का मौका दीजिए.....

श्री अध्यक्ष --

आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप इस पर नियम 47 में चर्चा की माँग कर लीजिए, लेकिन अब नहीं बैठेंगे। (श्री जसवन्त सिंह के बोलते रहने पर) यह सब नहीं लिखा जायगा, आप बैठिए। (व्यवधान)

रानी चौरा हिल कैम्पस प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय को शासन द्वारा दी गयी भूमि

×6--श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जो कि गढ़वाल जिले के रानी चौरा नामक स्थान पर अरबों रुपए की एक विशेष योजना चला रहा है को, रानी चौरा में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ढ़ाई हजार एकड़ जमीन देने का आश्वासन शासन की तरफ से दिया गया था ? यदि हां, तो वह जमीन अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध कराई गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर के तत्वाधान में टिहरी गढ़वाल जनपद के रानी चौरी नामक स्थान में हिल कैम्पस प्रायोजना स्थापित करने का निर्णय पन्चम प्लान के वर्ष 1975 में लिया गया था। पन्चम प्लान में इसका परिव्यय रु0 4,995 करोड़ का रखा गया था। इस प्रायोजना की स्थापना हेतु 2,000 (दो हजार) एकड़ वन भूमि उपलब्ध कराये जाने का पूर्व निर्णय लिया गया था। परन्तु इतनी भूमि के लेने में अधिक पेड़ों के कटान की सम्भावना पाई गयी अतः वर्तमान शासकीय नीति के अनुसार यह उपयुक्त समझा गया कि फिलहाल प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु हिल कैम्पस रानीचौरी को आवश्यकतानुसार 202 है, (500 एकड़) वन भूमि उपलब्ध करायी जाय जिसके सम्बन्ध में सक्रिय कार्यवाही की जा रही है।

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

मान्यवर, यह बहुत बड़ी परियोजना पन्तनगर यनिवर्सिटी हिल की कैम्पस में हैं और जिस समय माननीय नारायणदत्त तिवारी मुख्य मन्त्री यहाँ पर थे, उन्होंने इस यूनिवर्सीटी को आश्वासन भी दिया था, उसके आधार पर वह परियोजना बन गयी और उसके लिये धन का आवंटन भी होने लगा, उसके बावजूद भी अब यह कह देना कि हम नहीं दे पावेंगे, तो यह उस परियोजना का अपव्यय है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने उस विश्वविद्यालय को कितने हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करायी ?

श्री बल्लदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा 1975 में इस परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए निर्णय लिया गया था, उसके बाद वहां कार्य प्रारम्भ हुआ। मान्यवर, करीब, 15 एकड़ भूमि पर वहां निर्माण कार्य हो चुका है। इसी बीच 1980 में वन संरक्षण भूमि अधिनियम भारत सरकार का लागू हो गया, उसकी वजह से जो बाकी भूमि है और वह 15 एकड़ भी, उसकी स्वीकृत भारत सरकार से लेने के लिए भेजा गया। इसके अतिरिक्त जो शेष भूमि को उपलब्ध कराना हैं, उसके लिए विश्वविद्यालय के दो अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से उसकी ओर देखेगे और देखकर उसको भारत सरकार के लिए सन्स्तुति करेंगे।

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी तो बहुत स्पष्ट भाषी नहीं हैं, पुराने खिलाड़ी आदमी हैं, उन्होंने यह नहीं स्पष्ट किया कि कितनी जमीन दी गयी ? मान्यवर, अभी तो 15 एकड़ भूमि देने की बात थी, विश्वविद्यालय ने एक करोड़ रुपये की तो एक योजना बनाई, मान्यवर, मैं तो खुद उस बोर्ड का मेम्बर हूँ, एक करोड़ रुपये की योजना वहां की बनी है, अगर जो अवैध रूप से निर्माण कर दिया गया है, क्या माननीय जी युनिवर्सिटी पक्ष में या उसको इस प्रत्याशा में कि केन्द्रीय सरकार से उनको स्वीकृति मिल जायगी, उनको बनाने की स्वीकृति दे देंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यही प्रयास किया जा रहा है कि उनको जल्द से जल्द एक तो भूमि उपलब्ध हो जाय और दूसरे जो उनके लिए, वहां के लिए जो धन स्वीकृत है, उसको उन्हें दे दिया जाय ताकि उस कैम्पस का काम ठीक तरह से चल सके। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, यह देखते हुये कि सन् 75 से 83 तक 8 साल हो गये हैं और अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि वन विभाग की ओर से एक बार पंतनगर विश्वविद्यालय को यह छूट दे दी गयी थी कि आप जितनी चाहें वन भूमि पर कब्जा कर लें लेकिन उस समय विश्वविद्यालय के पास धनाभाव था। इसलिये वह कब्जा नहीं कर पाये। उसके बाद केन्द्रीय वन अधिनियम बीच में आ गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार के पास कब गयी और आप कब तक पंत नगर विश्वविद्यालय को दिला देगें ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, तारीख तो मैं नहीं बता सकूंगा, मेरे पास नहीं है। लेकिन 15 एकड़ भूमि जिस पर बिना इजाजत काम शुरु किया गया है तो उसके कागजात भारत सरकार के पास स्वीकृत के लिये गये हैं। शेष के लिये यह तय हुआ है कि विश्वविद्यालय के दो अधिकारी और वन विभाग के दो अधिकारी मिलकर इसका निरीक्षण करेगें और जो संयुक्त संस्तुति करेगें भारत सरकार के पास भेज दी जायगी।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मन्त्री जी ने कहा है कि 75 में स्वीकृति भी मिल गयी। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 से लागू होता है। तो सन् 75 से सन् 80 तक आप क्या करते रहे ? क्यों नहीं वन विभाग की भूमि को उपलब्ध कराया गया ? इसका क्या कारण था ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो कठिनाई है, उसके हल होने पर जो माननीय सदस्य की भावना है कि हम उसको तेजी से आगे बढ़ायें, मैं समझता हूं कि वह ठीक है। यह योजना महत्वपूर्ण है। हम इसको सफल बनाना चाहते हैं और इसमें किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करना चाहते हैं। शासन इस योजना को चलाना चाहता है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी वन विभाग को भूमि देने के विषय में जो अपनी विवशता प्रकट की है, तो मैं जानना चाहता हूं कि बिड़ला के लिए 500 एकड़ भूमि विंदुखाता, हलद्वानी के इलाके में हरिजन लोगों को वहां से हटाकर और जंगल को कटवा कर 500 एकड़ भूमि बिड़ला को एलाट करने में जंगल का प्रविधान सामने नहीं आया लेकिन जो रानीचौरासरी की इतनी बड़ी योजना है उसको रोकने के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो जिस परिस्थित में बिड़ला जी को 500 एकड़ भूमि दी जा

रही है उसी विशेष परिस्थिति में रानी चौरा योजना को वन विभाग की भूमि दिलाने में पूरी मदद करवायेगें ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, बिड़ला जी के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है, इसके लिए मैं नौटिला जी से माफी चाहता हूँ । जहाँ तक रानी चौरा परियोजना का सवाल है तो उसको तो प्रदेश की सरकार ने स्वीकार किया है, विश्वविदयालय की इक्जी क्यूटिव कउंसिल ने स्वीकार किया हैं । उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं ।

×7---श्री विमल प्रसाद तिवारी---

(11 वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद कानपुर देहात की तहसील, अकबरपुर के ग्राम ओनहा में नाला निकालने हेतु भूमि का अधिग्रहण

×8---श्री हरीकिशन श्रीवास्तव, श्री रेवतीरमण सिंह तथा श्री प्रदीप कुमार यादव---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात की तहसील अकबरपुर में ग्राम ओनहा में जल के भराव के पानी के निष्कासन के लिए नाला निकालने हेतु कोई भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय परगनाधिकारी, अकबरपुर ने लिया है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इस विषय में परगनाअधिकारी अकबरपुर ने जिलाधिकारी कानपुर देहात के माध्यम से चक संख्या 206 व 226 के बीच की भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव भेजने की संस्तुति की थी । तदनुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी, कानपुर देहात को दिनांक 24-2-83 को भेज दिया गया है ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर जो है, भ्रामक है मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्शित करना चाहता हूं कि यह जल भराव का पानी निकालने पृष्ठभूमि में उस ग्राम के भूतपूर्व जमींदार का अपना एक निहित स्वार्थ है, वह अपनी 100 एकड़ जमीन सिंचाई के लिए पानी को रोक लेते हैं मेरी निश्चित जानकारी को सही मानकर कि दो वर्ष पूर्व आपके विभाग के ही इंजीनियर ने इसकी स्वीकृत दी और जब वे पानी निकालने गये, तो भूतपूर्व जमींनदार ने उसको नहीं निकालने दिया, और एक वर्ष पूर्व परगनाधिकारी ने यह भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, जब प्रश्न जनवरी को हुआ तो परगनाधिकारी ने केवल यह सूचना दे दी माननी मन्त्री जी कों कि हमने प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेज दिया है । तो इन परिस्थितियों में क्या मन्त्री जी यह आश्वासन देगे कि इस जल भराव को निकालने के लिए इस वर्षा ऋतु के पहले नाला बनवा दिया जायगा, भूमि अधिग्रहीत कर दी जायेगी और उस परगनाधिकारी के विरुध्द कार्यवाही की जायेगा, जिन्होने जानबूझकर इसमें विलम्ब किया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय हरि किशन श्रीवास्तव जी को मैं बता देना चाहता हूँ, कि जो उनकी कठिनाइयां थी, उनको देखते हुए अब इसका अधिग्रहण ग्रामीण विकास अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्ताव पर किया जा रहा है, जिसमें मान्यवर, जल्दी किया जाता है। धारा 4 (1) व धारा 6 ( ) पठित धारा 17 (1) यह सब लगायी जा रही है, जल्दी ही अधिग्रहण कार्यवाही हो रही है। बरसात के पहले इसको पूरा कर लिया जाय, सरकार भी यही चाहती है।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, जल भराव की समस्या पूरे प्रदेश के अंदर है, जितना काम जल भराव के लिए किया जाता है, वह एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के तहत किया जा रहा है, लेकिन एन0 आर0 ई0 पी0 योजना में भूमि अधिग्रहण का प्राविधान नहीं है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में प्रस्ताव लाकर इसका प्रविधान करायेंगे, जिससे इस योजना के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, सिंचाई विभाग के जो भी, काम किये जायेंगे ड्रेन निकालनी होगी, माइनर निकालनी होगी, सारी जमीन का अधिग्रहण करके उनको मुआवजा दिया जायेगा।

×9 --श्री कुंवर सिंह नेगी--

[9 वें सवाल के लिए स्थगित]

जनपद शाहजहाँ पुर में भकसी नाले की सफाई की मांग

×10--श्री सत्य पाल सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर में भकसी के नाले सफाई हेतु योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ तो इस नाले की सफाई में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? यह सही है कि प्रतिवर्ष हजारों एकड फसल सफाई के अभाव में जलमग्न होकर बर्बाद हो जाती हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस नाले की सफाई कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हाँ।

जल भरे रहने के कारण नाले की सफाई अब तक संभव नहीं हो पाई।

नाले में पानी बरसात के दिनों में कुछ निकट के खेतों में भी कुछ समय के लिए बहता है परन्तु इससे फसलों को कोई विशेष हानि होने का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

नाले की सफाई आगामी वर्षा के पूर्व जून 1983 तक किया जाना प्रस्तावित है।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि जल भरे रहने के कारण इस नाले की

सफाई नहीं हो पाई। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस नाले की समस्या केवल इस वर्ष तो हुइ नहीं, यह समस्या तो हमेशा हमेशा से चली आ रही है, नाले की सफाई कभी करायी नहीं गयी, और इससे नुकसान के विषय में कोई सूचाना नहीं प्राप्त हुई है, मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस नाले कि समस्या वर्षो से चल रही है और इससे जहां पर नुकसान होता है तहसील तिलहर और सदर में पानी जाता है खरीफ की फसल बरबाद हो जाती है, इसलिए यह आश्वासन दे देगे कि सफाई करा दी जायगी ? और मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी जानना चाहता हू कि इस नाले की सफाई क्या इस वर्ष बरसात के पहले पहले शुरु करा दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह नाले की सफाई 27.2 किलोमीटर है। यह प्रयास किया जायगा कि जल्द से जल्द जितना हो सके, जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं, कि यह कार्य बरसात से पहले हो जाय, हम इसका प्रयास करेगे। लेकिन हो सकता है ज्यादा काम होने से यह काम पूरा न हो सके। इसका प्रस्ताव 1983--84 में, इसकी सफाई करने का रखा गया है।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर आपने बताया कि 27 किलोमीटर लम्बाई इसकी है तो यह काम छोटा तो है नहीं बड़ा काम है। तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेगे कि इसमें कितने रुपये का प्रविधान किया गया है और यह कार्य आप कब से प्रारम्भ करा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

1983-84 में इस पूरे नाले की सफाई का प्राविधान किया गया है, जितने रुपये की आवश्यकता होगी, वह किया जायेगा।

जनपद इलाहाबद की फूलपुर, हंडिया तहसीलों में बरुना नदी को गहरी किये जाने में घपला होने की जाँच की मांग

×11— श्री राधेश्याम पटेल

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद इलाहाबाद की फूलपुर, हंडिया तहसीलों के अन्तर्गत बहने वाली वरना नदी विगत वर्ष में गहरी की गयी है ? यदि हाँ तो पहले इसकी गहराई क्या थी और अब किन-किन स्थानो पर कितनी गहरी की गयी है ? इस कार्य में कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सत्य है कि गहराई नाम मात्र की करके पूरे बिलों का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या जांच कराने की कृप करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री राधेश्याम पटेल—

मान्यवर, इसमें लाखों का घपला किया गया है। अधिकारीगण खुदाये और पाट दिये ओर इसमें ..

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के सदन में आने पर मेजों की थपथपाहट) इसको

कागज पर भी पाटने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसकी सूचना कब तक एकत्रित हो जायेगी ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

इसका उत्तर अगले बुधवार को दिया जायेगा।

श्री मोहन सिंह—

कांग्रेस ने क्या अपना नेतृत्व परिवर्तन करके पुराना नेतृत्व फिर लाया है ?

श्री अध्यक्ष

जी नहीं।

मैनपुरी जिले में तहसील भोगाँव, परगना किशनी में बसैत गाँव के तालाब को चौड़ा व गहरा कराने का प्रस्ताव

×12—श्री जगदीश सिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में तहसील भोगाँव परगना किशनी में एक बसैत गाँव के तालाब में सामने के तालाब का भी पानी आता है इस कारण बरसात में कई हजार बीघा की उगती हुई खरीफ की फसलें नष्ट हो जाती है ? यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिह—

जनपद मैनपुरी की भोगाँव व तहसील परगना किशनी के ग्राम बसैत में स्थित तालाब के पश्चिम दिशा में एक नाला है। इसके द्वारा ग्राम फरैजी और चौराईपुर का पानी बसैत गाँव के तालाब में आकर इकट्ठा होता है। फिर यह नाला तालाब से निकल कर अरिन्द नदी में गिरता है।

इस नाले की क्षमता कम होने के कारण इस तालाब के आसपास का कुछ क्षेत्र जल मग्न हो जाता है तथा अत्यधिक वर्षा के वर्षों में इस क्षेत्र का धान की फसल को भी आँशिक रूप से हानि पहुँचाता है।

उक्त समस्या के समाधान हेतु इस नाले को चौड़ा व गहरा करना प्रस्तावित है।

श्री जगदीश सिह यादव—

क्या सिचाई मन्त्री जी अगली बरसात तक इसकी खुदाई करायेंगे।

श्री वीर बहादुर सिह

इसके लिये प्रयास करेंगे।

श्री विष्णु दयाल वर्मा—

मन्त्री जी, क्या बतायेंगे कि इस पानी भराव से कितनी भूमि प्रभावित है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह तो मैं नहीं बता सकता लेकिन एक बात जरूर है कि इस नाले को जो सकरा है गहरा करने से यह समस्या भविष्य में पैदा नहीं होगी।

अवर अभियन्ताओं, बालमपुर (मथुरा) के विरुद्ध सीमेंट की चोरी का आरोप तथा कृत कार्यवाही

×13—श्री मोहन सिंह तथा श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दि० 26-3-81 को सामान्य

प्रशासन के बजट पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मा० नेता विरोधी दल ने सहायक अभियन्ता, बालमपुर (मथुरा) के विरुद्ध 400 बोरी सीमेंट की चोरी का आरोप लगाते हुए कहा था कि तथ्य सही होने के कारण दोनों अधिकारियों से पैसा जमा कराया गया ? यदि हाँ, तो उक्त चोरी से सम्बन्धित अधिकारियों को क्या दण्ड दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह मामला सहायक अभियन्ता का न होकर दो अवर अभियन्ताओं के बीच 344 बोरी सीमेंट की कमी का है। इस कमी के लिए दोनों अवर अभियन्ताओं से 7,568.00 रुपये की धनराशि दिनांक 26-5-80 को जमा करा ली गई है।

विभागीय एवं पुलिस जांच में किसी पर भी प्रत्यक्ष रूप से कमी के लिए उत्तर-दायी होना प्रमाणित नहीं है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आप स्वयं अवलोकन करें मन्त्री जी ने उत्तर के प्रारम्भ में स्वीकार किया है कि 344 बोरी सीमेंट गायब हुई और गायब होने पर जिसके ऊपर जिम्मेदारी आयी उनसे साढ़े 7 हजार रुपया रिकवर किया गया। बाद में कहते हैं। कि कोई जिम्मेदारी आयद नहीं की गई। जब जिम्मेदारी आयद नहीं हुई तो वसूल किन कारणों से किया गया क्या गलती पाई गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसमें देखें, एक जूनियर इंजीनियर ने दूसरे जूनियर इंजीनियर के खिलाफ रिपोर्ट लिखायी कि हमारा सीमेंट गोदाम से निकाल कर उठा ले गये। इसमें एफ० आई० आर० लिखाई गई, और उसमें आया कि विवेचना से किसी अपराध धारा 379 आई० पी० सी० भी साबित नहीं है। अपराध रद्द फरमा। कर एफ० आर० स्वीकार फरमाई जाये। हमारे एस० ई० ने जांच किया तो किसी के बारे में साबित नहीं हुआ कि किसका दोष है लेकिन सरकार का नुकसान था इसलिये दोनों से क्षति पूर्ति कर ली गई।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा की गई भिक्षु कर्मशाला, शिवकुटी, इलाहाबाद के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट पर प्रशासनिक जांच

×14—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री के पास न्यायमूर्ति श्री राधाकृष्ण गुप्त ने 29 सितम्बर, 1982 को भिक्षु कर्मशाला शिवकुटी, इलाहाबाद की जांच रपट भेजी, जो सरकार को 15 अक्तूबर, 1982 तक प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार न्यायमूर्ति श्री राधाकृष्ण गुप्त की उक्त भिक्षु शाला के बारे में जांच रपट को सदन के पटल पर रखेगी तथा यह बतायेगी कि उस जांच रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुसार अब तक कार्यवाही न किए जाने का कारण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं। न्यायमूर्ति श्री राधाकृष्ण गुप्त की कोई जांच रपट प्राप्त नहीं हुई है बल्कि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इलाहाबाद (श्री राधाकृष्ण गुप्त से भिक्षु कर्मशाला शिवकुटी इलाहाबाद की जांच रपट दिनांक 23-9-82 प्राप्त हुई है। माननीय सदस्य उक्त जाँच रपट मेरे कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं।

चूंकि जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा इस संस्था के विषय में प्राप्त शिकायतों की जाँच पहले से ही नगर मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के माध्यम से कराई जा रही है। अतः उनके अनुरोधानुसार जब तक कथित जाँच नगर मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्ण नहीं कर ली जाती तब तक मुख्य दण्डाधिकारी का प्रश्न गत जाँच रपट पर कार्यवाही किये जाने के विषय में न्याय विभाग से प्राप्त परामर्शानुसार प्रशासनिक जाँच करने का कार्य जिला प्रशासन के स्तर से ही किया जाता है। अतः नगर मजिट्रेट की प्रशासनिक जाँच जारी रखी गई है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि श्री राधाकृष्ण गुप्त की जाँच रपट में, उन्होंने लिखा है कि उचित एवं पूर्ण जाँच केवल खुफिया विभाग पुलिस द्वारा इस मामले में किया जाना चाहिए। तथा अब तक किये गये लाखों रुपये के घोटाले का पता चलेगा। यह भी आवश्यक है कि जाँच के दौरान अधीक्षिका तथा सीताराम मिश्र, वरिष्ठ लिपिक को निलम्बित कर दिया जाय और उन्हें यहाँ स हटा कर किसी दूसरे स्थान पर रखा जाय ताकि जाँच की कार्यवाही निष्पक्ष रूप से हो सके। यदि त्वरित कार्यवाही न की गयी तो अधीक्षिका द्वारा समस्त कागजात गायब किये जाने की पूरी सम्भावना है। तो यदि यह सही है तो सरकार ने उक्त अधीक्षका और वरिष्ठ लिपिक को वहाँ से हटाया या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैं वर्मा जी को बताऊं प्रशासनिक आधार पर जाँच का अधिकारी जिलाधिकारी को है और वह 9-2 को स्थापित कर दी गई। इसी बीच में न्यायालय अगर कोई जाँच करता है तो यह देखना होता कि कहीं उनकी अवहेलना तो नहीं हो रही। तो जब तक हमारे एस० डी० एम० की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

दण्डाधिकारी ने जाँच की और उन्होंने जो रिपोर्ट दी, जो हिस्सा मैंने सुनाया, मंत्री जी उसे स्वीकार करते हैं, तो जब दो आदमियों के बारे में उन्होंने लिखा है कि इन को हटा कर ही निष्पक्ष जाँच की जा सकती है, तो आप जाँच कैसी करवा रहे हैं ? उनको हटा कर करवा रहे हैं या बिना हटाये हुए ?

श्री गुलाब सेहरा—

न्याय विभाग का विचार का विचार है कि जब तक एस० डी० एम० की रिपोर्ट नहीं आ जाती, अपने क्षेत्र से बाहर न्यायिक जाँच की है, प्रशासनिक आधार पर कोई जाँच करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

जो निरुद्ध किये गये थे गलत तरीके से, अभी निरुद्ध है। उन सब की रपट भी है। तो उनके खिलाफ जो उन्होंने देखा कि निरुद्ध है, तो अधीक्षिका के खिलाफ लिखा था और उसमें यह भी लिखा था कि, एक अंश मैं पढ़ देता हूँ—वस्तुस्थिति को देखकर मैं अत्यधिक दुःखी हुआ तथा अपने आपको इस नारकीय पाप में भागीदार समझने लगा।

मैं समझता हूँ कि इससे अमानवीय व्यवहार तथा परिस्थितियाँ किसी भी स्थान को नहीं हो सकती और इस प्रकार के निर्दयी एवं अमानवीय व्यक्तियों को इस संस्था में किसी भी प्रकार से सम्बद्ध रखना बन्दी व्यक्तियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है और यदि इन परिस्थितियों में कोई बिमार होकर मर जाय तो उसकी जिम्मेदारी केवल अधीक्षिका पर ही नहीं है, वरन् हम सब पर है जिनके आदेशों से बन्दी होने पर अधीक्षिका इन बंदियों से इस प्रकार का क्रूरता पूर्ण एवं अमानवीय व्यवहार करने में सफल हो सकी। अतः इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि अविलम्ब त्वरित कार्यवाही निराकरण हेतु की जाय यह रिपोर्ट में लिखा है कि इतने अमानवीय कार्य किये हैं, उन्होंने और यह लिखा कि इन दोनों को हटा कर ही जांच कराएं। तो आपको क्या आपत्ति है ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

जो दंडाधिकारों ने आदेश दिये, उसके लिए भी अधीक्षिका ने स्टे-आर्डर ले रखा है। पूरी प्रोसीडिंग रोक रखी है हाईकोर्ट ने, यह मजबूरी है।

×15—श्री चारु चन्द्र ओझा

(9 वें बुधवार के लिये स्थगित)

अधीक्षक, मन्डल जेल लखनऊ द्वारा बन्दी रक्षकों का चयन, नियुक्ति और सेवा समाप्ति

×16—श्री कैलाश चन्द्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधीक्षक, माडल जेल, लखनऊ द्वारा 40 बन्दी रक्षको का चयन माह सितम्बर, 1981 में किया गया था ? और उनकी नियुक्ति माह दिसम्बर, 1981 में की गयी थी ? क्या यह सही है कि दि० 15 जनवरी, 1982 को उन्हें सेवा से अलग कर दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार उनको पुनः सेवा में लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो कब तक ?

जेल एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खाँ नश्तर)—

बन्दी रक्षक पद के लिये सितम्बर 1981 में 54 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। उनमें से 39 की अस्थायी नियुक्ति नवम्बर, 1981 में की गई, दिसम्बर, 1981 में नहीं।

जी हाँ,

उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रही थी। रिक्तियाँ होने पर उनकी नियुक्ति पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

जनपद जालौन के नलकूपों की क्षति ग्रस्त नालियां, पाइप लाइनों की मरम्मत हेतु निर्देश

×17—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद जालौन में 80 प्रतिशत राजकीय नलकूपों की नालियाँ तथा पाइप लाइनें टूटी पड़ी हुयी हैं और उनकी मरम्मत इसलिए

नहीं की जा सकी है कि विभाग के पास उनकी मरम्मत कराने के लिए धन नहीं है ? यदि हाँ तो सरकार उक्त विषय में क्या कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जालौन में 219 राजकीय नलकूप चलित हैं। इनमें से लगभग 95 नलकूपों की नालियाँ/पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त है। अनुरक्षण की मद में समुचित धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इनकी मरम्मत में कठिनाई रही है। क्षतिग्रस्त नालियों का मरम्मत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने चलित नलकूपों की संख्या 219 बताया। 219 में 95 की नालियाँ टूटी पड़ी हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि टोटल नलकूपों की संख्या कितनी है ? चाहे चलित हों या अचलित। जो अचलित हैं उनकी नालियों की स्थिति क्या होगा ? पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखंड में वैसे ही सिंचाई के साधन नहीं हैं। इसके बावजूद भी आपके विभाग में इतना पैसा नहीं है कि नलकूपों की लाइनें और पाइप लाइनें ठीक कराया जा सकें। इस उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने कहा कि जालौन में 219 राजकीय नलकूप चलित हैं। पूरी संख्या तो नहीं है—चलित की संख्या है। दूसरी बात यह कहा कि इनका रख-रखाव क्यों नहीं हो सका। यहाँ मिट्टी मार है जिसके कारण नालियाँ बराबर टूटती रहती है। बरसात में टूट जाती हैं, फैल जाती हैं और गर्मियों में चिटक जाती हैं। 2500 रुपये प्रति नलकूप मरम्मत के लिये दिया गया था। परन्तु इससे मरम्मत नहीं हो पायी। कहा गया कि प्रति ट्यूबवेल 4900 रुपये दिये जांये तब मरम्मत हो सकती है। शासन ने जितने रुपये का प्राविधान किया उसके अनुसार काम किया। पैसे की कमी के कारण मरम्मत पूरी नहीं हो पायी।

श्री शंकर सिंह—

मन्त्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं वहाँ की मिट्टी मार है। मार मिट्टी के कारण नालियाँ टूटती रहती हैं। जब मिट्टी के कारण ऐसा हो रहा हो तब तो और ज्यादा पैसे की व्यवस्था करनी चाहिये थी लेकिन व्यवस्था नहीं की गयी। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जाँच करायेंगे कि नालियों के टूटने का कारण मार मिट्टी ही है। इसका कारण यह है कि इन पर ठेकेदारों और ओवरसियरों की मार पड़ रही है। असली बालू की बनायी जाती हैं, सीमेंट की नहीं। यह कारण है मार मिट्टी इसका कारण न होकर ओवरसियरों की मार है। 3500 रुपये प्रति नलकूप दिये गये। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की घोषणा करेंगे कि 219 नलकूपों के लिये 2500 रु0 प्रति नलकूप से हिसाब से रख रखाव के लिये दिया गया फिर भी नालियाँ पूरी नहीं हो पायीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

2500 रु0 के हिसाब से सभी नलकूपों को दिया गया, जितने नलकूप थे सभी

के लिये। दूसरे माननीय सदस्य ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि मार मिट्टी होने के कारण नालियाँ टूटती रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुये शासन ने निर्णय लिया है कि बुन्देलखण्ड में जो ट्यूबवेल लगाये जांये उनमें अन्डर ग्राउन्ड पाइप लाइन डाली जाँये। नालियाँ न बनायी जांये।

श्री शंकर सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने यह निर्णय लिया है कि बुन्देलखण्ड में ट्यूबवेल में अन्डर ग्राउन्ड पाइप लाइन बनायी जांये। मन्त्री जी को अपनी जानकारी दे सकता हूँ कि जो पाइप लाइने बिछायी जा रही है वहाँ पर उनकी बहुत ही बुरी हालत है। जो नालियाँ है चलित नलकूपों की वह चलेगें अगर सही मसाले से बनायी जांये। दूसरी बात आपने कहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत नलकूपों की मरम्मत कराने के आदेश दे दिये हैं।...

इसे आप राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के माध्यम से करायेंगे। और वह कच्ची मिट्टी से मरम्मत करेगा पक्के का काम तो वहाँ है ही नहीं। पक्की नालियों की मरम्मत अगर कच्ची मिट्टी से करवायेंगे तो उनसे एक दिन भी पानी नहीं मिलेगा। इस पर माननीय मन्त्री जी पुनर्विचार करें। दूसरा जो आप आदेश देते हैं उसका आपके विभाग द्वारा पालन नहीं किया जाता है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो इसमें फन्ड्स हैं वह क्या सिंचाई विभाग के अधीन नहीं है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा कि विश्व बैंक की परियोजना के अनुसार ही पाइप लाइनें डाली जा रही हैं। और अभी तक हम कई जगह पाइप लाइनें डाल चुके हैं और वे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इसके बारे में माननीय सदस्य को बिलकुल भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। इसमें जो कमियाँ होंगी, उनको सुधारा जायेगा। दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि ग्रामीण योजना के अन्तर्गत जो काम हो रहा है वह 60 परसेन्ट मिट्टी का कच्चा काम करता है तथा 40 परसेन्ट पक्का काम करता है। इस काम में जो भी पैसे की कमी थोड़ी-बहुत पड़ेगी, उसकी व्यवस्था की जायेगी।

× 18—श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

(9वें बुधवार के लिए स्थगित)

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

संस्कृत पाठशालाओं में अन्य विद्यालयों के समान छात्रवृत्ति देने की मांग

× 19—राम आसरे वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि संस्कृत पाठशालाओं में अन्य पाठशालाओं की तुलना में छात्र वृत्ति न्यून दरों पर तथा कम छात्रों को दी जाती है ? यदि हाँ, तो क्या संस्कृत पाठशालाओं को भी शासन अन्य विद्यालयों के समान छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था करेगा ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

इटावा के विशेष न्यायालय में पैरवी हेतु सरकारी वकील श्री राजनारायण दुबे की नियुक्त सम्बन्धी शासना देश के कार्यान्वयन पर रोक

××1—श्री धनीराम वर्मा—

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे, कि इटावा जनपद में डाकू उन्मूलन से सम्बन्धित भा0 द0 स0 की धारा 216 आदि के अन्तर्गत 233 मुकदमें न्यायालय के विचाराधीन हैं और उनकी पैरवी हेतु सरकार ने एक ए0 डी0जी0 सी0 नियुक्त किया है जिसे 38 रु0 प्रतिदिन देने का निश्चय किया है ? क्या यह सही है कि इसके अतिरिक्त श्री राजनारायण दूबे एडवोकेट को उक्त केसों की पैरवी हेतु प्रति केस 3000 रु0 पर नियुक्त किया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार अविलम्ब इस निर्णय पर रोक लगाकर 7 लाख के अनियमित व्यय को रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय राज्य मन्त्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के अन्तर्गत इटावा जनपद में गठित विशेष न्यायालय के सम्मुख 233 विशेष केसेज विचाराधीन हैं। इन मामलों की पैरवी हेतु शासन द्वारा विशेष तौर पर किसी सहायक जिला सरकारी वकील (फौजदारी) की नियुक्ति नहीं की गई है। विशेष न्यायालय में पैरवी करने हेतु अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का एक नया पद सृजित किया गया है जिन्हें रू0 1400 प्रति मास फीस देय होती है। अभी तक उस पद पर कोई नियुक्ति नहीं हो सकी है। इस कारण उक्त 233 मामलों की पैरवी हेतु श्री राज नरायण दुबे की नियुक्ति की गई थी किन्तु इन्हें 3000 रू0 प्रति केस पर नियुक्त किया गया था बल्कि श्री दुबे को प्रतिबन्धों के साथ, रू0 125।- प्रति केस प्रतिदिन की फीस पर नियुक्त किया गया था, जिनमें से एक प्रतिबन्ध यह भी था कि इन्हें किसी मामले में रू0 3000 से अधिक की फीस देय नहीं होगी। पुनर्विचार के पश्चात उपरोक्त नियुक्ति के शासनादेश से कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई थी।

श्री राम धनी वर्मा—

मान्यवर, जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है कि जनपद इटावा डाकुओं से प्रभावित है। उसके लिये वहाँ पर विशेष अदालतें गठित की गई और उस अदालत में 233 केसेज पेन्डिग पड़े हैं। सरकार से निश्चित किया कि इन 233 केसेज पैरवी के लिये एक सरकारी वकील नियुक्त किया जायेगा और उसका वेतन 1400 रुपए होगा प्रति माह। लेकिन मान्यवर, श्री राज नारायण दुबे जो कांग्रेस के महामन्त्री भी हैं, और जिन्होंने' मेरे खिलाफ काँग्रेस (आई) से इलेक्शन भी लड़ा था, उनको यह विशेष लाभ पहुँचाने के लिये 125/-प्रति केस के हिसाब से देने का निश्चय किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें। यह तो सब लिखा हुआ है।

श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि एक दिन में कम से कम 10-15 केसेज आते हैं और

कम से कम उनको ढाइ हजार रुपये प्रति दिन का देना पड़ता है। इस प्रकार यह प्रति महीने 50-60 हजार रुपये के करीब पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन विशेष अदालतों का गठन कब किया गया था और सरकार ने अधिवक्ता का पद कब सृजन किया और 1400 रुपए की जगह पर 50 हजार रुपये प्रति माह देने का क्या औचित्य है ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

मान्यवर, यई विशेष अदालत, 1981 में गठित की गई थी। अभी एडीशनल डी0 जी0 सी0 की नियुक्ति वहां नहीं हुई है।

श्री धनी राम वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 1981 में ये विशेष अदालतों की नियुक्ति की गई थी।

मान्यवर, मा0 मन्त्री जी ने यह नहीं बताया कि इस अदालत में जो केसेज पैण्डिंग हैं, उनकी पैरवी करने के लिये सरकारी अधिवक्ता का पद कब सृजित किया गया ? पद सृजित किये हुए भी एक साल हो गया, उस पर नियुक्त नहीं की गयी ,[××]इतना ही नहीं--

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, आप प्रश्न करें संक्षेप में।

श्री धनी राम वर्मा--

मान्यवर, में प्रश्न ही पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह का आक्षेप आप नही करेंगे, आप प्रश्न पूछिये।

श्री धनी राम वर्मा--

पहली बात तो यह बता दें कि सरकारी अधिवक्ता के पद का सृजन किस तिथि को किया गया ? जो आपने कहा कि 125/- रु0 प्रतिदिन प्रति केस के हिसाब से नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात् उपरोक्त नियुक्ति के आदेश पर शासनादेश द्वारा रोक लगा दी गयी थी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अब वह रोक हटा दी गई है ?

श्री अध्यक्ष--

इतनी देर में आपने एक सवाल किया है।

श्री राम नरेश शुक्ल--

मान्यवर, यह भाषण न देकर सीधा प्रश्न पूछें तो उत्तर दूं।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप प्रश्न सीधा नहीं पूछ सकते तो मैं आपको आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री धनी राम वर्मा--

बिल्कुल सीधा पूछूंगा। पहली बात, अधिवक्ता के पद का सृजन किस तिथि को किय, गया ? और दूसरा, क्या जो स्थगन आदेश दिया था, उसे वापस से लिया है ?

नोट :--यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम नरेश शुक्ल—

जहां तक 233 केसेज का सम्बन्ध है, वह स्थगन वापस नहीं हुआ, लेकिन इस दरम्यान में, मार्च में दो स्पेशल काउन्सल नियुक्त किये हैं, जिनको 50-50 प्रति केसेज दिये गये हैं।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, अभी मा0 मन्त्री जी ने कहा कि ए0 डी जी0 सी0 के पद का सृजन किया गया लेकिन नियुक्ति नहीं हो सकी है और उसके कारण ही एक विशेष अधिवक्ता को लाभ पहुँचाया गया। मैं पूंछना चाहता हूँ कि 1981 से लेकर अब तक ए0 डी0 जी0 सी0 की नियुक्ति न होने का क्या कारण है, तथा यह नियुक्ति कब तक हो जायगी ? और यदि हो जायगी तो क्या स्पेशल वकील की नियुक्ति को समाप्त कर दिया जायगा ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

हमारे विभाग से यह प्रस्ताव किया गया था कि 12 जो डकैती से एफेक्टेड डिस्ट्रिक्टस हैं, इसमें ए0 डी0 जी0सी0 (क्रिमिनल) का पद सृजित किया जाय, तो जैसा सचिवालय में होता है, फाइनेन्स वगैरह में गया और विभागों में गया तो वह दिसम्बर के महीने में पास होकर आया, उसके पश्चात् नाम मांगा है जिलाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट जज से और इस प्रक्रिया में लगता है कि समय लगेगा, यह मा0 सदस्यों को मालूम है।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर सी0 आर0 पी0 सी0 में यह प्राविधान है कि सरकार अगर किसी केस में विशेष रुचि ले तो एक वकील नियुक्त कर सकती है। मा0 मन्त्री जी ने बताया कि यह तो उसी प्राविधान के अन्दर है। चूंकि इटावा पूर्ण डकैती क्षेत्र है तो क्या माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं डकैती जैसे जघन्य अपराध के लिए किसी एक अच्छे वकील को ही किया जाए, वरना ऐसे महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी के लिए क्या ऐसे छोड़ दिया जाय ? (शोर)

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे सन् 81 से या उसके बाद से श्री राजनारायण दूबे जी से 125 रु0 पर केस पर है कि हिसाब से कोई काम लिया गया है ? यदि हां, तो कितने दिनों तक और कब-2 और उन्होंने अब तक कितना बिल दिया ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

श्री राज नारायण दूबे ने सिर्फ तीन दिन काम किया है और बिल उनका अभी तक किसी को न शासन को और न ही जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है। दो दिन पहले काम किया और एक दिन बाद में। इस प्रकार उन्होंने अभी केवल तीन दिन काम किया है।

श्री प्रमोद कुमार—

डकैती प्रभावी क्षेत्रों की समस्याओं से निपटाने के लिये शासन की ओर से एक विशेष वकील नियुक्त किये गये हैं। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि

क्या डकैती सम्बन्धी मामलों में विशेष वकील के व्यवस्था किये जाने के प्राविधान हैं नियमों में ? और यदि ऐसी व्यवस्था है भी तो क्या सुनिश्चित कर लिया गया था कि श्री राजनरायण एक पुराने वकील हैं ? यदि नहीं, तो नियुक्ति इन्हीं की क्यों की गयी ? क्या इन वकीलों की कोई फीस सरकारी तौर पर निश्चित है ?

श्री राम नरेश शुक्ल---

इस शासन द्वारा पिछले दिनों अनेकों बार ऐसे विशेष मामलों पर नियुक्ति की है और यह फीस भी कम फीस है। इससे पहले कानपुर का एक शराब का मुकदमा था, जिसमें 200 रु0 पर डे के हिसाब से काउन्सल को दिया गया है और इसके बीच में अब तक 150 मु0 पर डे के हिसाब से भी दिया गया है और यह रु0 125 तो ऐसे गम्भीर मामलों में कम है श्री राजनारायण दूबे के लिए निश्चित किया गया है।

श्री धनी राम वर्मा—

क्या माननीय न्याय मन्त्री जी यह बतायेंगे जैसा कि उन्होने बतलाया कि डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट की संस्तुति पर किसी वकील को नियुक्त किया जायगा तो क्या इस मामले में डिस्ट्रक्ट जज और डिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट की संस्तुति प्राप्त हुयी थी श्री दूबे की नियुक्ति सम्बन्धी ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

जी हाँ, एस0 एस0 पी0 ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को संस्तुति भेजी थी कि यह पाँच विशेष केस हैं इनमें श्री राज नारायण दूबे की नियुक्ति कर दी जाए, उसी के आधार पर यह नियुक्ति की गयी है।

श्री राजेन्द कुमार गुप्त –

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं केवल दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ एक तो यह जो सरकारी नियुक्ति सृजित हुई हैं, उसकी पुष्टि शासन की ओर से भी क्या हो गयी है ? क्या उनके नाम मांगे गये थे डिस्ट्रिक्ट जज इटावा की ओर से ? दूसरी बात यह है कि इस नाम के लिये जिला जज ने कब संस्तुति की ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

कृपया प्रश्न पुनः स्पष्ट कर दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सरकारी वकील की नियुक्ति में शासन ने जिलाधिकारी को कब लिखा संस्तुति माँगने के सम्बन्ध में तथा वहाँ से जिलाधिकारी तथा जिला जज ने अपनी संस्तुति किस तारीख को भेजी हैं ? मान्यवर, किसी भी सरकारी वकील की नियुक्ति तभी की जाती है जब कि उसके लिये जिलाधिकारी तथा जिलाजज दोनों संस्तुति किसी के लिये करके भेजते हैं, तो वह कब किस तारीख को आयी ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

5 मुकदमों के लिये जिलाधिकारी, इटावा, ने स्वयं एक पत्र लिखा जिसमें इनके

नाम की संस्तुति को कि श्री राजनारायण दुबे को नियुक्त कर दिया जाये। शासन की तरफ से यह नहीं पूछा गया था ? बल्कि जिलाधिकारी ने स्वयं शासन को लिखा।

(व्यवधान -शोर)

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री धना राम वर्मा व्यवधान के बीच सदन के फलोर पर तथा फिर अपनी सीट पर वापस चले गये।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को 17 मिनट हो गये है। दूसरा प्रश्न भी लिया जाना है। मैं अब किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूँ। कृपया बैठें। (व्यवधान)

जिला शाहजहांपुर थाना जैतीपुर, ग्राम मड़ई के निवासियों द्वारा अराजक तत्वो के विरुद्ध प्रार्थना पत्र में शान्ति व्यवस्था की मांग

××2— श्री राम कुंवर सिंह तथा श्री राम सागर —

क्या सरकार को पता है कि जिला शाहजहाँपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम मड़इ के अराजक तत्वों द्वारा भयंकर अराजकता पैदा की जा रही है और करछना काण्ड की पुनरावृत्ति होने की सम्भावना पैदा है ? क्या यह सच है कि फरवरी, 1983 के प्रथम सप्ताह में ही ग्राम मडई व कल्याण नगर के निवासियों ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर को मिलकर एक प्रार्थनापत्र भी प्रेषित किया फिर भी अराजक-तत्वों के विरुद्ध तत्काल शान्ति और व्यवस्था के हक में कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम मड़ई थाना जैतीपुर के गंगा सहाय यादव आदि तथा इनके विरोधी गज्जू पुत्र ठकुरी यादव में पार्टी बंदी वर्ष 1980 से चली आ रही है। दोनों ही एक ही बिरादरी के हैं और एक दूसरे के विरुद्ध अभियोग अंकित कराते रहते हैं। दोनों के विरुद्ध विरोधात्मक कार्यवाही की धारा 107/110 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत की जा चुकी है। सर्वश्री गंगा सहाय, महेन्द्र सिंह एवं छोटे सिंह के शस्त्र भी थाने पर दाखिल करा दिये गये है ओर उनके लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही की गई है। ग्राम मड़ई में गंगा सहाय एवं गज्जू यादव के आपसी झगड़ों के कारण कोई अप्रिय घटना न घटित हो इस लिये एक सशस्त्र गार्ड नियुक्त है।

श्री राम कुंवर सिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनके विरुद्ध अब तक कितने मुकदमें किन-किन धाराओं में दर्ज कराये गये और पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर,-यह आपसी बैर का मामला है। एक दूसरे के विरुद्ध काफी समय से मुकदमेंबाजी चल रही है।

नोट :- अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री गोपीनाथ वर्मा

(9 वें बुधवार के लिये स्थगित ।)

2—श्री गोपीनाथ वर्मा

(9 वें बुधवार के लिए स्थगित ।)

3—श्री गोपीनाथ वर्मा

(9 वें बुधवार के लिए स्थगित ।)

श्री राम गरीब, ग्राम व पोस्ट कटेहरी जनपद फैजाबाद को बस दुर्घटना क्षतिपूर्ति के भुगतान की माँग

4—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम गरीब ग्राम व पोष्ट कटेहरी, जनपद फैजाबाद को बस दुर्घटना क्षतिपूर्ति भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 27-8-80 को निजी सचिव, सिंचाई एवं परिवहन मन्त्री, उ0 प्र0 द्वारा उप प्रधान प्रबन्धक, परिवहन निगम, उ0 प्र0 को सूचित कार्यवाही हेतु आदेश दिया गया है जिसमें 9,000 रु0 मकान क्षतिपूर्ति हेतु राम गरीब व 7 हजार रुपया राम सरन विकलांग तथा 500-रुपया उपचार हेतु मांग किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त क्षतिपूर्ति धनराशी का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल का 01 लि0 अकबरपुर जनपद फैजाबाद में कार्यरत कर्मचारी, अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति का आरक्षण नयी भर्ती हेतु समाचार पत्रों में दिया गया विज्ञापन

5—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल का0 1 लि0 अकबरपुर जनपद फैजाबाद में कुल कितने कर्मचारी सेवारत हैं ? उनमें अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कितने हैं ? क्या उक्त मिल में दोनो जातियों का आरक्षण निर्धारित है ? यदि हाँ, ? तो आरक्षण क्या है ओर आरक्षण का कोटा पूरा कर दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मिल में कुल 1372 कर्मचारी सेवारत हैं जिसमें से 232 अनुसूचि जाति तथा 204 पिछड़ी जाति के हैं ।

जी हाँ ।

अनुसूचित जाति के लिए 18 - तथा पिछड़ी जाति के लिए 15 - आरक्षण का कोटा पूरा है ।

6—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या यह भी सही है कि उक्त मिल में सन् 1980 से 1982 के बीच में कुछ

कर्मचारियों की भर्ती की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या भर्ती में चयन किये जाने वाले पदों व कर्मचारियों की संख्या व अन्य विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया ? यदि हाँ, तो वह तिथि किस समाचार-पत्र में प्रकाशित कराया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह

जी हाँ।

भर्तियों हेतु सेवायोजन कार्यालय, दैनिक समाचार पत्रों एवं सैनिक परिषदों में विज्ञापित किया गया।

समाचार पत्रों में जिन तिथियों में विज्ञापन दिये गये उसका विवरण संलग्न है।*

(छापा नहीं गया।)

श्री रामगरीब, ग्रा0 पो0 कटेहरी बाजार फैजाबाद के आवेदन पत्र पर कृत कार्यवाही

7—श्री गोपीनाथ वर्मा

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम गोकुल सिंह, पिटीशन आफिसर ने अपने अर्द्ध शा0 प0 1296 / 34-1980 उ0 प्र0 शासन, अभ्यर्थना अनु-1 लखनऊ दि0 5-9-80 द्वारा प्रधान प्रबन्धक, उ0 प्र0 रा0 स0 परिवहन निगम, लखनऊ को श्री राम गरीब व ग्राम पो0 कटेहरी, बाजार फैजाबाद का अवेदन-पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद के ग्राम महुवारी, (ढड़वा) ब्लाक व तहसील टांडा में राजकीय जलकूप का छिद्रण

8—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में ग्राम महुआरी (ढड़वा) ब्लाक व तह0 टाण्डा, जनपद फैजाबाद के किसानों को सिंचाई हेतु नलकूप विभाग, फैजाबाद द्वारा नलकूप लगाए जाने का प्रस्ताव, 1981-82 से विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त ग्राम में राजकीय नलकूप लगा दिया गया है ? यदि नहीं तो अब तक नलकूप न लगाए जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जन पद फैजाबाद के ग्राम महुवारी (ढ़डवर) ब्लाक व तहसील टांडा में राजकीय नलकूप माह जनवरी, 1983 में छिद्रित कर दिया गया है।

श्री महेन्द्र कुमार गोविल, सहायक अभियन्ता (सिविल), बाँध डिजाइन, यूनिट नं0 5 केन्द्रीयत परिकल्पना नियोजन सिंचाई विभाग, लखनऊ के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही करने की मांग

9—श्री जमुना प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजपत्रित अधिकारी, श्री महेन्द्र कुमार

*(छापा नहीं गया)

गोविल सहायक अभियन्ता(सिविल)बाँध डिजाइन यूनिट नं05 केन्द्रीयत परिकल्पना नियोजन सिंचाई विभाग, लखनऊ के द्वारा शिक्षा ग्रहण किए जाने का अवकाश स्वीकृत कराकर शिक्षा न ग्रहण कर नई दिल्ली में लगातार सर्विस किए जाने तथा दोनों विभागों द्वारा वेतन आहरण का प्रयास किए जाने के सम्बन्ध में श्री बलवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा का कोई पत्र मुख्य अभियन्ता (उत्तर) श्री हंस कुमार, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को माह दिसम्बर, 1982 जनवरी, 1983 में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त सम्बन्ध में श्री गोविल के ऊपर कोई मुकदमा कायम करेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

इस संबंध में शासन द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित कताई मिल में सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति

10—श्री माधव प्रसाद तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल में जनवरी, 1982 से 1-2-83 तक कितने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे गए ? उन भर्तियों के लिए कब-कब किन समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मिल में जनवरी 1982 से 1-2-1983 तक 10 सिक्योरिटी गार्ड रक्खे गये।

सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है।

अतः सेवायोजन कार्यालय तथा सैनिक परिषदों से नाम मांगे थे। ऐसी परिस्थितियों में समाचार पत्र में विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं थी।

चुनार तहसील जनपद मिर्जापुर के माध्यमिक विद्यालयों में स्वकृत छात्रवृत्ति की धनराशि का विवरण

11—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या समाज कल्याण मन्त्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जनपद के अन्तरगत चुनार तहसील के माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1981 में कितना रुपया छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत किया गया था ? क्या पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक छात्र को यह छात्रवृत्ति मिली ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ। चुनार तहसील जनपद मिर्जापुर के माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 81 82 में पिछड़ी जाति के 473 छात्रों को नवीन छात्रवृत्ति पर 65, 416/- तथा 2,014 छात्रों की पुर्ननव छात्र वृत्ति पर 2,34, 148/-रु0 की धनराशि स्वीकृति की गई थी।

पिछड़ी जाति के सभी छात्रों को सीमित धनराशि उपलब्ध होने के फलस्वरुप छात्रवृत्ति देना सम्भव नहीं होता है। अतः सभी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं प्रदान की

जा सकी समस्त छात्रों के खातों के माध्यम से भुगतान हेतु संबोधित प्रधानाचार्यों को उपलब्ध करा दी गयी थी।

मिर्जापुर जनपद में लिफ्ट सिंचाई खन्ड प्रथम वाराणसी के अन्तर्गत बघेड़ी पम्प कैनाल से प्रभावित प्रस्तावित भूमि सिंचाई क्षमता दुगनी कराने की मांग

12—श्री यदु नाथ सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जनपद में लिफ्ट सिंचाई खन्ड प्रथम वाराणसी के अन्तर्गत बघेढ़ी पम्प कैनाल से प्रस्तावित भूमि की सिंचाई हो पाती है ? यदि नहीं, तो क्या मन्त्री जी उक्त पम्प कैनाल के मशीन की क्षमता दुगनी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मिरजापुर जनपद में लिफ्ट सिंचाई खन्ड प्रथम वाराणसी के अन्तर्गत बघेड़ी पम्प कैनाल से प्रस्तावित भूमि की सिंचाई विद्युत उपलब्धता के अनुसार की जाती है। अतः पम्प कैनाल के मशीन की क्षमता दुगनी कराने का प्रश्न नहीं है।

जनपद मिर्जापुर में नरायनपुर से चुनार तक तटबन्ध बनाए जाने की योजना

13—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जनपद के अन्तर्गत गंगा नदी के कटाव से नरायनपुर से चुनार तक कितने गांवों के तबाह होने तक खतरा पैदा हो चुका है ? क्या शासन द्वारा नरायनपुर से चुनार तक तटबन्ध बनाए जाने की योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब तक उक्त तटबन्ध बन जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

खुर्जा से जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर में चालू रोडवेज बस सर्विस का स्थगन

14—श्री छत्तर सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1982 से खुर्जा से जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर में रोडवेज की बस सर्विस शुरू की गयी थीं ? यदि हां, तो यह सर्विस कितने दिन चली तथा क्यों बन्द कर दी गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नलकूप मण्डल वाराणसी में स्टार्टर पंपिंग सेट व अन्य सामान का अभाव एवं पूर्ति

15—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल, वाराणसी मण्डल में स्टार्टर पम्प तथा दूसरे मशीनरी के सामान नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पम्प न होने से स्थान गांडर ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी का ट्यूबवेल एक वर्ष से ज्यादा बोरिंग होने पर भी अब तक चालू नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप मण्डल वाराणसी में स्टार्टर पंपिंग सेट व अन्य सामान की कमी है जिसकी आपूर्ति हेतु प्रबन्ध हो चुका है। जी हाँ, जिला वाराणसी के ब्लाक पिण्डरा के गाडर ग्राम में निर्मित नलकूप का छिद्रण व विकसन का कार्य 9/82 में तथा पम्प हाउस का निर्माण कार्य 10/82 में पूर्ण कराया जा चुका है। नया पम्पिंग सेट उपलब्ध न होने के कारण इस नलकूप को अभी चालू नहीं किया जा सका है।

16—श्री सरदार सिंह--

(9वें बुधवार के लिये स्थगित)

जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल से सम्बन्धित परियोजना की गड़बड़ियों को लेकर स्थानीय जनता द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन

17—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद --

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित रामगढ़ताल से सम्बन्धित परियोजना की गड़बड़ियों मुआवजा, बाँध आदि को लेकर जनवरी 20, 1983 को स्थानीय जनता ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी माँग लेकर प्रदर्शन किया है ? यदि हाँ, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

18—श्री सिकन्दर अली खां नवाब --

(9वें बुधवार के लिये स्थगित)

अकबरपुर (फैजाबाद) डिपो का निर्माण कार्य

19—श्री प्रियदर्शी जेतली---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर (फैजाबाद) डिपो का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

जी नहीं। अभी भूमि उपलब्ध नहीं है।

परिवहन निगम के कार्यशालाओं में नियुक्त टेक्निकल कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि तथा पेंशन के लाभों से वंचित

20--श्री मुंशी लाल—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन निगम के कार्यशालाओं में नियुक्त टेक्निकल कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना उन्हें समय पर देकर प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि कई कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद प्रतिकूल प्रविष्टयों को दर्शा कर उन्हें पेंशन आदि के लाभों से वंचित रखा गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हाँ, किन्तु कभी-कभी विशेष अपरिहार्य कारणों से किसी चरित्र पंजिका में प्रविष्ट अंकित करने में यदि विलम्ब हो भी जाता है तब भी कर्मचारी को उसे सूचित कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।

केवल प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन आदि के लाभों से वंचित नहीं रखा गया। किसी भी पेंशनेबुल पद पर स्थाई न होने एवं न्यूनतम क्वालीफाइंग सेवा पूरी न होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होती है।

बस्ती जिले के अन्तर्गत ड्रेनेज उपखण्ड, बांसी में
बोल्डर की खरीद

21—श्री थम्मन सिंह गहलौत--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत ड्रेनेज उपखण्ड बांसी में जुलाई, 1982 से दिसम्बर, 1982 की अवधि में कितने रुपये का बोल्डर विभाग ने लिया? बोल्डर की मात्रा क्या है तथा लिये गये बोल्डर में कितने मात्रा में बोल्डर 20 जून, 1983 के पूर्व इस्तेमाल हुआ और कितनी मात्रा में बोल्डर स्टाक रूप में रखा है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जिले के अन्तर्गत ड्रेनेज उपखण्ड, बांसी में जुलाई 82 से दिसम्बर 82 तक की अवधि में 14.86 लाख रुपये का बोल्डर विभाग ने लिया।

क्रय किये गये बोल्डर की मात्रा 6409 घनमीटर है। इसमें से 2249 घनमीटर बोल्डर 20-1-83 के पूर्व इस्तेमाल हुआ 4160 घनमीटर बोल्डर स्टाक के रूप में रखा है।

जनपद बुलन्दशहर में स्याना से दनकौर रोडवेज की बस सेवा
पुनः चालू करने की मांग

22—श्री छत्तर सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद बुलन्दशहर में स्याना से दनकौर रोडवेज बस सेवा दिसम्बर, 1982 से शुरू की गयी थी? यदि हाँ, तो क्यों बन्द कर दी गयी तथा पुनः कब चालू की जायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0 प्र0 निर्यात निगम की कालीन प्रशाखा भदोही, वाराणसी द्वारा
कालीन निर्यात हेतु किये गये प्रयास

23—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु जो सरकार का निर्यात विभाग भदोही, वाराणसी में है और हैण्डीक्राफ्ट बोर्ड है उसने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है? क्या यह सही है कि सरकारी कालीन निर्यात विभाग में लाखों का कालीन वर्षों से पड़ा है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उ0 प्र0 निर्यात निगम की कालीन प्रशाखा भदोही द्वारा किये गये विकासात्मक और प्रोत्साहन सम्बन्धी अनेक प्रयासों के परिणाम-स्वरूप कालीनों का निम्नलिखित विवरणानुसार निर्यात किया गया :--

वर्ष	निर्यात (लाख रु0 में)
1974-75	36.09
1975-76	93.53
1976-77	175.44
1977-78	161.73
1978-79	110.42
1979-80	115.15
1980-81	30.19
1981-82	44.42
1982-83	55.01
(1 फरवरी 83 तक)	

हैण्डीक्राफ्ट्स बोर्ड भारत सरकार से सम्बद्ध है अतः इसके बारे में कोई सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

उ0 प्र0 निर्यात निगम के पास 31 मार्च 1982 को किये गये स्टाक सत्यापन के समय रुपया 18.42 लाख मूल्य का कालीन स्टाक में था जो अब केवल रु0 14.17 लाख है।

बनारसी साड़ी उद्योग के लिये रेशम की आपूर्ति तथा करघे के आधार पर बुनकरों को आयातित रेशम

24- श्री ऊदल --

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि बनारसी साड़ी उद्योग के लिये रेशम ठीक से नहीं मिल पा रहा है और काफी मँहगा बिक रहा है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे यह ज्ञात हो कि वाराणसी साड़ी उद्योग के लिये रेशम की आपूर्ति में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ऐसी भी कोई सूचना नहीं है कि वर्तमान समय में रेशम काफी मँहगा बिक रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

25- श्री ऊदल --

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में सन् 81 व 82 में बनारसी साड़ी हेतु कितना रेशम देशी तथा कितना विदेशी, बुनकरों के लिये दिया गया और उसका वितरण किस प्रकार किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वित्तीय वर्ष 1981-82 में उ0 प्र0 रेशम क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों को देने के लिये 9016 कि0ग्रा0 आयातित रेशम मँगाया गया। इसमें से 6000 कि0ग्रा0 वाराणसी के बुनकरों के लिये तथा 3000 कि0 ग्रा0 मुबारकपुर के बुनकरों के लिये निर्धारित किया गया था। वाराणसी के बुनकर क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराकर करघे की संख्या के आधार पर कार्ड वितरित किये गये और वाराणसी में बिक्री केन्द्र खोलकर बुनकरों को प्रति करघे पर एक से लेकर दो कि0ग्रा0 रेशम दिया गया।

26—श्री ऊदल—

(9वें बुधवार के लिये स्थगित)

27—श्री कृष्ण कुमार शुक्ल—

(9वें बुधवार के लिये स्थगित)

पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षा के छात्रों को प्राथमिकता व योग्यता के आधार पर दी गयी छात्रवृत्ति

श्री गोपी नाथ वर्मा—

28—क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 1646-82/16 शि0-अ0 दि0 लखनऊ 15-1-83 द्वारा निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण उ0 प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़ी जाति के छात्रों को योग्यता एवं आय के आधार पर वर्ष 1982-83 में स्वीकृति होने वाली छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किया गया है? यदि हाँ, तो परिपत्र निर्देश क्या है? क्या भी सही है कि उक्त निर्देश के तहत पिछड़ी जाति के छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने का भी निर्देश है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ।

प्रश्न गत परिपत्र में निम्नाँकित बिन्दुओं पर निर्देश जारी किये गये थे।

1—पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति हेतु उपलब्ध धनराशि से सर्वप्रथम गत दो माह के भुगतान के बकाया की स्वीकृतियाँ किया जाना।

2—धनाभाव की स्थिति में यदि आवश्यक हो तो योग्यता के आधार पर पुनर्नव स्वीकार किया जाना।

3—पुनर्नव के मामले में प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृतियाँ किया जाना एवं

4—धनाभाव के कारण नवीन छात्रवृत्तियों की स्वीकृति पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाया जाना।

बुन्देल खंड में उद्योगों को लगाने के लिये केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार की विशेष सुविधाओं का ब्यौरा

29—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बुन्देल खंड में उद्योगों को

लगाने के लिए केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार ने विशेष सुविधाएं देने का कोई निश्चय किया है ? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वीर बहादुर सिंह—

बुन्देलखंड मंडल में उद्योगों को स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा बिजली की विशेष रियायतें तथा केन्द्र सरकार द्वारा ललितपुर तथा झाँसी जिलों में कैपिटल सब्सिडी की विशेष सुविधायें अनुमन्य हैं। मंडल के उद्योग रहित जिलों हमीरपुर, बाँदा तथा जालौन में उद्योगों की स्थापना के निमित्त लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाती है।

गाजीपुर जनपद में बिना परमिट प्राइवेट बसों का चलाया जाना

30- श्री रामनरायन सिंह एडवोकेट—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि गाजीपुर जनपद में इस समय लगभग नौ सौ प्राइवेट बसें बिना परमिट एवं पैसेंजर टैक्स दिए चलाई जा रही हैं जिसकी वजह से प्रति माह लाखों रुपए का सरकार को घाटा हो रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन बस मालिकों को परमिट देने के नियम में छूट देकर अविलम्ब परमिट देने की कार्यवाही करेगी ? जिससे कर एवं टैक्स की हानि को बचाया जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह सही नहीं है कि गाजीपुर जनपद में इस समय लगभग 200 प्राइवेट बसें बिना परमिट एवं पैसेंजर टैक्स दिये चलाई जा रही है। गाजीपुर जनपद में 27 बसें बिना परमिट की हैं और इन बसों को अवसर पाकर चलाने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसी बसों की कड़ी चेकिंग की जाती है और चालान करके इन व्यक्तियों को दंडित किया जाता है। गाजीपुर जनपद में 1-4-82 से 23-2-83 तक बसों के बिना परमिट संचालन के अभियोग में 162 चालान किए गए।

परमिट देने की प्रक्रिया मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में दी गई है उसी के अनुसार संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा बसों को परमिट दिए जाते हैं। यदि इन बसों के स्थायी परमिटों के लिए प्रार्थना पत्र दें तो उन पर अवश्य ही सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा सकता है। शासन को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को परमिट देने के सम्बन्ध में कोई निर्देश देने का अधिकार नहीं है। अतः नियमों में किसी प्रकार की छूट देने का प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन आवास योजना के अन्तर्गत धनराशि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

31 श्री ऊदल—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन आवास योजना के अन्तर्गत सिर्फ दो हजार रुपए का प्राविधान अरसा बीस वर्ष पहले किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार सामानों की मंहगाई को देखते हुए उस धन राशि को बढ़ाकर पाँच हजार करने पर विचार करेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

यह कथन सही नहीं है कि हरिजन आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण

हेतु रु0 2000/—का प्राविधान अर्सा बीस वर्ष पहले किया गया था। इस हेतु अनुदान की धनराशि जून, 1980 में ग्रामीण अंचलों के मैदानी क्षेत्रों में रु0 1000/- से बढ़ाकर रु0 2000/- तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रु0 1600/- से बढ़ाकर रु0 3000/- की गयी है।

अतः प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिला जेल के बन्दी रक्षक, श्री धनुषधारी तिवारी का निलम्बन

32—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला जेल के बन्दी रक्षक श्री धनुषधारी तिवारी को 15-6-81 को निलम्बित किया गया था ? यदि हाँ, तो उन्हें अब तक बहाल न करने का क्या कारण है ?

श्री अब्दुल रहमान खाँ नश्तर—

जी हाँ।

उनके विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही का पूरा न होना।

प्रदेश के अधीक्षण अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर अधिशासी अभियन्ताओं की प्रोन्नति

33—श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में अधीक्षण अभियन्ताओं के 40 पद रिक्त हैं ? यदि हाँ, तो अभी तक उन पदों पर अधिशासी अभियन्ताओं की प्रोन्नति क्यों नहीं की गयी है ? क्या मन्त्री जी अविलम्ब रिक्त पदों हेतु प्रोन्नति की घोषणा करेंगे ?

वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ। इन पदों को भरने का कार्यवाही प्रगति पर है।

पर्वतीय क्षेत्र में हिल कैडर के अन्तर्गत नियुक्तियों की प्रशासनिक विभागों से उपलब्ध जानकारी

34—श्री जसवन्त सिंह—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में हिल कैडर के अन्तर्गत नियुक्तियों हेतु बने कोष्ठ (सेल) हेतु राज्य सेवा आयोग को किन-किन विभागों हेतु चयन करने के आदेश दिए गये हैं ?

श्री बल्देव सिंह—

पर्वतीय क्षेत्र में हिल कैडर के अन्तर्गत नियुक्तियों के हेतु कोष्ठ (सेल) बनाने की कोई परिकल्पना नहीं है। शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई, ग्राम्य विकास (सामुदायिक विकास), कृषि एवं भूमि संरक्षण तथा पशुपालन सेवाओं में एक निर्दिष्ट स्तर तक सेवाओं का उप संवर्ग गठित करने के आदेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा जारी कर दिये गये हैं। इन सेवाओं में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराने और पदों को भरने की कार्यवाही की व्यवस्था सम्बन्धित विभागों के विचार क्षेत्र में है और गठित उप संवर्गों में, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर, आवश्यकतानुसार आयोग को अधियाचन भेज कर चयन कराया

जा सकता है। प्रशासनिक विभागों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार चिकित्सा और लघु सिंचाई विभागों में चयन हेतु आयोग को संदर्भ भेजा गया है।

झांसी क्षेत्र के परिवहन कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच

35—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित झांसी क्षेत्र के परिवहन कर्मचारियों द्वारा दी गयी भ्रष्टाचार की शिकायतों सम्बन्धी पत्र दिनांक 9-12-82 को उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जाँच किन-किन अधिकारियों द्वारा करायी गयी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद में मेटाडोर गाड़ी सं0 यू0 आर0 बी0 4512 का अवैधानिक ढंग से टैक्सी के रूप में चलाया जाना एवं ड्राइवर के विरुद्ध शिकायत

36—श्री राजपाल सिंह तथा श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 1ले बुधवार के अता0 प्रा0 सं0 39 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बार-बार हस्तक्षेप किए जाने के बावजूद सम्बन्धित वाहन मालिक परमिट खत्म होने के बाद भी अवैधानिक ढंग से लगातार गाड़ी टैक्सी के रूप में चला रहा है ? क्या उक्त वाहन का सील करके रजिस्ट्रेशन निरस्त कर आगामी एक वर्ष के लिए उक्त वाहन को किसी भी प्रकार का परमिट न दिये जाने के आदेश सरकार द्वारा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

अनधिकृत संचालन करने के लिए संबन्धित वाहन संख्या यू0 आर0 पी0 4 512 का पंजीयन 4 माह के लिये निलम्बित करने के 1-1-83 को आदेश दिये गये थे इन आदेशों के विरुद्ध वाहन स्वामी ने अपील करके अपीलेटी अथारिट से वाहन आदेश प्राप्त कर लिया। तदोपरान्त गाड़ी को टैक्सी में बदल लिया तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के आधार पर अस्थायी टैक्सी परमिट प्राप्त कर लिया स्थगन उपरोक्त परिस्थिति में और कोई अग्रिम कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

37—श्री राजपाल सिंह तथा श्री गोपीनाथ वर्मा—

उक्त सन्दर्भ में क्या सरकार यह भी बतायेगी कि खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने के लिये सम्बन्धित ड्राइवर के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 88 के अन्तर्गत चालक के पूर्ण विवरण वाहन स्वामी से मांग गये थे। उन्होंने सूचित किया कि चालक को निकाल दिया गया है और वह उनके यहाँ से चला गया है। उन्होंने ड्राइवर के लाइसेन्स के सम्बन्ध में कोई विवरण भी नहीं दिये। अतः वाहन स्वामी के विरुद्ध धारा 88 के उल्लंघन के लिये चार्जशीट न्यायालय भेज दी गयी है। मामला न्यायालय में लम्बित है।

जनपद बांदा के अवर अभियन्ता, श्री रमेश चन्द्र सक्सेना का स्थानान्तरण तथा कार्यमुक्त किये जाने के निर्देश

38—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य अभियन्ता (सिंचाई) बुन्देलखण्ड के पत्र संख्या 4,013 दि0 17-7-81 के द्वारा जनपद बांदा के अवर अभियन्ता श्री रमेश चन्द्र सक्सेना का स्थानान्तरण झांसी कर दिया गया था ? यदि हाँ, तो अब तक श्री सक्सेना को कार्यमुक्त न करने के क्या कारण हैं ? क्या श्री सक्सेना को शीघ्र कार्यमुक्त कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

श्री रमेश चन्द्र सक्सेना, अवर अभियन्ता बरियारपुर बीयर के शीर्ष कार्य पर नियुक्त है वर्षा के कारण बांध की सुरक्षा हेतु कार्यहित में इन्हें अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कार्यमुक्त करना उचित नहीं समझा गया। इसके पश्चात शिक्षा का मध्य सत्र एवं वित्तीय वर्ष 1988-82 में बाढ़ से क्षति ग्रस्त कार्यों की मरम्मत की आवश्यकता को देखते हुये तथा वर्ष 1982-83 में अनुभवी अवर अभियन्ताओं की कमी के कारण श्री सक्सेना को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कार्य मुक्त नहीं किया गया। अब श्री सक्सेना को अप्रैल 1983 के अन्त तक कार्यमुक्त कर देने के निर्देश दे दिये गये हैं।

39—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[9वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

देवरिया में हाटा पर बस स्टेशन भवन निर्माण की योजना

40—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में हाटा में बस स्टेशन भवन बनाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला देवरिया में हाटा पर बस स्टेस्टन के भवन निर्माण की कोई योजना अभी निगम के विचाराधीन नहीं है। निगम के वित्तीय संसाधन सीमित हैं जिससे अपेक्षाकृत अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी संभव नहीं हो पा रहे हैं।

41—श्री झिलमिट राम

[9वें बुधवार के लिये स्थगित।]

42—श्री झिलमिट राम

[9वें बुधवार के लिये स्थगित।]

उ0 प्र0 रा0 स0 परि0 निगम में आरक्षण व्यवस्था की मांग

43—श्री झिलमिट राम—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0रा0स0परि0 निगम में किसी हरिजन सदस्य का मनोनयन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि रोड परमिट के आवंटन में हरिजनों की आरक्षण व्यवस्था है ? यदि हां, तो हरिजनों को परमिट देने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य --

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बोर्ड में किसी हरिजन सदस्य का नामांकन नहीं किया गया। निगम बोर्ड की सदस्यता में आरक्षण का प्राविधान नहीं है।

नेशनल पब्लिक कैरियर परमिटों के आवंटन में शासन ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए क्रमशः 18% तथा 2% का कोटा आरक्षित किया है। आल यू०पी० टैक्सी कैब तथा पब्लिक कैरियर परमिट उदारता पूर्वक दिए जाते हैं। अतः इनमें आरक्षण का कोई प्रश्न नहीं उठता। जहां तक सवारी गाड़ी तथा अन्य प्रकार के पब्लिक कैरियर परमिटों का प्रश्न है, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए उतने ही प्रतिशत का कोटा आरक्षित करने का प्राविधान, जितना कि सरकारी नौकरियों में है, किया गया है।

44--श्री मोतीलाल देहलवी--

(प्रदेशीय सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त।)

45--श्री मोतीलाल देहलवी--

(9वें बुधवार के लिए स्थगित।)

ग्राम घोड़वल, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में एवं ग्राम भुवापुर के बीच राजकीय नलकूपों का निर्माण

40--श्री अकबर हुसैन--

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम घोड़वल, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में ग्राम घोड़वल एवं ग्राम भुवापुर के बीच कई हजार एकड़ भूमि असिंचित पड़ी है तथा इस क्षेत्र में कोई राजकीय नलकूप भी नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों ग्रामों के बीच एक राजकीय नलकूप लगाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह --

जी हां, ग्राम घोड़वल तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद में घोड़वल एवं ग्राम भुवापुर के बीच काफी भूमि असिंचित पड़ी है तथा इस क्षेत्र में कोई राजकीय नलकूप नहीं है। राजकीय नलकूपों का निर्माण जनपद प्लान के प्राविधान के अनुसार जनपद स्तरीय जिला सिंचाई सलाहकार समिति की संस्तुति व जिला नलकूप स्थल चयन समिति के अनुमोदन के बाद किया जाता है। अतः प्रश्नगत क्षेत्र में राजकीय नलकूप के निर्माण हेतु अगले वर्ष के जनपद प्लान में प्राविधान होने पर उक्त समितियों की संस्तुतियों के आधार पर विचार करना सम्भव होगा।

उद्योग केन्द्र, लखनऊ के विभागीय राजपत्रित अधिकारियों को लोक सेवा आयोग से राजपत्रित पद पर अनुमोदन

47--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग केन्द्र, लखनऊ में ऐसे कितने विभागीय राजपत्रित अधिकारी हैं जो लोक सेवा आयोग से राजपत्रित पद पर अनुमोदित नहीं हैं? क्या यह सही है कि लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित वरिष्ठ अधिकारियों को उस स्थान पर नियुक्त नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, ऐसे दो अधिकारी हैं।

किसी विशिष्ट जिले में नियुक्ति हेतु केवल वरिष्ठता ही को आधार मानते हुए तैनाती नहीं की जाती है।

गाँव नागापुर, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी की श्रीमती पंचुई देवी की भूमि को बिना नोटिस दिये लिया जाना

48 श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाटा संख्या 170 गांव नागापुर परगना कोल असला तहसील व जिला वाराणसी की भूमि को शारदा सहायक 38वां खंड बाबतपुर राजबाहा की एक माइनर के लिए बिना एक्वायर किये और काश्तकार पंचुई देवी को बिना नोटिस दिये ही नहर की खोदाई लगा दी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। श्रीमती पंचुई देवी का चक संख्या 170 पिन्डरा राजवाहें के कि0पी0 8-600 पर पड़ रहा है और उनके खेत का 0-272 एकड़ रकबा नहर में आ रहा है। उक्त भूमि को रिक्वीजीशन के द्वारा तहसीलदार, वाराणसी के माध्यम से दिनांक 7-7-82 को कब्जा विभाग को मिल चुका है। इसके उपरान्त ही खुदाई का कार्य किया गया।

ग्राम नागापुर, परगना कोल असल, तहसील व जिला वाराणसी की चकबन्दी तथा नहर नक्शे का संशोधन

49—श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि इस गांव की चकबन्दी हो चुकी है? यदि हाँ, तो माइनर का नक्शा चकबन्दी होने के पूर्व बनाया गया या बाद में? क्या सरकार उक्त नक्शे को संशोधित करने पर विचार करेगी और नागापुर के पश्चिम ही उक्त नहर को खत्म कर देगी, या गाटा संख्या 170 के किनारे से नहर ले जाने की आज्ञा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस गांव की चकबन्दी चल रही है धारा 23 के प्रकाशन के बाद माइनर का नक्शा बनाया गया है। नहर 170 प्लाट में खुद चुकी है। माइनर ठीक समरेखन पर बनाई जा रही है। अतः नक्शे का संशोधित करने, नहर को खत्म करने या गाटा सं0-170 के एक किनारे से ले जाने का प्रश्न नहीं उठता।

शारदा सहायक 38 वां खंड बाबतपुर, वाराणसी की माइनर पिंडरा व अजईपुर को खत्म करने का प्रस्ताव

50—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक 38वाँ खन्ड बाबतपुर वाराणसी को माइनर पिंडरा व अजईपुर को किलोमीटर 9 खत्म करने का प्रस्ताव

वर्षों से विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उस क्षेत्र में माइनर का नक्शा रखना व नहर को 9वें किलोमीटर के पूर्व पिंडरा एवं अजईपुर माइनर को अब तक खत्म क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पिन्डरा राजवाहें की लम्बाई मूल प्रस्ताव में 12.680 कि0मी0 थी। बाद में नहर की लम्बाई 10 कि0मी0 पर समाप्त कर दी गई और इस लम्बाई तक नहर खुद चुकी है। अतः कोई अन्य संशोधन सम्भव नहीं है।

अजईपुर माइनर पिन्डरा राजवाहे के 7.620 कि0मी0 से प्रस्तावित है। इसका निरस्तीकरण जनहित में नहीं है।

ग्राम कामापुर, ब्लाक पिन्डरा, जिला वाराणसी में पब्लिक नलकूप का लगाया जाना

51—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव कामापुर ब्लाक पिन्डरा जिला वाराणसी में पब्लिक नलकूप लगाने हेतु पूरे कामापुर नरायनपुर को शारदा सहायक केराकत माइनर जौनपुर की शाखा दिनदासपुर से काट दिया गया था और नलकूप लगाने की स्वीकृति दे दी गयी थी ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि उक्त कामापुर पब्लिक नलकूप क्षेत्र में भी कामापुर माइनर की खोदाई करायी जा रही है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम कामापुर का पूरा रकबा केराकत राजवहा प्रणाली के फतेहपुर माइनर के कमाण्ड से निकाल दिया गया था। फतेहपुर माइनर का समरेखन कामापुर गाँव में लगभग 800 मीटर पड़ता है। कामापुर के दक्षिण सरहद पर नाद नदी है। नदी तक फतेहपुर माइनर की टेल को लाना आवश्यक था अन्यथा खेतों में पानी भरता। नलकूप से नहर के दोनों तरफ सिंचाई हो रही है। नहर के नीचे नलकूप को पाइप लाइन बनाई गई है। इस भाग में खुदाई पूरी हो चुकी है।

52—श्री ऊदल—

(8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

53–54—श्री ऊदल—

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त।

गाजीपुर जनपद में प्राइवेट बसों को निर्धारित मार्ग पर न चलाये जाने की सूचना

55—श्री राधेश्याम—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में इस समय कितनी प्राइवेट बसें परमिट पर चल रही हैं ? तथा इनके मार्ग का क्या विवरण है ? इनके मालिकों का नाम एवं पता क्या है ? क्या यह सत्य है कि यह बसें निर्धारित सड़कों पर न चला कर राज्य परिवहन विभाग के लिए निर्धारित मार्ग पर चलायी जा रही है ?

जिससे राज्य परिवहन विभाग को लाखों रुपया प्रतिमाह का घाटा हो रहा है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में मुख्यालय से गुप्तचर विभाग को जांच कराने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई मजदूर संघ, वर्कचार्ज कर्मचारी संघ, उ0 प्र0 के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं द्वारा मुख्य मन्त्री को मांग पत्र

56--श्री नन्दराम--

क्या सिंचाई कृपया बतायेंगे कि 10 जनवरी, 83 को सिंचाई मजदूर संघ उ0प्र0 एवं सिंचाई विभाग वर्कचार्ज कर्मचारी संघ उ0प्र0 के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं द्वारा मुख्य मन्त्री एवं सिंचाई मन्त्री के निवास पर सांकेतिक धरना एवं प्रदर्शन करके मांगों का ज्ञापन दिया गया ? यदि हाँ, तो उसमें उल्लिखित मांगें क्या हैं तथा 28 जनवरी, 83 तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मांग सम्बन्धी पत्र दिनांक 10-1-83 को मुख्य मन्त्री के आवास पर प्राप्त हुआ था मांगों की सूची संलग्न है। माँग पत्र पर विचारोपरान्त प्रमुख अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ.....पर।)

सिंचाई विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों को कार्य से पृथक किया जाना

57--नन्दराम--

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के जनवरी 82 से दिसम्बर, 82 तक कितने वर्कचार्ज कर्मचारी कार्य से पृथक किये गये तथा पृथक करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

निर्दिष्ट अवधि में पृथक किये गये कर्मचारियों की सूचना एकत्र करने में जितना श्रम तथा व्यय होगा वह उसके प्रतिफल का समानुपातिक न होगा। आवश्यकता के आधार पर वर्कचार्ज कर्मचारियों को पृथक किया गया है।

बस्ती जिले के बांसी तहसील के चंवरताल से पानी निकालने के लिये फजिलतुवा नाले की खुदाई की योजना

58--श्री थम्मन सिंह गहलौत--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी तहसील के अन्तर्गत चुंवरताल में जल भराव के कारण ग्राम जिनियाजोत, हियातनगर, मलगहा, बड़हरघाट, भरवा, तीनर, इमलीडिहा, चमरा ग्राम की करीब 3000 एकड़ गलानी खेती योग्य भूमि रबी की बोवाई से वंचित है ? यदि हां, तो चंवरताल से पानी निकालने के लिये फजिलतुवा नाले की खुदाई शुरू करने की कब तक योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि इसी पानी को निकालने के लिए इकरही गोनहां बांध को काट कर कोई रेगुलेटर वर्ष 82 में बनाया गया है ? यदि हाँ तो उसकी लागत क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जिले के बांसी तहसील के अन्तर्गत चंवरताल (चुंवर ताल नहीं) में जल भराव के कारण प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों की 367 एकड़ भूमि बोवाई से वंचित है।

फजिहतुवा नाले की खुदायी की योजना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त न होने के विकल्प के रूप में कथित ग्रामों से जल निकासी हेतु वर्ष 1982 की बाढ़ के पूर्व एक रेगुलेटर बना दिया गया है जिससे ग्रामों की 1738 एकड़ भूमि को लाभ हुआ।

फजिहतुवा नाला राप्ती नदी में मिलता है तथा राप्ती नदी के बैक वाटरिंग के कारण नाला तथा उसके दोनों तरफ के क्षेत्र डूब जाते हैं तथा नाले में पटने की प्रवृत्ति रहती है। अतः नाले की खुदायी से उक्त क्षेत्र की जल प्लावन समस्या का स्थायी निराकरण नहीं किया जा सकता।

वर्ष 1982 में उक्त पानी की निकासी हेतु ककरही गोनहा बांध के 1.8 कि0मी0 पर एक रेगुलेटर बनाया गया है जिसके निर्माण से विचाराधीन क्षेत्र के सेमेत 29 ग्रामों की 7503 एकड़ भूमि में इस वर्ष रबी की बोवायी सम्भव हो गयी है। रेगुलेटर की लागत रु0 3.80 लाख है।

बस्ती जिले के ड्रेनेज उप खण्ड, बांसी में ठेकेदारों का भुगतान

59—श्री थम्मन सिंह गहलौत—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत ड्रेनेज उप खंड बांसी में जुलाई, 82 से दिसम्बर, 82 की अवधि में भिन्न-भिन्न मदों में अलग-अलग कितने रुपये का भुगतान ठेकेदारों को किया गया है? बोल्डर सप्लाई मिट्टी के कार्य तथा ईट की सप्लाई में कितना रुपया ठेकेदारों को देना शेष है और भुगतान न होने का क्या कारण है?

श्री बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि में भिन्न-भिन्न मदों में अलग-अलग ठेकेदारों को भुगतान निम्न-प्रकार किये गये हैं :-

क्र0 सं0	मद का नाम	धनराशि (लाख रु0 में)
1.	बांधों का निर्माण	6.72
2.	कटाव निरोधक कार्यों हेतु सामग्री की आपूर्ति	0.43
3.	बाढ़ से सुरक्षा हेतु सामग्री की आपूर्ति	0.08
	योग : रु0	7.23 लाख

बोल्डर सप्लाई का 0.82 लाख रु0, मिट्टी के कार्य का 3.32 लाख रु0 अर्थात कुल 4.14 लाख रु0 ठेकेदारों को देना शेष है। ईटों की सप्लाई का कोई भुगतान शेष नहीं है।

वांछित धनराशि के अभाव में भुगतान नहीं किया जा सका। प्रयास किया जा रहा है कि तीन माह के अन्दर भुगतान कर दिया जाए।

निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0 को विकलांग अनुदान हेतु जिलाधिकारी झांसी के पत्र

60—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को यह जानकारी है कि जिलाधिकारी झांसी ने पत्रांक 97 एवं 3511 दिनांक क्रमशः 20-7-82 एवं 3-12-82 द्वारा निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण उ0 प्र0 को दो पत्र लिख कर हरिजन कल्याण विभाग जिला झांसी के लिए विकलांग अनुदान प्रदान कराये जाने हेतु लिखे हैं ? यदि हां, तो जिलाधिकारी, झांसी के पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां।

जिलाधिकारी के सन्दर्भित पत्रों में वांछित झाँसी जिले के नये निराश्रित विकलांगों को अनुदान देने हेतु धन की उपलब्धता के आधार पर जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, झाँसी के निर्वतन पर 26400/-रु0 की धनराशि आवंटित कर दी गयी है।

61—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् 82 में प्रदेश में परिवहन निगम की बसों में कितनी डकैती की घटनायें हुई ? यह घटनाएं सन् 81 की घटनाओं से कितनी कम अथवा अधिक हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अन्य विमुक्त जातियों के साथ-साथ मैनपुरी और फतेहपुर जनपदों में लोध जाति को उपलब्ध सुविधाएं

62—श्री विष्णु दयाल वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे बुधवार दिनांक 16-2-83 के अतारांकित प्रश्न संख्या 116 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायगे कि-कि वे कौन-कौन सी सुविधाएं हैं जो अन्य विमुक्त जातियों के साथ-साथ मैनपुरी और फतेहपुर जनपदों में लोध जाति को भी अनुमन्य है और दी जाती है ?

श्री गुलाब सेहरा—

अन्य विमुक्त जातियों के साथ-साथ जनपद मैनपुरी तथा फतेहपुर में लोध जाति के लोगों को भी कृषि एवं बागवाना, कुटीर उद्योग, आवास निर्माण तथा छात्रवृत्ति की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त नौकरी में साक्षात्कार हेतु यात्राभत्ता भी अनुमन्य है।

जिला चिकित्सालय गोरखपुर में भर्ती बन्दी विनोद सिंह के गायब होने तथा मिलने की सूचना

63—श्रीमती गौरी देवी—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायगे कि जिला चिकित्सालय गोरखपुर में भर्ती

बन्दी विनोद सिंह दिनांक 9-12-82 को कारापाल जिला कारागार गोरखपुर के अनुसार 13-30 से 14-00 बजे तक गायब था ? यदि हाँ, तो कारापाल जिला कारागार गोरखपुर ने दिनांक 9-12-82 को 13-30 बजे बन्दी के गायब होने की सूचना पाने पर उसकी खोज के लिए क्या कार्यवाही की ?

श्री अब्दुल रहमान खाँ नश्तर--

जी हाँ।

कारापाल, जिला चिकित्सालय जहाँ से बन्दी के गायब होने की सूचना मिली थी, गये। उन्होंने बन्दी की खोज करने के लिए सदर लाक अप के उप कारापाल को भी हिदायत की। जैसे ही वे जिला जेल में पहुँचे, उन्हें टेलीफोन पर बन्दी के मिल जाने की इत्तला मिल गई।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वाराणसी के यहाँ टैंकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वाराणसी मण्डल निगम लि0 वाराणसी के नाम किया जाना

64--श्री राम चरण सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वाराणसी के यहाँ वर्ष 81-82 या 82-83 में इंजन नं0 ओ0 डी0 ई0 50232 चेसिस नं0 एच0 टी0 डी0 354745 रजिस्ट्रेशन संख्या यू0 आर0 एच0 8206 के किसी टैंकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वाराणसी मण्डल निगम लिमिटेड वाराणसी के नाम किया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त गाड़ी इस समय उक्त नाम से पंजीकृत है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस समय उक्त गाड़ी किसके नाम से पंजीकृत है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

65—श्री सरदार सिंह—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

66—श्री सरदार सिंह--

(9वें बुधवार के लिए स्थगित)

फर्टिलाइजर्स साहुपुरी जनपद वाराणसी के पास सैकड़ों एकड़ भूमि परती होने तथा उक्त कारखानों के गंदे जल की निकासी कराने व उससे बीमारी होने के खतरे की सूचना

67-69—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि हरी फर्टिलाइजर्स साहुपुरी जनपद वाराणसी के पास सैकड़ों एकड़ भूमि परती है ? यदि हाँ, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी भूमि परती है ? क्या इस फालतू परती भूमि पर कोई उद्योग लगाया जायेगा ? यदि हाँ, तो उद्योग कब तक लगाया जायेगा ?

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि हरी फर्टिलाइजर्स, साहूपुरी, जनपद वाराणसी के कारखाने से गंदे जल के निकासी की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गंदा पानी कहाँ जाता है ? क्या इस दूषित व गंदे जल भराव के कारण बखरा चाँदीतारा, सीतापुर, व्यासपुर, नोबूपुर, नाथूपुर, भोजपुर, चौरहट, बहादुरपुर,

डुमरी आदि गाँव की फसलें चौपट हो रही हैं ? तथा मकानों में सीलन व लोना लग गया है ? यदि हाँ, तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या यह सही है कि इस गन्दे जल से उक्त गाँव के निवासियों के स्वास्थ्य का भी खतरा है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जनपद के बर्डपुर नं0 9 में बुढ़वा कुला पर पुल बनाने की योजना

70—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के बर्डपुर नं0 9 में बुढ़वा कुला पर पुल बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हाँ तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील बर्डपुर में स्थित सिंचाई विभाग के डाक बंगले की मरम्मत

71—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में बर्डपुर में सिंचाई विभाग का जो डाक बंगला है उसकी चार दीवारी टूट गयी है ? यदि हाँ, तो उसे कब तक बनवा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद झांसी में प्रदेशीय मण्डलीय बैठक में मा0 मुख्य मन्त्री की मऊरानीपुर में क्लेन्डरिंग एवं प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने की घोषणा

72—श्री भागीरथ—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27-11 80 को जनपद झाँसी में प्रदेशीय मण्डलीय बैठक में मा0 मुख्य मन्त्री जी ने मऊरानीपुर में कलेन्डरिंग एवं प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने की घोषणा की थी ? यदि हाँ, तो उपरोक्त प्लान्ट चालू हो गया है ? यदि नहीं, तो अब तक चालू न किए जाने के क्या कारण हैं ? उपरोक्त प्लान्ट कब तक चालू कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

जी, नहीं।

उक्त प्लान्ट की स्थापना का निर्णय माह फरवरी, 1982 में होने के उपरान्त

मऊरानीपुर से तीन किलोमीटर की दूरी पर ग्राम रुपाधमना में 5,42 एकड़ भूमि का आवंटन कराया गया। प्लान्ट की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है तथा प्लान्ट को लगाने के लिए कन्सल्टेन्ट के चयन हेतु समस्त औपचारिकतायें पूरी की जा चुकी हैं। इस प्रकार प्लान्ट की शीघ्र स्थापना की दिशा में हर समय प्रयास किए जा रहे हैं।

हरदोई डिपो में कार्यरत श्री एस0 आर0 पी0 दीक्षित परिचालक का स्थानान्तरण

73—श्री खैरुल बशर—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई डिपो (उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0) में कार्यरत श्री एस0 आर0 पी0 दीक्षित, परिचालक कितने समय से उक्त डिपो में कार्यरत हैं? कितने समय के लिये इनका स्थानान्तरण हरदोई डिपो से अन्यत्र किया गया था? तथा इन्हें दुबारा हरदोई डिपो में ही स्थानान्तरित किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री एस0 आर0 पी0 दीक्षित, परिचालक हरदोई डिपो को बसों की जाँच कार्य सौंपने वाले अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

74—श्री खैरुल बशर—

क्या यह सही है कि श्री एस0 आर0 पी0 दीक्षित परिचालक, हरदोई डिपो को बसों की जांच का कार्य ए0 टी0 ओ0 पद पर 8 अगस्त, 80 में सौंपा गया था? यदि हाँ, तो उक्त पद पर उन्हें कार्य दिये जाने का आधार क्या था? क्या उक्त डिपो में उनसे वरिष्ठ अन्य परिचालक नहीं था? यदि हाँ, तो कार्य सौंपने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0 प्र0 फर्नीचर निर्माता संघ का आवेदन पत्र, जाँच तथा प्राप्त तथ्य

75—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक ने दिनांक 8-2-83 को मा0 मन्त्री जी को उ0 प्र0 फर्नीचर निर्माता संघ का कोई आवेदन पत्र इस आशय का दिया है कि सरकारी विभागों को स्टील अलमारी आपूर्ति के जो टेंडर इस वर्ष स्वीकृति किये जा रहे हैं वे सात ब्लैक लिस्टिड एवं बोगस फर्मों के हैं जिनके पास उपयुक्त अलमारी बनाने के न कोई साधन हैं और न ही ऐसी फर्में कार्य कर रही हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त ब्लैक लिस्टिड व बोगस फर्मों की जाँच करायेगी और तब तक उ0 प्र0 फर्नीचर निर्माता संघ की फर्मों से अलमारी की आपूर्ति के लिये पुराने रेट कन्ट्रेक्ट रेट को समाप्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, माननीय विधायक ने उ०प्र० फर्नीचर निर्माता संघ का आवेदनपत्र दिनांक 8-2-1983 को दिया था। परन्तु उसमें वर्णित तथ्य सही नहीं हैं। स्टील अल्मारियों की आपूर्ति हेतु इस वर्ष जिन फर्मों के टेण्डरों को स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जा रहा है वे सभी पंजीकृत लघु उद्योगिक इकाइयां हैं और उनमें से कोई भी फर्म वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड व बोगस नहीं हैं और न ही ऐसे किसी फर्म को दर-अनुबन्ध में लिया जायेगा। चूँकि अब नये दर प्राप्त हो गये हैं जो कि पुराने दरों की तुलना में कम हैं, अतः पुराने दर-अनुबन्ध को बढ़ाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ में स्थाईकरण की प्रक्रिया तथा श्री शिवदत्त जोशी, परिचालक को स्थाई न किये जाने का कारण

76—श्री कुँवर सिंह नेगी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ में स्थाईकरण की प्रक्रिया में किन-किन वरीयताओं के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थाईकरण किया गया है? इनमें श्री शिवदत्त जोशी परिचारक जिनकी नियुक्ति 8-11-83 से है स्थाई न किये जाने के क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

परिवहन निगम मुख्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ज्येष्ठता विवादग्रस्त होने के कारण इस श्रेणी के कर्मचारियों का स्थाईकरण अभी तक निगम द्वारा नहीं किया गया है। इसी कारण श्री शिवदत्त जोशी के स्थायीकरण पर भी अभी विचार नहीं किया जा सका है।

77—श्री सरदार सिंह—

(9वें बुधवार के लिये स्थगित)

जनपद झाँसी, जालौन तथा ललितपुर में लगाये गये नलकूपों की संख्या तथा धन व्यय

78—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झाँसी, जालौन तथा ललितपुर में मास जनवरी, 82 से दिसम्बर, 82 तक कितनी संख्या में राजकीय नलकूप लगाये गये तथा आरम्भ होने वाली 5 वर्षीय सिंचाई परियोजना के दौरान कितना धन व्यय करने का निर्णय लिया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद-झाँसी लालौन तथा ललितपुर में माह जनवरी 1982 से दिसम्बर 1982 तक क्रमशः 23,36 व शून्य संख्या में राजकीय नलकूपों को लगाया गया। आरम्भ होने वाली पंचवर्षीय योजना के दौरान जनपद प्रस्तावित धनराशि की सूचना उपलब्ध नहीं है।

देवरिया जनपद के रुद्रपुर ब्लाक में गोरी नदी द्वारा जगतभाझा, पलिया इसरपुरा पिंडरा एवं पिंडरी केवटलिया आदि ग्रामों में भीषण कटान तथा सुरक्षा की योजना

79—श्री भास्कर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के रुद्रपुर ब्लाक में

गोरी नदी द्वारा जगतमाझा, पलिया इसरपुरा, पिड़रा एवं पिड़री केवटलिया आदि ग्रामों में भीषण कटान हो रहा है ? क्या इन ग्रामों को बचाने हेतु सरकार ने कोई योजना तैयार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, ग्राम पिड़रा के अतिरिक्त अन्य ग्रामों में कंटान की प्रवृत्ति है। ग्राम पिड़रा में नदी के कटाव से बचाव हेतु डैम्पनर का निर्माण स्थल पर वर्ष 1982 की बाढ़ से पूर्व कर दिया गया था।

ग्राम पिड़री तथा केवटलिया पर कटाव निरोधक कार्यों की परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। धन उपलब्ध होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

ग्राम जगतमाझा, पलिया तथा इसरपुरा में कटाव निरोधक कार्यों की परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष 29-1-83 को प्रस्तुत की गयी थी। इस पर समिति ने कुछ सुझाव प्रस्तावित किये हैं। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

देवरिया जनपद के रुद्रपुर एवं बरहज विकास खंडों के कतिपय ग्रामों के कटान रोकने हेतु ठोकर का निर्माण

80—श्री भास्कर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर एवं बरहज विकास खण्डों के ग्राम जगतमाझा, पलिया, इसरपुरा, पिड़री, पिडरा केवटलिया, मोहरा, समोगर महेन आदि गाँवों के कटान रोकने हेतु ठोकर का निर्माण बरसात के पूर्व हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम पिड़री तथा केवटलिया में डेम्पनर के निर्माण की परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 1982 में अनुमोदित हुई है। समय से धन उपलब्ध होने पर इनका कार्य वर्षा से पूर्व कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

ग्राम पिड़री में 1982 की बाढ़ से पूर्व बनाये गये डेम्पनर को सुदृढ़ीकरण वर्षा से पहले कर दिया जायेगा।

ग्राम जगतमाझा, पलिया तथा इसरपुरा की कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ तकनीकी सलाहकार समिति को 29-1-83 को प्रस्तुत की गयी थी। किन्तु उक्त समिति ने इन्हें अनुमोदित नहीं किया।

ग्राम मोहरा, समोगर महने आदि गाँवों में कटाव निरोधक कार्यों हेतु सर्वेक्षण प्रस्तावित है। सर्वेक्षण के पश्चात् परियोजना बनायी जायगी।

देवरिया जनपद के रुद्रपुर निबही मार्ग पर मझने नाला पर हड़ही ग्राम के पास पुल का निर्माण

81—श्री भास्कर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के रुद्रपुर निबही

मार्ग पर मझने नाला पर हड़हीग्राम के पास पुल निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिह —

प्रश्नगत पुल स्वीकृत न होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया गया।

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत बाँदा में अनुसूचित जातियो को लाभ पहुँचाया जाना

82—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत वर्ष 81-82 तथा 82-83 मे बाँदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक कितने लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में 272 तथा वर्ष 1982-83 में 321 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया।

जनपद चमोली में सोनला कोटलो—नारायण बगड़ मार्ग का निर्माण, लागत व्यय तथा उसकी लम्बाई

83—श्री कुँवर सिह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग पर सा0 नि0 वि0 द्वारा कब से सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है ? 1 दिसम्बर, 1982 को इस मार्ग पर सा0 नि0 वि0 द्वारा कुल कितना धन व्यय किया गया है और कुल कितना कि0 मी0 मार्ग मोटर यातायात हेतु तैयार हो चुका है ?

श्री बल्देव सिह आर्य —

प्रश्नगत मोटर मोटर मार्ग के नाम से कोई मार्ग स्वीकृत नही है । अपितु, सोनला—कोटली—नारायणबगड़ मार्ग के नाम से 20 कि0 मी0 मार्ग स्वीकृत है, जिस पर वर्ष 1977 से कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा माह दिसम्बर 1982 तक लगभग 49.00 लाख रु0 व्यय किया जा चुका है। इसको 7.00 कि0मी0 लम्बाई यातायात के लिये उपलब्ध है।

अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—2 हस्तिनापुर द्वारा 6 लाख रुपये की आपूर्ति तथा मुख्य अभियन्ता (मध्य गंगा) मेरठ द्वारा उसकी जांच

84—श्री दीपनारायण वन महन्थ—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य गंगा हस्तिनापुर के सिचाई खण्ड द्वारा माह नवम्बर व दिसम्बर, 1982 में 6 लाख रुपये के आपूर्ति के आदेश किये गये है जबकि अधिशासी अभियन्ता को एक माह में केवल 6 हजार रु0 के आपूर्ति आदेश करने का ही अधिकार है ? क्या यह सही है कि मुख्य, अभियन्ता मध्य गंगा मेरठ की जानकारी में उक्त तथ्य आने पर भी उनके द्वारा इस अनियमितता के मामले को दबा दिया गया है ? यदि हाँ तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जाँच कराकर अवगत करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिह—

अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—2, हस्तिनापुर ने माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 82 में लगभग 6.35 लाख रुपये के आपूर्ति आदेश निर्गत किये जबकि अधिशासी अभियन्ता एक माह में केवल 15000.— रुपये के आपूर्ति आदेश निर्गत करने के लिये सक्षम थे।

जी नहीं ?

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य अभियन्ता (मध्य गंगा)मेरठ ने इस मामले की प्रारम्भिक जाँच करा ली है।

श्री राम प्रताप प्रसाद, अध्यापक, बेसिक हरिजन प्राइमरी पाठशाला, रामपुर श्रीपालपुर, देवरिया के बकाये वेतन का भुगतान

85—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अतारांकित प्रश्न संख्या 27 दिनांक 25-8-82 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राम प्रताप प्रसाद, अध्यापक, बेसिक हरिजन प्राइमरी पाठशाला, रामपुर श्रीपालपुर, देवरिया से सम्बन्धित बकाया वेतन का भुगतान किया गया ? यदि नहीं तो कब तक किया जायगा ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

86—श्री जसवन्त सिह विष्ट—

(दिनांक 14-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या—131 द्वारा उत्तरित)

87—श्री कुँवर सिह नेगी—

(दिनांक 14-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या—43 द्वारा उत्तरित)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खन्ड कोट के स्थान बहेड़ा खाल के राजकीय चिकित्सालय भवन पर बिजली फिटिंग तथा शौचालय एवं स्नानागार निर्माण हेतु आगणन

88—श्री नरेन्द्र सिह भन्डारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खन्ड कोट के अन्तर्गत स्थान बहेड़ाखाल में स्थित राजकीय चिकित्सालय भवन पर बिजली फिटिंग तथा शौचालय एवं स्नानागार निर्माण हेतु आगणन शासन को कब प्राप्त हुए है और शासन द्वारा उन आगणनों पर कब तक स्वीकृत प्रदान किये जाने की सम्भावना है ?

श्री बल्देव सिह आर्य—

राजकीय चिकित्सालय, बहेड़ाखाल में केवल शौचालय एवं स्नानागार के निर्माण के आसान ही स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उ0 प्र0 के कार्यालय में प्रस्तुत हुये हैं। आगे पर्वतीय जिलों के राजकीय चिकित्सालयों के भवनों में योग, परिवर्तन एवं परिवर्धन सम्बन्धी कार्यों हेतु जिला समितियों द्वारा अनुमोदित धनराशि 20,0 0 रुपये तक के कार्यों की उससे स्वीकृति दिये जाने हेतु ऊपर निदेशक (पर्वतीय विकास), चिकित्सा,

स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण उ0 प्र0 के अधिकार में रखी जा चुकी है। अपर निदेशक को पुनः निदेश दिये जा रहे है कि वित्तीय प्राविधान को देखते हुए उक्त चिकित्सालय में निर्माण कार्य के सम्बन्ध में शीघ्र उचित निर्णय ले लें।

89—श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

(दिनांक 9-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या—121 द्वारा उत्तरित)

90—श्री प्रियदर्शी जेतली—

(दिनांक 16-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या—82 द्वारा उत्तरित)

जनपद मिर्जापुर के अनुसूचित एवं जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

91—श्री राम चरण सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982 व 83 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कक्षा 9 व 10 के समस्त छात्रों को विद्यालय वाइज सूचि उपलब्ध करायेंगे? जिनको छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

92—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्ता)

जनपद चमोली तल्लानागपुर ग्राम समूह पेयजल योजना का आरम्भ,

93—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में तल्लानागपुर ग्राम समूह पेयजल योजना पर कब से कार्य प्रारम्भ हुआ है? इस पर दिसम्बर, 82 तक कितना धन व्यय हुआ है? यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद चमोली में तल्ला नागपुर ग्राम समूह पेयजल योजना पर कार्य मार्च 1981 से आरम्भ हुआ। इस योजना पर दिसम्बर 1982 तक 50.598 लाख रु0 व्यय हुआ। यदि जून 83 तक वन विभाग की भूमि में कार्य करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है तथा सीत विवाद जैसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती तो इस योजना का कार्य मार्च 1985 तक पूर्ण हो सकेगा।

मिर्जापुर के घोरावल रजवाहा पर स्थित कुलावे का स्थायीकरण

94—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रश्नकर्त्ता ने मिर्जापुर के घोरावल रजवाहा पर स्थित कुलावे को स्थायी करने के सम्बन्ध में एक पत्र 11-8-81 को उन्हें लिखा था? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, प्रश्नगत कुलावा दिनाँक 24-10-81 को स्थाई कर दिया गया है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बूंगा–सकनीखेत मोटर मार्ग के निर्माण से बिलखेत पेयजल योजना का क्षतिग्रस्त होना

95 – श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि क्या यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बूंगा सकतीखेत मोटर मार्ग के निर्माण से बिलखेत पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हो गई है ? और 3 जनवरी, 82 से ग्रामवासियों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है ? यदि हाँ, तो इस क्षति के प्रति कौन उत्तरदायी है ? और कब तक इस योजना से ग्रामवासियों को पीने का पानी पुनः उपलब्ध हो सकेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, बिलखेत पेयजल क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा 6-2-82 से योजना से ग्राम वासियों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यह योजना प्रान्तीय खन्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग पौड़ी गढ़वाल द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। प्रश्नगत क्षति की मरम्मत हेतु 47.830 रु0 का प्राक्कलन गढ़वाल जल संस्थान द्वारा 3–4—82 को सार्वजनिक निर्माण विभाग पौडी को प्रस्तुत किया गया है। प्राक्कलन की धनराशि गढ़वाल जल संस्थान को सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त होने पर योजना की मरम्मत का कार्य किया जायगा तथा ग्रामवासियों को पुनः पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कतिपय मोटर मार्गो की स्वीकृति

96 श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गेठीखेड़ा दोन्दल डमरासू, उफल्डा देहरचौरो पौड़ी नाहसैण बहेड़ाखाल, बौसाल मुन्डेश्वर कल्जीखाल, पीपला बैण्ड-टीका बूंगा सकनी खेत, मोटर मार्गो की स्वीकृत शासन द्वारा कब-कब दी गई थी ? अब तक इन मार्गो के निर्माण में क्या प्रगति है तथा कब तक इन मोटर मार्गो का निर्माण पूरा हो सकेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना संलग्न तालिकानुसार है।

(देखिए नत्थी 'ख'' पृष्ठ विषय सूची पर देखिये।)

श्री राधेश्याम पटेल, विधायक द्वारा कटरा, इलाहाबाद के एक सीटी बस चालक के विरुद्ध शिकायत

97– श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या परिवाहन मन्त्री को जानकारी है कि श्री राधेश्याम पटेल, विधायक ने दिनांक 6 जून, 1982 को कचेहरी बस स्टेशन कटरा, इलाहाबाद में एक सीटी बस चालक के विरुद्ध शिकायत दर्ज की थी ? यदि हां तो वह शिकायत क्या है ? क्या जाँच पूर्ण हो गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सत्य है कि दोषी चालक को सेवा निवृत्त करके पुनः उच्च अधिकारियों ने उसे सेवा पर बुला लिया है ? यदि हाँ, तो उसे बहाल करने के कारण क्या थे और उसे सेवा निवृत्त करने के क्या कारण थे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोकुल में नहर राजबाहे तथा अल्पिकाओं की संख्या, लम्बाई तथा सिंचन क्षमता

98—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र गोकुल में नहर राजबाहा व अल्पिकाओं (माइनर) की संख्या क्या है ? उनकी क्रमशः अलग-अलग लम्बाई व क्षमता क्या है तथा उनसे कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत रक्बा सिंचता है ? शेष असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मथुरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र गोकुल में नहर, राजबाहे तथा अल्पिकाओं की संख्या निम्नवत है :

नहर	1
राजबाहे	8
अल्पिकायें	16

इनकी लम्बाई एवं क्षमता के आंकड़े संलग्न में दिये हैं।

कृषि योग्य क्षेत्र की औसत सींच निम्नानुसार है :—

रबी फसल	37.5 प्रतिशत
खरीफ फसल	16.0 प्रतिशत

शेष असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने की कोई योजना अभी शासन के विचाराधीन नहीं है। बाद शाखा प्रणाली में अतिरिक्त जल की व्यवस्था हो जाने पर ही असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने पर विचार किया जा सकेगा और यह तभी संभव होगा जब टिहरी बांध परियोजना पूर्ण हो जावे एवं ऊपरी गंगा नहर एवं माट शाखा में अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा।

(देखिए नत्थी "ग" पृष्ठ विषय सूची पर देखिये।)

गोरखपुर जनपद के इटौवा बांध को बाढ़ में कटवाने से फसल को क्षति

99—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि गोरखपुर जनपद के इटौवा बांध को विभागीय जे० ई० द्वारा इस साल की आई बाढ़ में कटवाने के कारण कई लाख एकड़ खड़ी फसल की क्षति हुई जिसके सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 9-10-82 को उन्हें लिखा था, जिसकी प्राप्ति स्वीकृत आपके पत्र दिनांक 29-11-82 द्वारा दी गयी है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

मथुरा जनपद में मगना बरौली से जुगसना ब्योही तक पक्के मार्ग पर बसें चलाने की मांग

100 – श्री सरदार सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेगें कि मथुरा जनपद में मगनाबरौली से जुगसना ब्योही तक का मार्ग पक्का होते हुए भी अब तक परिवहन निगम को बसें न चलाने का क्या कारण है ? यदि निगम को अपनी बसें चलाने में कठिनाई हो रही है तो उक्त मार्ग पर निजी वाहनों को परमिट देने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम की बसों की संख्या, आवश्यकता तथा उनकी केटागिरी

101—श्री शंकर सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जनता को सुलभ यातायात जुटाने हेतु कुल कितनी बसों की परिवहन निगम को आवश्यकता है तथा इस समय परिवहन निगम के पास कितनी बसें हैं और वे किस केटागिरि की हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जनता को सुलभ यातायात जुटाने हेतु परिवहन निगम को दैनिक संचालन हेतु 6031 बसों व ट्राफिक स्पेयर एवं मेन्टीनेस रिजर्व हेतु 665 बसों, कुल 6696 बसों की आवश्यकता है ।

इस समय निगम के पास 5896 बसें अपनी एवं 650 प्राइवेट बसें अनुबंधित हैं । 5896 निगम बसों में से 1535 बसें मरम्मत हेतु आफ रोड है ।

निगम बसों का किलोमीटरवाइज कैटागिरी का विवरण निम्नवत है :—

1-लख कि0 मी0 तक चली बसें	1 से 2 लाख कि मी0 तक	2 से 3लाख कि0 मी0 तक	3 से 4 लाख कि0मी0 तक	4 से 4.8 लाख कि0मी0 तक	4.8 लाख कि0मी0 से ऊपर
464	884	1162	1165	1123	1098

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर पम्प नहर की सखोई और केशवपुर गाँवों की टूटी नालियों को ठीक करवाकर कृषकों को मुआवजे का भुगतान

102 —श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर पम्प नहर की सखोई और केशवपुर गाँवों में पड़ने वाली नालियाँ या तो अधूरी हैं या जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं ? क्या यह भी सत्य है कि इनमें ली गयी भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को आज तक नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन नालियों को ठीक करवाकर क्षेत्रीय किसानों को मुआवजे का भुगतान शीघ्र करवायेगी ?

श्री बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों की संख्या तथा बसों को परमिट

103—श्री शंकर सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने राष्ट्रीयकृत मार्ग ऐसे हैं, जिन पर बस सेवा चलाने हेतु परिवहन निगम ने परमिट दे रखे हैं ? उन पर निगम द्वारा बसें नहीं चलाई जा रही हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा प्रदेश के समस्त राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवायें परमिट प्राप्त कर संचालित की जा रही हैं। ऐसा कोई भी राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है जिस पर परमिट लिया गया हो और बस सेवायें न चलाई जा रही हो।

मन्त्री के विवेकाधीन कोष से सहायता प्राप्त लोगों की संख्या तथा धनराशि

104—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय आदेश संख्या 54481/26-2-81/24/81, दिनांक 17 अगस्त, 1981 द्वारा जिन लोगों को मन्त्री के विवेकाधीन कोष से सहायता दी गयी थी, उसमें कितने लोग थे ? तथा क्या-क्या सहायता दी गयी थी ? क्या उन सभी लोगों को सहायता प्राप्त हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

शासनादेश संख्या 5448/26-2-81-243/81 दिनांक 17 अगस्त, 1981 द्वारा हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री जी के विवेकाधीन कोष से 20 व्यक्तियों को अनुदान/आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी जिसमें 11 व्यक्तियों को नगद आर्थिक सहायता तथा 9 व्यक्तियों को सिलाई मशीनें स्वीकृत की गई थीं जिसका विवरण संलग्न है। इनमें से 13 व्यक्तियों की स्वीकृत अनुदान/आर्थिक सहायता का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष 7 व्यक्तियों को अनुदान का भुगतान संलग्न विवरण में दिये गये कारणों के अनुसार नहीं किया जा शका है। जिन व्यक्तियों को अनुदान/आर्थिक सहायता का भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है उन्हें तुरन्त भुगतान किये जाने का आदेश पुनः दे दिया गया हैं।

(देखिए नत्थी 'घ' पृष्ठ विषय सूची में देखें।)

श्री ठाकुर दास परिचालक को पुनः नौकरी में लिये जाने हेतु कृत कार्यवाही

105—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता को सम्बोधित प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26 नवम्बर, 1981 के उत्तर में श्री प्रभाकर राम त्रिपाठी, उप सचिव, परिवहन विभाग के पत्र सं0 179/वि0 प-/30-2-10/एन/82 पर शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री ठाकुर दास को पुनः नौकरी में ले लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार श्री ठाकुर दास परिचालक के सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक के निर्णय के विरुद्ध नियमानुसार सम्बन्धित उप प्रधान प्रबन्धक (जोन) को कोई अपील नहीं की है, अतः शासन द्वारा इन्हें सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

जनपद हरदोई में प्रह्लाद घाट का जीर्णोद्धार कराने हेतु शासन की योजना

106--श्री रामलाल वर्मा--

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में प्रहलाद घाट का जीर्णोद्धार कराकर विकास कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना क्या है और उसके अन्तर्गत विकासार्थ कार्यवाही कब तक प्रारम्भ करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

आदर्श जनता माध्यमिक विद्यालय, टांडा, जनपद फैजाबाद के पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति की जानकारी

107--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श जनता माध्यमिक विद्यालय, टांडा, जनपद फैजाबाद के पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के कक्षा 9 के छात्रों की जुलाई, 81 से फरवरी, 1982 तक की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त छात्रों को किस तिथि को प्रत्येक छात्र को धनराशि भुगतान की गयी है ? भुगतान किये गये छात्रों के नाम व पता क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं। आदर्श जनता माध्यमिक विद्यालय टांडा जनपद फैजाबाद में कक्षा 9 को मान्य रूप से संचालित करने सम्बन्धी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र विद्यालय द्वारा जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी फैजाबाद को न प्रस्तुत किये जाने तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद द्वारा भेजे जाने के फलस्वरूप कक्षा 9 के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं होता।

कानपुर तथा लखनऊ के बीच चलने वाली परिवहन निगम की बसों को नवाबगंज में रुकने के विभागीय आदेश

108—श्री शंकर सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर तथा लखनऊ के बीच चलने वाली परिवहन निगम की बसों के नवाबगंज में रुकने के विभाग के आदेश हैं ? यदि नहीं, तो किसकी आज्ञा से यह बसें वहाँ रुकती हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हाँ।

लखनऊ-कानपुर मार्ग पर स्थित नवाबगंज में परिवहन निगम का बुकिंग आफिस है। जहाँ पर पैसेन्जर बस सेवाओं को रोकने के विभागीय आदेश है।

जनपद बाराबंकी में कल्यानी नदी को सीधा, गहरा व चौड़ा किये जाने सम्बन्धी सर्वेक्षण व कार्यवाही

109--श्री जमुना प्रसाद--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में कल्यानी नदी को सीधा, गहरा व चौड़ा किये जाने हेतु दिनांक 15-9-82 को प्रश्नकर्त्ता का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो सचिव राजस्व अनुभाग-11 के अर्ध0 शा0 पत्र सं0 16643/1-11-82-राज0-11 दिनांक, लखनऊ 16 दिसम्बर, 1982 के पत्र पैरा 3 में मुख्य अभियन्ता सिंचाई (शारदा सहायक) को क्या आवश्यक निर्देश दिये गये और नदी को गहरा व सीधा चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में तत्काल कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हाँ, तो सर्वेक्षण व कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

जनपद कानपुर के रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप में उत्पादित वस्तुओं का माहवार विवरण तथा ओवर टाइम धनराशि का भुगतान

110--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर के रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप व एलन फारेस्ट वर्कशाप में वर्ष 1979-80 में प्रतिमाह तथा वर्ष 1980-81 में प्रतिमाह कितना-कितना उत्पादन हुआ और उक्त दोनों वर्षों में प्रतिमाह कितना-कितना धन दोनों वर्कशाप के कार्यरत कर्मचारियों को ओवर टाइम के रूप में भुगतान किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद कानपुर के रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप में वर्ष 79-80 तथा 80-81 में जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ तथा अतिकाल (ओवरटाइम) धनराशि का भुगतान हुआ उसका दोनों वर्षों का योग नीचे तालिका में दिया गया है और माहवार विवरण संलग्न किया जा रहा है :--

	वर्ष 1979-80	80-81
1. नई बस बाडी का निर्माण	669	706
2. इंजनों की ओवरहालिंग	2968	2944
3. एफ. आई. पम्प का उत्पादन	5462	5472
4. गियर बक्सों की संख्या	4313	4208
5. रियर एक्सल की संख्या	1376	1492
6. टायरों की संख्या	15004	13490
7. अतिकाल की धनराशि का भुगतान	21,08,627	31,15,880

(ब) इसी प्रकार एलेन फारेस्ट वर्कशाप में वर्ष

1979-80 तथा 80-81 में उत्पादन तथा प्रतिमाह भुगतान की संख्या नीचे तालिका में दी गयी है। इस माहवार विवरण संलग्नक (ख) संलग्न किया जा रहा है।

	वर्ष 1979-80	1980-81
1. चेसिस रिनोवेशन तथा उस पर बाडी संख्या	662	645
2. केवल चेसिस रिनोवेशन	127	182
3. अतिकाल की धनराशि का भुगतान	6,20.594 20 पै0	1055997-20

(देखिए नत्थी "ङ" पृष्ठ विषय सूची में देखें।)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खराब बसों की मरम्मत तथा शीघ्र संचालन की मांग

111—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम द्वारा जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत बसों के अभाव एवं उनकी खराबी के कारण कई बस सर्विसें नियमित नहीं चलाई जाती हैं जिससे जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो सरकार कोटद्वार डिपो में बसों के अभाव को दूर करने, त्रुटिपूर्ण बसों की मरम्मत करने अथवा उनके स्थान पर नई बसें भेजने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है? और कब तक समस्या का समाधान होने की सम्भावना है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

बस बेड़ा के पुराने होने के कारण जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कुछ बस सेवायें स्थगित करनी पड़ी थी। खराब बसों को यथाशीघ्र मरम्मत कर उन्हें संचालित करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

परिवहन निगम रोडवेज वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ तथा रायबरेली की चालू तथा खराब बसों की संख्या, वर्कशापों का सत्यापन एवं जांच रिपोर्ट, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, सामानों की कमी होने पर क्रय

112 श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम रोडवेज वाराणसी, रोडवेज जौनपुर, रोडवेज मिर्जापुर, आजमगढ़, रायबरेली में सन् 80 में कितनी बसें थीं और अब कितनी चालू हालत में हैं व कितनी खराब हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की उक्त पांच डिपो में वर्ष 1980 में कुल 628 बसें थीं। इस समय उक्त डिपो में कुल 598 बसे हैं जिसमें 468 बसें चालू हालत में है और 130 बसें खराब पड़ी हैं।

113—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त पांचों डिपो के वर्कशापों का पिछली बार कब सत्यापन कराया गया था तथा सत्यापन में कितना सामान गायब मिला है? क्या सरकार उसकी एक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वाराणसी तथा जौनपुर डिपो वर्कशापों का पूरा सत्यापन अभी नहीं हो पाया है जितना सत्यापन हुआ है उसमें कोई सामान गायब नहीं मिला। मिर्जापुर डिपो वर्कशाप का सत्यापन पिछली बार दिनांक 10 एवं 11 अक्टूबर 80 को हुआ और उसमें कोई सामान गायब नहीं पाया गया। आजमगढ़ डिपो वर्कशाप का सत्यापन सितम्बर 79 में हुआ और कोई सामान गायब नहीं पाया गया। रायबरेली डिपो वर्कशाप के भण्डार का सत्यापन 10 से 14 मार्च 81 को हुआ। सत्यापन में कुछ आइटमों की कमी बेशी प्रकाश में आई है जिसकी जानकारी की जा रही है।

114—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त पांचों रोडवेज के वर्कशापों में अलग-अलग कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? क्या यह सही है कि सभी वर्कशापों में सामानों की कमी है? इसको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उक्त डिपो वर्कशापों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है :—

(1)	वाराणसी	
	(क) ग्रामीण वर्कशाप	161
	(ख) नगर बस वर्कशाप	163
(2)	जौनपुर डिपो वर्कशाप	122
(3)	मिर्जापुर वर्कशाप	127
(4)	आजमगढ़ डिपो वर्कशाप	187
(5)	रायबरेली डिपो वर्कशाप	122

डिपो वर्कशाप सीनियर फोरमैन के अधीन होते है डिपो वर्कशाप स्तर पर कोई अधिकारी नहीं होता।

डिपो वर्कशाप पर यदाकदा सामान की कमी हो जाती है जिसे क्रय करके अथवा केन्द्रीय कार्यशाला से प्राप्त करके पूरा किया जाता है।

श्री रामपाल सिंह, स्टेनो टोन्स सिविल निर्माण मण्डल प्रथम, देहरादून, द्वारा फर्जी यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता लिये जाने की जांच

115—श्री रामआसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामपाल सिंह, स्टेनो, जो टोन्स सिविल निर्माण मण्डल प्रथम, देहरादून में अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय से सम्बद्ध हैं, के विरुद्ध उनकी पत्नी श्रीमती मंजूलता द्वारा अपने गुजारे के लिये हरदोई के मुंसिफ मजिस्ट्रेट, पश्चिमी की अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है? यदि हाँ तो यह सही है कि श्रीरामपाल सिंह को उक्त मुकदमे की पैरवी में 31 अगस्त, 79, 10 सितम्बर, 79, 5 अक्तूबर, 79, 5 नवम्बर, 79, 11 जनवरी, 80, 29 जनवरी, 80, 13 फरवरी 80, 25 अप्रैल, 80 12 जून, 80, 25 जून, 80, 26 जून, 80, 26 जुलाई, 80, 16 अगस्त, 80, 19 अगस्त, 80 को हरदोई जाना पड़ा? क्या यह भी सही है कि उक्त सन्दर्भित

तारीखों को फर्जी यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उक्त श्री रामपाल सिंह ने कार्यालय द्वारा लिया ? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा उनके विरुद्ध इस आर्थिक धोखा धड़ी के आधार पर कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या इसकी विस्तृत जाँच करवा कर जाँच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कथित मुकदमे की विभाग को कोई जानकारी नहीं है और न ही अभिलेखों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि प्रश्न में उल्लिखित तिथियों में श्री रामपाल सिंह, स्टेनों मुकदमे की पैरवी हेतु हरदोई गये । श्री रामपाल सिंह द्वारा प्रश्न में बतायी गयी तिथियों में से केवल 5-10-79 का ही सरकारी कार्य हेतु लखनऊ जाने के लिये दैनिक भत्ता प्राप्त किया गया है । ऐसी दशा में शेष प्रश्न नहीं उठते ?

बोर्ड के परीक्षा केन्द्र, डी0 ए0 वी0 कालेज, बाराबंकी को असामाजिक तत्वों द्वारा फूंक दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12 बजकर 20 मिनट अपराह्न से]

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत 24 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने 7 को स्वीकार किया है, वह हैं श्री राम गोविन्द, श्रीमती गौरी देवी, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी एवं डा0 शिवानन्द नौटियाल, श्री पंचानन राय, श्री शंकर सिंह, श्री किरन पाल तथा श्री विद्या सागर नौटियाल । बाकी की सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है ।

श्री राम गोविन्द—

अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के दौरान डी0 ए0 वी0 कालेज, जनपद, बाराबंकी की परीक्षा केन्द्र में 19 तारीख की रात को लगभग 8.15 बजे रात में अवांछित तत्वों द्वारा आग लगा दिये जाने के कारण 8 छप्पर, फर्नीचर, पर्चे तथा कापियाँ जला दी गयीं । नकल कराने वालों को जब नकल कराने का कोई रास्ता न मिला तब उन्होंने परीक्षा केन्द्र को ही जला दिया जिससे मेधावी छात्रों तथा उस क्षेत्र की जनता में घोर असन्तोष की भावना उत्पन्न हो गयी है ।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत मैं माननीय सदन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ ।

(श्रीमती गौरी देवी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुहम्मद आजम खाँ—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मैंने कल भी आपके माध्यम से -

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको बुला लिया है । आप बाद में अपनी बात कहें ।

अम्बिका प्रताप नारायण डिग्री कालेज बस्ती के विधि छात्रों द्वारा प्रधानाचार्य एवं पुलिस ज्यादती के विरोध में परीक्षा का बहिष्कार किये जाने के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

×श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, अम्बिका प्रताप नारायण डिग्री कालेज, बस्ती जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है, जनवरी में, विधि के 800 छात्रों ने होने वाली परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया था जिससे उनकी परीक्षायें स्थगित हो गयीं । संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, हरिओम श्रीवास्तव, राजवन्त सिंह ने प्रबन्धक समिति को प्रधानाचार्य के भ्रष्टाचार एवं पुलिस ज्यादतियों के विरुद्ध सूचना देकर आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था । इसी बीच परीक्षा प्रारम्भ हो गयी, इसलिये विद्यालय में अशान्ति पैदा हुई । परीक्षाओं का विधि के तीनों साल के परीक्षार्थियों ने बहिष्कार किया । अब उन 800 छात्रोंका भविष्य अन्धकार में है । अभी वे परीक्षायें पुनः नहीं हुई हैं, छात्रों ने परीक्षा कराने की माँग की है । परीक्षायें न कराने से छात्रों में असन्तोष है । छात्रों ने माँग-पत्र देकर आन्दोलन करने की धमकी दी है । कल विद्यालय में हड़ताल हो गयी थी, स्थिति बहुत गम्भीर है ।

अतएव, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन से संज्ञान में लाकर माँग करती हूँ कि 800 विधि के छात्रों की पुनः परीक्षा कराने के लिये सरकार व्यवस्था करे, जिससे उनका भविष्य बनाया जा सके ।

जनपद पौड़ी में सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्यान्न उपलब्ध न होने से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

अध्यक्ष महोदय, जनपद पौड़ी में गत दो-तीन वर्षों से दैविक आपदाओं एवं कुमुला के प्रकोप से फसलें पूर्णतया नष्ट हुयी हैं, यहाँ के लोगों को खाद्यान्नों की बाहरी आपूर्ति पर ही निर्भर रहना पड़ता है । गत कुछ महीनों से सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और जो थोड़ी मात्रा में यदा-कदा उपलब्ध भी होते हैं, बहुत ही घटिया एवं सड़े-गले होते हैं जिनका जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो रहा है । जनपद में अधिकांश खाद्यान्न भण्डार खाली पड़े हैं और अन्तराल के क्षेत्रों में अन्न चीनी एवं मिट्टी का तेल बिलकुल ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । आम बाजार से भी वस्तुएँ लेना वहाँ के गरीब उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति से बाहर है । हाल की भीषण ओलावृष्टि ने तो उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात कर दिया है । जनपद में इस गम्भीर अन्न संकट में, भुखमरी की भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है । लोग अत्यन्त चिन्तित एवं निराश हो गये हैं और उनमें घोर आक्रोश व्याप्त हो गया है ।

अतएव, हम लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय खाद्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं और निवेदन करते हैं कि इस संकट के समाधान हेतु अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करें तथा वहाँ शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में उचित दामों पर अच्छी किस्म का खाद्यान्न उपलब्ध करायें ।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अदरता जमातुल के कुरेशी जालन्धरी (आजमगढ़) फर्जी मदरसा हेतु 2 लाख रुपये के अनुदान को स्वीकृत किये जाने की जाँच कराने की माँग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

×श्री पंचानन राय—

मा० अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर लाना चाहता हूँ।

आजमगढ़ नगर में अदरता जमातुल कुरेश जालन्धरी के नाम से एक फर्जी अरबी मदरसे के लिए लाखों रुपया शासन से अनुदान प्राप्त किया जाता रहा है। वित्त वर्ष 1981-82 में भी इसे एक लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत हुआ था किन्तु बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थलीय जाँच के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस नाम की कोई संस्था निर्धारित स्थान के आसपास भी नहीं है, इस कारण उन्होंने उपरोक्त अनुदान रोक दिया।

इस वर्ष पुनः उसी फर्जी विद्यालय के नाम गत वर्ष के अनुदान सहित लगभग दो लाख रुपया स्वीकृत किया गया है और अब उस संस्था का स्थान आजमगढ़ नगर से 15 कि० मी० दूर बताया जा रहा है।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि अनुदान का भुगतान रोककर तत्काल उच्च स्तरीय जाँच करायी जाय तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय।

हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा चालित प्राइमरी पाठशाला, कालपी (जालौन) के अध्यापकों को वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

×श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आपका तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

नगर कालपी तथा जनपद जालौन में हिन्दी भवन ट्रस्ट द्वारा एक प्राइमरी पाठशाला हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की शतप्रतिशत अनुदान सहायता पर चलायी जा रही है। माह दिसम्बर, 1982 से उक्त पाठशाला के अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया। एक ओर तो शासन ने मार्च का वेतन होली के पहले भुगतान करने हेतु आदेश दिये हैं, वहीं दूसरी ओर उक्त पाठशाला में 4 महीने का अध्यापकों का वेतन बकाया है। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि शासन द्वारा 17,500 रु० अध्यापकों के बकाया वेतन का भेजा जा चुका है परन्तु फिर भी उस रुपये को अध्यापकों को नहीं दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सभी अध्यापकों को नये वेतनमान के अनुसार वेतन मिलना शुरु हो गया है परन्तु उक्त पाठशालाओं के अध्यापकों को उसी पुराने वेतनमान के अनुसार वेतन लगाया जाता है।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उक्त पाठशालाओं के अध्यापकों को नये वेतनमान के अनुसार वेतन दिलाया जाय जिससे कि वह होली का त्योहार अपने परिवार के साथ हर्ष, उल्लास से मना सकें।

जनपद बुलन्द शहर में पशुओं को गला घोंटू बीमारी के फैलने एवं रोकथाम न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

×श्री किरन पाल सिंह —

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे जनपद बुलन्दशहर में पशुओं में गला घोंटू रोग व्यापक रूप से फैलता जा रहा है। इस रोग के कारण ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों पशु प्रतिदिन मौत के शिकार हो रहे हैं। यह रोग विशेष रूप से भैंसों व गायों में फैल रहा है। ग्रामीण इलाके के गरीब लोगों ने एक दो भैंस का दूध बेचकर जीवन यापन का मुख्य रूप से साधन बनाया हुआ है। इस रोग से दूध देने वाले पशुओं की मृत्यु के कारण जहाँ गरीब लोगों को घोर विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है वहीं पर दुग्ध उत्पादन में भी बहुत कमी आती जा रही है। जिला स्तर पर जिम्मेवार अधिकारी ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी कोई गौर नहीं कर रहे हैं।

अतः आपके माध्यम से पशुधन विकास मन्त्री से आग्रह करता हूँ कि जनपद बुलन्दशहर में उक्त रोग को रोकथाम व उपचार की समुचित व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

जनपद टिहरी गढ़वाल में सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा सड़े चावल की बिक्री के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

×श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, टिहरी गढ़वाल जनपद में कन्ट्रोल की दुकानों पर सड़ा हुआ चावल बेचा जा रहा है। तारीख 19 मार्च को जिला मुख्यालय नरेन्द्रनगर में जनता ने मुझे वह चावल दिखाया। मैंने पूर्ति अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि विक्रेताओं को ऋषिकेश गोदाम से ऐसा चावल उठाना ही नहीं चाहिये। ऋषिकेश में रीजनल कन्ट्रोलर के गोदाम से पहाड़ों को राशन पूर्ति की जाती है। इस गोदाम से सड़ा गला राशन पहाड़ की ओर धकेल देना एक आम बात हो गई। तारीख 20 मार्च को मैं देवप्रयाग मार्ग पर ब्यासी तक गया। वहाँ भी वही चावल देखने को मिला। यह चावल सड़कर लाल रंग का हो गया है। मानव भक्षण के लिये विषतुल्य इस चावल को राज्य की ओर से दाम लेकर बाँटा जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण तथा शर्मनाक चीज है। आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि ऋषिकेश आर0 एफ0 सी0 गोदाम में जमा सड़ा चावल तुरन्त सील किया जाय और व्यवस्था की जाय कि भविष्य में सड़ा गला खाद्यान्न टिहरी जनपद में न भेजा जा सके।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के उपवेशन काल में जिला स्तर की मीटिंग बुलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुहम्मद आजम खाँ—

मान्यवर, मैं संरक्षण चाहता हूँ आपका । सरकार ने बार-कार आश्वासन दिया, कल भी आश्वासन दिया था कि जब सदन चलता होगा जिला स्तर की समितियों की बठकें जिनमें मा0 सदस्य मेम्बर हो, नहीं होगा---

श्री अध्यक्ष —

मा0 संसदीय कार्य, मन्त्री कृपया सुनें ।

श्री मुहम्मद आजम खाँ—

मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था कि यहाँ पर बार-बार सरकार यह आश्वासन दे चुकी है कि जब यहाँ पर सदन चलता रहेगा और माननीय सदस्य उन दिनों यहाँ पर होंगे तो उन दिनों जो जिला लेबिल की मीटिंग हुआ करेंगी, वे नहीं होगी । कल भी सदन में यह आश्वासन दिया था ।

मान्यवर, मेरे पास 4 नोटिसें जिला लैबिल की मीटिंग की 21, 22, 23 व 24 मार्च के लिये आयी है, जो कि मेरे लिये दावतनामा आया है । मैं कहना चाहता हूँ कि कल यहाँ पर सरकार के आश्वासन देने के बावजूद भी जिला लैबिल की मीटिंग हो रही हैं और एक साहबान मेरे पास रामपुर से यह दावतनामा लेकर आये हैं । मान्यवर, आप इनको देखें । आप आश्वासन देते हैं और हम बैठ जाते हैं । हम आपका संरक्षण चाहते हैं किन्तु वह नहीं मिल पाता है । आज नौकरशाही इतनी हावी हो गई है कि वह सरकार के आदेशों को कुछ नहीं समझती है । यह माननीय सदस्यों के लिये इन्तेहाई जिल्लत की बात है । मैं चाहता हूँ कि इस तरह से या तो आप अपने आश्वासन जो यहाँ पर आपने दिये हैं, उन्हें वापस ले लें क्योंकि सरकार के आश्वासनों के बावजूद भी आपके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है । यह बात ठीक नहीं है कि हम आये दिन यहाँ पर मतालबा करें और उन पर कोई अमल न हो ।...

(व्यवधान)

×श्री रियासत हुसैन—

श्रीमान्, मुझे अफसोस है कि जब से सदन आरम्भ हुआ उसी वक्त से यह बातें सामने आ रही हैं । आप बार-बार निर्देश दें रहे हैं और संसदीय कार्य मन्त्री चीफ सेक्रेटरी से बार-बार इस बात को कह रहे हैं, वायरलेस भेज रहे हैं कि सत्र के दिनों में मीटिंग्स न हो फिर भी हम लोगों की यह शिकायत दूर नहीं हो सकी है । मेरा आग्रह है कि यदि चीफ सेक्रेटरी के ऊपर इनके आदेश नहीं चल पाते हैं तो उनको आप यहाँ सदन में पेश कर दें । मैं दरखास्त करूँगा कि इस तरीके से आदेश देने से कोई फायदा नहीं है जिनका कोई पालन नहीं होता है । पूरे प्रदेश में यही हालत है ।..

(व्यवधान)

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। जब एक मसला सामने आया है तो पहले उसका निर्णय हो जाने दें। एक साथ आप लोग खड़े हो जाते हैं : यदि आपके पास ऐसी ही कोई लिखित बात आयी हो तो आप उसे मुझे दे दें मैं उसका प्रबन्ध करूँगा। कृपया बैठें।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, मेरे जिले में जिलाधिकारी इसी तरह का काम करते हैं। वहाँ पर पिछले दिनों में जिलाधिकारी ने एक सही द्वारा को अपने नाम से आर0 एन0 सक्सेना द्वारा एक्जीबिशन में लगाया है जिसका आपने मान्यवर, उद्घाटन किया है...

श्री अध्यक्ष—

मैंने कोई उद्घाटन नहीं किया है।

श्री किरन पाल सिंह—

आर0 एन0 सक्सेना ने अपने नाम से पूरा मार्केट बनवा दिया है।...

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप यह बतायें कि आपके पास भी क्या कोई इसी तरह का लिखित सूचना मीटिंग के बारे में मिली हो तो आप उसे मेरे पास भेज दें उसको मैं देखूँगा। बाकी चीजों के लिये मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री किरन पाल सिंह—

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दें, मैं देखूँगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कई बार माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने इसके सम्बन्ध में निर्देश दिया है कि इस तरह की कोई मीटिंग्स जिलों में नहीं होंगी जिन दिनों पर यह सदन चलता रहेगा। आपके निर्देशों के बाद और संसदीय कार्य मन्त्री के आश्वासनों के बावजूद भी इस लोगों की अनुपस्थिति में जिलों में मीटिंग्स होती हैं और प्रस्ताव पारित किये जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह की बैठकों में वहाँ पर जो प्रस्ताव पास किये गये हैं उनको आप निरस्त करने के लिये आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जैसा कि माननीय आजम खाँ ने कहा है और सूचना दी है, उन्होंने लिखकर दिया है कि सदन के चलते जिलों में मीटिंग बुला ली गई हो, ऐसी कोई सूचना आपके पास हो तो उसे आप मुझे प्रस्तुत कर दें। मैं उसको देखकर कार्यवाही करूँगा।

(संसदीय कार्यमन्त्री श्री अम्मार रिजवी)

बजाय इसके कि मैं इन नोटिसेज पर कोई बात कहूँ। श्रीमान्, मेरा निवेदन यह है कि इन नोटिसेज को आप मेरे पास भिजवा दें मैं मुख्य सचिव को बुलवा कर बात कर लूँगा और उसके बाद जो स्थिति होगी, मैं आपको सूचना दे दूँगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

आप लोग शांति रहें। मैंने आपको सुन लिया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कई बार इस प्रकार के निर्णय किये गये कि जब सदन चल रहा हो और जिलों में विकास सम्बन्धी जो मीटिंगे हों, वह शनिवार और इतवार को छोड़ कर न हों। इस पर यहाँ पर आश्वासन भी दिये गये और मुख्य सचिव द्वारा आदेश भी भेजे गये। उसके बाद भी आज मेरे पास माननीय मुहम्मद आजम खाँ द्वारा तीन पत्र भेजे गये हैं।

(व्यवधान)

आप बैठें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिन सहकारी अधिकारियों ने इस प्रकार के आदेशों की अवहेलना की है और उसकी कोई परवाह नहीं की है, उनसे आप जवाब तलब करें और उसके बाद मुझको सूचित करें कि इस प्रकार की कार्यवाही उनके द्वारा क्यों की गयी है ?

(व्यवधान)

नियम 301 की सूचना का उत्तर समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि नियम 301 में जो सूचना हम देते हैं, उसमें मैंने 2[illegible] फरवरी को विद्युत परिषद के कुछ इंजीनियर्स के खिलाफ मामला उठाया था। आज एक महीने से अधिक हो गया है मुझे सम्बन्धित विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि वह इंजीनियर जो सही तथ्य थे, उनको इस तरह से ट्विस्ट कर रहा है ताकि वह बात साफ न हो। मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूँ कि एक महीना हो गया है मेरे पास इसका जवाब नहीं मिला है। इस पर आप व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत या दूसरे नियमों के अन्तर्गत हमारा काम किस तरह ठीक प्रकार से हो, इस पर दलों के नेताओं ने बहुत से निर्णय लिये हैं। आज या कल में उन निर्णयों को बता दूँगा। उसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी, आप इस बात को ध्यान में रखें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, एक मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष--

किस लिए आपको एक मिनट दे दूं ? (व्यवधान) क्या बात है ? व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था न पैदा करें। सदन के सम्मान को इस प्रकार नहीं गिराना चाहिये।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल भी और आज भी मैंने

नियम 301 में एक सूचना दी थी, कुमारी तारा देवी के सम्बन्ध में। उस लड़की का हेड कानिस्टेबिल द्वारा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठे। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

उस लड़की का पता नहीं चल रहा है जीवित है या मर गयी है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मुझे 24 सूचनायें प्राप्त हुई थी जिनमें से 7 मैंने स्वीकार की बाकी को अस्वीकार किया। मेरी मजबूरी है। (व्यवधान) जितने भी व्यवस्था के प्रश्न उठाये जाते हैं उनमें कोई व्यवस्था की बात नहीं होती है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस सदन की गरिमा को बनाये रखें। अगर वास्तव में कोई इस प्रकार का प्रश्न आता हैं जो व्यापक हित का है उसको उठा सकते हैं। आप नियमों को देख लें और जो पुराने निर्णय इस सदन में दिये गये हैं पीठासीन अधिकारियों द्वारा उनको भी देख लें। बाकी प्रश्नों को सदन में नहीं लाना चाहिये।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

जो नियम नहीं जानता है, उसके लिये क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय विष्ट जी, आप बैठिये।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, नियम 301 में जो प्रश्न यहाँ पर उठाये जाते हैं।....

श्री अध्यक्ष—

उसकी मैंने व्यवस्था दे दी है। जब नेताओ की बैठक के निर्णयों की सूचना दे दूंगा तो उसके बाद सरकार पालन नहीं करती है तो फिर विचार किया जायेगा।

×श्री विद्यासागर नौटियाल—

इसी पर मैं बताना चाहता हूँ।...

मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूँ कि 15 मार्च को आपने आज्ञा दी नियम 301 में, मामला स्वीकार हो गया था, 22 मार्च को संसदाय कार्य मन्त्री जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया, इसकी प्रतिलिपि विधान सभा सचिवालय को गयी है, उसके पैरा 3 में दूसरी लाइन में उन्होंने कहा है कि दोनों पुल एक ही सड़क पर 30 किलोमीटर के अन्दर स्थित हैं। मैंने अपनी सूचना में कहा था कि यह दोनों पुल एक किलोमीटर के अन्दर स्थित हैं, तो यह फोगर फिस्ट्राइड करने का उनको अधिकार नहीं होना चाहिये। इसलिये व्यवस्था चाहता हूँ कि हमारा जो प्रश्न जैसा रहता है, उसी तरह से उसको भेजा जाय और जवाब उसी तरह से दिया जाये।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष --

7 दिन के बाद अन्तरिम उत्तर दिया गया है, यदि उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो लिखकर भेजें और उसके बाद मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूँगा और अन्त में जवाब आयेगा वह एक महीने में आयेगा, तब भी यदि महसूस करते हैं कि ज्यायदती हुई है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी

दिनांक 22 मार्च, 1983 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 (नत्थी "ख") को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

[समय 12.42 मिनट]

× श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है कि कल की कार्य सूची में, श्रीमती गौरी देवी, राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री भीखालाल द्वारा दिया गया, तारांकित प्रश्न संख्या 2 है, जिसको मैं पढ़े देता हूँ जिससे प्रश्न की गंभीरता का पता चल जायेगा :—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने ऐसे आई0 ए0 एस0 एवं पी0 सी0 एस0 अधिकारी सेवा में कार्यरत हैं, जिनके विरुद्ध गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच हो रही है ? क्या यह सच है कि 18 आई0 ए0 एस0 और 35 पी0 सी0 एस0 अधिकारियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसकी जाँच लगभग पूरी कर ली गयी है ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उन पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

यह सवाल था, इसको पाँचवें मंगलवार के लिये स्वीकृत किया गया था और पाँचवें मंगलवार की कार्यसूची पर आया था, फिर सातवें मंगलवार के लिये ट्रान्सफर कर दिया गया था, उस दिन मैंने स्पष्टीकरण के लिये कुछ जानना चाहता था तो व्यवस्था का दिया था, जो लिखकर कार्य विवरण जाता है उसमें आपने कहा और आपके शब्द मैं पढ़ रहा हूँ यह मामला जब औचित्य के प्रश्न के रूप में यहाँ उठाया था तो, आपने कहा कि इसके लिये मैं अलग से व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा हूँ और आशा है कि इसी सत्र में उत्तर दिया जायेगा,इस आश्वासन के बाद कल की कार्यसूची पर सवाल आया लेकिन फिर अगले 8वें मंगलवार के लिए ट्रान्सफर कर दिया। तीन बार यह प्रश्न ट्रान्सफर किया गया है ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान, उ0 प्र0 विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धीकरण (पंचम संस्करण) के नियम 25 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसका स्पष्ट उलंघन किया गया है। इसमें भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं ब्यूरोक्रेसी इस सरकार पर हावी है, जिसके उदाहरण आ चुके हैं उनको लिखकर जवाब देने से सरकार कतरा रही है मान्यवर, नियम 25 को देखें जिसमें लिखा है कि : ---

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तारांकित प्रश्नों का उत्तर यथासमय उसी तिथि को दिया जाना चाहिये जिसके लिए वे सूचीबद्ध हों, किन्तु यदि सदस्य द्वारा वांछित सूचना समय के भीतर संग्रहीत न की जा सके और प्रश्नों को किसी आगामी तिथि को स्थगित करना अनिवार्य हो जाये तो संबन्धित मन्त्री स्थिति को तदनुसार स्पष्ट करते हुये स्थगन की प्रार्थना कर सकते हैं और जब तक विशेष कारण न हो, दो सप्ताह से अधिक के लिये स्थगन न माँगे। दो सप्ताह हो गया और अगले मंगलवार के लिये समय मांगा। सामान्यतः प्रश्नों का स्थगन केवल एक ही बार स्वीकार किया जाता है किन्तु यदि दूसरी बार प्रश्नों को स्थगित करना आवश्यक हो तो स्थगन को प्रार्थना के साथ उसके कारणों की व्याख्यात्मक टिप्पणी भी संगग्न की जानी चाहिये। मान्यवर, दूसरी बार भी हो गया। परम्परा के अनुसार दूसरा स्थगन केवल आपवादिक अवस्थाओं में ही स्वीकृत किया जा सकेगा और सामान्यतया जिन प्रश्नों को सरकार को एक मास की सूचना मिल चुकी होगी, उन्हें स्थगित नहीं किया जायेगा।

मान्यवर, आपने आपवादिक स्थिति में स्वीकार किया और आपके कार्यालय से मुझे एक सूचना मिली थी, मेरे पास श्री मोहन सिंह के हस्ताक्षर से एक पत्र गया था, कि 22 तारीख को आपका सवाल आ जायेगा लेकिन कल फिर नियमों का उल्लंघन हुआ। मान्यवर, दूसरा स्थगन केवल आपवादिक अवस्थाओं में ही स्वीकृत किया जा सकेगा और सामान्यतया जिन प्रश्नों की सरकार को एक मास की सूचना मिल चुकी होगी उन्हें स्थगित नहीं किया जायेगा, यह नियम 25 में, अन्त में लिखा हुआ है, मान्यवर, यह एक महीने की सूचना 5-10-82 को मिली है।

पाँच महीने हो गये हैं, तब सरकार के सामने यह सवाल विचाराधीन है। जो शब्द 'सामान्यतः' है, उस पर बल देना चाहता हूँ, मैंने जानना चाहा है कि प्रदेश में कितने ऐसे आई0 ए0 एस0 एवं पी0 सी0 एस0 अधिकारी सेवा में कार्यरत हैं जिनके विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो रही है। इस सम्बन्ध में एक बात हमारे विभाग द्वारा पूछी गई थी कि आप किस प्रकार के भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने उसके जवाब में उन्हें लिखकर बता दिया था कि मैं सी0 आई0 डी0 जांच, विजीलेंस जांच और विभागीय जांचों के बारे में जानकारी चाहता हूँ। इसमें सर्कुलर से पूरे सचिवालय से ही जानकारी इकट्ठी करनी थी और इसमें कोई कठिनाई नहीं थी और न समय लगने की इतनी बात थी। निश्चित रूप से यह मेरे प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह भ्रष्टाचार का मामला है, और यह उनसे दबे हुए हैं। यह मंत्रिगण भी भ्रष्टाचारी हैं और इनका भ्रष्टाचार इन आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के माध्यम से होता है।

अतः मैं चाहता हूँ कि हमें इन सबके भ्रष्टाचार को मान्यवर, उजागर करने का मौका दिया जाए। हमारे पास प्रश्नों के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, दूसरा हथियार नहीं है आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के भारी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हमारे पास जो हथियार है, उसे कुंठित कर दिया गया है इस सरकार के कारनामों से। इसमें श्रीमन् आपके आदेशों का भी उल्लंघन हुआ है।

सचिव, नियुक्ति विभाग का आदेश था कि आपकी तरफ से कि 22 तारीख तक निश्चित रूप से इसका जवाब दे दिया जाए, लेकिन उत्तर के लिए एक सप्ताह का समय और बढ़ा दिया गया है। अब तब तक विधान सभा चलेगी या नहीं, पता नहीं, इसमें बड़ी भारी शंका है। जब हमने यह मामला उठाया था आपने वायदा किया था, उस पर मैंने टोकने की कोशिश की थी तो आपने कह दिया था कि मैंने कह दिया है इसी सत्र में उत्तर निश्चित रूप से आ जाएगा। तो इस तरह से आपके आश्वासन और निर्देशों को भी इसमें अवमानना हुई है। और अध्यक्ष पीठ से समय समय पर दी गई जो व्यवस्था है, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं सरकार आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के भ्रष्टाचार को दबाकर अपने अपात्रता को उजागर करना चाहती है।

श्री भीखा लाल -

मान्यवर, गुप्ता जी ने जो कह दिया उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, केवल एक ही बिन्दु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह प्रश्न मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में दिया गया था और इसलिए दिया गया था कि यह सूचना सारी नियुक्ति विभाग में मौजूद है, कहीं से मंगानी नहीं पड़ेगी। आपने उसके महत्व को समझा और आपने उसे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन जब शासन को वह भेजा गया तो उसको अधिकार है कि वह अल्पसूचित प्रश्न के रूप में उत्तर देने के लिए तैयार न हो तो वह तारांकित प्रश्न के रुप में उत्तर देने की माँग कर सकती है। तो उसी हिसाब से शासन ने लिखा कि हम अल्पसूचित के रूप में इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपने फिर उसको तारांकित प्रश्न के रुप में परिवर्तित कर दिया। शासन का जो एतराज था वह न संसदीय कार्य मन्त्री और न खन्ना साहब द्वारा किया गया था, बल्कि प्रशासन के जो आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं, उनके सम्बन्ध में था, इसलिए उन्होंने ही इसके लिए टालने की कोशिश की और अल्पसूचित प्रश्न के रुप में उत्तर न देकर तारांकित प्रश्न के रुप में उत्तर देने की बात कही। इसको इस तरह तीन बार टाला जा चुका है इसलिए मुझे आशंका है कि आपके निर्देश और कड़े शब्दों में कहने के बावजूद सरकार इसको मान नहीं रही है, फिर यह उत्तर आयेगा नहीं। 6 महीने तक यह असेम्बली फिर बुलायेंगे नहीं, जब तक डिजाल्व होने की नौबत न आजाए। असम्बली होने से इनको और प्रशासन को सतत सचेष्ट रहना पड़ता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न के भ्रष्टाचार जैसे गम्भीर विषय को देखते हुए आप इसका उत्तर इसी सत्र में दिलाएं और जो बाधाएं डाली जा रही हैं, उनको रोकने का प्रयास करें।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय सदन नियमावली के हिसाब से अपना काम करता है और जब उसके विरुद्ध कोई काम होता है, तो इस पक्ष के लोगों को आप इस सदन से निकाल देते हैं, निकलवा देते हैं और जो हमारे नियम हैं वह सबके लिए हैं।

अब यह मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि जब सरकार उस नियमावली को तोड़े, उस नियमावली के विरुद्ध काम करे, तो यह अपराध है, अगर आप उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वह नियमावली को तोड़ें, वह नियमावली के विरुद्ध काम करें, तो आप में पूरी शक्ति निहित हो जाती है, और आप उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं, जो मान्यवर, आप विपक्ष के विरुद्ध करते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर आप मान्यवर, अपनी व्यवस्था दें ।

(संसदीय कार्य मन्त्री के पुकारे जाने पर)

श्री मोहन सिंह

मान्यवर, इनको मौका न दिया जाय ।

× संसदीय कार्य मन्त्री

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने की इजाजत, अगर मौका लगे माननीय मोहन सिंह जी को, तो वह मुझे बिलकुल न पूछें, वह चाहते ही नहीं कि वह हमारी बात सुना सकें । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कुछ आपत्ति उठाई, करण के 25 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया, मैं भी उसी का संरक्षण चाहता हूँ, और इन्होंने पूरा पढ़ दिया है, इस वजह से मुझे पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल दो बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो उसमें लिखी हुई है । एक तो यह है कि जब तक विशेष कारण न हों । एक विशेष कारण आप देख लें, पांचवीं लाइन में, दूसरे सामान्यतय यह लिखा हुआ है, उसके बाद परम्परा के अनुसार यह तीन बातें हैं, जिसके ऊपर इन्होंने जोर दिया है । मैं भी वही तीन बातें कहना चाहता हूँ । जहाँ तक माननीय गुप्ता जी ने कहा कि कुछ भ्रष्टाचार के केसेज हैं, उनको छिपाने की सरकार कोशिश कर रही है, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं उनको सूचित करना चाहता हूँ कि किसी भी मामले को यह सरकार छिपाना नहीं चाहती है, बल्कि सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है । जो मान्यवर, प्रश्न उठाया गया है, वह प्रश्न इस प्रदेश में एक व्यापक प्रश्न है और इस वजह से उसकी सूचना मंगाना, सारे केसेज को सदन के सामने रखना, यह एक बहुत ही व्यापक प्रश्न है, तो उसके लिए मान्यवर, उपयुक्त समय की जरुरत है ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इसकी इन्क्वायरी क्या बी0 डी0 ओ0 कर रहें हैं, जो इसकी सूचना प्रदेश के कोने से मंगाना है ?

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उत्तर पूरा होना चाहिए और सदन को जो जानकारी दी जाय, वह डिटेल में होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए । मान्यवर,

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक तरफ तो यह इलजाम लगाया जाता है कि पूरा उत्तर नहीं दिया जाता है, दूसरी मान्यवर, यह कोशिश की जा रही है कि पूरी सूचना दी जाय। मान्यवर, इस करण में "सामान्यतया" लिखा है और यह लिखा हुआ है उसके बाद, "परम्परा के अनुसार", मान्यवर, आपको इस बात का अधिकार है कि इसमें इक्सेप्शन दे सकते हैं, तो यह चीजें इसी करण में है, सदन की नियमावली है, माननीय रियासत हुसैन ने कहा कि अगर किसी प्रकार से नियम का उल्लंघन होता है, तो उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, इस करण में ऐसा फ्लक्चुयेशन है, अगर ऐसी स्थिति आ सकती है, तो कार्यवाही की जा सकती है। मान्यवर, रियासत हुसैन साहब ने यह प्रश्न उठाया कि कार्यवाही आप करें। मान्यवर, आप जो भी फैसला करें, यहाँ पर हमें आपका फैसला शिरोधार्य है। लेकिन जहाँ तक कि करण का सम्बन्ध है, जहाँ तक नियमों का सम्बन्ध है, किसी प्रकार से इस ओर से उसका उल्लंघन नहीं हुआ है। इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। मान्यवर, यह हमारा अधिकार है कि हम आपसे समय मागेंगे, ताकि हम सही सूचना दे सकें। इसलिए मान्यवर, हमारा निवेदन है कि औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करें।

× श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मुझे निवेदन यह करना है कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने इस बिन्दु को और उलझा दिया। मान्यवर, आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 की पत्रावली प्रदेश के प्रशासन में रहती है।

मान्यवर, दूसरी बात है सामान्य परिस्थितियों की तो यदि मन्त्री विशेष उस तिथि को यहाँ से बाहर रहते हैं, किन्हीं परिस्थितियों में अनुपस्थित रहते हैं तो अपने विभाग से सम्बन्धित प्रश्नों को स्थानांतरित करने हेतु दूसरी तिथि को लगाने हेतु आपसे निवेदन कर सकते हैं। सूचना का बहाना लेकर टाला नहीं जा सकता है। मान्यवर, बीसियों प्रश्नों के सम्बन्ध में शासन का उत्तर आता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इनकी केवल मंशा, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 के भ्रष्टाचार का जब भी कोई सवाल आता है तो यह एवायड करने की कोशिश करते हैं। आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 अफसरों के भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश करने की रहती है। मैंने 4 सवाल सुब्रमण्यम के खिलाफ लगाये थे। उसमें से केवल एक का उत्तर आया और बाकी निरन्तर स्थानान्तरित कराये जा रहे हैं। मान्यवर, यह सवाल 5 अक्तूबर को लगाया गया था। पिछले सत्र में लगाया गया और उस समय भी इसको स्थगित कराया गया। उसके बाद इसको पुनः पुनर्जीवित कराया गया और फिर यह स्थानान्तरित हो गया तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार, डाक्टर्स, इंजीनियर्स के भ्रष्टाचार और माननीय मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर परदा डाला जाता है। कम से कम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सही ढंग से और समय से उत्तर दिया जाय इतना ही मेरा आग्रह है।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था पर निर्णय देने से पहले मान्यवर, नियम 24 पढ़ लीजिये। वैसे आपकी व्यवस्था सर माथे पर होगी। संसदीय कार्य मन्त्री जी ने विशेष परिस्थितियों और 'सामान्यतयों' के बारे में अपनी बात कही। मान्यवर, नियम 24 में है यदि शासन किसी प्रश्न को स्थगित कराना चाहे तो स्थगन प्रार्थना उत्तरार्ध निर्धारित तिथि से कम तीन दिन पूर्व विधान सभा सचिवालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जानी चाहिये। ऐसी प्रार्थना पर जो विहित अवधि के अन्दर प्राप्त न हुयी हो, कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। "तो मान्यर, कौन सी परिस्थितियाँ" होंगी सवाल को आगे बढ़ाने के लिये, इसका विवरण दिया गया है ? तो मान्यवर, आप व्यवस्था देने से पहले सामान्यतया शब्द पर ध्यान दें। मैंने पहले भी कहा है। इस समय ऐसी स्थिति नहीं है जिससे उत्तर को टाला जा सके।

श्री अध्यक्ष

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, उस पर मैंने माननीय गुप्ता जी को, माननीय रियासत हुसैन को, माननीय भीखालाल जी को और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को सुना। यह शासन का अधिकार है, जहाँ तक प्रश्नों के स्थगित करने का सम्बन्ध है, वह जब मन्त्री लिखकर भेजते हैं तो मैं निर्णय करने के पहले उन तमाम समस्याओं पर विचार करता हूँ कि सम्भव है या नहीं। जब किसी समय मैं यह महसूस करता हूँ कि प्रश्न का उत्तर दिया जाय तो उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर देता हूँ। लेकिन जिस मामले में मैं यह महसूस करता हूँ कि इनकी बात सही है तो फिर उसको स्वीकार करना पड़ता है, इस तरह का प्रावधान हमारे नियमों में है। यह बात सही है कि पिछले समय जब गुप्त जी ने इस प्रश्न को उठाया था तो अध्यक्ष पीठ से कहा गया था कि इसका उत्तर देंगे। इसके उत्तर देने का जब समय आया तो मेरे पास पत्रावली भेजी गयी और शासन ने 3 हफ्ते के लिये समय मांगा कि इसको स्थगित कर दिया जाय। मैंने 3 हफ्ते की बात न मानते हुये इनसे एक हफ्ते का समय देने को कहा था। और लिखकर भेजा कि आगामी मंगलवार को इसका उत्तर देना पड़ेगा। इस प्रकार की इनको आज्ञा दी गयी थी। किन्तु यदि कोई कठिनाई है, जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर अधूरी सूचना आती है तो उससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। तो इन तमाम बातों पर विचार करने के बाद मैंने इनकी बात न मानते हुये कहा था कि आगामी मगलवार को उत्तर देंगे। आप भविष्य के लिये ध्यान रखें कि जहाँ तक सम्भव हो सके इस प्रकार के प्रश्नों को स्थगित नहीं होना चाहिये। भविष्य में अवश्य इसका ध्यान रखेंगे। जहाँ तक नियमों का प्रश्न है, मैंने आप लोगों की बात को सुना, इसमें न नियमों का उल्लंघन हुआ है और न कोई संविधान के खिलाफ बात हुई है। इसलिये मैं औचित्य के प्रश्न को उठाने की आज्ञा नहीं देता हूँ।

कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा सी0पी0एम0टी0 में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

(समय 1 बजे से)

× श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, बहुत कम समय में अपनी बात मैं कहूँगा। मान्यवर, 18 तारीख को माननीय मोहन सिंह जी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा था, कार्य स्थगन प्रस्ताव यह था कि कानपुर विश्वविद्यालय के द्वारा जो सी0पी0एम0टी0 की परीक्षा हुई है, उसमें बंगलिंग हुई है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया, हाईकोर्ट ने कहा कि दो सवाल कम्प्यूटर में गलत ढंग से फिट कर दिये गये थे, जिसके कारण अभ्यर्थियों को 8-8 नम्बरों की हानि हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि, इस तरह से जो 27 कैन्डीडेट्स हैं, उनको एम0 बी0 बी0 एस0 में प्रवेश दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट का यह जजमेंट शासन को हुआ, लेकिन शासन ने ध्यान नहीं दिया, तब कार्य स्थगन प्रस्ताव उठा। उस पर माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने वायदा किया था, जो उन्होंने कहा था वह मैं अक्षरशः पढ़ रहा हूँ।

श्री अम्मार रिजवी---

"माननीय मोहनसिंह जी ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, उसका आदर करना सरकार का कर्तव्य है, उसका आदर किया जायेगा।" तब यह हो गया था कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कार्यवाही की जायेगी लेकिन, मुझे आज जानकारी मिली है कि सरकार उस हाईकोर्ट के फैसले को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाने का इरादा कर रही है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से साफ बात जानना चाहता हूँ कि मामला विश्वविद्यालय और हाईकोर्ट का है, हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय की अव्यवस्था को स्वीकार करते हुए 27 अभ्यर्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए सरकार को निर्देशित कर दिया कि इनके लिए सीट्स क्रीयेट की जांय, इनको एडमिशन दिये जायें, सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने सदन में आश्वासन दे दिया, उसके बाद फिर अब सदन में आश्वासन को नकार कर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं। तो अगर मेरी सूचना गलत है, तो वे इसे तत्काल साफ कर दें और इस बात का आश्वासन दे दें कि जो वायदा किया था, उसके अनुसार अभ्यर्थियों के एडमिशन किये जायेंगे। इसमें विलम्ब से, मान्यवर, उनका अनावश्यक रुप से पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, सत्र का नुकसान हो रहा है, इस दृष्टि से औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मोहन सिंह--

यह तो रोज वायदा करते हैं।

× संसदीय कार्य मन्त्री श्री अम्मार रिजवी

मान्यवर, जो बात कही थी, वही आज भी कहता हूँ, इसमें कोई तब्दीली नहीं है लेकिन जब तक और आपसे बातचीत होती रहेगी। मान्यवर, जहाँ तक न्यायालय में जाने

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का सवाल है, इस उच्च न्यायालय की अपील का सवाल है, रोक का सवाल है, इस पर किसी तरह से प्रतिबन्ध नहीं लग सकता। जो न्यायालय का प्रेसक्राइब रास्ता है, किसी भी न्यायालय से न्याय मांगने का, उस पर किसी भी आश्वासन से या किसी बात से रोक नहीं लग सकती। यह उच्च न्यायालय का जो फैसला है, उच्च न्यायालय का फैसला सीमित रहता है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित किया जायेगा, लेकिन इसके साथ-साथ अगर किसी इससे ऊपर के न्यायालय का निर्णय होता है, तो उसे भी कार्यान्वित किया जायेगा। जो भी निर्णय किसी भी न्यायालय का है, मान्यवर, सरकार उससे बंधी हुई है, उसका कार्यान्यवन कराया जायेगा।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, इस पर तो वक्तव्य है।

श्री अध्यक्ष---

मैंने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी की बातों को सुना। नियम 3 0 के अनुसार औचित्य के प्रश्न को उठाने का, इस आदरणीय सदन में उठाने का माननीय सदस्यों को अधिकार है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने इस विषय पर औचित्य का प्रश्न उठाना चाहा है, वह विषय 18-3-83 को सदन में उठाया गया था और माननीय संसदीय कार्य मन्त्रीजी यह आश्वासन दिया था कि उच्च न्यायालय के फैसले का आदर किया जायेगा। इस विषय में अब जहाँ तक सदन का सम्बन्ध है, यह निष्प्रयोजित हो चुका है, अब इस मामले पर आश्वासन समिति विचार कर सकेगी, उसी में इस पर विचार होगा। इस प्रकार अब ये सदन में औचित्य के प्रश्न की श्रेणी में नहीं आता। मैं इसको उठाने की आज्ञा नहीं देता हूँ।

श्री मोहन सिंह---

श्रीमन् आपने वक्तव्य स्वीकार किया था।

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गोपी नाथ वर्मा---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि अतरांकित प्रश्न संख्या ... ..

श्री अध्यक्ष ---

अब प्रश्नों की बात कहाँ रही, प्रश्नों का समय तो खतम हो चुका है, अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ।

श्री गोपी नाथ वर्मा---

मान्यवर, मेरी बात सुन लें, बड़ी अहम चीज मैं कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष---

अब यह सम्भव नहीं है प्रश्नों की बात की जाय, अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, एजेन्डे की दूसरी चीजों को ले लिया गया है। जो आप कहना चाहते हैं, वह मुझे आकर बता दीजिएगा।

श्री गोपी नाथ वर्मा---

मान्यवर, सुन तो लें... ..

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

जब प्रश्न समाप्त हुआ फौरन आपको खड़ा होना चाहिये था।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मैं खड़ा था।

श्री अयध्क्ष—

औचित्य का प्रश्न ले लिया है, हम एजेन्डे पर आगे चले गये हैं। आप लिखकर दे दें, मैं आपको सन्तुष्ट, करूँगा और अगर उसके बाद भी दिक्कत होगी तो उसके लिये मैं विचार करूँगा कि शिकायत मेरे सचिवालय से सम्बन्धित है, या इस सचिवालय से नहीं है ?

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मैं उसी समय कहना चाहता था। मेरा अतारांकित प्रश्नसंख्या 3 था। मान्यवर, फैजाबाद जनपद में टांडा महरीपुर कैनाल अरबों रुपये में बनायी गयी और 3-4 साल से बिल्कुल ठप्प पड़ी है, एक बूँद पानी नहीं आ रहा है। मेरा प्रश्न नवें बुधवार के लिये स्थगित कर दिया गया। नवाँ बुधवार तो आयेगा नहीं। मेरा अनुरोध है कि किसानों के लिये पानी की व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं दिखवा लूँगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 को संसदीय कार्यमन्त्री द्वारा पुनः स्थापित किये जाने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष---

पंचायती राज्य मन्त्री।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मन्त्री जी नहीं हैं न दूसरा कोई खड़ा हो रहा है। व्यवस्था दें, मान्यवर ?

श्री हुकम सिंह---

अनुज्ञा के बारे में मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष--

गौरी शंकर भैया ने लिख कर दिया है। आने दीजिये उसके बाद देखूँगा।

(संसदीय कार्य मन्त्री श्री अम्मार रिजवी)

मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुनः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, गौरी शंकर भैया 213 पर बोलना चाहते हैं। मैं अम्मार रिजवी के खड़े होने पर व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास गौरी शंकर भैया का लिखकर आया है।

×श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मुझको उस पर नहीं कहना है। आप नियमों को देखें जब किसी मंत्री के कार्य को करने के लिये दूसरा मन्त्री खड़ा होगा तो उसकी लिखित सूचना आपके पास होनी चाहिये। मैं जानता हूँ कि ग्राम्य विकास मन्त्री जी खड़े नहीं हुये और न वह उपस्थित हैं। दूसरे मन्त्री ने पुरः स्थापित किया इसकी लिखित सूचना आपके पास होनी चाहिये ग्राम्य विकास मन्त्री की ओर से। क्या आपके पास ग्राम्य विकास मन्त्री की ओर से लिखित सूचना भेजी गई है कि मेरी अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मन्त्री भार साधक मन्त्री रहेंगे? अगर यह सूचना नहीं आयी है तो आप द्वारा शासन के गलत कार्यों को संरक्षण प्रदान करना, मान्यवर यह आक्षेप नहीं है, दुख और पीड़ा है। अगर आप इस पर सख्ती नहीं करेंगे तो संसदीय पराम्परा ध्वस्त हो जायेगी, संसदीय व्यवस्था विखण्डित हो जायेगी। मान्यवर बात बहुत छोटी है लेकिन इसके परिणाम दूरगामी हैं। इसकी आप अनुमति न दें और बाद में अग्रेतर मन्त्री जी दो घन्टे बाद आये और नियमों का निलम्बन हो और इस कार्य को करने की आप अनुमति दे दें इस समय इसको आप स्थगित कर दें। इससे आपकी मर्यादा बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष---

जैसा गुप्त जी ने कहा मेरे पास कोई पंचायती राजमन्त्री का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिये मैं इसको कल के लिये स्थगित करता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम 56 के अन्तर्गत 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना श्री हरगोविन्द वर्मा की--लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी तथा लखनऊ में सीपेज की समस्या के सम्बन्ध में, श्री मुहम्मद आजम खां की सराय तरीन, सम्भल, जिला मुरादाबाद में एक बालिका के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में, उससे आगे श्री राधेश्याम पटेल की इलाहाबाद जनपद स्थिति मोती लाल नेहरु इंजीनियरिंग कालेज में शिक्षण कार्य ठप्प होने के सम्बन्ध में, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्रीमती गौरी देवी, श्री विद्यासागर नौटियाल की--इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कार्य के सुचारु रूप से न चलने के सम्बन्ध में, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की--हमीरपुर जनपद के नगर महोबा को जिला न बनाये जाने के सम्बन्ध में, श्री कुँवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी की--विधायक श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही पर हमला किये जाने के सम्बन्ध में, श्री मोहन सिंह तथा श्री सरदार सिंह की--रुड़की, जिला सहारनपुर के रिक्शा चालक यूनियन के नेता को पुलिस द्वारा पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में, सर्व श्री गौरी शंकर भैया राम गोविन्द चौधरी, अकबर हुसैन, श्रीमती गौरी देवी, राम नारायण सिंह एडवोकेट ऊदल प्रदीप कुमार यादव, रेवती रमण सिंह, नन्दराम, दुर्गा प्रसाद मिश्र, जसवन्त सिंह विष्ट की--जनपद इटावा के ग्राम श्योटारा में एक महिला को पुलिस द्वारा घर से पकड़ ले जाने के सम्बन्ध में, उससे आगे श्री प्रदीप कुमार यादव

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की--जनपद बाँदा के ग्राम करवई में थानाध्यक्ष द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के सम्बन्ध में, उससे आगे श्री हरिबंश सहाय तथा श्री लल्लू सिंह चौहान, की -प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की--गोरखपुर नगरीय क्षेत्र के बाल विकास परियोजना हेतु क्रय की गई सामग्री में धांधली के सम्बन्ध में, श्री जसवन्त सिंह विष्ट की--लखनऊ के थाना सरोजनी नगर में एक लड़की के अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में, श्री गोपीनाथ वर्मा श्री राम आसरे वर्मा की--आजमगढ़ में मधुबन थाने की पुलिस द्वारा जनता पार्टी की सभा में अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में, श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर अहमद, श्री राम गोविन्द की--देवरिया में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के सम्बन्ध मे, श्री भीखा लाल की--उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा ऐशबाग स्थित विद्युत गृह, लखनऊ को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में, इससे आगे श्री यदुनाथ सिंह और श्री धनी राम वर्मा की--नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में की गई नियुक्तियों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में, इसके आगे श्री केदारनाथ सिंह की--प्रदेश के बिक्री कर जांच चौकियों पर प्रतिदिन कई लाख की बिक्री कर की चोरी के सम्बन्ध में, उससे आगे श्री जमुना प्रसाद तथा श्री राम सागर की--सचिवालय के कुछ कर्मचारियों द्वारा श्री ओमप्रकाश नामक स्वीपर की पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में ।

यह 19 सूचनायें हमको प्राप्त हुई हैं, जहाँ तक मा0 हरगोविन्द वर्मा की-लखीमपुर के सम्बन्ध में है, इस पर वक्तव्य हो चुका है ।

श्री यदुनाथ सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ तो किसी माननीय सदस्य को कोई बात कहने का अधिकार नहीं है । कृपया बैठें । श्री हरगोविन्द वर्मा की सूचना के विषय पर वक्तव्य हो चुका है ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष --

मैं यदुनाथ सिंह से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह कृपया बैठें । मैं बोल रहा हूँ । आप बैठें । श्री राधेश्याम पटेल की सूचना का जहाँ तक सम्बन्ध है, इसमें नियम ।...

श्री यदुनाथ सिंह---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं सभी दलों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि वे अपने माननीय सदस्यों पर ध्यान रखें । इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिये, जो हो रही है ।

श्री यदुनाथ सिंह---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने 15 मार्च के कार्यस्थगन के भाषण की

सत्य प्रतिलिपि 50 हजार छपवायी है। माननीय अध्यक्ष को लिखकर अनुमति के लिये दिया है। माननीय अध्यक्ष और संसदीय कार्यमन्त्री को अनुमति देनी है लेकिन आज तक अनुमति नहीं मिली है।

(व्यवधान)

सरदार पटेल की मूर्ति के लिए मुझे परमिशन एक ही दिन में मिलनी चाहिए···

श्री अध्यक्ष---

आपने मुझे जो लिख कर दिया है, मैं उसे देख रहा हूँ, देखने के बाद ही उस पर निर्णय करूँगा।

(व्यवधान)

आप बैठें। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

जहाँ तक श्री गोपी नाथ वर्मा और श्री रामआसरे वर्मा की सूचना का सम्बन्ध है, वह नियम 301 में स्वीकार हो चुकी है। मेरे विचार में जो अविलम्बनीय और सबसे महत्वपूर्ण हैं, नियमानुसार आती हैं, उनको केवल सुनूँगा और सुनने के बाद निर्णय दूँगा।

(व्यवधान)

(श्री गौरी शंकर भैया को बुलाये जाने पर श्री यदुनाथ सिंह अपनी जगह पर खड़े होकर एक पोस्टर दिखाने लगे)

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप नियमों का पालन कीजिये। बैठिये आप। इस सदन के वातावरण को न बिगाड़ें, आप लोग।

(व्यवधान)

×श्री गौरी शंकर भैया---

मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। औरैया थाना, जिला इटावा के ग्राम क्योंटरा में एक हरिजन महिला को पुलिस घर से जबरदस्ती पकड़ कर उठा ले गयी।

मान्यवर, श्री जोधाराम मेहतर की पत्नी, नाम राजा बेटी को पुलिस सब इन्स्पेक्टर, श्री हरिश्चन्द्र दुबे एवं कांस्टेबिल पकड़ ले गये। जब इसका प्रतिरोध किया गया तो उसकी वृद्धा माँ घसीटी देवी व जोधाराम के पिता को मारा पीटा भी गया। इस पुलिस की कार्यवाही के विरोध में मेहतरों ने आन्दोलन किया, 5 मेहतर अनशन पर बैठ गये। जनता पार्टी के नेता एवं भूतपूर्व राज्य मन्त्री, सत्य देव त्रिपाठी, उन्होंने भी उनके साथ अनशन किया था। वहाँ के जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जाँच कमेटी नियुक्त करदी औरवहाँ पर पुलिस इन्स्पेक्टर हैं,बलवीर सिंह त्यागी, घटना को दबाने के लिये तथा पूरी तरह छिपाने के लिए लोगों को आतंकित कर रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं। इन्ही बलवीर सिंह त्यागी के ऊपर भ्रष्टाचार के अनेकों मामले हैं, इन पर श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने लिखित आरोप लगाया था कि एक मुस्लिम

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नामक युवक का फर्जी एनकाउण्टर करने तथा लाखों रुपया प्रतिमाह जुआँ घरों से वसूलते हैं। इस पर मुख्य मन्त्री ने वहाँ से इसका स्थानान्तरण कर दिया था और अपने कुछ दलालों द्वारा सत्ता पक्ष के वरिष्ठ लोगों का दबाव डलवाकर इस आदमी ने वहीं पर अपना स्थानान्तरण रुकवा लिया है। यह दोनों पुलिस अधिकारी जबरदस्ती आंतक बनाये हुये हैं। आज इस घटना के उठाये जाने तक, उस मेहतर की पत्नी जो बहुत खूब सूरत थी, तथा बच्चे को उठा लिया गया। आन्दोलन हो रहा है। जिलाधिकारी जाँच करा रहे हैं। पुलिस वाले जिले भर के मेहतरों को आंतकित कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर कोई आदमी खिलाफ गवाही देगा तो डंडे का इस्तेमाल करेंगे। दलित जाति का मामला है, इसलिये यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न बनता है। दलित जाति की आरत और बच्चों को पुलिस उठाकर ले गयी जिसकी सूचना न मेरे पास है और न ही प्रशासन के पास है। इटावा जनपद के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का कार्य रुकवा कर चर्चा करायें। संसदीय कार्य मन्त्री बैठे हैं, इनको निर्देशित करें कि बयान दें और बयान देकर सदन को घटना की सच्चाई से अवगत करायें।

श्री मुहम्मद आजम खाँ—

हमारी सूचना नियम 56 के अन्तर्गत है। इसको आप सुन लें पाँच वर्ष की बालिका के साथ बलत्कार हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

मैं पुनः इसको देखूँगा।

श्री मुहम्मद आजम खाँ—

कल के लिए रख लें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। कल के लिये है।

×श्री लल्लू सिंह चौहान—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कार्य स्थान प्रस्ताव दिया है, उसकी ग्राह्यता पर कहना चाहता हूँ। बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत जो शिक्षा चल रही है, उसमें सारे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स और जूनियर हाई स्कूल के टीचर्स में क्षोभ व्याप्त है। वेतन वितरण में एकरूपता नहीं है। किसी को चेक से वेतन दिया जाता है किसी को कैश और किसी का बैंक खाते में ट्रान्सफर हो जाता है। कई तरीके से वितरण हो रहा है जिसके कारण भ्रष्टाचार की गुन्जाइश है। आवासीय भत्ता दिये जाने में यह नियम रखा गया है कि नगरपालिका क्षेत्र से आठ किलो मीटर के अन्दर जो विद्यालय हैं, उनके अध्यापकों को आवासीय भत्ता मिलेगा। टीचर्स का जो निवास स्थान है, जहाँ से वह स्कूल जाता है, उसकी दूरी के हिसाब से आवासीय भत्ता देना चाहिये। नगर-पालिका क्षेत्र से गणना करने की कोई जरूरत नहीं है। एक माँग यह भी है उन अध्यापकों की जो विधान सभा के सामने धरना दे रहे हैं कि 1:40 के अनुपात में टीचर्स दे पाना असम्भव है। शिक्षा कार्य ठीक से नहीं चल रहा है। एक अध्यापक है और 80-90 छात्र हैं मांग कर रहे हैं कि 1:25 के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति होनी

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये यह भी अध्यापकों का कहना है कि सम्पूर्ण प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की व्यवस्था दोषपूर्ण है। टीचर्स का प्राविडेन्ड फन्ड का एकाउन्ट ठीक नहीं है। दूसरे प्रकार की उपलब्धियाँ हैं, उन पर भी कोई चेकिंग नहीं है। जिले के दफ्तरों में किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। धरने पर जो टीचर्स बैठे हैं, वह विधायकों को रोक लेते हैं और अपनी करुण गाथा सुनाते हैं। आते हैं तब रोकते हैं, जाते हैं तब रोकते हैं। इसलिये यह मामला लोक महत्व का है। शिक्षा सत्र का प्रश्न है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर सम्पूर्ण कार्य स्थगित करके चर्चा हो जाये।

×संसदीय कार्य मन्त्री श्री अम्मार रिजवी—

मा0 गौरी भैया ने जो प्रश्न उठाया था उसके लिये सूचना मिल चुकी है। जो सूचना है उसका आधार मानते हुये एस0 पी0 को लिखा जायेगा कि वह आवश्यक कार्यवाही करें। लल्लू सिंह जी ने कहा। टीचर्स की चार माँगें थीं। दो को स्वीकार कर लिया गया है जो प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित हैं।...

और उनके महामन्त्री, श्री पाण्डेय ने शासन को लिखकर दे दिया है कि उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। इसलिये इसमें कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है। मान्यवर, मामला तो इस हद तक तय हो चुका है कि उनके ज्वाइन्ट सेक्रेटरी ने हड़ताल वापस करने के लिए शासन को लिख दिया है।

श्री भीखा लाल —

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस, राजधानी लखनऊ में ऐशबाग में राज्य विद्युत परिषद् का एक पावर हाउस है, जिसे राज्य विद्युत परिषद् ने 31 मार्च से बन्द करने का फैसला ले लिया है और इसके लिये शासन से अनुमति माँगी है। उसमें कारण यह दिया गया है कि यह पावर हाउस बहुत घाटे में चल रहा है। जहाँ तक पावर हाउस चलने का सवाल है, मेरी सूचना के अनुसार यह छोटे पावर हाउस में पावर उत्पादन में दूसरे नम्बर पर आता है। घाटे के सम्बन्ध में वहाँ के कर्मचारियों ने माननीय मुख्य मन्त्री जी को दिनांक 25 फरवरी को एक ज्ञापन दिया था और उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा किस प्रकार से यहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं। इसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को अपने ज्ञापन में लिखकर दी थी, उसमें यह भी लिखा गया था कि अगर इसकी खुली जाँच की जाय तो इसकी चोरियाँ प्रकाश में लाई जा सकती हैं और इस घाटे के कारण क्या हैं इसे भी देखा जा सकता है। लेकिन मान्यवर, इस पर कार्यवाही नहीं हुई और अन्त में उन्हें फैसला लेना पड़ा कि इस पावर हाउस को बन्द कर दिया जाय।

मान्यवर, अपने प्रदेश में बिजली का बहुत बड़ा संकट है और यह सभी जानते हैं कि बिजली की सप्लाई में कटौती का एलान सरकार करती रहती है लेकिन इसके बावजूद भी पावर हाउस बन्द किये जा रहे हैं। मान्यवर, इसके पीछे एक षड़यन्त्र है।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह राज्य विद्युत परिषद् इन छोटे-छोटे पावर हाउसों को अपने हाथ से निकालकर प्राइवेट लोगों के हाथ में बेचना चाहता है ताकि विद्युत परिषद् को जो अरबों रुपए का घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति की जा सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूँ कि मोदी प्रतिष्ठान के लोग उस पावर हाउस का चक्कर लगाकर यह अनुमान लगा रहे हैं कि यह कितने रुपये का हो सकता है। इस प्रकार का यह एक षड़यन्त्र है इन छोटे-छोटे पावर हाउसों को प्राइवेट लोगों के हाथ में बेचने का। जबकि आज विद्युत की बहुत कमी है और प्रदेश में दिन-प्रतिदिन बिजली की सप्लाई में कटौती की जा रही है। मान्यवर, यदि इन छोटे-छोटे पावर हाउसों को बेच दिया जायेगा तो इसमें कार्यरत हजारों मजदूर की रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। मान्यवर, यही नहीं, वहाँ मजदूर आन्दोलित हो चुके हैं और उन्होंने अपना सामूहिक धरना विधान भवन के आगे देना शुरू कर दिया है। इस प्रकार यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। इस पर मैं मान्यवर, आपसे चाहूँगा कि इस पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करें।

श्री कुँवर सिंह नेगी---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सीपेज के बारे में नियम 56 में आपको एक सूचना दी गई थी जो सीतापुर से सम्बन्धित थी। आपने उसे यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि इस पर पहले ही यहाँ पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन मान्यवर, आज उसका बिलकुल दूसरा बिन्दु है। मान्यवर, आज वहाँ पर माननीय श्री रामलाल राही, एम0 पी0 एक हजार आदमियों के साथ उस सीपेज के पानी में बैठ गये हैं। मान्यवर, इस सीपेज से वहाँ पर बहुत संकट है। लाखों लोगों की सम्पत्ति, इस सीपेज से खराब हो गई है···

श्री अध्यक्ष---

श्री नेगी जी मैंने आपके एक वाक्य को सुनकर समझ लिया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अब कृपया आप बैठें। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री हरगोविन्द वर्मा---

मान्यवर, आज वहाँ एक हजार आदमी जिसमें बच्चे भी हैं, महिलायें भी हैं, सीपेज के पानी में बैठे हुए हैं।···

(श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री गोपीनाथ वर्मा और श्री जमुना प्रसाद सदन के फ्लोर में आकर एक साथ बोलने लगे।)

(श्री यदुनाथ सिंह फ्लोर तक आये और वापस चले गये।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैंने मा0 केदार नाथ सिंह को बुलवाया है।

(श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री हरगोविन्द वर्मा तथा श्री जमुना प्रसाद सदन के फ्लोर पर खड़े बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग अपने-अपने स्थानों पर जांय।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

(सदन के फ्लोर पर खड़े हुए।)

मैं वहाँ पर कैसे बैठूँ? हजारों लोग पानी में बैठे हुए हैं। या तो शासन से घोषणा कराइए कि लगान माफ हो जाय तो फसल का मुआवजा दिया जाय। मैं हट नहीं सकता हूँ। लगान माफ होगा और फसल का मुआवजा दिया जायगा। हम हट नहीं सकते हैं।

श्री हरगविन्द वर्मा, श्री गोपीनाथ वर्मा तथा श्री जमुना प्रसाद के निलम्बन का प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपने स्थानों पर जाँय।

मा0 हरगोविन्द वर्मा, म0 जमुना प्रसाद एवं मा0 गोपीनाथ वर्मा जी अपने स्थानों पर जाँय और फ्लोर को छोड़ें। नहीं तो, आप लोग सदन छोड़ें। (अपने स्थान पर वापस न जाने पर) मैं आप लोगों को 3 दिन के लिए इंगित करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा संसदीय कार्य मन्त्री को पुकारे जाने पर।)

(संसदीय कार्य मन्त्री श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री गोपीनाथ वर्मा एवं श्री जमुना प्रसाद को 3 दिन के लिये सदन से निलम्बित किया जाय।

(श्री गोपीनाथ वर्मा अपने स्थान पर वापस चले गये और पुनः फ्लोर परआ गये)

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि मा0 श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री गोपीनाथ वर्मा एवं श्री जमुना प्रसाद को 3 दिन के लिए सदन से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग सदन छोड़ें, मैं तीनों माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा वे सदन छोड़ें।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

आपने बुलाया तब मैं आया। मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों निकाला गया है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इन तीनों मा0 सदस्यों को 3 दिन के लिये सदन से निलम्बित किया गया है। मार्शल, इनको सदन से बाहर करें।

(घोर व्यवधान)

(श्री कुबेर भण्डारी भी सदन के फ्लोर पर आ गये और बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री कुबेर भण्डारी, कृपया अपने स्थान पर जाँय।

(श्री कुबेर भण्डारी सदन के फ्लोर पर लेट गये।)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

(पुनः सदन के फ्लोर पर आकर) मान्यवर, मुझे क्यों निकाला जा रहा है, मैं वहाँ पर बैठा था, मुझे आपने क्यों कहा ?

(विधान सभा रक्षकों द्वारा श्री कुबेर भण्डारी को हटाने का प्रयत्न करने पर।)

श्री अध्यक्ष –

मार्शल, मा० कुबेर भण्डारी जो को नहीं निलम्बित किया गया है, उनको हाथ न लगायें।

श्री कुबेर भण्डारी अपने स्थान पर जाइये।....

श्री गोपीनाथ वर्मा –

मान्यवर, मुझे क्यों इंगित किया गया, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया था।

(लोकदल के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये—घोर व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खाँ –

यह क्या तमाशा है, जब एक आदमी नहीं बाहर जाना चाहता है तो उसे क्यों जबर्दस्ती ले जाया जा रहा है ? यह नहीं होना चाहिए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को दस मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

(इस समय 1 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित हुई। 1 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने 15 मिनट सदन की कार्यवाही और स्थगित रहने की सूचना सदन को दी। 2 बजे मार्शल ने पुनः सदन के 5 मिनट स्थगित रहने की सूचना दी। तदुपरान्त 2 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोपीनाथ वर्मा के निलम्बन की वापसी का प्रस्ताव

(समय 2 बजकर 5 मिनट)

श्री रियासत हुसैन —

श्रीमन्, मुझे खेद और दुख है कि कुछ देर के लिये सदन की कार्यवाही रुक गई। जैसा कि सभी लोगों से बात हुई है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक भ्रम सदन के अन्दर पैदा हो गया था, जिससे माननीय गोपीनाथ वर्मा का नाम भी प्रस्ताव के अन्दर सम्मिलित हो गया। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि श्री गोपीनाथ वर्मा का जो निष्कासन हुआ है उसको आप विदड्रा करने की कृपा करें।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी—

मैं रियासत साहब के सुझाव से सहमत हूँ। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माननीय गोपीनाथ वर्मा का निलम्बन वापस लिया जाय।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह हैं कि जो सुझाव माननीय रियासत हुसैन ने दिया और जिसे माननीय

संसदीय कार्य मंत्री ने अनुमोदित करते हुए प्रस्ताव किया है, माननीय गोपीनाथ वर्मा का निलम्बन वापस ले लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुहम्मद आजम खाँ—

मान्यवर, मैं फैसले के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ (व्यवधान)। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों का यहाँ पर यह हक है कि वह अपनी बात जिस ढंग से चाहे कह सकते हैं (व्यवधान)। मेरी पूरी बात आप सुन ले। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त माननीय गोपीनाथ वर्मा को निकाला जा रहा था और कुबेर भण्डारी बोल रहे थे तो आप बार-बार कह रहे थे मार्शल, मार्शल, मार्शल। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों को रोज निकालने की जनरल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस अन्दाज से माननीय सदस्यों को निकाला जाता है और आपकी बात नहीं सुनी जाती है और जिस तरीके से धक्का देकर उनको निष्कासित किया जा रहा है, वह निहायत गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही यह सब आपके शायनिशान है।

श्री अध्यक्ष—

निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं एक-एक माननीय सदस्य को 5-5 और 10-10 मिनट तक सुनने और समझने की कोशिश करता हूँ और बार बार कहता हूँ कि आप बैठ जांय। मैं बहुत समय इस बात के लिये देता हूँ कि वह नियमों का पालन करें, लेकिन जब नियमों का उल्लंघन होता है और देखता हूँ कि अब कोई चारा नहीं है कोई उसको नोटिस नहीं लेता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो मुझे मजबूरी में यह करना पड़ता है। माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह सदन सबका है। यदि इसकी गरिमा समाप्त होती है तो सभी पर इसका असर पड़ता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि नियमों का पालन हो और उसके अनुसार कार्यवाही हो। यदि कोई आपको दिक्कत हो तो मेरे पास आकर चुपचाप बता दें। मैं अपने कक्ष में 8/9 बजे तक सुनने के लिये तैयार रहता हूँ। साढ़े नौ बजे मैं आ जाता हूँ। आप जानते हैं कि 21-24 सूचनायें नियम 301 के अन्तर्गत आती हैं और 19-20 सूचनायें नियम 56 के अन्तर्गत आती हैं। यदि इस तरह की कोई बात आ जाती है तो उसे आपको मेरे सामने लाना चाहिए। हमने विचार किया है और माननीय सदस्यों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उसको मैं देखूँगा।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, जो फैसला आपने दिया, उसके बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मान्यवर, सुन लें। स्थगन प्रस्ताव चल रहा था। हर गोविंद वर्मा द्वारा स्थगन प्रस्ताव रखा गया जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं है परन्तु इंगित कर दिया तो मैं फौरन पीठ के सामने चला आया और जैसे जाने के लिए कहा मैं अपनी सीट पर चला गया। फिर मार्शल मुझे जबरदस्ती बाहर ले जाने लगे।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, आपकी व्यवस्था चलेगी या मार्शल की चलेगी ।

श्री अध्यक्ष—

इस शब्द को निकाल दिया जायेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (क्रमागत)

× श्री केदार नाथ सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता के प्रश्न पर विचार करने के लिए दिया है। मैं उसकी गम्भीरता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, इस सदन में तमाम भ्रष्टाचार के आमले आये होंगे लेकिन जिस प्रकार का मामला मैं उठा रहा हूँ वैसा कभी नहीं आया होगा, इतिहास में नहीं आया होगा, जो बिक्री कर से सम्बन्धित है। जी० टी० रोड से हजारों ट्रक माल उत्तर प्रदेश से होता हुआ हरियाना चला जाता है और उसी की सहायता से उत्तर प्रदेश में भी माल आता है। मान्यवर, नियम यह है कि विभाग के द्वारा रूप पत्र 34 की तीन प्रतियां तैयार की जाती हैं, लेकिन फर्जी कागजात जो अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित हैं, वह मुझे उपलब्ध हो गये हैं। जब से मुझे यह प्राप्त हुए तब से मैं आश्चर्यचकित रह गया और किंकर्त्तव्यविमूढ़ रह गया। मान्यवर, इस तरह 2 हजार ट्रकों का मामला प्रकाश में आया है। अगर एक ट्रक के पीछे 3 हजार की बिक्री कर की चोरी की गयी तो 2 हजार ट्रकों पर कितना रुपया उत्तर प्रदेश सरकार का होता है। इस चीज को मैं किसी राजनैतिक प्रभाव से प्रेरित होकर नहीं कह रहा हूँ। इस चीज को दोनों पक्ष के माननीय सदस्य बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते हैं। मान्यवर, यह इसीलिए प्रकाश में आया है कि भारी बिक्री कर के घोटाले का मामला है, और आज हमारी सरकार घाटे पर चल रही है, लेकिन मेरा दावा है कि अगर केवल इसी घोटाले को बन्द कर दिया जाये, रोक दिया जाये तो उत्तर प्रदेश सरकार का दिवालियापन दूर हो जायेगा, जो घाटे में रन कर रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो सूचना मैंने दी है उसके साथ इसकी एक कापी भी संलग्न कर दिया है।

मान्यवर, जब ट्रकें दूसरे प्रदेश से आती हैं, तो रूप पत्र 34 दिया जाता है जिसमें घोषणा की जाती है कि यह ट्रक और यह माल दूसरे प्रदेश में जायेगा। जहाँ पर यह प्रवेश होती हैं वहाँ पर जो चौकी पड़ती है, उसका नाम नौबतपुर है। वहाँ पर इस रूप पत्र की तीन कापियाँ प्राप्त होती हैं। नौबतपुर में एक प्रति रख ली जाती है और 2 प्रतियां प्रमाणित करके मालिक को दे दी जाती है और जब वह 2 प्रतियाँ लेकर हरियाना को जाता है तो वहाँ पर चौकी पड़ती है जिसका नाम कौसीजात है, वहाँ पर यह 2 प्रतियाँ

नोट — (× ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दे दी जाती हैं और वहाँ पर अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि माल उत्तर प्रदेश से निकल गया। माननीय सदन को यह आश्चर्य होगा कि यह दो प्रतियाँ मेरे पास हैं, उत्तर प्रदेश में माल घुसा कि यह प्रदेश से बाहर जा रहा है परन्तु वह बाहर नहीं जाता है। इस प्रकार के दो हजार फार्म मेरे पास हैं। मान्यवर, यह आर्थिक मामला है, इससे प्रदेश की आय पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है और प्रदेश का जो बजट है, वह प्रभावित हो रहा है। मैं वापसे कहना चाहता हूँ कि बिना चर्चा हुए सदन का कार्य आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

मैंने इसीलिए इस पर आपका ध्यान आकर्षित किया है, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो सूचना मेरे पास है, जो मैंने कार्य स्थगन के लिए दिया है, उसमें गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें 10 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का बिक्री कर का चोरी हो रहा है। अतः इस पर चर्चा करने के लिये आप सहमत होंगे इसलिए इसे आप स्वीकार करें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मैंने भी नियम 56 के अन्तर्गत बुन्देलखंड की ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया था।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मेरी भी एक सूचना थी।

श्री अध्यक्ष—

मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैंने नियम 56 में जो नोटिस दी है उसको देखने की कृपा करें। मैं आपकी आज्ञा से बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास जो सूचना आई हैं, उनको पढ़ रहा हूँ (व्यवधान) उसके बाद देखूँगा। काफी समय हो गया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मेरा एक निवेदन है माननीय केदार नाथ सिंह जी ने जो सूचना दी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा वह सूचना हमें दे दें जो रसीदें उनके पास हैं, या तो उनको मूल रूप में या फोटोस्टेट कराकर कापी दे दें ताकि पूरे मामले पर विस्तृत जाँच की जा सके। जो सुझाव उन्होंने दिये हैं, उसमें मामला पकड़ा गया तो मैं उनका अभारी हूंगा।

श्री केदार नाथ सिंह—

मैं दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय अग्निहोत्री जी, आप मुझसे बात कर लें।

× श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मेरा निवेदन सुन लें ।

श्री अध्यक्ष---

मैं कल से किस प्रकार की व्यवस्था करूं कि अगर 50 भी सूचना नियम 56 में आयें तो उनको सुन लूं । मुझे सुनने के लिए आप लोग बाध्य करते हैं । आखिर मैं भी 27 साल तक एम0 एल0 ए0 रहा हूँ, मुझे इस तरह का वातावरण देखने को नहीं मिला, यह मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

माननीय अध्यक्ष जी, हमीरपुर में महोबा नगर ऐतिहासिक महत्व का है, उसको जिला बनाने के सम्बन्ध में गत चार महीनों से वहाँ आन्दोलन हो रहा है । आपको जानकारी है कि वहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक आन्दोलन कर रहे हैं और गांव-गांव तक वह आन्दोलन फैल चुका है । महोबा नगर मध्य प्रदेश की सीमा पर जितना भी वहाँ का यातायात है, वह महोबा से होकर आता है । आन्दोलन गंभीर मोड़ पर पहुँच गया है, वहाँ का सारा प्रशासनिक कार्य ठप्प है । हाईस्कूल और इंटर की परीक्षायें चल रही हैं, रात में वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं हो रही है, जिसके लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए नोटिस भी दिया था, उस पर सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई है । वहाँ पर सारा प्रशासनिक कार्य ठप्प है । इस आन्दोलन ने जन आन्दोलन का रूप ले लिया है । मेरा निवेदन है कि इस पर वक्तव्य दिला दीजिये । वहाँ व्यापार ठप्प पड़ा हुआ है, मंडियों का कार्य ठप्प है, अनाज आना आरम्भ हो रहा है । यह महत्वपूर्ण और लोक महत्व का प्रश्न है । बुन्देलखंड में महिलाओं ने क्रमिक अनसन करना आरम्भ कर दिया है ; इसमें दो बुढ़ियों की हालत गंभीर है । अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो सारा बुन्देलखंड इस आन्दोलन में कूद पड़ेगा, इसलिए इस गम्भीर समस्या पर शासन का वक्तव्य दिलाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने जो बात कही है, मैं इसे देख लूँगा, इसलिए इसको रिजर्व रखता हूँ कल इस पर निर्णय दूंगा ।

जहाँ तक माननीय गौरी शंकर भैय्या का सम्बन्ध है मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कह दिया है ।

मा0 हरिवंश सहाय और श्री लल्लू सिंह चौहान की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये कह दिया है ।

मा0 भोखालाल तथा श्री केदार नाथ सिंह की सूचनाओं का जहाँ तक सम्बन्ध है, उसके विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार केवल दो को छोड़कर, नियम 56 में और किसी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भीखा लाल--

वक्तव्य मंत्री जी कब देंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अब मद संख्या 10-वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर मतदान ले रहा हूँ। (व्यवधान) मंत्री जी वक्तव्य कब देंगे ?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन का प्रस्ताव

श्री यदुनाथ सिंह---

मान्यवर, मुझे दो मिनट बोलने का समय दे दें। (श्री यदुनाथ सिंह हाथ में पैम्फलेट दिखाते हुये सदन के फ्लोर पर आकर कहने लगे कि मुझे दो मिनट आप सुन लें)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप अपने स्थान पर जांय। आप अपने स्थान पर जांय। मंत्री जी आप बजट पेश करें। (व्यवधान) मंत्री जी के खड़े होने पर।

(व्यवधान)

श्री धरमपाल---

मान्यवर, मा0 सदस्य सदन में अव्यवस्था फैला रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह---

दो मिनट मुझे सुन लें जैसे सभी को सुना है, वैसे ही हमको भी आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय यदुनाथ सिंह, आप अपने स्थान पर वापस जांय। बजट पेश होने दें। आप अपने स्थान पर जांय।

श्री यदुनाथ सिंह---

हमें आप दो मिनट के लिये ग्राह्यता पर बोलने का मौका दें। मैं कोई बेवकूफी का काम नहीं करना चाहता हूँ (श्री मुहम्मद आजम खाँ, श्री यदुनाथ सिंह को कुछ बैठकर समझाते रहे लेकिन मा0 सदस्य वापस नहीं गये और सदन के फ्लोर पर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष---

मा0 यदुनाथ सिंह, आप अपने स्थान पर जांय, आप अपने स्थान पर जाँय, आप अपने स्थान पर जांय। मा0 श्री यदुनाथ सिंह, कृपया आप सदन छोड़ें, आप सदन छोड़ें।

श्री सुरेन्द्र कपिल---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यदुनाथ सिंह जी मैंने आपसे निवेदन किया कि आप सदन छोड़ें, हाउस से जायं।

श्री यदुनाथ सिंह—

मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मैं जिंदगी में कभी इतना कमजोर नहीं रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष —

आप कृपया सदन छोड़ें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ।

श्री यदुनाथ सिंह—

फिर जैसे छोड़ा जाता है, वैसे ही सदन छुड़वाइये।

(श्री यदुनाथ सिंह पुनः सदन के बीच में, रिपोर्टर्स की मेज के सामने आकर खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष—

अब इनको इंगित किया जाता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री यदुनाथ सिंह को सदन से निलम्बित किया जाए ?

श्री अध्यक्ष—

कितने दिन के लिए।

(श्री यदुनाथ जहाँ खड़े थे, वहीं पर लेट गये।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मेरा यह प्रस्ताव है कि श्री यदुनाथ सिंह को तीन दिन के लिए सदन से निलम्बित किया जाए।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि माननीय यदुनाथ सिंह को तीन दिन के लिए सदन से निलम्बित किया जाय।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, आप इनको बाहर ले जायें।

(मार्शल, विधान सभा रक्षकों की सहायता से श्री यदुनाथ सिंह को सदन से बाहर ले गये।)

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक के लिये मांगों पर मतदान अनुभाग संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग तथा अनुदान संख्या 22-नगर विकास विभाग

×नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2 -आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,83,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,57,37,000 रुपये से अन-

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धिक धनराशि स्वीकृत की जाए। (उस समय 2 बजकर 27 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

मान्यवर, जैसा नगर विकास के साथ-साथ औद्योगिक विकास और औद्योगिक विकास के साथ साथ आर्थिक समस्याएं और जन साधक नित्य दिन के जीवन से जुड़ी हुई हैं, आप सबको विदित है कि पिछले दशक से, जो पूरी जनसंख्या शहरों में रह रही थी, इस दस साल में उसकी बढ़ोत्तरी 61.29 प्रतिशत हुई है, जबकि सारे प्रदेश में केवल 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ तमाम समस्याएँ भी बढ़ी और स्थानीय निकायों की कुल संख्या 71-72 में 503 से बढ़कर 83-84 में 677 हो गई है। नगरपालिकाओं की जो वृद्धि है, उसे निभाने के लिये उनके पास संसाधन बहुत कम हैं। हालत यहां तक खराब है कि 60 प्रतिशत स्थानीय निकाय ऐसे हैं जो अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाते हैं और इसके लिए समय-समय पर शासन को उनकी सहायता करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना परम आवश्यक है, मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य जब इस पर बोलें तो वह इस ओर भी प्रकाश डालने की कृपा करें। मैं उनके सुझावों का स्वागत करूँगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह खन्ना

साथ ही इस समय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की संख्या आज 90 लाख है। सबको वेतन देने की ही हमारे सामने समस्या है, तो अब सवाल यह है कि उनको आवसीय सुविधाएं और दूसरी अन्य सहूलियतें जो उनकी बेहतरी के लिए जरुरी है, वह उनको कहाँ से और कैसे दी जाएं।

इसके लिए आवश्यक यह है कि हम एक वेतन आयोग का गठन करें और हमने यह फैसला किया है कि हम एक वेतन आयोग का उठन करें, जो इनकी सारी समस्याओं का परीक्षण करे और हमको सुझाव दे कि इनके वित्तीय संसाधन किस प्रकार से बढ़ाये जा सकें और किस प्रकार से ये अपनी जिम्मेदारी के साथ नागरिकों की तरह से अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। मान्यर, स्थानीय निकायों के कुल कर्मचारियों का संख्या 90 हजार है, जिसमें से स्वच्छकारों की संख्या 62,000 है। कुल संख्या के प्रति स्वच्छकारों का प्रतिशत 69 प्रतिशत है। मान्यवर, ये जो 62 हजार स्वच्छकार है, इनके प्रति हमें विशेष उत्तरदायित्व के साथ विचार करना है।

मान्यवर, समाज के सभी वर्गों में सफाई के काम पर लगे हुए लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सर्वाधिक खराब थी, इसको ध्यान में रखते हुए और विशेष रुप से माननीया प्रधान मन्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की समाज के निःसहाय लोगों की स्थिति के प्रति चिन्ता और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के प्रयासों तथा योजनाओं के तहत इस वर्ग प्रदेश की स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधायें

आयोजित की गयी है। इनका वेतन प्रदेश में इसी संवर्ग के राज्य कर्मचारियों के समान कर दिया गया है। इनके वेतन में पहले की तुलना में एक साथ 50 रुपये प्रति मास की वृद्धि हो गयी है। इस संवर्ग के सभी कर्मचारियों को पेन्शन योजना का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है। पेन्शन नियमावली को अंतिम रुप देकर शीघ्र पेन्शन योजना शीघ्र ही लागू की जायेगी। पहले वे इन सुविधाओं से वंचित थे और सेवा के बाद, इनका भविष्य बड़ा ही अनिश्चित था। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री श्री श्रीपति मिश्र ने इस मामले में विशेष दिलचस्पी ली है। मुख्य मन्त्री का पदभार संभालते ही उन्होंने पेन्शनरों की गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए शीघ्र ही पेन्शन योजना प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश दिये हैं। पहली बार इन कर्मचारियों के लिए नियमित सेवा नियमावली बनाई गयी है और उसे अंतिम रुप दिया जा रहा है और शीघ्र ही उन्हें अपनी सेवा की सुरक्षा, जैसे स्थायीकरण और पदोन्नति जिसका विशेष महत्व है, मिलने लगेगी।

मान्यवर, सामूहिक बीमा योजना वर्ष 1977-78 में लागू की गयी थी, परन्तु अब तक मृत कर्मचारियों के आश्रितों को 12,000 रुपये तक ही मिल सकता था। अब निर्णय लिया गया है कि यह धनराशि बढ़ा कर 25,000 रुपये कर दी जाय, जैसा अन्य राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य है।

मान्यवर, इस आबादी के बढ़ने के साथ-साथ समस्यायें भी बढ़ती चली गयीं और नागरिक सुविधायें जो उपलब्ध होनी चाहिए थी, संसाधन जो हैं, उनको देखते हुए आबादी के बढ़ने के बाद इस हालत में पहुँची कि जल प्रदूषण होने लगा, जो आपके यह शुष्क शौचालय थे, उनको परिवर्तित करके जल प्रवाहित शौचालय किया गया। 3000 शुष्क शौचालय को जल प्रवाहित शौचालय में परिवर्तित किया है। इस साल 4000 शुष्क शौचालय, जल प्रवाहित शौचालय में परिवर्तित करेंगे। जितने लोग हमारे यहाँ पर बढ़ते गये उनकी आवास की भी समस्या रही, जब उद्योग बढ़ा, आबादी बढ़ी, जो आबादी के बढ़ने से समस्यायें हुई, उनके निराकरण करने के लिए और उस आबादी के बढ़ने के कारणों पर रोक लगा कर यह कोशिश करना कि जहाँ तक सम्भव हो सके शहरों की आबादी न बढ़े और छोटे-छोटे शहरों की सारी सुविधा उपलब्ध करा कर लोगों को गाँव के नजदीक सुविधायें उपलब्ध कराई जांय। भारत सरकार ने 200 शहरों को लिया और उत्तर प्रदेश में 23 लिये गये हैं। इसके साथ-साथ आप देखें कि आजकल सबसे बड़ी दिक्कत जल प्रदूषण की है, इसके लिए सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं।

लेकिन यह इतना मंहगा हो गया है कि संसाधनों के बाहर है। आज भारत सरकार चिंतित है, हमसे मांग की है, सारी गंगा में प्रदूषण हो रहा है, इसको रोकने के लिये समस्या विचाराधीन है।

इसके साथ-साथ जब नगर में आबादी बढ़ती है तो ला-एण्ड-आर्डर की सिचुयेशन पैदा होती है। सड़कों की चौड़ाई कम होने से और ट्रैफिक वृद्धि होने से बराबर सड़कों पर बोझ पड़ता है। घनी आबादी होने से कीमतें बढ़ गयीं हैं जमीनों की, चाहे वह सड़क के किनारे की जमीनें हों या वह शहरों के नजदीक की जमीनें हों। अतिक्रमण भी होने लगे हैं। जब गाँव की आबादी यहाँ पर आती है तो मकान न मिलने के कारण वह झोंपड़ी

बना कर रहने लगते हैं, इस तरह से अतिक्रमण होता है। जब उनको हटाया जाता है तो भी समस्या पैदा होती है। तो भारत सरकार ने और प्रधान मन्त्री जी ने जोर दिया है कि जो अल्प आय वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके लिये अधिक से अधिक आवासीय सुविधा दी जाय। हमने फैसला किया है कि अब हम जो आवास बनायेंगे तो उसमें से 87 फीसदी आवास निर्बल आर्य वर्ग के लोगों के लिये बनाये जायेंगे बाकी और लोगों के लिये बनाये जायेंगे।

मैं इन शब्दों के साथ कहता हूँ कि जिस-जिस जगह पर कमी हो, आप जहाँ कमी समझते हों, उसके लिये सुझाव दें। मैं नहीं कहता कि कमी नहीं है, लेकिन शासन प्रयत्न करता है कि उन चीजों को ठीक किया जाय। बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर कठिनाइयाँ हो रही हैं, आप सब चीजों को जानते हैं, आप इन चीजों को हमारे सामने रखें। जैसा कि अग्निहोत्री जी ने कहा कि झांसी में पानी की समस्या है तो झांसी ही नहीं, जहाँ कहीं यह समस्या है तो शासन के जो संसाधन हैं, उसके अनुसार उनकी व्यवस्था होगी। साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि शासन का जो दृष्टिकोण है, वह जो घर के अन्दर माँ का दृष्टिकोण होता है उस प्रकार का है। जो बच्चे समझदार होते हैं, शिक्षित हैं, वह मैनेजर बनते हैं, पाइलट बनते हैं। लेकिन जो बच्चे उसके संरक्षण में होते हैं उनकी भी वह देखभाल करती है। उसी प्रकार से जितने लोग हमारे यहाँ हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो समझदार हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, उनके प्रति शासन का उतना लगाव नहीं होता है क्योंकि वह जानता है कि यह अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। लेकिन जो नासमझ, अज्ञानी लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं हैं, उनके प्रति शासन का ज्यादा लगाव होता है। श्रीमती गांधी के दिल में हर गरीब आदमी की धड़कन है। चाहे आवास की समस्या हो, चाहे नौकरी देने की बात हो या आरक्षण की सुविधा देने की बात हो, निर्बल वर्ग के लोगों को उठाकर सामाजिक अंग बनाया जाय, शासन इस बात के लिये तत्पर है।

साथ ही साथ एक बात यहाँ पर और कही जाती थी, बड़ी चर्चा लोग करते थे और आलोचनायें करते थे कि जितने स्थानीय निकाय हैं, उनमें जितने चुने हुये मेम्बर या चेयरमैन हैं, वह भ्रष्ट हैं और बड़ा गलत काम हो रहा है। लिहाजा उनका सुपरसेशन किया गया। आज हर इंसान, हर राजनीतिक दल, हर समझदार व्यक्ति को यह अहसास होने लगा है कि चाहे कितना ही बुरा शासन था, लेकिन जन प्रतिनिधियों के हाथ में ही उनकी व्यवस्था बेहतर थी। तो यह मांग की गयी कि इनके चुनाव हों। मैं चुनाव अति शीघ्र कराने के लिये घोषणा करता हूँ।

(मेजों की थपथपाहट।)

श्री राम आसरे वर्मा—

अति शीघ्र की बात तो बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं। कोई निश्चित तारीख की घोषणा माननीय मन्त्री जी करने की कृपा करें।

श्री मोहन सिंह—

अति शीघ्र का शब्दार्थ समझा दें।

वित्तीय वर्ष 1983-84 का आय व्ययक के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 607 2-आवास एवं नगर भूमि विभाग तथा अनुदान संख्या 22-नगर विकास विभाग

श्री राम सिंह खन्ना--

यह हमारा निर्णय है कि हम अतिशीघ्र चुनाव करायेंगे। जहाँ तक आपने तारीख की बात की है तो आप जानते हैं कि जब हमने फैसला किया है तो उसकी जो प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा।

कुछ नयी आपत्तियाँ खड़ी हो सकती हैं, लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ कि हम अक्टूबर-नवम्बर तक उसको कराकर मानेंगे। उसमें मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा....

श्री मोहन सिंह

गोयल साहब आये, और चले भी गये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री राम सिंह खन्ना --

लोग जाते नहीं, तो आबादी इतनी हो जाती कि बैठने की जगह नहीं रहती, आने-जाने का जहाँ तक सवाल है यह तो प्रकृति का नियम है, कभी कोई अन्दर है, कभी कोई बाहर है, तो यह सब तो लगा ही रहता है। लेकिन हम जब तक इस जगह पर हैं, जो जन भावना है, हम श्रीमती इन्दिरा गांधी के सिपाही की हैसियत से, पंडित श्रीपति मिश्र द्वारा संचालित सरकार के एक सदस्य की हैसियत से, जो जनता की चीजें हैं, उसको पूर्ण करने में हम अपनी आहुति दे देंगे।

(मेजों की थपथपाहट।)

इन शब्दों के साथ मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है, जितने लोग इसकी चर्चा में भाग लें, उस पर जवाब का मुझे मौका दें। अब मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ सुझाव रखकर इस अनुदान को पारित करने की कृपा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय माता प्रसाद जी, समय का ध्यान रखियेगा, इसमें काफी समय चला गया है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी --

मोहन सिंह जी, यह शेर की मांद में चुहियों का चुहचुहाना, इसका क्या मापदंड है

× श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-2 आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति का आलोचना करना तथा सुझाव देना।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस बजट पर अपने कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले मैं शुभ कामना माननीय मंत्री जी को देना चाहूँगा। लेकिन, मेरा दुर्भाग्य रहा है कि अब भी इस सदन में मैंने किसी विभाग के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखा, तो आने वाले दिनों में वह मन्त्री यहाँ विद्यमान नहीं रहा, चाहे वे छेदा लाल चौधरी जी रहे हों, चाहे श्री श्रीकृष्ण गोयल रहे हों, वैसे मुझे विश्वास है कि मन्त्री जी की उपादेयता माननीय मुख्य मन्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हटाये नहीं जायेंगे।

श्री आजाद कुमार कर्दम

हमारी सरकार तो रहेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय मन्त्री जी ने अपनी चर्चा प्रारम्भ करके सदन में बजट प्रस्तुत किया। लेकिन, उसमें उन्होंने स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के बारे में, स्थानीय निकाय के संसाधन के बारे में एक ऐसा चित्र यहां प्रस्तुत किया, जिससे लगा कि वह निराश और हताश हो गये हैं। मान्यवर, ऐसी बात नहीं है कि उनके संसाधन न बढ़ाये जायं, केवल वेतन आयोग बिठाकर उसकी संस्तुतियों के आधार पर ही आय के संसाधन बढ़ाये जायं। ऐसी बात नहीं है इससे पूर्व भी संस्तुतियां आय के संसाधन बढ़ाने के लिए दी गयी हैं, केवल अपेक्षा है दृढ़ इच्छा से उनको लागू करने की, जिसका काम इस संकल्पहीन सरकार में प्रस्तावित है। मान्यवर, इसके पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, माननीय मन्त्री जी से अपेक्षा थी कि इस सदन में वे जो कुछ भी अनुदान, जो कुछ भी राशि स्वीकृत कराते, उसके विषय में पूरी चर्चा करते। जहां तक उनके कर्मचारियों के हितों की बात है, यह उनके लिये लाजिमी था कि स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं नगर महापालिकाओं में रहने वाले लोगों के लिए उनमें सफाई की, स्वच्छता की, पेयजल की, उनके आवास की उन्होंने किस स्तर पर व्यवस्था की है, उसका विस्तृत वर्णन करते, लेकिन उन्होंने उसकी चर्चा यहां नहीं की, और उस सम्बन्ध में कोई सूचना भी नहीं बतायी।

मान्यवर, एक बात अन्त में कहकर अपने विषय पर आऊँगा कि यह जो स्थानीय निकाय हैं, जब ये जन प्रतिनिधियों के हाथों में होते हैं, तो उनका कार्य अच्छे ढंग से होता है, यह मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मन्त्री जी को बहुत देर में यह बात ध्यान में आयी। पहले-पहल जब इन्होंने चार्ज लिया, जो इनका पहला वक्तव्य था, उसकी कापी को तो मैं नहीं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, लेकिन माननीय मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि इस सदन में उन्होंने कहा था कि हमारी इच्छा है कि तीन महीने के अन्दर, जब से मैंने यह चार्ज लिया है।

जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में मार्च, 81 का वर्ष रहा जिसमें जनगणना होनी थी। जनगणना कार्य मार्च, 81 के अन्त तक होगी उसके बाद कोई बात हो सकती है, ऐसा मन्त्री जी ने कहा लेकिन मार्च, 81 से आज तक मन्त्री जी को न तो जनगणना का ख्याल रहा न वोटर लिस्ट बनाने का ख्याल रहा। क्योंकि मन्त्री जी का विभाग परिवर्तित हो गया था इसलिये घूमफिर कर फिर इसी विभाग में आने का ख्याल रहा।

मान्यवर, मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते समय घोषणा की कि 87 प्रतिशत निर्बल और कमजोर वर्ग के लिये आवास आवंटित करेंगे। लेकिन वह आवास कितने बन रहे हैं कि आप दे सकें। छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक 14 लाख 85 हजार की आवश्यकता है, आप बना कितने रहे हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा। आपने बजट प्रस्तुत किया है, उसमें बहुत सी मदों में कटौती कर दी गई है जिसका परिणाम होगा नगरपालिकाओं की स्वच्छता, नगरपालिका में रहने वाले लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मान्यवर, मैं जानता हूँ कि मन्त्री जी को जीवन बीमा निगम से कर्ज नहीं मिला, विगत वर्ष वह बैंक से नहीं मिला था। इस बार जीवन बीमा निगम से अपेक्षित था, वह नहीं मिला इसलिए कटौती कर दी गई।

उत्तर प्रदेश शासन 1982-83 के, व्यय के ब्योरेवार अनुमान खण्ड 5 भाग के पृष्ठ 9 पर लेखा शीर्षक 83-84 इसमें 82-83 में आयोजनागत में 1,20,37 और अयोजनेतर में 47 लाख 26 हजार था इस वर्ष 83-84 में आयोजनागत में 71 लाख 41 हजार और आयोजनेतर में 49 लाख 56 हजार कम कर दिया है। इसमें कटौती कर दी है। सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिये कोई बजट नहीं दिया, आवास ऋण की जो व्यवस्था थी, उसमें कटौती कर दी है। मान्यवर, इसी प्रकार मलिन बस्ती को पिछले साल 50 हजार का अनुदान दिया गया था इस वर्ष कुछ नहीं दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पाण्डेय जी, समय बहुत कम है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश 1983-84 के व्यय के ब्योरेवार अनुमान खण्ड 5 के भाग 2 के पृष्ठ 309 पर सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा जल सम्पूर्ति, इसके अन्तर्गत 82-83 में आयोजनागत में 32,83,70 हजार था और आयोजनेतर में 3,14,64 हजार था, इस वर्ष 83-84 में आयोजनागत में 24,77,91 हजार है और आयोजनेतर में 3,15,19 हजार रखा गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिये इस सरकार ने इस प्रकार कम बजट की व्यवस्था की है। मान्यवर, कैसे आप स्थानीय लोगों को सड़कें दे पायेंगे, पेय जल उपलब्ध करा पायेंगे। आपके बजट में दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है। स्थानीय निकायों की आय कम होती जा रही है। आप आय के साधन को कैसे बढ़ायेंगे ?

इसके पहले कि मैं इस पर आऊँ, चुनाव के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। आपने स्वीकार कर लिया कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ से जो व्यवस्था अपेक्षित थी, वह आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, को बैठा कर नहीं की जा सकती और इसके परिणामस्वरुप हमारी परिषद, नगर पालिकायें, महापालिकाओं, स्थानीय निकायों की स्थिति दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है। वसूली के सम्बन्ध में कोई नियन्त्रण नहीं, नियुक्तियों के सम्बन्ध में ठीक से नियन्त्रण नहीं कर पाते। जो जन प्रतिनिधि हैं, उसमें अंकुश लगाते हैं इसलिए जो प्रक्रिया है, सुपरसीड करने की, इसमें कोई रोक लगावें।

हम भी चुन कर आते हैं, राजपाल महोदय की भृकुटि टेढ़ी हो जाये, तो जिस तरह हम और आप अपने बारे में सोचते हैं, उसी तरह उनके बारे में भी सोचें।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री, माननीय बहुगुणा जी थे, प्रस्ताव उपस्थित किया था, पिछली बार भी आपका ध्यान आकृष्ट किया था और आज भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि उन्होंने बजट प्रस्तुत करते समय यहां व्यवस्था दी थी, मैं पूरा पढ़ कर नहीं, संक्षेप में बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि ऐसी व्यवस्था की जाये, किसी भी ढंग से कि सुपरसीड करने से पहले एक कमेटी बना दी जाये जिसमें हाईकोर्ट का एक रिटायर जज हो, विरोधी दल के नेता हों, और ऐसे लोग हों जिन पर कोई उंगली न उठा सके और जब वह रिपोर्ट दें कि चुने हुए लोगों में कोई कमी आ गयी है, फाइनेंशियल गड़बड़ी पैदा हुई है, तो वह भंग की जाये। वह आज तक नहीं हुई और न शासन ने कोई उस पर निर्णय ही लिया। जब, इधर के लोग हों या उधर के, कुर्सी पर बैठते हैं तो उसके इशारे पर ही लोग काम करते हैं और जो चुने हुए हैं, उनके इशारों पर चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस पर आप विचार करें। यही नहीं, जब जगदीश शरण अग्रवाल मंत्री थे, उन्होंने बयान दिया था, आर्डिनेंस की बात कही थी, आर्डिनेंस आ चुका है लेकिन मैं नहीं जान पाता कि कहाँ चला गया। उन्होंने कहा था कि, 609 पेज पर है, 8 अप्रैल, 1978, योजना बनायी जाये, कोई योजना नहीं बनी। तो जो भी इस कुर्सी पर बैठता है, अपने अनुरूप ढालने के लिये, स्थानीय निकायों को समाप्त करता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस पर आप व्यवस्था करें। चुनाव के सन्दर्भ में बार-बार कहते हैं, कई बार कहा, लेकिन चुनाव आज तक करा नहीं सके, कोई न कोई बहाना बना कर।

अलीगढ़, मुरादाबाद, ऐसी ही कितनी नगरपालिकाएं हैं, जहाँ बहुत दिनों से चुनाव नहीं हुए। एम0 पी0, एम0 एल0 ए0 के हो सकते हैं तो कौन से कारण हैं कि वहाँ इनके न हों? इस पर आपको विचार करना चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए। आय संसाधन बढ़ाने के लिए, संसाधन बढ़ाये जायें, जरा ईमानदारी के साथ संकल्पित हों, जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, कुछ नहीं होगा। इसे दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं। दो तरीके हैं—एक तो चुंगी, कुछ जगहों पर समाप्त कर दी गयी है। भवन कर, इसकी व्यवस्था मूल्यांकन पर नहीं है, वजन पर है। एक क्विंटल पर जो पहले थी, वही आज भी रहेगी। इसमें मैं सुझाव दूंगा कि इसे मूल्यांकन करा कर मूल्य के आधार पर निर्धारित करें। जैसे मण्डी समितियां हैं, एक परसेंट निर्धारित करती हैं, मण्डी में आने वाले माल पर, तो अकेले लखनऊ में ही नगरमहापालिका की आमदनी 60 करोड़ एक वर्ष में बढ़ जायेगी। आय के संसाधन बढ़ाने के लिए तमाम कमेटीज बनीं, लकड़वाला, श्रीवास्तव कमेटी, सामने है। तमाम प्रकार के सुझाव दिये गये हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

मान्यवर, यह प्रतिवेदन है। उत्तर प्रदेश कराधन जांच समिति, 1974, खंड-2 है यह। लकड़वाला साहब ने संस्तुति की दुकानें नगरपालिका--महापलिका के अन्तर्गत लगती हैं और बिक्रीकर सरकार के खाते में जमा हो जाता है। यह बिक्री कर आपको मिलना चाहिए। यह मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, समिति ने सिफारिश की है। सिनेमा चलने

हैं नगरपालिका में, मनोरंजन कर ले जाते हैं राज्य सरकार के लोग। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि यह कर आपको मिले । इसके बारे में एक कमेटी बनी थी 1931 में आदेश हुआ था। मोटर चले आपकी सड़क पर। टैक्स मोटर वेहिकिल के अन्तर्गत राज्य के कोष में चला जाता है। अगर आप तहे दिल से चाहते हैं कि नगरपालिकाओं की आय में वृद्धि हो तो इन संस्तुतियों को लागू करना चाहिये। उत्तर प्रदेश कराधान जाँच समिति, 1974, खंड-2 की रिपोर्ट के पेज 568 पर संस्तुति की गयी है-मनोरंजन कर, स्पष्टतया स्थानीय आधार पर लगाया जाता है। हमें यह विदित हुआ है कि बहुत से राज्यों में मनोरंजन कर की आय को स्थानीय निकायों को आवंटित कर दिया जाता है। हम यह सिफारिश करते हैं कि स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आने वाले सिनेमा तथा थियेटरों से की गयी उगाहियों के आधार पर मनोरंजन कर से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत स्थानीय निकायों को अनुदान के रुप में दिया जाना चाहिए। आपका दृढ़ संकल्प तो हो। स्पष्ट इच्छा शक्ति की जरूरत है। पक्के इरादे का क्या-पक्का इरादा फिसल जाता है। भवन कर को ले लीजिये। किराये के आधार पर कर लेते हैं।

शीघ्र खतम कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपको बाद में भी मौका मिलेगा।

श्री मोहन सिंह—

मन्त्री जी तो कुछ कहे नहीं। अपने हाथ फैलाने के अलावा कुछ कहा नहीं। उनका भी समय इन्हें दे दीजिये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं स्वयं खतम कर दूंगा।

चुंगी समाप्त करने की बात कही गयी। कराधान जाँच समिति ने चुंगी समाप्त करने की संस्तुति की।

(व्यवधान)

कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी ? लकड़वाला साहब कहाँ से आये और कहाँ को गये। लाखों रुपया खतम हो गया।

भवन किराये के आधार पर टैक्स लेते हैं। दिल्ली में यह कर दिया गया है कि जो व्यक्ति अपने मकान में खुद रहेगा उसके कर का निरधारण दूसरी तरह से होगा और जो किराये पर देगा उसके कर का असेस्मेंट दूसरी तरह से। आपके प्रदेश में किराये के आधार पर कर का निरधारण हो जाता है। यदि मकान खाली कराकर मकान मालिक रहे तो भी वही देना पड़ेगा। किराया कम दिखाते हैं जो लेते हैं, उससे। कर की चोरी होती है। मोटर वेहिकिल टैक्स, मनोरंजन कर, बिक्री कर से आय बढ़ सकती है। कर्मचारियों की बात रह गयी। लखनऊ नगरमहापालिका में बहुत से कर्मचारी हैं, जिन्हें नियमित नहीं किया गया। पिछले सत्र में मैंने उठाया था। जहाँ तक जानकारी है, बहुत से लोग पड़े हैं। कारण क्या है कि नियमित नहीं होते ? सारे अधिकार

चाहे एडमिनिस्ट्रेटर को न दिये जांये लेकिन जब जनप्रतिनिधि हो जायें तो उसे तो दे देना चाहिये चपरासी का एप्वाइन्टमेंट हो तब भी सरकार से पद सृजित कराना पड़ता है। निदेशालय के डायरेक्टर हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

बड़ा अच्छा काम दिया शौचालय बनाने का। मैं बधाई दूँगा। बहुत अच्छा काम कर दिया।

एक सदस्य—

सबसे पहले इसी की जरूरत पड़ती है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

वहाँ 10 वर्षों से कर्मचारी पड़े हैं, ई0 बी0 क्रास नहीं हो रही है।

मान्यवर, वहाँ केवल ट्रान्सफर और पोटिंग की बात होती है। यह जो पुस्तिका आपने दी है, उसमें आपने कहा है कि वह बजट के सर्वेक्षण का कार्य करते हैं। मान्यवर, दुर्भाग्यवश मैं इसका पता चलाने गया तो पता चला कि यह क्या करते हैं। मान्यवर, कितनी आमदानी हो सकती है। आमदनी ज्यादा हो गई और खर्चा ज्यादा हो गया। इन आँकड़ों के बारे में आप प्रशासक से पूछ लीजिये। वास्तव में देखा जाय तो यह सब धोखा है। सही तथ्य आपके सामने नहीं आते हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में भारत के महानियन्त्रक लेखा परीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप सही आँकड़ों की तस्वीर यहाँ पर दीजिये।

श्रीमन्, एक बात मैं कहना चाहता हूँ अनुदान के बारे में। जो अनुदान आप देते हैं उसमें भी आप पक्षपात करते हैं। इसका आप एक मानक तैयार कीजिये। जो टाउन एरिया का चेयरमैन आपको खुश करेगा या जिसमें आपका अपना चर्मचारी चला जायेगा उसे आप अनुदान ज्यादा देते है। और जो आपका स्वागत नहीं करेगा और या आप उससे नाराज हैं तो आप उसे अनुदान नहीं देंगे। इन स्थानीय निकायों के जो जन-प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वे आपके पास नौकर की तरह खड़े रहते हैं। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह कहना है कि अनुदान के लिए आप एक मानक निर्धारित कर दें।

मान्यवर, आज बहुत बड़े विभाग खोल रखे हैं, आवास विकास परिषद, जल निगम, जल संस्थान और लखनऊ विकास प्राधिकरण। इन विभागों के जिम्मे आपने सारा काम सौंप दिया है। आज आवास विकास परिषद, जल निगम और जल संस्थान-ये तीनों अलग-अलग ढंग से कार्य करते हैं। इन्हें आप समन्वित ढंग से केन्द्रित करें। जल निगम का कार्य करने का ढंग दूसरा है तो जल संस्थान का कार्य करने का ढंग दूसरा है। ये वास्तव में कुछ नहीं है। यह तो कर्जा लेने के लिए बनाया गया है। जल निगम का काम है कि वह लोन लेकर प्लान बनाये। दो परसेन्ट तो वह लोन का ले लेता है पहले, लेकिन उसके बाद योजना का प्लान बनाता है ठेकेदार से। यह एक विडम्बना

है। ठेकेदार के ऊपर ठेकेदार वाला विभाग आपने खोल दिया है। जल निगम और जल संस्थान जो काम करते हैं ठेकेदार के माध्यम से कराते हैं। आप इस ठेकेदारी प्रथा को बन्द कर दीजिये और जल निगम तथा जल संस्थान के कर्मचारियों को आदेश दें कि यह काम करें।

पिछले दिनों मैंने फैजाबाद की बात की थी। वहाँ पर सीवरलाइन बिछाने तथा जल की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में। इस समय तो आपको धन वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है, लाइफ इन्सोरेन्स से पैसा मिल रहा है, लेकिन जब उसे कल रि-पे करना होगा तो जिसकी आमदनी नहीं है, या कम आमदनी है तो वह कैसे पे कर पायेगा, इसकी ओर ध्यान दिया जाय। तथा स्थानीय निकाय जो अपने स्तर पर इसको बनाना चाहते हैं, अर्थात सीवर लाइन तथा जल की व्यवस्था स्वयं करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अधिकार दे दीजिये, जल निगम को जबरदस्ती उसकी छाती पर न बैठायें। महालेखा परीक्षक के तमाम प्रतिवेदनों को आपने स्वीकार कर लिया है। मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। मान्यवर, यह जो जल निगम है, निर्माण का कार्य करता है तथा संस्थान मेन्टिनेन्स का कार्य करता है। मान्यवर, हमारे यहाँ टंकी टेढ़ी हो गई उसमें पानी नहीं चढ़ा। जब जल निगम से कहते हैं तो वह कहते हैं कि यह तो जल संस्थान को हमने ट्रान्सफर कर दिया है, अब वह जाने। अन्त में मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस जल निगम और जल संस्थान को एक कर दीजिये और एक करने के बाद उससे आप काम लीजिये।

आवास विकास परिषद् के बारे में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जैसा कि माननीय मन्त्री जी की इस प्रदेश में बहुत रेपुटेशान है, उन्हें बड़े सम्मान से देखा जाता है लेकिन आज ही लखनऊ में, मान्यवर, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना जरूरी है, यदि नहीं कहूँगा तो वे सुधरेंगे नहीं, बिगड़ जायेंगे, हलवासिया के पास बिल्डिंग वगैर परमीशन के बनने लगी। मैंने पिछले वर्ष भी इसके बारे में कहा था लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

आपकी सरकार ने, आपकी डेवलपमेंट अथारिटी ने रिट टायर कर दिया और अब यह साजिश हो रही है कि रिट वापस करके उसको लीगलाइज कर दिया जाय। आपने राजा-महाराजाओं की जमीनें लीं। आपने राजा भरतपुर की जमीन ली 16 एकड़, उसमें आपने क्या किया, आप फिर उसको वापस करने की बात कर रहे हैं। आप अपने आपको सुधारिये और फिर से नया संकल्प लेकर स्थानीय निकायों के चुनाव कराकर, वहाँ निवास करने वाले लोगों के लिये स्वच्छ जल और अच्छे आवास उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसी के साथ ही मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

(समय 3 बजकर 5 मिनट)

× श्री चेतराम गंगवार —

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय नगर विकास मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

मैं बड़े गौर से कटौती के प्रस्ताव पर मा0 पाण्डे जी का भाषण सुनता रहा मुझे आशा थी कि मा0 पाण्डेय जी अपने भाषण में, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए मा0 मन्त्री जी ने जो पेन्शन, आवास की व्यवस्था आदि की घोषणा की है उसका स्वागत करेंगे।

(इस समय 3 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए।)

(व्यवधान)

वित्त आयोग का गठन और 87 प्रतिशत मकान अल्प आय और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिये बनाना मा0 मन्त्री जी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। मैं समझता था कि इस पर आप मा0 मन्त्री जी को बधाई देंगे। इस सदन में बड़ा वाक् युद्ध होता था और वाक-आउट भी मा0 मोहन सिंह जी ने और लोकदल के लोगों ने किया। ये चाहते थे कि मेरठ नगरपालिका को महापालिका कर दिया जाय। चौधरी साहब किसी जमाने में यहाँ बैठा करते थे, मैं उनको सक्षम आदमी समझता रहा। कभी भी मेरठ को इनकी सरकार भी महापालिका का दर्जा नहीं दिला पायी। मा0 नगर विकास मन्त्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बरेली को बना दिया और गोरखपुर को बना दिया, जो कि अत्यधिक पिछड़ा हुआ था। व्यवधान न करें, जिगर थामकर बैठें, अब मेरी बारी आयी है।

(व्यवधान)

इसी के साथ दो-एक सुझाव देना चाहता हूँ, यह कहकर कि माननीय मन्त्री जी कौमी एकता के भी प्रतीक हैं। अभी दशहरा और मुहर्रम दोनों प्रदेश में बनाये गये। 700 से अधिक स्थानीय निकाय, महापालिकायें और नोटीफाइड एरिया इत्यादि हैं, लेकिन छुटपुट घटनाओं को छोड़कर बाकी सब स्थानों पर मनाये गये। अखबारों में मा0 मन्त्री जी को एक तरफ राजगद्दी उठाये हुये और दूसरी तरफ मुहर्रम मनाते हुए देखा। इसका प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ा और हिन्दू और मुसलमानों ने सारे त्योहारों को शान्तिपूर्वक मनाया। इसका श्रेय मा0 मन्त्री जी को, मा0 नगर विकास मन्त्री जी को स्वतः चला जाता है।

एक बात तो यह जल निगम की है, इसकी व्यवस्था को मान्यवर, आपने भी शहरों और देहातों में जाकर देखा होगा। इसमें जो नल लगवाए जा रहे हैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ। जो इन नलों का डिजाइन नेशनल प्रोडक्टीविटी कौंसिल द्वारा करवाए गये हैं, वह अजीब तरह से हैं, उसमें कोई भी अकेले आदमी अगर पानी पीना चाहे तो पी नहीं सकता है बगैर किसी दूसरे की मदद के। भगवान ने इन्सान के मुँह, हाथ

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामने बनाये हैं, सीधे, इसलिए काम भी इसी रुख को कर सकता है लेकिन उनके द्वारा जो डिजाइन किया गया है, वह बिल्कुल उल्टा एक दूसरे के सामने कर दिया गया है। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक तो इन नलों के लगवाये जाने में कुछ तेजी की जाय और दूसरे इस व्यवस्था को सही किया जाय, डिजाइन सही किया जाय जिससे हर आदमी अपने हाथ से चलाकर स्वयं पानी पी सके और तीसरा सुझाव इसी सिलसिले में है कि जहाँ पर इन नलों के लगवाने की आवश्यकता हो, वहीं पर लगवाये जाँए। इस बात का एक सर्वे कराया जाय कि कहाँ पर पाइप लगने की आवश्यकता है। एकाध जगह जानकारी मिली कि जहाँ पर लोगों को पानी की आवश्यकता नहीं थी वहाँ पर भी लगवाया गया है।

दूसरे मान्यवर, मैं अपने टाउन एरिया की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। टाउन एरिया सेफल, जो अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर न ती कभी प्रकाश व्यवस्था की गयी और न ही सड़क व्यवस्था और न ही जल व्यवस्था की गयी है और न ही आपको वहाँ का इतिहास में देखने को मिलेगा कि वहाँ पर कोई स्पेशल ग्रांट आदि मिली हो, ऐसी बात भी नहीं है, जबकि वहाँ पर 75 फीसदी बुनकर आबादी है माइनस्टीज की। तो यहाँ पर माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि विशेष कृपा के तहत प्रकाश की, सड़क की, पेयजल आदि की व्यवस्था शीघ्राति-शीघ्र कराने की कृपा करें। मैं फिर बजट का समर्थन करते हुए माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूँ और मान्यवर आपको भी कि आपने बोलने का समय दिया।

×श्री फखरे आलम —

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बधाई इसलिए जरूर दूँगा कि उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि लोकल बाडीज के चुनाव वह माह अक्टूबर या नवम्बर तक अवश्य करा दूंगा। साथ ही मैं इस बात की दुआ भी करता हूँ कि माननीय मंत्री जी उस वक्त तक नगर विकास मन्त्री रहे और साथ ही हमें इस बात की भी खुशी है कि माननीय मन्त्री जी ने इस तरफ ध्यान तो दिया कि चुनाव करा दिये जांय और नगर पालिकाओं की हालत अच्छी की जाए और माननीय मन्त्री जी को इस बात को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने 50/-रु0 महीना सफाई कर्मचारियों के बढ़ा दिये।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

मुझे और भी उम्मीद है कि आप और चीजों पर भी माननीय मन्त्री जी को बधाई देंगे।

श्री फखरे आलम—

मगर मैं उसके साथ ही साथ माननीय मन्त्री जी से यह भी निवेदन करुंगा सफाई मंकचारियों के साथ साथ वे मिस्ती लोगों की तरफ भी ध्यान दें, उनका भी वेतन बढ़ाया जाये और उनको भी पेन्शन की सुविधा उपलब्ध करायी जाये।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश में जब से चुने हुये जन प्रतिनिधियों के हाथ से लोकल बाडीज का काम लेकर अफिसर इन्चार्ज को दे दिया गया है तब से बहुत ज्यादा गड़बड़ी होने लगी है। इन आफिसर इन्चार्ज द्वारा बड़े पैमाने पर लूटमार हो रही है। उसका माननीय मन्त्री जी को पूरा ज्ञान है। मैं निवेदन करूंगा वे इन आफिसर इन्चार्ज की पोस्ट को ही बिलकुल खत्म कर दें. इसे तो एपेन्डिक्स की तरह से लगा दिया गया है. इसकी कोई जरुरत नहीं है यह सरप्लस है, और इसे एबालिश कर दिया जाये।

अब मैं कुछ शर्तें अपने जिले और क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में 3 टाउन एरिया हैं। माननीय मन्त्री जी ने जो पुस्तक बटवायी है, 'उसमें उस टाउन एरिया का जिक्र नहीं है। उस टाउन एरिया की हालत बहुत खराब है। वहाँ न कोई सड़क है और न ही कोई सफाई का इन्तजाम है। सड़कें बहुत खराब हैं। उसमें एक मोहल्ला नगला रसूलपुर है। उसको गांव सभा बनाकर अलग कर दिया गया है। इससे वहां के लोगों को बड़ी परेशानी है। उसे उसी टाउन एरिया में मिला दिया जाये।

मेरे क्षेत्र में एक जगह रमजानपुर है। जिसे टाउन एरिया बनाने की बात बहुत दिनों से चल रही है। जिले से सिफारिश भी उसके लिये आयी हुई है। मगर मन्त्री जी को मालूम है कि किसी खास वजह से और किस की विजह से उसे बनने नहीं दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

है जुल्म तेरा आम, मगर फिर भी सितमगर,
मखसूस यह अन्दाजे जफा मेरे लिये है।

मान्यवर, यह रमजानपुर वह जगह है जहाँ बड़े-बड़े लोग पैदा हुये हैं।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

कृपया उसका नाम बता दें, जिसने उसे टाउन एरिया बनने नहीं दिया।

श्री फखरे आलम—

मैंने तो एक टोपी आपके सामने रख दी है, आप देख लें कि किसके सर पर वह फिट आती है।

इसके अलावा मान्यवर, मेरे यहाँ ककराला नगरपालिका की हालत बहुत खराब है, उसकी हैसियत अनाथ की तरह हो गयी है। वहां एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक जाने के लिये सड़क नहीं है। बरसात में इतनी कीचड़ हो जाती है कि कोई एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। यहाँ हर समय दलदल और कीचड़ भरी रहती है जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री फखरे आलम—

एक सुझाव और देना चाहता हूँ कि जो आपकी सेन्ट्रालाइज्ड सर्विसेज हैं, उन पर अपना कन्ट्रोल कृपया मजबूत करें। इन अल्फाज के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और जो बातें माननीय मन्त्री जी ने अच्छी की हैं, उनका स्वागत करता हूँ और उसके लिये उनको मुबारकबाद देता हूँ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

मान्यवर, में आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता—

डाक्टर साहब, आप अपनी बात को 5 मिनट में ही समाप्त करें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दो-तीन मिनट और बढ़ा दें जिससे कि मैं अपने नगर की मुख्य-मुख्य बातें कह सकूँ।

श्री अधिष्ठता—

देखिये समय का बहुत अभाव है और बहुत सदस्य हैं जो कि बोलना चाहते हैं इसलिये आप अपनी बात को 5 मिनट में ही संक्षेप में कहें।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, नगर विकास मन्त्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि हमारे माननीय मन्त्री जी बहुत ही गांधीवादी और बहुत ही अनुभवी और सच्चरित्र तथा बहुत ही लगनशील व्यक्ति हैं और जिस विभाग में भी यह रहे, बहुत ही अच्छा काम किया है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनकी वह प्रतिभा आज कुंठित हो गयी है। आज सुचारु रूपसे कार्य नहीं चल पा रहा है। आज यह देखने में आ रहा है कि मन्त्री जी के आदेशों का पालन अधिकारीगण नहीं करते हैं। यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर मैं यह बातें कह रहा हूँ। माननीय मन्त्री जी भी इन बातों से परिचित हैं, उनके दिल में भी इसके लिये टीस है, कसक है पर वे कहते कुछ नहीं हैं अथवा कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं हैं। माननीय मन्त्री जी के आदेशों का पालन उनके सचिव के स्तर से नहीं हुआ है। ढाई महीने हो गये उनको आदेश दिये हुए परन्तु आज तक उनका पालन नहीं किया गया। माननीय मुख्य मन्त्री जी को आदेश दिये हुए तीन महीने हो गये परन्तु उनका भी पालन नहीं हुआ है। श्रीमन् माननीय मन्त्री जी की जानकारी में यह बातें हैं इसके बाद भी उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की आज तक। आप ताज्जुब करेंगे सुनकर कि आपके विभाग की दशा इस प्रकार की हो रही है कि एफ0 आई0 आर0 302में लिखाई जाती है और चार्जशीट लगे376में। यह दशा हो रही है इनके विभाग की

आपका एक ग्राम्य और नगर नियोजन विभाग है जिसको कि मुख्य नगर नियोजक ने नरक बना रखा है। यहाँ मास्टर प्लान बनाये जाते हैं जिस पर तीन करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं परन्तु उन मास्टर प्लानों पर अमल कितनी जगह हुआ है? श्री मान्, उन मास्टर प्लानों पर अमल करना तो दूर की बात है, आज आपका उक्त विभाग, जो मास्टर प्लान नगरों के विकास के लिये बना है, वह उत्तर प्रदेश के नगरों के विकास में उन्हे स्वंय तोड़ रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण है आगरा में संजय गांधी कामर्शियल काम्प्लेक्स के सामने बहुमंजिली ऊंचा भवन बनाने के लिये वहाँ की आबादी के घनत्व को मास्टर प्लान के प्रविधान के विरुद्ध कम कर दिया गया है।

मुख्य नगर नियोजक, श्री दुबे के विरुद्ध 1979 में मुख्य मन्त्री द्वारा जाँच के आदेश दिये गये थे और इनके खिलाफ विभागीय जांच में इल्जाम साबित हुए थे लेकिन आज उसकी पत्रावली गायब कर दी गयी है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला आपके सामने नहीं अया होगा।

इसके अतिरिक्त आगरा में पेयजल की समस्या निरन्तर बनी हुई है। आपने ओखला यमुना नदी का पानी रोक रखा है। आज मथुरा और आगरा में रास्ते के नालों के पानी को वहाँ के लोग जल के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। जाड़े के मौसम में दो-दो घण्टे सुबह और दो-दो घन्टे रात में पानी के लिये लोग खड़े रहते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले गर्मी के दिनों में भी वहां के लोगों को पानी पीने के लिये नहीं मिल पायेगा।

मथुरा में जो साड़ियों की छपाई का काम होता है, उसको लोग जमुना के पानी में धोते हैं। इसके कारण यमुना का पानी विषैला और दूषित हो गया है और आज पानी में बदबू आती रहती है। पानी बदबूदार और विषैला हो गया है और यही पानी लोगों को उपयोग करने के लिये मिल रहा है। यह दशा है आगरा की जहाँ हजारों की संख्या में विजिटर्स आते हैं और आगरा आपको इतना फारेन इक्सचेन्ज देता है, वहीं आगरा में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। जमुना के किनारे किनारे आप चले जांय, कहीं आपको पाइप लाइन नहीं मिलेगी। आप इससे अच्छा है कि बड़े-बड़े तीन-चार ट्यूब वेल लगा दें जिससे कि तत्काल आगरा के लोगों को पीने का पानी मिल सके।

श्रीमान्, इसके अलावा मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बहुत सा रुपया दिया गया आगरा के सौन्दर्यीकरण व सड़क निर्माण के लिए। माननीय मुख्य मन्त्री जी जब आगरा गये थे तो तमाम लोगों ने उनसे शिकायत की थी कि सड़कों के बनाने में ठेकेदारों ने चौथाई भी रुपया नहीं लगाया है। वहां पर उन्होंने यह घोषणा की थी कि इसकी टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जाँच करायी जायेगी, लेकिन वह जांच आज तक नहीं की गयी है। लाखों रुपये का घोटाला हुआ है। इसको आप दिखवा लें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

मान्यवर, दूसरी बात में अरबन लैंड सीलिंग के बारे में कहना चाहता हूं कि आगरा में 48 लाख वर्ग मीटर सीलिंग की जमीन शासन को मिली थी, परन्तु एक लाख से अधिक वर्ग फीट भी इस समय नहीं है। आज सीलिंग विभाग का अधिकारी करोड़पति बना बैठा हुआ है, लेकिन हमारा शासन निरुपाय है। मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि कम से कम इसकी जांच तो करवा लें कितनी जमीन मिलनी थी और कितनी मिली है।

मान्यवर, आपके माध्यम से एक और अन्य बात कहना चाहता हूं कि टोल टैक्स या चुंगी की जो आमदनी है, वह रुपये में 40 पैसा मिल रही है और 60 पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी खा रहे हैं। उनकी जेबों में जा रहा है। तमाम टैरिफ बढ़ गया है परन्तु टोल टैक्स की रकम नहीं बढ़ी है, इससे मिलने वाली आय

नहीं बढ़ी है। आप रुपये की कमी महसूस कर रहे है। वहां पर अधिकारियों की या मोनोपली है, वर्षों से एक ही उपनगर अधिकारी काम कर रहा है, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में सोचें और भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको वहां से हटायें। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, तो उसको अपली जामा पहनावे, और असली मुद्दों पर विचार करें, तो आगरे की जनता उनकी शुक्रगुजार रहेगी।

×श्री अकबर हुसैन—

मान्यवर, माननीय माता प्रसाद पान्डेयजी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं माननीय मन्त्री जी के कार्य कलापों की ओर कुछ कहना चाहता हूँ। लखनऊ में गोपाल अपार्टमेंट है, उसने तमाम नजूल जमीन पर अधिकृत रुप से कब्जा कर लिया है। इसके बारे में एक अल्प सूचित प्रश्न भी आया था। कोर्ट ने इस्टे कर दिया था, उस समय 4 मन्जिलें इमारत बनी थी परन्तु अब वह 4 मंजिल और बन गयी है। माननीय मंत्री जी उसके विरुद्ध कोर्ट में नहीं गये और 25 लाख रुपया लेकर उसको रेगुलराइज कर दिया है। यह मामला अब कैबिनेट में गया है कि उसको रेगुलराइज कर दिया जाये, दिल्ली से दबाव आया है इसलिए माननीय मन्त्री जी ऐसा करने जा रहे हैं।

श्री राम सिह खन्ना—

यह तथ्य से परे है। न मामला कैबिनेट में है और न उस पर कोई विचार किया जा रहा हैं। इस बारे में प्रश्न हो चुका हैं और उस पर जो कार्यवाही होनी हैं वह सख्ती से की जायेगी।

श्री अकबर हुसैन—

मान्यवर, हो सकता है इनकी बात सही हो लेकिन आज वह 4 मंजिल से 8 मंजिल बन गया है। क्या माननीय मन्त्री जी उसको लेकर कोर्ट में गये हैं? अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इलाहाबाद में ऋषिपाल सिंह एक राजस्व अधिकारी हैं। उनके भ्रष्ट कार्यों के लिए वहाँ पर परचे भी बँटे हैं, यहाँ पर प्रश्न भी किये गये हैं, उनके बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट भी किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी हाल ही में उनके लड़के सरकारी गाड़ी लेकर उसे चलाना सीख रहे थे और उसका एक्सीडेन्ट हो गया जिससे कि गाड़ी की मरम्मत आदि पर 10 हजार रुपया लगा। उनका लड़का सरकारी गाड़ी पर सीखने का अधिकारी नहीं था। मान्यवर, इन शिकायतों के बावजूद भी उनके खिलाफ न तो माननीय मन्त्री जी द्वारा और न ही इनके विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई।

मुरादाबाद में कचहरी कम्पाउन्ड में एक नजूल की जमीन पड़ी हुई थी। उसके सम्बन्ध में मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि उस जमीन पर नाजायज कब्जा

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग किये हुये हैं और उसका इस्तेमाल नाजायज तरीके से कर रहे हैं किन्तु फिर भी कोई कार्यवाही वहाँ नहीं की गई है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक टाउन एरिया और म्युनिसिपलिटी पड़ती है। शायद ही कोई ऐसी टाउन एरिया म्युनिसिपेलिटी हो जहाँ कोई अस्पताल या डिस्पेंसरी न हो किन्तु मान्यवर, मेरे क्षेत्र बिलारी नगरपालिका में, जो कि एक बड़ी रिसायत थी, वहाँ पर एक भी अस्पताल या डिस्मेंसरी नहीं है। वहाँ नगरपालिका की आबादी 30 हजार है फिर भी कोई अस्पताल वहाँ के लिये नहीं दिया गया है। मेरे क्षेत्र से बहुत बड़े जमींदार जो(×××)एम0 एल0सी0 हैं, उन्होंने लगभग डेढ़ एकड़ जमीन जो नगरपालिका की है, उसे वे अपने नाम से किये हुये हैं। उसके आस-पास की 3 एकड़ नजूल की जमीन भी अपनी रसीदों पर वे बेच चुकी है।.....

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, जो व्यक्ति इस सदन का मेम्बर नहीं है, उनके बारे में इनको नहीं कहना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

उनको कहने दें। उनका समय हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

उनके बारे में जो उन्होंने कहा है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

वे रिफरेंस में एक बात कह रहे हैं। अगर कार्यवाही में कोई ऐसा शब्द आया होगा तो उसे निकाल दिया जायेगा।

श्री अकबर हुसैन—

मान्यवर, उन्होंने रसीदों पर अपना नाम बताकर जमीन को बेच दिया है। इसके बारे में मन्त्री जी को लिखकर दिया भीहै। आपके माध्यम से हम कह चुके हैं।जिस टाउन एरिया की आबादी 10हजार से कम थी उसे आपने रूरल एरिया में रखा है। अब उसकी आबादी15 हजार हो गई है। विद्युत मन्त्री ने सदन में उसके बारे में आश्वासन।दिया था उसको हम अरबन एरिया में शामिल कर देंगे। आज तक उसे शामिल नहीं किया गया है। मैं चाहता हूँ कि विद्युत मन्त्री से सम्पर्क करके आप इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

मान्यवर, सफाई के बारे में कहना चाहता हूँ जो नगरपालिका और टाउन एरिया के सम्बन्ध में शिकायतें होती रहती हैं। सफाई कर्मचारियों की कुछ समस्यायें हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जिन जगहों पर सफाई कर्मचारी कूड़ा डालते हैं, वह जगह उनको दे दी जाय तो उनकी काफी समस्या हल हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती किशोरी शुक्ला—

अधिष्ठाता महोदय, आपने स्वायत्त शासन बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है

नोट:— (×××) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उसकी मैं भूरि भूरि प्रशंसा करती हूँ। मन्त्री जी ने जो स्वायत्त शासन का बजट सदन के सामने पेश किया है, वह प्रशंसनीय है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र, सहजनवा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। सहजनवां विधान सभा क्षेत्र में एक सहजनवां बाजार है उसको मैं माननीय मन्त्री जी से माँग करूँगी कि टाउन एरिया घोषित किया जाय। क्योंकि उस क्षेत्र की आबादी लगभग 21 हजार की है, सहजनवाँ बाजार टाउन एरिया न होने के कारण उसमें तमाम सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं।

मैं माननीय मन्त्री जी को एक सुझाव देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ गोरखपुर में एक रैन बसेरा स्थान है। कभी उसमें वेश्यायें रहती थी। उसमें 172 कमरे बने हैं। अब वह एक ऐतिहासिक स्थान बन गया है, उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सारे अनुसूचित और निर्बल वर्ग के लोगों के रहने के लिए कर दिया गया है। लेकिन उस बिल्डिंग की हालत खराब है, मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी से निवेदन करूँगी कि उसका जीर्णोद्धार किया जांय ताकि उस 172 कमरे क मकान में जो 5 हजार गरीब रहते हैं, वह सुरक्षित रह सकें। अगर वह क्षतिग्रस्त हो गया तो 5 हजार लोगों पर उसका असर पड़ेगा और माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जायेगी। अगर उसमें एक लाख रुपये का बजट लगा दिया जाय तो उससे 5 हजार गरीब लोगों का जीवन सुरक्षित हो जायेगा।

अब मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान गोरखपुर नगर की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। गोरखपुर महापालिका घोषित हो गया है लेकिन आज तक वहाँ इसके लिए बजट नहीं गया है। यह नगर बहुत बड़ा शहर है, इसमें आपने निर्बल वर्ग के लिए आवास बनाने का प्रस्ताव रखा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। हमारे यहाँ मुंडेरी चक एक स्थान है जहाँ पर लगभग तीन सौ हरिजन बसते हैं। वे लोग इस समय बाँध पर पड़े हुए हैं जो आपके मतदाता भी हैं, तो उनके लिए आवास की व्यवस्था कराई जाय यह गोरखपुर नगर में आता है।

आपने गोरखपुर को नगरपालिका घोषित किया है लेकिन वहाँ कर्मचारियों का कमी है उसके लिए आप बैंकेसी भेजें ताकि उनको नियुक्ति हो सके और वहाँ काम ठीक तरह से चल सके।

मैं अन्त में आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहती हूँ। माननीय मन्त्री जी हमारे गोरखपुर नगर में सड़कों की हालत खराब है। वह टूटी-फूटी हैं उनके लिए अपने स्तर से आप बजट भेज दें ताकि वह एक अच्छा नगर बन सके। खराब सड़कों के कारण वहाँ आवागमन अवरुद्ध हो जाता है इसलिए उसके लिए पैसा दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूँ और विरोध पक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करती हूँ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए ज्यादा न कहते हुए दो-चार सुझाव देना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों मेरे महानगरपालिका टांडा में विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी गयी थी जिन परिस्थितियों में मेरठ दंगे हुए थे लेकिन टांडा नगर की जनता की सूझ-बूझ से इस विवाद को दबा दिया गया। नहीं तो वहाँ मेरठ जैसे दंगे हो सकते थे।

हमारे यहाँ टांडा नगरपालिका में नक्शा पास करने में रिश्वत, अनेक अनियमितताएँ की जा रही हैं। मे0 अलीगंज में एक बिल्डिंग बन गयी जो एक तल्ला नहीं वरन् तीन तल्ला बिलडिंग बन गयी और उसके बाद कर्मचारियों ने कहा कि बिलडिंग गलत बनाई है और उसके बावजूद भी तीन दिन में नक्शा पास कर दिया गया, जिस पर सत का चौरा स्थित है जिसको लेकर धार्मिक विवाद खड़ा हो गया जिसको हम लोगों ने मिलकर समाप्त कराया। यह सब कर्मचारियों और अधिकारियों की लूट खसोट के कारण हुआ है। बिल्डिग बनने में तीन दिन में नक्शा पास होने से तथा धार्मिक स्थान भी नक्शे में सम्मिलित किये जाने से जनता में काफी रोष व्याप्त है। इसलिये मन्त्री जी इस तरफ ध्यान दें तथा जांच कराकर उचित कार्यवाही करें।

मान्यवर, मैंने अपने कस्बे के लिये पत्र लिखकर मन्त्री जी से मांग की थी कि भिस्ती दें जिससे वहाँ फैली गन्दगी दूर की जा सके लेकिन जवाब दिया गया कि हम भिस्ती नहीं दे सकते हैं, मैंने कहा कि सफाई कर्मचारी बढ़ा दें तो वह भी नहीं बढ़ाये गये जिससे वहाँ चारों तरफ गन्दगी फैली है जिससे बीमारी फैल रही हैं।

मान्यवर, हमारे जनपद फैजाबाद में 10 तारीख से जलालपुर नगरपालिका में हड़ताल चल रही है जिससे वहाँ जल व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गयी है, लोग एक बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने तथा उक्त क्षेत्र के विधायक द्वारा नियम 201 में यहाँ मामला उठाया लेकिन आज तक उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी और इस सम्बन्ध में मन्त्री जी अधिकारियों को कुछ आदेश दे चुके हैं, उनका पालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें, यदि कार्यवाही नहीं कर सकते हैं तो मैं मान लूं कि मन्त्री जी की विभाग पर पकड़ मजबूत नहीं है। इसलिये इस पर मन्त्री जी ध्यान दें।

मान्यवर, हमारे नगरपालिका क्षेत्र में कुछ वर्षों पहले रोड रोलर क्रय करने में घोटाला 50 हजारों रुपये का हुआ, जिसको पकड़ा गया जिसमें भूतपूर्व चेयरमैन पकड़े गये, चार्ज साबित हो गया, रिकवरी के आदेश हो गये लेकिन इनके विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, और रिकवरी नहीं होने दे रहे हैं और चेयरमैन तथा उनके लोगों का कहना है कि अगले चुनाव जब होंगे तो उसमें यह भ्रष्टाचार हम दबवा देंगे। इसलिये मन्त्री जी इस तरफ आप ध्यान दें। वरना वही स्थिति होगी जैसे कि अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि तीन रुपये का सामान लाना है जिसमें एक रुपये का यहाँ, एक रुपये का वहाँ और एक रुपये का यहाँ न वहाँ। बीरबल

बीरबल सामान क्रय करने हेतु बाजार पहुँचे और सुबह एक दुकान मिली जिस पर हलवाई जलेबी बना रहा था, बीरबल ने वहाँ एक रुपये की जलेबी खरीदी और एक रुपया भिखारी को दान में दे दिया और एक रुपया जुआ खेल कर जुएँ में हार गया। दूसरे दिन लौटकर उसने बादशाह अकबर को हिसाब दिया कि एक रुपये की जलेबी यहाँ है, एक रुपये का जो दान दिया है वह ऊपर जाने के बाद मिलेगा और एक रुपया हमने जुआँ में खेला जो न यहाँ मिलेगा और न वहाँ मिलेगा। मान्यवर, इसी तरीके से यह सरकार बजट का उलटफेर, चार सौ बीस करके हमारे गरीबों के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है, हमारे क्षेत्र में नगरपालिका नहीं है लेकिन हमारे क्षेत्र में पेयजल योजनायें चल रही हैं।...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था नहीं आप कह रहे हैं, इसलिये आप बैठ जांय।

× श्री सुन्दर सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नगर विकास विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं उसका समर्थन करता हूँ और उस पर दिए गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। हमारे नगर विकास मन्त्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि आदरणीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के एक सच्चे सिपाही होने के नाते उन्होंने उनके बीस सूत्रीय कार्यक्रम की सफलता के लिए जो महत्वपूर्ण घोषणाएँ आज हाउस में की हैं, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। गरीबों और निर्बल वर्ग के लोगों के लिए, जिनकी एक मात्र रहनुमा इन्दिरा गांधी हैं, आवासीय योजनाएँ सुलभ कराने के लिए, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए और अन्य अच्छी-अच्छी सहूलियतें देने के लिए जो साहसिक कदम मन्त्री जी ने उठाए हैं, इसके लिए सभी की ओर से मन्त्री जी का स्वागत होना चाहिए।

आज जिस परिस्थितियों में यह विभाग काम कर रहा है, जो सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से भाग-भाग कर शहरों में आ रहे हैं, उससे हमारे नगर विकास में नित्य नई-नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस सम्बन्ध में यह भी ठीक है कि वह यहाँ आकर तमाम अतिक्रमण आदि करते हैं, जिसको हटाने के लिए बड़ी गम्भीर समस्या हमारे विभाग के अधिकारियों के सामने आती है और उसके लिए वह लोकप्रिय बनने के स्थान पर अलोकप्रिय बनते हैं। लोकप्रिय न बनकर उन्हें विवश होकर इस सम्बन्ध में अलोकप्रिय बनना पड़ता है, और उन्हें अतिक्रकणों को हटाना पड़ता है। तो आज जो उन्होंने गरीबों के लिए बजट बनाया है और नगर को और महानगरों के गरीबों के लिए बनाया है, उसके सम्बन्ध में मैं चाहूँगा कि एक सीमा रेखा बाँध दी जाए कि जो गरीबी रेखा के नीचे के रहने वाले लोग हैं, जो मलिन बस्तियों के रहने वाले लोग हैं, जब

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक उनके आवास की व्यवस्था न हो जाए, जब तक उनके लिए पेयजल की व्यवस्था न हो जाए, जब तक उनके लिए समुचित प्रकाश की व्यवस्था न हो जाए, तब तक अच्छी-अच्छी कालोनियों में कोई सुविधा नहीं दी जाएगी।

हमारे पाण्डेय जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव में बहुत सी बातें इधर-उधर की रखी हैं। आज आपने लखनऊ नगरमहापालिका के बारे में जो बात कही कि यहां की आय बढ़ी है और खर्चे कम हुए हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि यह आँकड़े फर्जी हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मन्त्री जी के आंकड़े अगर फर्जी हैं, तो उनके पास कहाँ के आंकड़ें हैं। बहुत दिन बाद आज लगता है कि नगर महापालिका में कुछ काम हो रहा है। मैं इसके लिए वहाँ के प्रशासक और इन्जीनियरों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने लखनऊ को एक अच्छा नगर बनाने का प्रयास किया है। मैं दक्षिण भारत गया हूँ और वहाँ के बंगलौर और मद्रास आदि नगरों को देखा है। लखनऊ जो कभी भारतीय सभ्यता का केन्द्र था और हमारी अवध संस्कृति का केन्द्र है, वह कुछ दिन पहले कैसा हो गया था, लेकिन आज विकास प्राधिकरण ने अपने साहसिक कदमों से उसे एक अच्छा नगर और उन नगरों की तरह बनाने का प्रयास किया है।

अब मैं इसके साथ अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूँ, मैं एक पिछड़े जनपद बहराइच से आता हूँ। उस जनपद के कैसरगंज में एक टाउन एरिया जरवल है। मन्त्री जी हमारे वहाँ गये थे, वह सबसे खराब टाउन एरिया है, वह घाघरानदी की बाढ़ से डूब जाता है और एक हफ्ते तक वहाँ पानी भरा रहता है। मैंने उसके बारे में निवेदन किया था, उन्होंने बाढ़ में विशेष अनुदान भी दिया था, लेकिन वह वहाँ पहुँचा नहीं है, मैं निवेदन करूँगा कि वह उसके लिए और कोई विशेष अनुदान दिलाने की कृपा करें और वहाँ पर गरीब, निर्बल वर्गों के लिए आवास व्यवस्था की जाए। इस बहराइच नगर में जो बहुत पिछड़ा है, आवास विभाग की कोई योजना वहाँ लागू नहीं की गई है। अतः वहाँ भी आवास विकास की योजना को लागू किया जाए।

पेयजल की व्यवस्था के बारे में मैंने निवेदन किया हमारे जनपद में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। नलकूप निगम या अन्य एजेन्सियों से आपने पेयजल की जो व्यवस्था की है, वहाँ उसका कोई असर नहीं है, जिससे गरीबों की बस्तियों में कोई पानी नहीं पहुँचता है।

तो मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारे जनपद नगरपालिका, बहराइच के लिए, नोटीफाइड एरिया, नानपारा के लिए आप ऐसी व्यवस्था कर दें, जिससे वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो जाय। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

× श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहूँगा कि माननीय मन्त्री जी जिन्होंने कि आज को यह बजट पेश किया है, वह हमारे प्रदेश के एक वरिष्ठ और बुजुर्ग मन्त्री हैं और उन्होंने अपने बजट प्रस्तुत करते हुए यह

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी कहा और इस प्रदेश को विश्वास दिलाया, उन्होंने अपने आप को उत्तर प्रदेश की मां के रूप में प्रस्तुत किया, उन्होंने उपमा दी कि मैं उत्तर प्रदेश की माँ हूँ और माँ की हैसियत से सारे प्रदेश की सेवा करना चाहता हूँ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

उन्होंने शासन के लिए कहा था, शासन जो है, वह माँ और बाप का दिल है।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बाजपेयी के लिए भी कुछ कह दीजिए, मन्त्री जी के लिए तो कुछ कह ही रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, वह हमारे बुजुर्ग माँ और बाप की हैसियत में हो नहीं सकता, क्योंकि वह मेरे सहपाठी हैं और मेरे साथ पढ़े हुए हैं। मान्यवर, जो मन्त्री जी ने यह बजट मां की हैसियत से पेश किया है, खुशकिस्मती है इसके कटौती के प्रस्ताव को माता जी ने ही पेश किया है। मैं मान्यवर, ज्यादा कुछ नहीं कह कर यह कहना चाहता हूँ कि आज का यह बजट और विभाग दोनों माताओं के बीच में समिट कर रह गया है। मान्यवर, मैं दो-चार सुझाव माननीय मन्त्री जी को देना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अगर माननीय मन्त्री जी को ये माता बता रहे हैं, तो ये वर्ण संकर की तरह से न बोलें, अच्छे बेटे की तरह से बोलें।

श्री सत्यपाल सिंह—

मैं अच्छे बेटे की ही तरह से बोलूंगा। मान्यवर, परसों जब ग्राम्य विकास का बजट पेश हुआ था तो विरोधी पक्ष के लोगों ने ग्राम्य विकास मन्त्री जी को बहुत-बहुत बधाई दी थी कि उन्होंने जिला परिषदों के चुनाव की तिथि की घोषणा की थी। आज जनता और सदन की यह आम राय है कि माननीय मन्त्री जी अपने नगरपालिकाओं के चुनाव की तिथि शीघ्र घोषणा करें। मान्यवर, आपसे पूर्व, भूतपूर्व मन्त्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि सितम्बर और अक्तूबर में नगरपालिकाओं का चुनाव करा दिया जायगा। चुनाव तो नहीं हो पाया और वह चले गये। इसके बाद 8 दिसम्बर को सारे विरोधी दल के नेतागण जब माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिले, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम शीघ्रातिशीघ्र चुनाव करा देंगे। मान्यवर, मैं यह चाहूँगा कि आज माननीय मन्त्री जी अगर चुनाव की निश्चित तारीख न बता सकें तो कम से कम चुनाव कराने का निश्चित महीना की घोषणा कर दें।

दूसरी बात माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मुझे कहना है कि आपने कहा है कि हमें नगरपालिकाओं के संसाधन के लिए कुछ न कुछ सुझाव दें। इसके लिए माननीय मन्त्री जी ने 23 सितम्बर को यह कहा था नगरपालिकाओं को चाहिए कि वह अपने लिए संसाधन जुटायें और स्वावलम्बी बनें। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि

माननीय मन्त्री जी इस बात पर विशेष गौर करें। हमारे यहां एक तिलहर नगरपालिका है, वहां के जो गरीब लोग हैं, जहाँ पर कि वाटर वर्क्स की लाइनें, सड़क से गुजर कर गयी हैं, अथवा उनके घरों पर इतना वाटर टैक्स और हाउस टैक्स लगा दिया गया है कि वहां के लोग उससे लाभान्वित होने के बजाय बेहद परेशान हैं। मैं चाहता हूँ कि आप निर्देश दें कि वहां सामान्य जनता को इस प्रकार के फर्जी टैक्स की कठिनाइयों न होने पाये और उन्हें सहूलियत मिल सके।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो यह पुस्तिका पेश की है इसमें नगर शाहजहानपुर में नगर पालिका के कार्य कलापों की बड़ी प्रशंशा की है। एक तरफ तो आप वहाँ के प्रभारी अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसका तबादला कर रहे हैं। तो यह कौन सी बात है। तो या तो आप इस पत्रिका को फाड़ दें नहीं तो उस ट्रांसफर आर्डर को फाड़ दें जो जनहित में होगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय मन्त्री जी जब भी बरेली जाते हैं तो हमारे यहाँ से होकर जाते हैं। बरेली के पड़ोस का जिला हमारा शाहजहानपुर है। वहाँ पर बड़ी खराब सड़के हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री जी केवल उस माँ के समान हैं जो प्यार से पुचकारती भले है लेकिन देती कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिस प्यार से आप पुचकारते हैं उस प्यार से कुछ देने की कृपा करें।

(श्री सुरेन्द्र कपिल को पुकारे जाने पर अनेक सदस्य खड़े हो गये)

(शोर)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

आप सब लोग बैठें।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, जो हमारे माननीय मन्त्री जी ने बजट रखा है, वह वर्तमान परिस्थितियों में जितने संसाधन जुटाये जा सकते हैं, उनमें बहुत संतुलित बजट है। मान्यवर, इस बजट के अन्दर जो आपने छोटे कर्मचारियों की वेतनवृद्धि के बारे में बातें कही हैं, वह वास्तव में प्रशंसनीय हैं। क्योंकि आज की परिस्थितियों में हमारे नगरों में जो छोटे कर्मचारी हैं जिनको धनाभाव है, उनको सहायता देने की आवश्यकता थी आपने दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ और यह उम्मीद रखता हूँ कि माननीय मन्त्री जी जनता के हित के लिये इनके ऊपर जरूर गौर फरमायेंगे। शहरों में आजकल जिस तरह

से गाँव के मजदूर और छोटे तबके के लोग आ रहे हैं, उससे शहरों में चारों तरफ अवैध कालोनियों का निर्माण हो गया है। मैं चाहूँगा कि माननीय मन्त्री जी इस बात का ध्यान देंगे कि वह अपने टाउन प्लानर को यह आदेश दें कि कम से कम सहारनपुर के लिये जो उनकी टाउन प्लानिंग है, उसको वह रिवाइज करायें ताकि वहाँ जो 60-62 अवैध कालोनियाँ बन गयी हैं, उनको रेगुलराइज किया जाय और जो छोटे गरीब आदमी झोपड़ियाँ बनाकर रह रहे हैं, उनकी परेशानी दूर हो सके।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज से 10-12 साल पहले नगर पालिकाओं में जो सफाई कर्मचारी रखे गये थे उनकी तादाद उतनी ही है जबकि आबादी शहरों की बढ़ती जा रही है। मेरा निवेदन है कि शासन इसके लिये और पदों को सृजित करे ताकि सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके और शहरों में सफाई हो सके। हमारे शहर सहारनपुर में कोर्ट रोड पर एक रेलवे ब्रिज है जो जर्जर और बहुत तंग है। इसके बारे में सन् 1970 में जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने इसके लिये कुछ धन दिया था। हमारे शहर की 1/3 आबादी पुल के दूसरी पार रहती है। जिला कार्यालय, छोटे-छोटे बच्चों के नर्सरी स्कूल, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, इन्टर कालेज वगैरह दूसरी साइड में हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनायें होती रहती हैं और उनके शिकार ज्यादातर छोटे-छोटे बच्चे तथा महिलायें होती हैं। उनके हाथ-पैर टूटते रहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इसका जीर्णोद्धार करें और जिस धन की व्यवस्था सन् 76 में की गयी थी, उसका सदुपयोग किया जाय तथा पुल को चौड़ा किया जाय जिससे रोज-रोज जो दुर्घटनायें होती हैं, वह न हों।

सबसे बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ है वह यह है कि वहाँ पर एक स्कैंडिल है जिसके बारे में मैं दो बार अटेंबली में रख चुका हूँ। जितनी अरबन सीलिंग लैंड घोषित की गयी है, जो इसका ध्येय था, उसको पराशायी कर दिया गया है।

और लोगों ने मोनोपोली बना ली है, पैसे के बल पर, सीलिंग के अन्दर जो जमीन छोड़ी गयी थी, बेच कर पैसे बना लिये और उसके लिए सरकारी कर्मचारी दोषी हैं। जमीन बेचने के लिए, उसमें प्राविधान है कि 60 दिन के अन्दर आब्जेक्शन आने चाहिए तभी वह बैनामा करने के लिए इन्टाइटिल हो सकते हैं। पैसा ले कर के अधिकारी सम्बन्धित फाइल को 60 दिन तक उसे दबाये बैठे रहते हैं जिससे विक्रेता को बेचने की इजाजत मिल जाती है और फिर बेच देते हैं। इस तरह से सारी जमीन, शहरों की बिक चुकी है। तो मेरा निवेदन है कि उनके खिलाफ, जो कर्मचारी इसमें दोषी हैं, कार्यवाही की जानी चाहिए।

शिक्षा पद्धति के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहले जो व्यवस्था थी, नगर महापालिकाओं के पास थी। जब से यह सरकार को दी गयी है, दुर्दशा हो गयी है। इसमें मेरा निवेदन है कि इसमें जैसा पहले था, नगरमहापालिकाओं के अन्तर्गत, वैसे ही कर दें ताकि वह सुचारू रूप से चल सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपने मन्त्री जी द्वारा

रखे बजट का स्वागत करता हूँ और माता प्रसाद जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इस अच्छे बजट को निर्विरोध रूप से पास करने दें। जय हिन्द।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, मैं आपको बहुत आभारी हूँ कि कई आपने मुझे नगर विकास मन्त्री जी के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने भाई श्रीमाता प्रसाद जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका हृदय से स्वागत करती हूँ।

मान्यर, जो बजट रखा गया है मुझे उम्मीद थी, बहुत आशा थी कि इससे नगर का विकास होगा, जनता को लाभ होगा लेकिन मैं समझती हूँ कि इस बजट से कोई विकास होने वाला नहीं है। मन्त्री जी का ध्यान मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र गोरखपुर जनपद की ओर आकर्षिक करना चाहती हूँ। गोरखपुर की जनता को, नगर महापालिका बन जाने से और दुर्दशा हो गयी है बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जहाँ आदमियों का चलना दुश्वार हो गया है। कोई प्रशासक अभी तक नियुक्त नहीं किया है और न पैसा ही गया है गन्दगी इस तरह से है कि देखने पर लगता है कि जैसे कूड़ाखाना हो। कहीं-कहीं पानी का भराव है। कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो डेलीवेजेज पर 10-10 12-12 साल से काम कर रहे हैं, साढ़े छ रुपया उनको दिया जा रहा है। सरकार इसको सोचे कि इस मंहगाई के जमाने में यह साढ़े छ रुपया क्या चीज है। नगर महापालिका कर दिये गोरखपुर को लेकिन सड़कों की हालत ऐसी है, कई बार प्रश्न भी किया था, लिख कर भी दिया था, हस्तमपुर से कजाकपुर तीन किलो मीटर सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं भी आदमियों का आना-जाना मुश्किल है। कई बार आपका ध्यान आकर्षित किया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसी कई पुलियाँ हैं, कई सड़के हैं, मन्त्री जी, मैं चाहूँगी कि विशेष रूप से उस पर ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ मैं भाई माता प्रसाद पाण्डेय जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ।

(समय 4 बजे अपराह्न)

× श्रीमती सुमन लता—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय नगर विकास मन्त्री द्वारा प्रस्तुत नगर विकास सम्बन्धी बजट पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का एक ओर स्वागत करती हूँ, और दूसरी ओर विरोध करती हूँ। स्वागत इसलिए करती हूँ, जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है—

निंदक नियरे राखिये
आंगन कुटी छवाय
बिन साबुन पानी बिना
निर्बल करै सुभाय।

(मेजों की थपथपाहट)

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसा कि हर शासक को, हर तंत्र को अपने सामने, जो उसका विरोधी है, रखना बहुत जरूरी है, अगर उसको अपना शासन सही ढंग से चलाना है। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं हमारी सरकार को हमारे माननीय मन्त्री जी को, उन सुझावों का मैं स्वागत करती हूँ। विरोध इसलिए करती हूँ क्योंकि उन्होंने कटौती करके एक रुपया रखा है। मान्यवर, उस एक रुपये में क्या हो सकता है, यह आप सभी जानते हैं। एक गम्भीर समस्या जो हम सब के मन में है, मन में प्रश्न चिह्न के रुप में है कि आखिर जो विकास योजनाएं हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र का विकास हो, उसमें सफलता क्यों नहीं मिलती है? इसका एक मात्र कारण जनसंख्या वृद्धि हम देखते हैं। चाहे हम लोग हों, चाहे अपोजिशन के लोग हों, उनकी सरकार रही हो, किसी पार्टी की सरकार हो, हमारी पार्टी की सरकार हो, इस जनसंख्या वृद्धि ने हमारी योजनाओं को, जितना हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य की पूर्ति में काफी अवरोध उत्पन्न किया है, यह सभी को मालूम है।

जहाँ तक नगर विकास का सम्बन्ध है, मान्यवर, मैं कानपुर शहर से चुनकर आती हूँ। हमारे कानपुर जनपद की जनसंख्या 17,82,665 के लगभग है तथा हमारा जो जिला है, वह 101 वर्ग मील में स्थापित है। उस 'कानपुर जनपद में मेरा जो जनरलगंज विधान सभा क्षेत्र है, वह ऊपर से तो देखने में बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, फूलबाग है, मेघदूत होटल है, वी0 आई0 पी0, रोड है, नगर जो अन्दर की स्थिति है, हमारे क्षेत्र के अन्दर जो लोग हैं, जो हातों में निवास करते हैं, बस्तियों में निवास करते हैं वे तो पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, उनको जो हमारी योजनायें हैं हमारे नगर विकास को, उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहूँगी। माननीय मन्त्री जी हमारे क्षेत्र में एक बनवारी लाल का हाता आता है, यह हाता दो मंजिला बना हुआ है, खड़ंजे भी बिछे हुए हैं, पाइप लाइन भी हैं, सीवर लाइन सब कुछ है, उसको मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत लिया गया है, लेकिन एक दूसरा हाता जो है जहाँ खड़ंजे नहीं बिछे हुए हैं, पाइप लाइन नहीं हैं सीवर लाइन नहीं हैं, उसको उसमें नहीं लिया गया है। मैं चाहूँगी कि आप इन सबसे भी अवगत हों और मेरा विश्वास है कि इस सम्बन्ध में अवश्य ही अपने सम्बन्धित अधिकारियों को उचित आदेश देंगे।

मान्यवर, हमारे जो माननीय सदस्य, माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उन्होंने कहा कि जल संस्थान और जल निगम को एक किया जाय। मेरा भी कहना है कि इन दोनों विभागों को एक करने की बात सन् 1975 में एक ऐक्ट बनाया गया। ऐक्ट नम्बर 43। (इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) मैं मान्यवर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मन्त्री जी से कि उस पर पुनर्विचार करें और दोनों को एक कर दें। आम जनता की यह समस्या है। कभी जल निगम, कभी नगरपालिका जाना पड़ता है और कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करते हैं। हमारी जो आम जनता की समस्या है इस पर पुनर्विचार

किया जाय। एक बात और कहना चाहती हूँ जो हमारा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद है, इसने जो कार्य किया, वह सराहनीय है। विगत वर्षों में इस परिषद ने कितने कार्य किये यह सभी के समक्ष है। दुर्बल वर्ग और मध्यम आय के लोगों के लिये कितने मकान बनाये, कितनी सुविधा दी, यह सभी जानते हैं।

मान्यवर, जो वाटर टैक्स की नई प्रणाली लागू की गई शहरों में, उसको आप देखें। जिनकी वार्षिक आमदनी 360 रुपया है, उनका टैक्स माफ है, यह कार्य रूप में परिणित नहीं है केवल कागज पर है। कागजी घोड़े दौड़ाये जा रहे हैं एक टेबुल से दूसरे टेबुल पर पड़ा रहता है प्रैक्टिकल रूप में उभर कर सामने नहीं आता है। मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे और इस पर कार्यवाही जरुर होगी। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करती हूँ। जयहिन्द।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं माता प्रसाद पाण्डेय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और मन्त्री जी के बजट का स्वागत एक शेर से करता हूँ। मन्त्री जी मेरी बात सुन लें तो ठीक होगा।

"इसका तो गम नहीं के नशेमन उजड़ गया,
इसका कलंक रहेगा के दिन थे बहार के।

मान्यवर, यह रविवार रिसाला है 14 नवम्बर, 19 2 का। मान्यवर, उत्तर प्रदेश जल निगम में डेढ़ साल के अन्दर तीन अभियन्ताओं ने आत्महत्या की है। इसकी तीन लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूँ निगम में आत्महत्या की शुरुआत 1979 में ही हो गई थी न्यू नोएडा डेवलपमेंट अथारिटी (नोएडा), गाजियाबाद के अधिशासी अभियन्ता ए0 के0 शर्मा ने 1 मार्च 1979 को आत्महत्या कर ली। इसके बाद मान्यवर, आज तक तीन आत्महत्याएं हुई हैं। इन इंजीनियरो का उनके परिवार वालों का आरोप है कि जल निगम के उच्च अधिकारी इतनी लम्बी रिश्वत माँगते हैं कि अगर वह रकमें न दी जाय तो किसी किस्म की कार्यवाही करने की धमकी दी जाती है। इसमें से एक अभियन्ता हमारे रामपुर के रहने वाले थे उनके परिवार का भी यही आरोप है। मान्यवर, डेढ़ साल में तीन अभियन्ताओं ने खुदकुशी की है इससे शर्म और अफसोस तथा निन्दा की कोई बात नहीं हो सकती है। हमें उम्मीद है कि हमारे बुजुर्ग वजीर इस मामले में जाती दिलचस्पी लेकर इसका पता लगायेंगे। मान्यवर, पूरे प्रदेश में 3 सहायक अभियन्ताओं की आत्महत्या का श्रेय सिर्फ इसी विभाग को हासिल है, जिसके लिये आप काबिलेमुबारक बाद हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आफीसर इंचार्ज, कमरुद्दीन साहब तीसरी बार आये हैं। उनका ट्रान्सफर हर बार आपके आदेश से रुक जाता है।

श्रीमन्, रामपुर में यह बात मशहूर है कि ट्रान्सफर को आपके दस्तखतों से रोका गया। आपकी सरकार पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन वह बात कह रहा हूँ जो अवाम में आम है कि 4,000/- रु0 की आपके दफ्तर में आपके नाम पर रिश्वत दी गई है। झूठ होगा पर मैं कह रहा हूँ कि 4,000/-रु0 की रकम रामपुर के पुराने कांग्रेसी

नेता लाए और आपको देकर कमरुद्दीन का ट्रान्सफर तीसरी बार रोका गया। यह भ्रष्ट आदमी है जो उस कुर्सी पर जब-जब बैठा है जब वह रहता है पालिका की आमदनी 4,000/- रह जाती है । ए0 डी0 एम0 को बैठाल दिया जाता है तो बीस से पच्चीस हजार रुपये हो जाती है। इस वक्त 27 हजार हफ्ता आमदनी हो गयी है। तीन बार ट्रान्सफर आपके नाम पर रुका है। मेरा इल्जाम है। ऐसे अधिकारी का ट्रान्सफर आपके नाम पर कलंक है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि रामपुर में भ्रष्ट अधिकारियों को रोकने की आपकी पालिसी है। (लाल बत्ती जलने पर) कम से कम समय लेकर कहूँगा-गंगपुर एक गरीब गाँव है यहाँ पर जरखेज जमीन है वह उत्तर प्रदेश का छोटा पंजाब कहलाता है एक रोज तारांकित प्रश्न के जबाब में मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था मुझे जिले का नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा था, हमारी मंशा यह नहीं होती है कि किसी को नुकसान पहुँचे। आवास विकास की कालोनी इसलिए बनायी गयी है कि जनता को सहूलियत हो। गरीब की जमीन आ रही है तो हमारी पालिसी गरीब को तंग करने की नहीं। उस उक्त भी मैंने कहा था और आपने आश्वासन दिया था कि इसको इन्क्वायरी करा लो जायेगी।

(व्यवधान)

आज भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि गंगपुर की जमीन के मालिकों के पास आधे आधे बीघे जमीन है। यू0 पी0 का पंजाब कहलाता है कैसा जुल्म है कि गरीबों की रोजी छीन कर अमीरों की कोठियां बनवाना किस इंसाफ की बात है। सदन के माध्यम से मा0 मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि तीन चार हजार गरीब लोग आधे बीघे जमीन पर जिन्दगी बसर करते हैं उनको राहत दी जाय और इस जमीन को छीन कर कोठियाँ बनाई जांय।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री मुहम्मद आजम खाँ—

धन्यवाद।

श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझको आवास एवं विकास मंत्री के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मंत्री जी के बजट का हार्दिक स्वागत करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। कुछ सुझाव आपके माध्यम से मा0 मन्त्री जी को देना चाहता हूँ। मान्यवर, सारे लखनऊ में, विशेषकर हमारे क्षेत्र में पानी की स्थिति बहुत खराब है। लखनऊ में पिछले साल तक 35 लाख गैलन पानी रोजाना आता था। इस वक्त प्रेशर की हालत यह है कि 15 लाख गैलन पानी रह गया है। लखनऊ पानी के लिए तरस रहा है। मोलवीगंज, मसकगंज, खजुहा, चौधरी गढ़इया, बबरची टोला, छाछी कुआँ, बीबी गंज, टिकैतगंज, चौपटिया, कंकड कुआं, गुलजार नगर इत्यादि मुहल्ले हैं जहाँ देखा जा सकता है कि छोटे बच्चे जग लिए हुए पानी

के लिए तरसते रहते हैं। रात में 12 बजे से 2 बजे तक प्रेशर आ पाता है। उस समय लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वह इस ओर ध्यान दें। पीने के लिए हमारे क्षेत्र में अगर पानी नहीं मिलेगा तो प्रधान मंत्री के कार्यक्रमों का क्या फायदा होगा ?

इसके अतिरिक्त हमारे वाटर वर्क्स का खर्चा बहुत अधिक हो गया है। नियुक्तियाँ दो गुनी, तीन गुनी कर गई हैं जिन अधिकारियों को अधिकार नहीं है, वह भी नियुक्तियाँ कर देते हैं। शासन से या डाइरेक्टर से परमीशन नहीं लेते हैं। खर्च तो वाटर वर्क्स ने बढ़ा दिया है परन्तु सारे के सारा शहर पानी के लिए तरस रहा है।

मान्यवर, इसी के साथ ही हमारे क्षेत्र में जल निगम की आर से तीन ट्यूबवेल लगाये गये थे, एक टिकैतगंज का तालाब, बीबीगंज और आया नगर में। लाखों रुपये इन पर खर्च हुए हैं। अधिकारियों के आश्वासन देने के बावजूद भी वे ट्यूबवेल आज डेढ़ साल से पड़े हुए हैं। वे अभी तक चालू नहीं किये जा सके। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूँगा कि वे जल्द से जल्द इन ट्यूबवेलों को ठीक करने की व्यवस्था कराने की कृपा करें ताकि वहाँ लोगों को पानी मिल सके। इस वक्त पानी की जो लाइनें हमारे यहाँ जल निगम द्वारा डाली गई है, उसका 50 प्रतिशत अभी तक चालू नहीं की जा सकी है। ज्यादातर लाइनें डिफैक्टिव हैं। इस खराबी की वजह से या डर से उनको चालू नहीं किया जा रहा है क्योंकि चलाने पर उनमें कहीं न कहीं खराबी आ ही जाती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि गर्मियों का मौसम आ रहा है। इस पानी की लाइनों को आप तुरन्त चलाने हेतु आदेश देने की कृपा करें। क्योंकि पिछली बार भी आपके अधिकारियों ने आश्वासन दिया था लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अब मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान लखनऊ एल0 डी0 ए0 की तरफ दिलाना चाहता हूँ जहाँ पर इस वक्त कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर जो ईंट तथा मसाला निर्माण कार्यों में लगाया जा रहा है, वह बहुत ही खराब है और जनता का रुपया बर्बाद किया जा रहा है। इसके अलावा इन्जीनियर साहब के सीनियर इन्जीनियर अपनी जगह पर बैठे रहते हैं तथा जूनियर इन्जीनियर का ट्रांसफर किया जा रहा है। इस प्रकार वहाँ की हालत बहुत ही गम्भीर है। वहाँ के अधिकारियों का रवैया ऐसा है कि अतिरिक्त सचिव, श्री ए0एन0 सिंह का व्यवहार जनता के साथ अच्छा नहीं है और हम लोगों के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। इसके अलावा मान्यवर, हमारे सचिव, श्री पी0 एन0 मिश्र भी विधायकों से बात नहीं करते हैं, कमरा बन्द कर के बैठ जाते हैं। चक्कर लगाने पड़ते हैं उनसे मिलने के लिए। वे समझते हैं कि मैं तो सचिवालय से गया हूँ और विधायकों को तो यूँ ही चरा लूँगा। जब भी उनसे मिलते हैं तो वे हेट करते हैं तथा हूटिंग से बात करते हैं। अधिकारियों की इस मनोवृत्ति की तरफ भी माननीय मन्त्री जी जरा ध्यान दें।

आज सफाई की स्थिति तो बहुत ही खराब है। पार्कों पर नाजायज तरीके से बेशुमार कब्जे हो रहे हैं। जहाँ तक पालिकाओं तथा नगर महापालिकों का सम्बन्ध है, उनकी हालत बहुत ही खराब है। अभी हाल ही में प्रशासक के साथ दौरा किया गया था तो देखा गया कि कैम्बिल रोड वगैरह खराब पाये गये। मैं आपके माध्यम से माननीय

मंत्रीजी से चाहूँगा कि वह जल्द इनको ठीक करने की व्यवस्था कर दें। इसके अतिरिक्त मोहान रोड, आलम नगर रोड टूटी पड़ी हुई है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूँगा कि वह इन्हें भी जल्द से जल्द ठीक करने की व्यवस्था कर दें। इन सुझावों के साथ ही मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्रीजी मेरी इन बातों पर ध्यान देंगे।

× श्री विद्या सागर नौटियाल—

श्रीमान्, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं संक्षेप में ही अपनी बात कह दूँगा। मान्यवर, मुझे शुरुआत यहाँ से करनी है। पूरे पहाड़ों के अन्दर जितनी नगरपालिकाएं और जितने टाउम एरियाज हैं, उनको भूमि का कोई स्वामित्व नहीं है। इस प्रकार अपना भूमि के ऊपर कोई स्वामित्व न होने के कारण उनके विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय श्री खन्ना जी से निवेदन करूँगा कि वे इसे टालें नहीं। इससे पेश्तर आप किसी दूसरे मंत्रालय में तशरीफ लायें और उससे पहले आप इस काम को कर देंगे तो हम लोग आपको बहुत याद रखेंगे पहाड़ों में।

श्रीमन्, मैं जल निगम के बारे में कहना चाहता हूँ। जल निगम और जल संस्थान के बारे में यह कहा जा रहा था कि पहाड़ों में इसे एक किया जा रहा है लेकिन पिछले तीन सालों से यह लगातार बात कही जा रही है परन्तु अभी तक वह एक नहीं हो पाया है। इससे पहले भी एक माननीय सदस्य ने इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था कि जल निगम और जल संस्थान के कार्य क्या-क्या हैं। जल निगम निर्माण का कार्य करता है तथा जल संस्थान मेन्टिनेन्स का कार्य करता है। इस प्रकार दोनों के बीच में लगातार झगड़ा बढ़ता जा रहा है और उन झगड़ों के कारण जनता बेहद परेशान है और साथ ही साथ क्वालिटी में भी कमी होती जा रही है।.....

यह जो आवास विकास परिषद है, मैं इसके बारे में मा० मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भाई आजम साहब ने कहा था कि गरीबों को बेघर कर अमीरों को नहीं बसाना चाहिये। उत्तर प्रदेश एक गरीब राज्य है। यहाँ पर जो भी कृषि भूमि उपलब्ध है, उस पर कालोनीज बनती जा रही हैं। पूरी दुनिया में फिनोमिना है कि गांव के लोग नगर की दिशा में आ रहे हैं और नगर गाँव की ओर भाग रहा है। आप इन एक मंजिला भवन का बनाना बन्द कीजिये। यह राज्य बर्दाश्त नहीं कर सकता कि थोड़े से लोगों के लिये, उनकी ऐशो-इशरत के लिये, जैसे अंग्रेजों के जमाने में काफी जगह घेर-घेर कर कोठियाँ बनाया करते थे, वैसा आप करें। आप 5-6 मंजिले भवन बनाइए, सड़कें बनाइए, स्कूल बनाइए, पार्क बनाइए, लेकिन उस जमीन पर, जिस पर खेती करके अनाज पैदा कर सकते हैं, उसको बख्शिये।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद आवास विकास परिषद में बड़ा गोल माल है। एक-एक मा० विधायक इस बात का गवाह है कि आदरणीय विधायकों के पत्रों

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का उत्तर तक आवास विकास परिषद नहीं देता है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि जब टेलीफोन पर पूंछा कि पत्र का उत्तर क्यों नहीं देते हैं, तो एक अफसर दूसरे पर टाल देता है। आप विदेशों में बसने वाले लोगों से फारेन करेन्सी लेते हैं, लेकिन पैसा कहाँ जमा हुआ ? इसका हिसाब नहीं बताया जाता है। जो आदमी बाहर है उसका पैसा जमा हो गया, वह हार्ड करेन्सी जमा होती है, जब पूछा जाता है तब भी कोई हिसाब नहीं दिया जाता है। आप चैक करा लें, इसमें गोलमाल है। आवास विकास परिषद के काम की क्वालिटी खराब है। देहरादून में देखा कि आधा फुट की बुनियाद नहीं मिलेगी और उस पर दो मंजिले मकान खड़े हैं। मैनपुरी के अन्दर बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन पर आवास विकास परिषद की कालोनी बनाया जाना प्रस्तावित है। मैं निवेदन करता हूँ कि अपने भवन आकाश की तरफ बनायें और खेती की भूमि को छोड़ें। इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री बिशन लाल --

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया।

मेरे जनपद बिजनौर के अन्दर मेरे नगीना क्षेत्र में केवल एक ही नगरपालिका है। जब से यह सरकार आयी है, नगरपालिका, नगीना को कोई ग्राण्ट या अनुदान नहीं दिया गया। हो सकता है कि किसी कमी की वजह से उसको डिफाल्टर घोषित किया हो, परन्तु मेरा निवेदन है कि जो आज तक मिलने वाली ग्राण्ट थी, वह उसको दी जाय। नगरपालिका, नगीना में अभी तक कोई भी टाउन हाल नहीं है। ग्राण्ट न मिलने की वजह से मच्छर बहुत पैदा हो जाते हैं। सैकड़ों आदमी मलेरिया से और डेंगू बुखार से मरे हैं, कोई प्रबन्ध नहीं हो सका है। अनुदान न मिलने से सड़कों की हालत खराब है, गन्दगी फैली हुई है।

यह वह नगर है जहाँ पर हाफिज मोहम्मद इब्राहीम साहब का जन्म हुआ था। इस शहर को देखने के लिये और जहाँ पर वह बैठा करते थे और अपना काम किया करते थे, उस स्थान को देखने के लिए आज तमाम जनता आती है, तो वहाँ की जनता गंदगी को देखकर क्या प्रभावित होती होगी, जिन्होंने स्वतन्त्रा संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके ही इस शहर में इतनी गंदगी हो। मान्यवर, इस शहर को तो सजाया जाना चाहिये था।

दूसरे वहाँ पर जो पानी की टंकी है, बिजली व्यवस्था सही होने की वजह से पानी भी नागरिकों को सही तौर पर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह हमारे उस नगीना शहर की गंदगी को दूर करने के लिए तथा पानी व्यवस्था को सही करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं ताकि वहाँ की जनमानस की समस्या जो मुख्य रुप में हैं, हल हो सके। दूसरे, मान्यवर, माननीय मन्त्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो चुनाव शीघ्र कराये जाने की घोषणा की है, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि उसकी एक डेट भी फिक्स कर देनी चाहिए।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारे जनपद में हल्दौर टाउन एरिया है जिसका सीधा सम्बन्ध जनता से है, जहाँ की आबादी अब बहुत बढ़ गयी है और नगरपालिका की वहाँ पर सारी शर्तें पूरी हो गयी हैं, इसलिए माननीय मन्त्री जी से निवेदन करुंगा कि उसे शीघ्र ही नगरपालिका घोषित कर दिया जाए। साथ ही साथ नगरपालिकाओं में वहाँ पर जो आरक्षण की स्थिति है वह भी ठीक नहीं है, केवल छोटे कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी के उनके वेतन में आपने वृद्धि की है और आपने समझ लिया कि हमने इनका आरक्षण पूरा कर दिया, ऐसी बात नहीं है, यह आरक्षण क्लर्क तथा दूसरे जो अन्य लोग हैं, उनमें भी पूरा किया जाए। इसके साथ-साथ ही मैं नगीना शहर में एक स्लप्टर हाऊस है, इससे भी गंदगी काफी वहाँ बढ़ रही है। इसलिए मैं इस ओर भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इसके लिए शहर के बाहर जमीन एक्वायर करके बना दिया जाए ताकि इससे भी कुछ गंदगी में कमी आए। इसके साथ में मैं ज्यादा कुछ न कहकर माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

× श्री भगवान दीन कुशवाहा —

मैं आपका मान्यवर, आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मान्यवर, माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं विरोध करता हूँ क्योंकि यह जन विरोधी, किसान विरोधी और गरीब विरोधी है और मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, माननीय सुमनलता जी ने जो चर्चा जन संख्या देश की व प्रदेश की बढ़ने के सम्बन्ध में की, तो यह इन्हें नहीं करना चाहिए कम से कम क्योंकि इन्होंने स्वयं इस विषय में पहले की है, समय से पहले शादी करके और शादी के चार माह बाद ही बच्चा पैदा करके।

श्री अध्यक्ष —

आपको किसी के ऊपर व्यक्तिगत रुप से कोई बात कहने का हक नहीं है। आप कृपया बजट पर बोलिये।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, कानपुर शहर में बड़ी गंदगी है। वहाँ का हर मार्ग गंदा है, हर सड़क पर कूड़े के ढेर, जो मुख्य सड़कें हैं, वहाँ पर भी, बस स्टेशन पर भी कूड़े के ढेर नजर आयेंगे, जिससे आवागमन में काफी गति अवरोध उत्पन्न होता है। दूसरे मान्यवर, वहाँ पर महिला पेशाब घर की व्यवस्था भी सही नहीं है और यह इंदिरा शासन की व्यवस्था है, कि जहाँ पर महिलाओं को पैशाब करने की जगह तक नहीं है।

कानपुर शहर के अन्दर 100 से ज्यादा मेनहोल ऐसे हैं जिनके ऊपर कबर नहीं है।

(व्यवधान)

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बजट पर बोलें।

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

मेनहोल के ढक्कन न होने के कारण अकसर बच्चे उसमें गिर जाते हैं, नई दुर्घटनाएं आये दिन हुआ करती हैं। मैं चाहता हूं माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें।

जो बैराज योजना चल रही है, उस पर भी प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाये और काम शुरु कराया जाये।

डेरापुर, कानपुर देहात को टाऊन एरिया घोषित किया जाये। रसूलाबाद को भी टाऊन एरिया घोषित किया जाये।

कानपुर देहात के बर्रा और गुजैनी के लोगों की मुआवजे की मांग पर, जिसको लेकर वे लोग आन्दोलन कर रहे हैं, एक महीना हो गया, माननीय मन्त्री जी ध्यान देने की कृपा करें। मैंने नियम 301 में भी वह प्रश्न उठाया था, आज तक मुझे उत्तर नहीं मिला। वहाँ के लोगों की जमीन 4 आना गज पर ले ली गयी और 100 रुपये गज पर बेची गयी है। आपने जिस दर से मुआवजा बड़े-बड़े किसानों को दिया है, उक्त गाँवों के किसानों को भी, जिनकी जमीन ली गयी है, उसी दर पर मुआवजा दिया जाये।

(व्यवधान)

एक जानकारी मुझे विश्वस्त सूत्र से यह मिली है कि अगर माननीय श्यामलाल बाजपेयी जी को मन्त्री नहीं बनाया गया तो वे आत्महत्या कर लेंगे। इस पर भी माननीय मन्त्री जी विचार करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का सवाल है। मेरे आस-पास जो माइक लगे हैं, उनसे बिलकुल आवाज सुनायी नहीं पड़ रही है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको दिखवा रहा हूं।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने इस नगर विकास के बजट पर जो अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनसे यह दरख्वास्त करुंगा कि इतने अहम बजट पर उनको बजाय कटौती के कुछ बढ़ाने का प्रस्ताव रखना चाहिये था। यह इतना महत्वपूर्ण और अहम विभाग है कि इसके द्वारा ही पूज्य महात्मा गांधी के स्वप्नों को पूरा किया जा सकता है और शहरों का विकास हो सकता है।

मान्यवर, यह हमारे देश और प्रदेश की बदनसीबी है कि सड़कें नहीं न शहरों में और न देहातों में। मैं नगर विकास मन्त्री से दरखास्त करुंगा कि कम से कम ऐसे तत्व जो नगरों में हैं जो कि कम्यूनिज्म फैलाते हैं और सेक्यूलरजिम को दफनाये हुए हैं। मेरा सुझाव है कि नगर विकास विनाश की तरफ जा रहा है।

श्री आजाद कुमार कर्दम—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी जो माननीय सदस्य स्पीच दे रहे थे उन्होंने उसमें कहा कि माननीय श्यामलाल बाजपेयी आत्महत्या करने वाले हैं, मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा ?

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

इसलिये कहा कि जीवन-मरण का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, माननीय सदस्य को बोलने दीजिये ।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यव, श्री श्यामलाल बाजपेयी, बाराबंकी के (×××)

श्री अध्यक्ष—

कृपया करके आप बैठें और माननीय सदस्य को बोलने दें । आप लोग समय का सदुपयोग कीजिये । बाजपेयी जी, आप भी बैठें ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, ये सब लोग क्या [×××] हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । इस तरह की कोई चीज होगी तो मैं उसको निकलवा दूंगा ।

श्री मन्जूर अहमद —

35 बरस हो गये आजादी मिले और इस आजादी के मिल जाने के बाद नगरों की हालत आज भी ऐसी है कि न पीने का पानी, न सड़कें, न बिजली और न चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं है । नगरों में । मान्यवर, आप भी इससे वाकिफ हैं कि नगरों के हिस्से में, शहरों में जहां पर की आबादी 40-40 हजार की है वहां पर शिक्षा का कोई केन्द्र नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली नहीं, सड़कें नहीं, यहाँ तक महानगरों में पीने के लिये साफ पानी नहीं है ।

सबसे बड़ी खेद की बात तो यह है कि 1960 में जितने सफाई कर्मचारी थे आज भी इतनी आबादी बढ़ने के बाद भी सफाई कर्मचारियों की संख्या उतनी की उतनी ही बनी हुई है । इस महात्मा गाँधी के देश में आज भी हमारी बहनें और भाई घरों से पाखाना उठा कर ले जाते हैं । मैं मंत्री जी से दरखास्त करुंगा कि किसी भी ढंग से

नोट : [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

इतने भाईयों के सर पर जो पाखाना उठाने का कार्यक्रम है, इसको बन्द कीजिये । इसको चाहे मशीनों के जरिये, गाड़ियों के द्वारा या ट्रकों के द्वारा पाखाना इधर से उधर ले जाना पड़े, इसकी व्यवस्था शहरों में होनी चाहिये ।

आज हमारे एक भाई ने जल निगम के बारे में कहा। यह ठीक है कि हमारे यहां एक जल निगम है और एक आवास-विकास निगम है । मैं मान्यवर, मेरठ की एक बात कहना चाहता हूँ कि वहां पर आवास विकास निगम ने गरीब काश्तकारों की जमीन ले कर एक रुपया, डेढ़ रुपया का उन्हें मुआविजा दे कर ले लिया और फिर उसे 70,80,90 या 100 रुपये तक में बेच रहे हैं ।

परन्तु मैं चाहूँगा कि जब समाजवादी विचारधारा की सरकार है, मेरी कोशिश है और मेरी उम्मीद है कि काश्तकारों को जो भी मुआवजा दिया गया है, उसकी दर को बढ़ाया जाये ।

शहरों में चौधरी साहेब के जमाने में, जब वह मुख्य मन्त्री थे, सन् 1968 में, तब नगर महापालिकाओं के चुनाव हुए थे तब से आज तक चुनाव नहीं हुए हैं । मान्यवर, यह जनतंत्र कैसा है कि विधान सभा और लोक सभा के चुनाव होते हैं परन्तु नीचे की इकाइयों का चुनाव नहीं हो पा रहा है मेरी दरख्वास्त है कि उनको पूरा किया जाये और कम से कम जो गन्दगी शहरों में है उसको दूर किया जाये । गरीब लोगों को जो पानी नहीं मिल पाता है, उसकी व्यवस्था की जाये । मान्यवर, मैं यहीं लखनऊ का एक मामला आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सी0-ब्लाक के पास जो नगरपालिका का पार्क है, उसके कोने पर एक 7 मंजिला होटल बन गया है । सरकारी जमीन है, नजूल की जमीन है, नाजायज कब्जा कर लिया और इतना बड़ा होटल बना लिया । अगर कोई गरीब आदमी छोटी-मोटी जमीन पर कब्जा कर लेता है तो उसको गिरा दिया जाता है, लेकिन जो बड़े-बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता है । 7 मंजिला होटल बन गया है, उसको गिराने के लिए सरकार द्वारा कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता है ।

×श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया और ठोस सुझाव भी दिये और अपनी-अपनी भावनाएं भी व्यक्त की हैं । मान्यवर, जो नगरपालिका और नजूल की जमीन है उसका रख रखाव ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है । इसका हिसाब रखने के लिये नगरपालिका में और कलेक्टर के यहाँ पर दोनों जगह पर रखना चाहिये अगर कोई अतिक्रमण होता है जो दोनों को मिलाकर देखना चाहिये । इसके बारे में तमाम शिकायतें आयी हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे बहुत गड़बड़ी है । माननीय मन्त्री जी इस जमीन का सारे प्रदेश में एक सर्वेक्षण करा लें और उसको खुले

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाजार में बेच दें तो नगरपालिकाओं की आय बढ़ सकती है। मान्यवर, सुमनलता पाण्डेय ने एक दोहा मेरे लिए पढ़ा इसलिए मैं रामायण की एक चौपायी पढ़ता हूँ—

फूलहिं-फलहिं न वेद यद्यपि सुधा बरसहिं जलधि।
मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहिं विरंचि सम।

ये रामायण की चौपाई की लाइनें हैं।

श्री अध्यक्ष -

सुमन लता पांडेय यहां कोई नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय --

श्री सुन्दर सिंह जी ने कहा कि हरिजनों के बारे में बड़ा काम सरकार ने किया है।

श्रीराम गोविन्द--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि अभी माननीय माता प्रसाद पांडेय ने श्रीमती सुमन लता पाण्डेय का नाम लिया और आपने कहा कि यहाँ सुमन लता पांडेय कोई नहीं है.....

श्री अध्यक्ष --

मैंने कहा सुमन लता पान्डेय यहां कोई सदस्य नहीं है।

श्रीराम गोविन्द --

जी हाँ, हैं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठें।

श्री माता प्रसाद पान्डेय --

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने केवल 32 हरिजन आवास बनाये हैं, जब से यह प्राधिकरण बना था इस पर माननीय सुन्दर सिंह जी ने संदेह प्रकट किया था। सफाई है मजदूरों के बारे में जैसा कि मंजूर साहब ने कहा हर दस हजार की जनसंख्या पर 60 से 65 सफाई मजदूर रखे जायेंगे लेकिन इस नियम का पालन किसी भी टाउन एरिया और नगरपालिका के अन्दर नहीं किया गया है। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। मान्यवर, मैं जिस जिले से आता हूं वह एशिया में बहुत बड़ा जिला है उसमें 37 थाने हैं और 19 म्यूनिसिपलिटी है और मैं उस जिले के जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर न कोई टाउन एरिया है और न कोई नगर पालिका है। वहाँ पर जो सड़कें हैं, वे सारी धाराशायी हो गई हैं। वहाँ पर जल निगम ने जो पानी टंकी बनायी है, उसमें पानी चढ़ता ही नहीं हैं। आपका नियम है कि ऐसी टंकियों में 25 फिट तक पानी पहुँचना अनिवार्य है और वहाँ पर नीचे को सतह तक ही नहीं पहुंच पाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसकी आप व्यवस्था करें।

झांसी में जो पेयजल योजना बनी है, जैसा कि अग्निहोत्री जी ने बताया, उसमें अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। आजमगढ़ में तो आपने टाउन एरिया कर

दी क्योंकि वहां के आपके दल के लोग थे। लेकिन ऐसा कि माननीय फिरंगी प्रसाद जी ने कहा उनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि वे हमारे दल के थे वहाँ भी 60 प्रतिशत किसान हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक बाजार है, उसको भी टाउन एरिया बना दें। इन शब्दों के साथ मैं उन सभी माननीय सदस्यों का अभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया है और इसी सद्भावना से मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करता हूँ कि आने वाले दिनों में जब यह बजट पास हो जायेगा तो आप टाउन एरिया, नगरपालिकाओं का चुनाव करा देंगे और आई0 ए0 एस0 और पी0सी0एस0 अधिकारियों के हाथ से वहां की बागडोर जन प्रतिनिधियों के हाथ में उसे दे देंगे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —

मान्यवर, मन्त्री जी झांसी की पेयजल योजना के बारे में बता दें।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह खन्ना —

आप लोग मेरी बात सुन लें। मैंने आपकी सुन ली। मान्यवर, हमारे, फखरे आलम साहब ने सवाल उठाया कि भिस्तियों को उतना पैसा नहीं दिया जाता है जितना की सफाई कर्मचारियों को दिया जाता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उनको भी वही तनख्वाह दी जाती है और उनकी तनख्वाह में भी 50 रुपये की वृद्धि की गयी है जो लोग नियमित हैं हाउसिंग के बजट के बारे में माननीय सदस्यों ने जिक्र किया ? हुडको से 15 करोड़ रुपया लिया है कर्ज के रूप में और उससे काम चलाया जायेगा। साथ ही 87 प्रतिशत निर्बल वर्ग के मकान बनाये जायेंगे। माननीय अकबर हुसैन ने नजानकारी में यह जिक्र किया कि 25 लाख रुपये किसी बिल्डिंग के लिये दिये हैं। मैं कभी किसी व्यक्तिगत चीज के बारे में नहीं कहता। लेकिन सदन के अन्दर जब एक सम्मानित सदस्य कोई बात कहता है तो वह यह समझ कर कहता है कि मैं यह बात सही कर रहा हूं और इसलिए वह सदन में उस बात को रखता है। मैं बता देना चाहता हूं कि यह 25 लाख रु0 की बात आपने कही अगर 25 करोड़ की बात आयेगी जहां तक पंडित श्रीपति मिश्र और रामसिंह खन्ना की बात है उसमें कोई सवाल नहीं होता हम उसको भी ठुकरा देंगे। (तालियाँ) इस सार्वजनिक जीवन में अगर कोई चीज है तो वह इन्सान का चरित्र है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा जब तक आप लोगों को पूरी बात मालूम न हो एक दूसरे पर जो बड़े बड़े ओहदों के लोग हैं, दोषारोपण करेगें तो इससे लोगों में अविश्वास पैदा होता है। हम रात दिन मेहनत करते हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं, एक टूटे छप्पर में रहते थे और यहाँ कुछ सोचकर आये थे कि सेवा करेंगे, हमने अपना जीवन देश सेवा में लगाया है, पैसा तो रंडियों के पास भी होता है, 35 साल का हमारा सार्वजनिक जीवन रहा है। अगर आप इस प्रकार गलत आक्षेप लगायेंगे जिसने अपने रहने के लिए कोई मकान नहीं बनाया, कोई जगह नहीं ली, उस व्यक्ति पर यह आरोप लगायेंगे तो उस आदमी की विडम्बना आप सोच सकते हैं। आप किसी अज्ञानता के कारण कह दें तो उस पर क्या असर पड़ता है।

मैं निवेदन करूंगा, यहां पर बहुत से नौजवान लड़के हैं, उनको कुछ ऐसे लोग हैं जो कामों में रुकावट पैदा करते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए आपको भ्रमित करके इस तरह का प्रोपोगंडा आपके जरिये से करवाते हैं, उनसे आप लोग सचेत रहें। (तालियाँ) आपने गोपाल एपार्टमेंट की बात कही। मैं कहता हूं और भी जो इस प्रकार के मामले हैं जो कानून के खिलाफ हैं चाहे उनका कितना ही आधिपत्य हो जैसा कि मैंने सवाल के जवाब में भी कहा था और फिर कहता हूँ आप जाकर तहतीकात कर लें किसी को बख्शा नहीं जायेगा। किसी से हमारी इस प्रकार की बात हुई हो आप बता दें। आपने बेचारे श्रीपति मिश्र का नाम ले लिया, रामसिंह खन्ना कर नाम ले लिया। राम सिंह खन्ना लाखों पर ठोकर मारता है। (तालियां) चार हजार लेकर दो सफर कराने की बात करते हैं। आप पार्लियामेंट के मेम्बर की बात करते हैं, रामपुर के पार्लियामेंट के मेम्बर की बात कहते हैं, एक को ईमानदार और दूसरे को गलत तो आपको सोचकर बात करनी चाहिये (तालियां) आपको जिन बातों की जानकारी नहीं है मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ (व्यवधान) मुझको कोई गुस्सा नहीं है, मेरे ऊपर उसका असर नहीं होता, लेकिन मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि जो दायरों पर बैठे लोग हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ता है, आप हम पर लाँछन लगायें और हम आप पर लाछन लगायें और उससे हम संतोष कर लें लेकिन उन लोगों पर इसका क्या असर होता है, वह सोचते हैं किस तरह के लोग हैं। एक गलत असर उन पर पड़ता है।

जहाँ तक कहा गया कि नगरपालिकाओं में जो कार्य होता है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। इसके लिए मैंने फैसला किया है। हम एक टैक्निकल सेल बना रहे हैं जो इस बात की जाँच करेगा। विकास प्राधिकरण में भी एक सैल बनेगा, निदेशालय में भी बनेगा।

जहाँ तक पानी की व्यवस्था का सम्बन्ध है, उसके लिए हम पूरे तौर पर जागरुक हैं। उसमें हम जानते हैं कुछ दिक्कतें हैं जिनका हमको एहसास है। लेकिन कहना चाहता हूँ कि हमने कानून बनाये हैं एक दम हम किसी चीज को नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके कई पहलू होते हैं, सब पर विचार करना होता है, सबको सोचना पड़ता है तब निर्णय होता है। इस प्रजातांत्रिक पद्धित की जहाँ खूबियाँ हैं, वहाँ एक कमजोरी भी है कि इसमें फैसला देर से होता है, लक्ष्यों की प्राप्ति देर से होती है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिस जिम्मेदारी को हमें दिया गया है, उसे ईमानदारी के साथ जो हमारी हैसियत है, उसमें पूरे तौर से जनहित में निभाने की कोशिश करते हैं। जहाँ गलती उसमें हमें अफसोस नहीं होता है कि आप उसे हमें कहें। हमने हमेशा गरीबों की बात कही है, हम वसूलों से बन्धे हुए हैं और हम समाजवाद के लक्ष्यों की ओर इसे ले जाना चाहते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि किसानों का नुकसान होता है, जमीम ले ली जाती है, तो मैं समझता हूं कि उनको तकलीफ होती है लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुये उद्योगों को देखते हुये उनकी सारी दिक्कतों का समन्वय करना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा किसी को फायदा हो सकता है तो वह हो और हमारी निगाहें गरीबों और कमजोरों के प्रति लगी रहती हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।

मान्यवर, जहाँ तक कार्यान्वयन का प्रश्न हैं, मैं नहीं कह सकता कि ठीक हो रहा है, गलती भी हो सकती है, लेकिन गलती अज्ञानता से भी हो सकती है जैसा कि श्री अकबर हुसैन ने जिक्र किया तो वह अज्ञानता से किया था ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण मन्त्री जी से चाहता हूं कि नगरपालिका, टाउन एरिया आदि जहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं, वहां धोबी भी रहते हैं तो उनके लिये तालाबों में घाट की कोई व्यवस्था नहीं की है जिससे जल विषाक्त होता है, कीटाणु पैदा होते हैं और संक्रामक रोग फैलते हैं, इसलिये क्या मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि धोबियों के लिये घाटों की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, यह सही बात है। अच्छा सुझाव है। नदियाँ दूर होती जा रही हैं, वहाँ वह धोबी लोग जा नहीं पाते हैं, मकान बनते जा रहे हैं जिससे उनको दिक्कत है, इसलिये इस पर सोचकर जो हो सकता है वह हम करेंगे।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, उ0 प्र0 जल संस्थान कर्मचारी संघ का एक पंच निर्णय एवार्ड द्वारा हुआ है जो उ0 प्र0 श्रम विभाग अनुभाग 1 दिनांक 8 जनवरी, 1982 को प्रकाशित हुआ है, यह एवार्ड क्या शासन लागू करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, इस पर विचार हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विधायकों के आवास के सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, विधायकों के आवास के सम्बन्ध में बतायें ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, विधायकों के आवास के सम्बन्ध मे एक कमेटी बन गयी है जिसमें वित्त मन्त्री, संसदीय कार्य मन्त्री, नगर विकास मन्त्री हैं और इस सम्बन्ध में जमीन ले ली गयी है, नोटिफिकेशन हो गया है, इसलिये आवास के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप लोग बैठ जाँय।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, जो विकास प्राधिकरण बनाया गया है उसको नियंत्रित करने की हम

कोशिश कर रहे है। जहाँ तक झाँसी में पानी के बारे में जो कहा गया है तो उसमें शासन के विचाराधीन मामला है और सारी चीजें वहां शासन करेगा चूंकि पानी की उपलब्धता आवश्यक है जिसको सभी जानते है इसलिये उसके लिये हम जागरूक हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मै श्री माता प्रसाद पान्डेय जी से प्रार्थना करुंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष —

क्या पान्डेय जी आप अपना प्रस्ताव ले रहे हैं ?

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

मैं वापस नही ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 18, 83, 85, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1984 को समाप्त होने वाले वर्षों में अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58, 57-37, 000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) (शोर)

(नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं)

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत मुझे 7 सूचनाएं प्राप्त हैं, उसमें से —

(अत्यधिक शोर होने पर)

या क्या हो रहा हैं ? मैंने केवल माननीय राधेश्याम पटेल की सूचना को स्वीकार किया है, जो इलाहाबाद जनपद स्थित मोती लाल नेहरु इंजीनियरिंग कालेज में विषाक्त वातावरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बाकी को मैंने अस्वीकार किया है।

प्रदेश के बुनकरों के समक्ष सरकारी देयों एवं बैंक के कर्जों की वसूली में कुर्की, डिक्री एवं गिरफ्तारियों से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में वक्तव्य

[समय 5 बजकर 5 मिनट]

श्री वीर बहादुर सिंह—

"प्रदेश के बुनकर भीषण संकट से गुजर रहे हैं। हैण्डलूम कारपोरेशन द्वारा लूट का शिकार बुनकर सरकारी देयों एवं बैंकों के कर्जों की वसूली में बेरहम उत्पीड़न में जकड़ा जा रहा है। कुर्की, डिग्री एवं गिरफ्तारियों का प्रदेश व्यापी सिलसिला जोरों पर है। शासन द्वारा उनके साथ रियायतों का ढोल पीटा जा रहा है किन्तु शोषण, उत्पीड़न से उन्हें बक्शा नहीं जा रहा है।

फैजाबाद, आजमगढ़, हरदोई आदि में बुनकरों के धन्धे बन्द हो गए हैं। बुनकर मजदूरी की तलाश में भटकने को विवश हो गए हैं।"

प्रदेश में बुनकरों से बकाया देयों की वसूली की समस्यया के निराकरण हेतु शासन के नवीनतम आदेशों के अनुसार बुनकरों के ऊपर देय बकाये बैंक ऋण की वसूली कार्यवाही दिनांक 30-6-83 तक के लिए स्थगित की गई और तब तक उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायगी। और यह निर्णय लिया गया है कि जो बुनकर दिनांक 30-9-1983 तक बकाये मूलधन का प्रतिदान बैंकों को कर देते हैं तो उनके ऊपर देय ब्याज/दण्ड ब्याज का राशि शासन द्वारा भुगतान कर दी जायगी। शासन के इस निर्णय से बुनकरों को पर्याप्त राहत मिल गई है।

जहाँ तक फैजाबाद, आजमगढ़ एंव हरदोई आदि के बुनकरों का धन्धा आदि बन्द होने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में निरेदन करना है कि प्रदेश के एक क्षेत्र विशेष में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण क्षेत्र में बुनकरों की दशा सुधारने के लिए हथकरघा निदेशालय, हथकरघा निगम एवं यूपिका निरंतर कार्य कर रही हैं। सहकारिता क्षेत्र एवं व्यक्तिगत क्षेत्र दोनों के लिए वर्तमान वर्ष में गत वर्ष की अपेक्षाकृत अधिक कार्य हुआ है। प्रगति का तुलनात्मक आँकड़ा निम्न से स्पष्ट है :—

	वर्ष 1981-82	वर्ष 1982-83 (फरवरी 1983 तक)
1–हथकरघा वस्त्र का उत्पादन (मिलियन मीटर में)	5020–00 (अप्रैल-जनवरी)	5302-37 (अप्रैल-जनवरी)
2–हथकरघा निगम द्वारा वस्त्र की बिक्री (लाख रुपये में)	2259–69 जुलाई-फरवरी	2794–17 जुलाई-फरवरी
3–यूपिका द्वारा अनियंत्रित वस्त्र की खरीद (लाख रुपये में)	वस्त्र–185–12 गाजवैण्डेज 60-84 ब्लेण्डेड़ वस्त्र-11-14	189-33 87-62 15-04

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक ओर जहां बुनकरों द्वारा उत्पादित माल की मात्रा में वृद्धि हुई है वहीं पर यूपिका एवं हथकरघा निगम द्वारा गत वर्ष की अपेक्षाकृत इस वर्ष उसी अवधि में हथकरघा वस्त्रों की बिक्री में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह सभी माल प्रदेश के बुनकरों के माध्यम से उत्पादित है और उन्हीं से खरीदा गया है और उन्हें उसका उचित पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि मूल रुप में प्रदेश के निर्धन बुनकर जनता वस्त्र का उत्पादन करते हैं और इधर के कुछ माह पूर्व हथकरघा निगम ने जनता वस्त्र के पारिश्रमिक के दर में वृद्धि कर दी है फलस्वरुप बुनकरों की दैनिक आय में 4 रु0 प्रतिदिन की दर वृद्धि सम्भव हुई है। प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र में संस्थागत सहायता के फलस्वरूप भी बुनकर वर्ग का शोषण रुका है। और उसकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्पष्ट है कि प्रदेश के बुनकरों को मजदूरी की तलाश में भटकने का समस्या नहीं रहा।

×श्री राम आसरे वर्मा —

मान्यवर, बुनकरों से ऋण की वसूली में शासन द्वारा जो राहत सम्बन्धी आदेश दिये गये हैं, उसके लिए तो माननीय मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसी वक्तव्य में माननीय मन्त्री जी ने यह जिक्र किया है कि बुनकरों को काफी राहत मिल गयी, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इस पर मैं जानना चाहूँगा कि माननीय मन्त्री जी के अनुसार इस समय बुनकर की एक रोजाना आमदनी क्या पड़ती है? एक सवाल यह है जिसमें माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 4 रुपया प्रतिदिन की बढ़ोतरी हो गयी है। एक तो यह जानना चाहूँगा कि माननीय मन्त्री जी के अनुसार एक बुनकर की रोजाना की आमदनी क्या है? दूसरी बात क्या मेरी इस जानकारी को सही मानते हुए कि हरदोई, आजमगढ़, फैजाबाद तथा अन्य स्थानों पर जहाँ पर दो-दो एजेंसियों द्वारा कपड़ा खरीदने का काम किया जाता था, हैंडलूम कारपोरेशन की यूनिट और यूपिका के द्वारा जनता धोती खरीदने के लिए, लेकिन उसको बन्द कर दिया गया, जिससे जगह-जगह धोतियों का अम्बार लगा हुआ है। मान्यवर, मल्लावां कस्बा सबसे बड़ा बुनकरों का स्थान है...

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के अनुसार प्रति बुनकर की रोजाना की आमदनी क्या है और जहां-जहां पर खरीद की जाती थी, जिसको बन्द करवा दिया गया था, क्या यूपिका द्वारा पुनः खरीद आरम्भ कर दी गयी है.

×उद्योग राज मन्त्री—

श्री मोहम्मद अमीन —

मान्यवर, जहां तक जनता धोती का सवाल है उसके रेट और कीमत का ताल्लुक सीधे केन्द्रीय सरकार से है।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह –

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। मान्यवर मन्त्री जी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं, ये मन्त्री जी हैं। बैठिये आप।

श्री मोहन सिंह –

क्षमा करिये आप, मैं नहीं जानता था।

श्री मोहम्मद अमीन –

वहां से उसका रेट तय होता है। जनाबेआली आपने फरमाया कि धोतियों का अम्बार लगा हुआ है, उस सिलसिले में हमको जैसे ही शिकायत मालूम हुई कि वहाँ जनता धोती इकट्ठा हो गयी है, हमने तुरन्त मन्त्री जी की तरफ से संम्बधित अधिकारी को आदेश दिया कि मौके पर जाकर देखें कि जनता धोती जो आपके मयस्सर की हों, तुरन्त उसको लीजिए और उसका भुगतान कीजिए।

(श्रीराम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष

आप बैठिये, मैं आपको आज्ञा नहीं देता।

श्री रियासत हुसैन –

श्रीमन्, क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सारे बुनकर भाइयों पर कितना कर्जा वाजिब है जिसका इंटरेस्ट और पीनल इंटरेस्ट खुद आपने अदा करने का निर्णय लिया है ? दूसरी बात यह है कि प्रदेश का बुनकर संकट से गुजर रहा है तो इसके आधार पर क्या असल में से कुछ प्रतिशत उस कर्ज को राइट आफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, बुनकरों की जो एशोसियेशन है, उन लोगों ने मांग की थी कि आप असल धन न माफ करें, नहीं तो लोग इसके आदी हो जायेंगे और कर्जे वगैरह मिलने में दिक्कत हो जायगी। अगर ब्याज और दन्ड ब्याज माफ कर देंगे तो बड़ी राहत हो जायेगी। मूलधन से ब्याज ज्यादा और दन्ड ब्याज हो गया है। जो असेस कराया गया है तो यह दो करोड़ रुपये से ज्यादा है। तो यहबात करदेने से बुनकरों को बड़ी भारी राहत हो गयी है। वह अपना काम नहीं कर पा रहे थे, उनको कर्जे नहीं मिल पा रहे थे तो इससे उनको बड़ी भारी राहत मिल गयी है। यह बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, वक्तव्य में है कि बुनकरों की दैनिक आय में 4 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हो गयी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पहले बुनकरों की दैनिक मजदूरी क्या थी और आपने जो यह चार रुपये बढ़ाये हैं, उसको मिलाकर मजदूरी अब क्या हो गयी है ?

(एक सदस्य द्वारा अध्यक्ष आसन की तरफ पीठ करके खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह कौन माननीय सदस्य खड़े हैं ? अध्यक्ष की तरफ पीठ करके खड़े न हों। आपको अनुशासन में रहकर कार्य करना चाहिये।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, पहले 29 रुपये में यह खरीदा जाता था और साढ़े 22 में बेचा जाता था तो हमने हैंडलूम कारपोरेशन से कहा है कि 29 के बजाय साढ़े 29 में खरीदेंगे तो आठ आने यह बढ़ जाते हैं। तो साढ़े 22 और साढ़े 29 में जो यह 7 रुपये बचता है वह एक जोड़े पर मार्जिन हो गया। दो जोड़े वह बनाते हैं तो इस हिसाब से 14 रुपये दो जोड़े पर आ जाता है। तो जो यह बढ़ाया गया है इससे काफी राहत मिली है।

×श्री प्रियदर्शी जैतली—

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं बड़े अदब और एहतराम के साथ कि इस धोती को बनाने में बुनकर का पूरा परिवार लगता है, घर की औरतें लगती हैं, और मजदूरी 14 रुपये हो गयी। मेरा जवाब जिल्ले इलाही देंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। एक एवार्ड श्रमायुक्त का है कि जो आर्टिजन लेबर हैं, उसकी मजदूरी 10 रुपये प्रतिदिन की गयी है और यहाँ पर तो पूरा परिवार लगता है और केवल 14 रुपये मिल पाते हैं तो जो मंहगाई की दर है उसको देखते हुये यह बहुत कम है। इसको देखते हुये प्रति धोती 10 रुपये दाम करने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद अमीन—

मान्यवर, जेतली साहब तो बहुत अनुभवी हैं, उनको जानकारी है। वह काफी अध्ययन करते रहते हैं। तो हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार को पूरी तरह से अवगत करायें, बराबर उनसे सम्बन्ध बनाये हुये हैं कि यह मजदूरी कम है। सूत के भाव बढ़े हैं तो हमारी मजदूरी बढ़ायी जाय। हम बराबर इसमें लगे हैं हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा बुनकरों को लाभ दे सकें, उनको मजदूरी और मिल सके। उनको अपने खून पसीने की मेहनत का मुआवजा मिले यह हमारी सरकार की जिद्दोजहद है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें, व्यवस्था के प्रश्न की कोई बात नहीं है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, इन्होंने मुझे इस मसले पर काफी जानकार बताया है और मैं काफी अध्ययन करता हूँ, यह कहा, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन, वे तो खुद उस परिवार से आते हैं, जिस परिवार की दुखभरी कहानी मैं बता रहा हूँ, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, मुझसे तो अच्छा हाल उनका, यह खुद जानते हैं, उनका दर्द जानते हैं। कौन कहे—

जाके पांव न फटे बेवाई, सो का जानै पीर पराई।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे रिसर्च को, मेरी जानकारी को छोड़कर, आप अपने परिवार को जानकारी अपनी जानकारी को सोचते हुए क्या जल्द से जल्द सरकार से इसको हल कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद अमीन—

मान्यवर, मैं तो बुनकर परिवार से हूँ। ताना बाना सब मैं कर चुका हूँ, एक-एक रेशे से मैं वाकिफ हूँ, तजुर्बा है, अब इस बात को जितनी बाई लम्बा चौड़ा करना चाहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने कहा है, फिर कहूँगा और कहता रहूँगा कि हम केन्द्र की सरकार से बराबर मांग करते रहेंगे कि ज्यादा मुआवजा हमारी मेहनत का केन्द्र सरकार हमारे बुनकारों को दे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी जो प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से इन लोगों की समस्याओं का जिक्र किया गया। जनता धोती बनाने का काम करते हैं, हमारे जनपद में भी बड़ी संख्या में बुनकर हैं। तो मुख्य समस्या मार्केटिंग की है, सूत का कभी-कभी उपलब्ध होना, कभी नहीं उपलब्ध होना, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस मुख्य समस्या को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से बुनकर जो गाढ़ा और थान बनाते हैं, बेड-शीट्स वगैरह बनाते हैं, जो जनता धोती के परिक्षेत्र में नहीं आती हैं। उनकी मार्केटिंग की समस्या बिचौलिये उनका शोषण करते हैं। यह जो समस्या जिससे उनको उचित वेजेज नहीं मिलते हैं, क्या इस ओर शासन का ध्यान गया है, इस सम्बन्ध में जरूरी कदम उठाये गये हैं, या उठाना विचाराधीन है, जिससे इनकी स्थिति ठीक हो सके।

श्री मोहम्मद अमीन—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने अच्छा मशविरा दिया है, बुनकर के हित की बात कही है। हमारी सरकार पूरी तरह से इस पर ध्यान दे रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा वहाँ गाढ़ा है, चादरें हैं, दरियां हैं, दूसरा सामान हर साल अलग-अलग जगहों का, वहाँ खास चीज तैयार होती है, परचेज के लिए अलग-अलग केन्द्र करना पड़ेगा, यह हमारे विचाराधीन है उसको अमलीजामा पहनायेंगे। कारपोरेशन और यूपिका की परचेज कमेटी वहाँ के इलाकों में डुग्गी करके बाहुल्य क्षेत्र में जाकर वहाँ पर माल खरीदेंगी, जिससे बिचोलियों से छुटकारा मिलेगा। सूत का सवाल है हम कोशिश इस बात को कर रहे हैं कि हर बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में सूत के बिक्री केन्द्र रहेंगे वहाँ से सूत नो लास नो प्राफिट पर वहाँ बुनकरों को मिलरेट पर सूत उपलब्ध करायेंगे, इसकी भरसक कोशिश कर रहे हैं। आपके मशविरे का बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि 30-9-83 तक बकाये मूलधन का प्रतिदान बैंकों को कर देते हैं तो उनके ऊपर देय ब्याज/दण्ड ब्याज की राशि शासन द्वारा भुगतान कर दी जायेगी। यह बिल्कुल ठीक है। इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो भी स्थिति बुनकरों की मौजूद है, जिस हालत से वे गुजर रहे हैं, तो क्या पूरे बुनकरों से, जो ऋण लिया है, ब्याज जो है, उस सारे बुन-

करों के ब्याज को माफ करते हुए एक साल तक इस वसूली को स्थगित करेंगे, और इसे एक साल के बाद कुछ किश्तों में वसूल करने के प्रश्न को स्वीकार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

मान्यवर, मैं तो बता चुका हूँ कि जो टाइम दिया गया है 30-9-83 तक, 6 महीने का टाइम दिया गया है, ताकि वे 6 महीने में जो मूलधन है, जमा कर दें, उनका जो ब्याज और दण्ड ब्याज है, वह माफ कर दिया जायेगा, इसलिए उनको टाइम दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —

रानीपुर क्षेत्र में पैसा नहीं दिया गया । क्या वह पैसा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद अमीन—

माननीय सदस्य लिखकर दे दें । वैसे भी आपने फर्माया है, इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे ।

सीतापुर में नदी-नालों की बाढ़ से हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य —

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ माना जाये ।

श्री अध्यक्ष—

ये कह रहे हैं, पढ़ा हुआ माना जाये, तो आप इसकी एक लाइन पढ़ दीजिये, बाकी पढ़ा हुआ माना जायेगा ।

× सिंचाई एवं उद्योग मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह) —

माननीय विधायक, श्री मुख्तार अनीस द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत ।

[सचिव विधान सभा को जनपद सीतापुर की निम्न समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है : —]

(क) सीतापुर जिले के बेल्टा, रेवसा सकरन एवं रामपुर-मथुरा ब्लाक में अनेक नदियों-नालों से प्रतिवर्ष हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाने के कारण ।

(ख) ऐरा पुल से चल्लारी घाट तक बन्धा बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

(ग) किवानो नदी एवं चौका की पेटी भर जाने के कारण खेतों में रेत जमा हो जाना एवं खेतों का रेतीला हो जाना ।

2— माननीय विधायक द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि जनपद सीतापुर के उपरोक्त चारों ब्लाकों मानी बेल्टा, रेवसा सकरन तथा रामपुर-मथुरा ब्लाक के गाजर क्षेत्र में मुख्य नदियाँ शारदा, चौका-किवानो तथा अन्य घघ्घर, उल्लू, सोमली तथा जसाई नदियाँ एवं अनेक नाले बहते हैं ।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:—[ ] यह पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्षा काल में लगभग प्रतिवर्ष वह क्षेत्र घाघरा नदी की बाढ़ तथा अन्य नदियों एवं नालों में जलभराव हो जाने के कारण जलमग्न हो जाता है ।

सिंचाई विभाग इस समस्या के निदान हेतु सचेत है और यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अध्यावधिक स्थिति इस प्रकार है :—

प्रथम बिन्दु

3—सीतापुर जनपद के उपरोक्त चारों ब्लाकों में जल प्लावन से राहत दिलाने के लिए घाघरा एवं चौका नदी के दाहिने किनारे पर एलगिन पुल से लगभग 73 कि0 मी0 लम्बे तटवर्ती बाँध का प्रस्ताव है, जिसमें से लगभग 28 कि0 मी0 सीतापुर जिले में पड़ता है। इस 28 कि0 मी0 बाँध में से 11 कि0 मी0 महमूदाबाद जमींदारी बाँध को सिंचाई विभाग द्वारा ऊँचा और मजबूत किया जा चुका है।

शेष 52 कि0 मी0 का प्रस्ताव तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा रु0 98 लाख एवं रु0 25 लाख का दो भागों में अनुमोदित किया जा चुका है तथा गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

इन नदियों में बाँध बनाने के कारण पुल की असुरक्षा के आधार पर रेलवे विभाग द्वारा घोर आपत्ति की गयी है। अतः रेलवे, सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस पुल के आस-पास के क्षेत्र का संयुक्त सर्वेक्षण प्रगति में है। इस बाँध के पूर्ण रूप से निर्मित होने पर 18 हजार 5 सौ हेक्टेयर क्षेत्र बाराबंकी और सीतापुर जनपद में लाभान्वित हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त रामपुर-मथुरा ब्लाक के लिये 16-4 कि0 मी0 लम्बाई का पिपरानाला, 8-8 कि0 मी0 का रेंदा झील नाला और 7-4 कि0 मी0 लम्बाई का बसुरा नाला के निर्माण का अनुमोदन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा कराया जा चुका है। इसकी कुल लागत 17 लाख रुपये हैं। इनमें से रेंदा झील नाला तथा पिपरी नाले का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

इन ब्लाकों में 16 नवीन ड्रेनों जिनकी कुल लम्बाई लगभग 80 कि0 मी0 है, की योजना प्रस्तावित की गयी है। इन योजनाओं को तकनीकी सलाहकार समिति अथवा जिला ग्राम विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन और धन की उपलब्धि के प्रश्चात कार्य कराया जा सकेगा। इन योजनाओं से जलभराव के व्यवस्था का काफी निदान हो जायेगा।

दूसरा बिन्दु

4—ऐरा पुल से वल्लारी घाट तक शारदा एवं घाघरा नदी के दाएं तट पर लगभग 110 कि0 मी0 लम्बाई में तटवर्ती बाँध के प्रस्ताव का सर्वेक्षण किया जा रहा है। योजना के उपरान्त इसे बाढ़ नियन्त्रण आयोग के सक्षम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

तीसरा बिन्दु

5—अकवानी नदी से लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र जलप्लावन की समस्या से प्रभावित है। यह क्षेत्र शारदा पोषक नहर के निर्माण के पूर्व भी जलप्लावन से प्रभावित

रहता था, परन्तु माह नवम्बर तक पानी निकाला जाता था, परन्तु पोषक नहर बनने से किवानी नदी में निरन्तर वर्ष भर पानी भरा रहता है जिसके कारण वर्षाकाल में जलप्लावन से प्रभावित क्षेत्र कृषि के लिये उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि किवानी नदी में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध नहीं है।

किवानी नदी में सीपेजके पानी को निकालने हेतु किवानी नदी से घघ्घर नदी तक दो कट बनाए जा रहे हैं। एक कट लालपुर एवं उरवा ग्रामों के मध्य स्थित है जिसकी लम्बाई 1-3 कि0 मी0 हैं। दूसरा कट किवानी साईफन से लालगंज के उत्तर में बनाया जा रहा है, जिसकी लम्बाई 5-5 कि0 मी0 है। इसके अतिरिक्त सीपेज नालियाँ अथवा नालों का निर्माण किया जा रहा है।

इन दोनों कट के बन जाने के उपरान्त क्षेत्र की समस्या का सुधार होगा। यहां यह भी सूचनीय है कि विभाग किवानी नदी की क्षमता में वृद्धि हेतु सर्वेक्षण कराकर प्रस्तावों की संभावनाओं के विषय में निर्णय लेने की कार्यवाही करेगा। चौका नदी के सम्बन्ध में भी प्रस्तावों का सर्वेक्षण कराया जायेगा।

सीतापुर जनपद में ड्रेनेज और सीपेज की समस्या के लिए पृथक से एक खण्ड लगा दिया गया है।

×श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मुझे बहुत दुःख हुआ, जो वक्तव्य दिया है उसमें वहाँ की केवल समस्यायें बता दीं, निराकरण क्या है, शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। 4 ब्लाक प्रतिवर्ष सीतापुर में बाढ़ से डूब जाते हैं और वहां निरन्तर जल प्लावन की समस्या रहती है। मैं जानना चाहता हूँ कि, आप तीसरे पैरा में आ जायें जिसमें कहा गया है कि ऐरा पुल से चल्लारी घाट तक शारदा एवं घाघरा नदी के दायें तट पर लगभग 110 कि0 मी0 लम्बाई में तटवर्ती बाँध के प्रस्ताव का सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो क्या इसकी रिपोर्ट शासन के पास आ गयी है और इस पर अभी तक शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसका सर्वेक्षण हो रहा है। रिपोर्ट तैयार नहीं हो पायी है अभी।

श्री मुख्तार अनीस—

सर्वेक्षण फरवरी तक पूरा हो जाना चाहिए था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जबकि स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरा हो जायेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये पूरा का पूरा बाढ़ क्षेत्र है, तो जो बाढ़ की समस्या है, उसको हल करने के लिये इन चारों ब्लाकों में ड्रेन की व्यवस्था के लिए, जो आपने बाढ़ विभाग खोला है, लखीमपुर से कार्यालय सीतापुर क्या लायेंगे ? और सीपेज की साथ ही बाढ़ की भी समस्या को हल करने के लिए उनको आदेश देगें क्योंकि जब हम उनसे कहते हैं तो वह कह देते हैं

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि यह हमारा काम नहीं है ? सीपेज की तो बहुत छोटे से क्षेत्र की समस्या है, मूल समस्या है नदी-नालों की जो बहते हैं, उनकी सफाई की, उनको चौड़ा करने की, क्या उसके बारे में जो विभाग आपने खोला है, वह यह सब कार्य करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो मुख्तार अनीस साहब ने सुझाव दिया है, मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूँ कि सीपेज के साथ-साथ उनके ड्रेनेज का भी काम दिया जाये।

श्री भागीरथ—

जो 4 बन्धे मऊरानीपुर में, लखाड़ी नदी आदि पर बनने थे, जिनकी सैंक्शन आपके गजट में 286 सफा में है, चारों बाँध में कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे उस क्षेत्र में कम से कम 126 गांव बिना सिंचाई के पड़े हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उनमें कम से कम चार में से एक तो जरूर बनाने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

×श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एक तो आश्वासन दिया आपने, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ।

आपने पेज 2 पर दिया है कि 16 नवीन ड्रेनें जिनकी कुल लम्बाई लगभग 80 कि0 मी0 है,...

मैं इस ओर माननीय मन्त्री जी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिला विकास प्राधिकरण के पास पैसा कम होता है, उसमें पूरे जिले की समस्याओं को देखना होता है। सीतापुर जनपद में ड्रेन बनाने की आवश्यकता है। सीपेज और बाढ़ के सम्बन्ध में अलग से वित्तीय व्यवस्था करायें। जिले के पास जो पैसा होता है उससे बनना सम्भव नहीं हो पाता। आपने वक्तव्य दिया। मुझे जानकारी है जिले में ड्रेनेज बन रही है। किवानी नदी में ड्रेन डाली जाती है। संक्षेप में बता दूँ विस्तार में नहीं जाऊँगा, समय कम है। किवानी से वर्षांत में विभीषिका पैदा हो जाती है। दूर-दूर से पानी सिमट कर आ जाता है। नदी उथली हो रही है। सभी ड्रेन्स उसमें पड़ जायेंगी। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, क्षेत्र के लोगों से जो बातें होती हैं, उन्हीं के आधार पर कह रहा हूँ। सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातें की। जो लोग 50-50 साल से बाढ़ की विभीषिका देख रहे हैं, उन्होंने बताया है कि अगर सभी ड्रेन्स आकर मिल जायेंगी तो बाढ़ की विभीषिका भयंकर हो जायेगी। क्या माननीय मन्त्री जी अपने इन्जीनियरों से, स्पेस्लिस्ट्स से बात करेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या योजना बनाई जा सकती है ? दूसरी बात मैंने वित्तीय व्यवस्था के बारे में कही। इन दोनों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

राजेन्द्र गुप्त जी का कहना सही है। यह क्षेत्र घाघरा, शारदा, किवानी, चौका आदि तमाम नदियों से सम्बन्धित है। यह नदियां काफी पानी लाती हैं। बड़ी-बड़ी नदियां हैं जिनके बीच का हिस्सा है। कोई भी बड़ी स्कीम बनाने पहले यह देखना होता

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि क्या एरिया हम बचा सकते है ? 8 लाख क्यूसेक पानी चलता है घाघरा में, शारदा में 4 लाख क्यूसेक पानी चलता है। क्या इतने पानी को ले जानेवाली नदियों को मिट्टी के बांध से रोका जा सकता है ? बराबर का एरिया है, यह भी समस्या है। बरसात के दिनों में यह एरिया डूबा रहता है। ड्रेनस बरसात काम नहीं करेंगी। ड्रेन्स उस समय काम करेंगीं जब बाढ़ नहीं रहेगी। जैसा राजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा एक्सपर्ट्स और इन्जीनियर्स को, जिनको जानकारी है बैठाकर, उन्हें भेजकर, मैं दिखवा लूंगा कि कौन सी योजना बनाई जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

मान्यवर, वित्तीय व्यवस्था की बात रह गयी।

श्री वीरबहादुर सिंह--

एन0 आर0 ई0 पी0 से पैसे की व्यवस्था करेंगे। कम पैसा है तो जरूर देगें।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, इसी दुखद समस्या को समाप्त करने के लिये सीतापुर के एम0 पी0 लगभग 100 अन्य लोगों के साथ कई दिनों से अनशन कर रहे हैं। क्या यह माननीय मन्त्री जी की जानकारी में है ? इसी समस्या के समाधान के लिये माननीय सदन के सदस्य, श्री हरिगोविन्द वर्मा को निष्कासित होना पड़ा। दूसरी बात पिछले वर्ष इन्हीं एम0 पी0 ने अनशन किया था। क्या आपने उस समय उनको कोई आश्वासन दिया था ? जब यह जानकारी है कि अनशन हो रहा है। उनकी मांगें मानने में क्या दिक्कत है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जहाँ तक किसी के अनशन की बात है, यह बात कही गयी थी कि सीपेज की बड़ी समस्या है। 98 हजार एकड़ जमीन सीपेज से प्रभावित है। सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रायबरेली सारे जिले प्रभावित हैं। एक जगह कोई आदमी अनशन पर बैठ जाये तो समस्या का समाधान तो होता नहीं।...

मान्यवर हमें देखना है कि इस सीपेज की समस्या की समाधान कैसे हो सकता है। उसके लिये हम कोशिश कर रहे हैं। यह एक इतना बड़ा काम है कि इसमें हमें सैकड़ों रुपए की आवश्यकता है। इस प्रकार एक आदमी का अनशन पर बैठे जाना और उसे यह आश्वासन दे देना की इसे हम पूरा कर देंगे, गलत है। क्योंकि बाद में हम उसे पूरा नहीं कर पायेगें।

×श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, विषय की गम्भीरता को देखते हुए और यह देखते हुए कि यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें तीन चीजों की समस्यायें हैं। (1) ड्रेनेज (2) सीपेज और तीसरा, जिन नदियों का नाम यहाँ पर लिया गया है, उनका सैलाब। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगे। आने वाले बरसात से पहले वारसूटिंग

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर, इन सारी समस्याओं को देखते हुए, अपने इस प्रपोजल को टी0 ए0 सी0 से पास कराने, चीफ इन्जीनियर की कान्फ्रेन्स में पास कराने तथा इस सारे काम के लिये पैसे का बन्दोबस्त निश्चित रूप से कर लेने की घोषणा इस माननीय सदन में करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय श्री रियासत हुसैन जी को समझा नहीं पाया। यह एक इतना बड़ा काम है जब तक कि इसका सर्वे न हो जाय एक्सपर्ट्स द्वारा, इन्जीनियर्स द्वारा व अन्य चीजों द्वारा तो यह कहना और वायदा करना गलत है कि हम बरसात से पहले इसको कर लेंगे। जितना सम्भव हो सकेगा उसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैंने केवल यह आश्वासन मांगा है, क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने भी इसकी गम्भीरता को स्वीकारा है, कि क्या आप अपने इस प्रोजेक्ट को टी0 ए0 सी0 द्वारा व इन्जीनियर्स द्वारा पास करा लेंगे, इन तीन-चार महीनों में ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा कि यह काम बहुत बड़ा है। मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि हम इसे इतने दिन में पूरा कर लेंगे। यदि उसके बाद उसे पूरा न किया जाय तो यह एक अच्छी बात नहीं है।

मान्यवर, इस कार्य करने के लिये हमारे पास केवल साढ़े सत्रह करोड़ रुपया है जबकि हमें इस कार्य के लिये 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इतने कम पैसे में यह कैसे कहा जा सकता है, हम पैसे का बन्दोबस्त कर लेंगे। हाँ, जितने साधन हमारे पास हैं उनका उपयोग पूर्ण रूप से किया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि साल भर से लगातार इन समस्याओं के समाधान हेतु माननीय मन्त्री जी के आश्वासन ही चलते रहे हैं। केन्द्र में भी इसका इश्यू गया हुआ है। मैंने केवल इतना आश्वासन मांगा था कि इन महीनों आप पेपर वर्किंग पूरा कर लेंगे लेकिन माननीय मंत्री जी उससे भी कतरा रहे हैं, इतना कार्य करने के लिये भी वह तैयार नहीं हैं। एक तरफ तो माननीय मन्त्री जी इसकी गम्भीरता को तसलीम कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ माननीय मन्त्री जी इसकी व्यवस्था करने को तैयार नहीं हैं। अब मुझे शक हो रहा है कि क्या माननीय मन्त्री जी इन समस्याओं के निराकरण हेतु वाकई सक्रिय हैं कि नहीं और इसी कारण से जनता पार्टी इस सदन का त्याग करती है।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

×श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, अभी तक माननीय सिंचाई मन्त्री जी के जितने भी वक्तव्य आये हैं वे सभी परस्पर विरोधी हैं। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि 110 किलोमीटर की अरास

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से चौकाघाट तक बाँध बनाया जायेगा। वक्तव्य में जो यह बाँध बनाने की योजना है उससे वहाँ के पुल को खतरा पैदा हो रहा है। रेलवे इन्जीनियर (ब्रिज) इसका विरोध कर रहे हैं। फिर माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि कच्चे बांध से इस बाढ़ की समस्या का निदान कर सकेंगे।...

फिर माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि किवानी नदी, जो छोटी नदी है, जिसकी क्षमता सीमित है, उसकी क्षमता को बढ़ाकर पानी उसमें डालेंगे। इससे इस बात की सम्भावना हो गयी कि सरकार के पास कोई दूरगामी योजना जल-जमाव और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिये नहीं है इन चार ब्लाकों बेल्टा, रेवसा, सकरन एवं रामपुर। मथुरा ब्लाक के लिये सर्वे के जरिये जो रिपोर्ट तैयार की गयी है, उसमें अनुमानित लागत क्या है? और आप कौन से संसाधन जुटाने पर विचार कर रहे हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने कहा कि यह सारा एरिया—बेल्टा, रेवसा, सकरन एवं रामपुर मथुरा ब्लाकों का जो जिक्र किया गया है, यह बड़ा भारी एरिया है, जो प्रोजेक्ट बनाये जा रहे हैं, अलग-अलग बनाये जा रहे हैं। अलग-अलग प्रोजेक्ट का ब्यौरा दिया गया है। एलगिन ब्रिज की बात दूसरी है, जो ऐरा पुल से चल्लारी घाट तक बाँध बनाने की बात है, वह अलग है, किवानी नदी पर अलग से काम हो रहा है, अलग-अलग प्रोजेक्ट बनाये जा रहे हैं, अलग-अलग काम हो रहा है। जो सर्वे के लिये डिवीजन लगा है, एक और डिवीजन लगाने जा रहे हैं। आपकी राय देखते हुए जल्द से जल्द प्रोजेक्ट बनाकर जो भी सम्भव होगा, किया जायगा।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मुझे इस बात का अफसोस है कि इस सरकार के पास जल जमाव और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिये न दूर दृष्टि है और न कोई योजना है और न कुछ और है। इसलिये विरोध में लोकदल सदन का त्याग करता है।

(श्री मोहन सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मुख्तार अनीस—

सीपेज की समस्या को लेकर यहाँ चर्चा हुई, मन्त्री जी ने एक कदम उठाया। कदम इसलिये अधूरा है कि किवानी नदी को गहरा करने के बारे में कोई काम नहीं किया। माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने बताया कि यह सारा पानी अगर किवानी नदी में चला जायगा तो बाढ़ की समस्या हो जायगी। आपने फसल कटने से पहले ही वहाँ पर ड्रेन बनवाना शुरु कर दिया है, इससे किसानों में भयंकर असंतोष है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि 15 दिन के लिये जब तक गेहूँ की फसल नहीं कट जाती है, ड्रेन बनाने का काम रोकें। किवानी नदी को गहरा करने के सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन दें कि आगामी बरसात से पहले कोई ठोस कार्यवाही करेंगे।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जहाँ तक ड्रेन का काम रोकने का सवाल है, यह सही है। जहाँ काम होता है,

थोड़ा-बहुत नुकसान तो होता ही है फिर भी अगर आप कहेंगे तो 15–20 दिन रोक देंगे, लेकिन इससे काम का नुकसान होगा।

श्री मुख्तार अनीस—

किवानी नदी को गहरा करने के बारे में बतायें। 1000 क्यूसेक पानी में आप वहाँ के बेल्टा, रेकसा, सकरन एवं रामपुर-मथुरा ब्लाकों को डुबो देना चाहते हैं, वहाँ की जनता को कंगाल बनाना चाहते हैं। माननीय मन्त्री जी स्पष्ट आश्वासन दें कि किवानी नदी को गहरा करने के सम्बन्ध में तत्काल काम शुरु होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वक्तव्य में दिया हुआ है, किवानी नदी को सफाई की गयी है। कोशिश की जायगी, शासन कोशिश करेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वहाँ की जो समस्या की विभीषिका है, प्रश्नों के माध्यम से माननीय मन्त्री जी तक पहुँचाने की कोशिश की। बाढ़ की समस्या तो थी ही, सरकार की अदूरदर्शिता के कारण शारदा सहायक नहर बन गयी है, उसकी वजह से समस्या और गहन हो गयी है।

मान्यवर, सीपेज की वजह से आज सारे किसानों की व्यवस्था अस्त-व्यस्त है, बाढ़ की तरह सब जगह जल प्लावित हो जाता है जिससे न उनकी फसल उग सकती है और न उनका रहना और सुख सुविधा नष्ट हो जाता है, इस विषय में मैंने माननीय मन्त्री से प्रश्न किया था कि उनकी लगान की माफी दे दी जाए, जिस पर माननीय मन्त्री जी ने ने कहा कि हम लगान की वसूली स्थगित कर रहे हैं, इससे मान्यवर, कुछ हल होने वाला नहीं है। इसलिए मान्यवर, इस ओर मेरी दो माँगे हैं, एक तो यह कि उनका लगान माफ किया जाए। दूसरे, जब तक वहाँ की सीपेज व्यवस्था बिल्कुल स्थायी रुप से सही न हो जाये तब तक उन लोगों को भूमि अधिगृहित टाइप भत्ता दिया जाए।

श्री वीर बहादुर सिंह—

सीपेज से जहाँ-जहाँ पर नुकसान हुए हैं, वहाँ पर फसल के लगान की वसूली स्थगित कर दी गयी है और अब यह विचार कर रहे हैं कि जहाँ पर यह सीपेज वाली स्थिति बराबर बनी रहती है, वहाँ पर और जिससे वहाँ पर किसानों की फसल नष्ट होती है, उनका लगान क्रय वसूल किया जाए और इसके अलावा मान्यवर, जो भी सुविधा दी जा सके है, दी जा रही है और बराबर दी जाती रहेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का वक्तव्य बिल्कुल काश्तकार विरोधी है और इनसे जो उम्मीदें थीं किसान को उस पर सब पर पानी फेर दिया है माननीय मन्त्री जी ने इसलिए मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, यह सरकार का निकम्मापन और नअहली है जो वहाँ के काश्तकारों के

साथ धोखा है। माननीय मन्त्रीजी ने जो अपने वक्तव्य में जन विरोधी बातें कहीं, मैं उसका विरोध करता हूँ और अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(श्री मुख्तार अनीस अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

झांसी-लखनऊ मार्ग में परिवहन निगम की बस पर पड़ी डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य

×हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री श्री गुलाब सेहरा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दि0 13-3-83 को रात्रि 9-45 बजे श्री रमेश चन्द्र सक्सेना, परिचालक रोडवेज बस नं0 यू0टी0डब्लू0 9043 झांसी डिपो से, उक्त बस के ड्राइवर सहित 11 व्यक्तियों के साथ थाना चिरगाँव झांसी पर आकर यह सूचना अंकित कराई कि वह दिनांक 13-3-83 को रात्रि 7-30 बजे झांसी बस स्टैंड से बस में यात्री लेकर उरई जा रहा था। बस में 26 यात्री थे। इनमें से 5 यात्री चिरगांव स्टैंड पर उतर गये। चिरगांव स्टैंड से कुल 22 यात्रियों ने 8-30 बजे रात्रि में उरई के लिए प्रस्थान किया। जब बस झांसी-कानपुर मार्ग पर कस्बा चिरगांव से करीब 2 कि0 मी0 उत्तर पहुँची तो चलती बस में खड़े होकर दो यात्रियों ने तमन्चे निकाले और दो ने चाकू निकाल लिए। उक्त अपराधियों ने यात्रियों को गोली मारने की धमकी दी। एक अपराधी तमन्चा ताने ड्राइवर की सीट से हटा कर खुद सीट पर बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। शेष तीनों अपराधी सरकारी कैश, सवारियों की घड़ियाँ एवं रुपये धमकी देकर जबरदस्ती छीन लिए। उक्त अपराधी लूटपाट कर सड़क पर गाड़ी रोक कर चिरगांव की तरफ चले गये। भयवश कुछ सवारियां वरल गाँव में उतर कर चली गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना चिरगांव पर अभियोग अन्तर्गत धारा 392 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके तत्काल विवेचना प्रारम्भ की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित लूटे गये सामान के आधार पर रु0 2682-80 पैसे की कुल क्षति होना आंका गया।

विवेचना से महिला यात्रियों की बेइज्जती किए जाने सम्बन्धी कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया। घटना के संदर्भ में किसी यात्री के गायब होने अथवा उसके अपहरण किए जाने की बात भी प्रकाश में नहीं आयी है।

घटना की सूचना मिलते ही तत्काल प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। घटना से सम्बन्धित चार अभियुक्तों में एक अभियुक्त पप्पू उर्फ खालिद अहमद निवासी झांसी को दिनांक 16-3-83 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अन्य तीन अभियुक्तों (1) जितेन्द्र पाल सिंह नि0 हरोली जिला जालौन (2) कयूम खाँ नि0 पटेल नगर झांसी (3) राजा सिंह नि0 मगरयां जिला जालौन को दि0 17-3-83 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इन अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो तमन्चे, दो चाकू, 5 कारतूस, 6 घड़ियां, टार्च, कपड़ों सहित रेकसीन का बैग एवं नगद रुपये बरामद हुए। इस सम्बन्ध में धारा 399,402 भा0 दं0 वि0 25 आर्म्स

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐक्ट, 25 (4) आर्म्स ऐक्ट तथा 10।12 उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश थाना नवाबाद पर कायम करके विवेचना की जा रही है।

घटना से सम्बन्धित चारो अभियुक्तों के गिरफ्तार हो जाने के कारण जनता में असुरक्षा एवं उत्तेजना की भावना नहीं है और न ही किसी प्रकार का असन्तोष है।

×श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैंने यह सूचना दी थी कि इस बस के पीछे मैं रातसेत्रा से लखनऊ आ रहा था, इसलिये जो जानकारी इसमें दी गयी है इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि यह झूठी है। मेरी जानकारी यह है कि बस चिरगाँव और बरल के बीच में लूटी गयी और उसके बाद 11 कि0 मी0 दूर मोर थाने पर गयी। मोर थाने के इंचार्ज को जानकारी देकर बस फिर वहाँ पर वापस आयी। इस बीच में सब सवारियाँ गायब हो गयीं। मैं जानना चाहता हूँ कि किस स्थान पर बस को रोककर डकैत उतर कर चिरगाँव चले गये।

दूसरी बात यह कि आपने स्वीकार किया है कि महिलाओं की किसी प्रकार की बेईज्जती नहीं हुई है। यह सच्चाई है कि उस बस में महिलायें यात्रा कर रही थीं और वे जेवर इत्यादि पहने हुई थीं। जबकि मन्त्री जी का कहना है कि अपराधी सरकारी केश, सवारियों की घड़ियाँ एवं रुपये ले गये तो जो इतने भीषण डकैत थे तो क्या उन्होंने महिलाओं के जेवर इत्यादि नही छीने होंगे ? माननीय मन्त्री जी यह बतायें कि थाने में औरतों के लूटे जाने की क्या रिपोर्ट नहीं लिखाई गयी है ? मेरी तो जानकारी यह है कि औरतों के जेवर लूटे गये हैं।

श्री गुलाब सेहरा --

श्रीमान्, मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि चिरगाँव से करीब 2 किलो मीटर आगे जब बस पहुँची तो चलती बस में खड़े होकर दो व्यक्तियों ने तमन्चे निकाले और दो ने चाकू निकाल लिया। बस चिरगाँव से उत्तर-पश्चिम की ओर जा रही थी तभी अपराधियों ने लूट-पाट की है। दूसरी बात यह कि एफ0 आई0 आर0 में जो लूट के सामान का जिक्र किया गया है, उसका पूरा विवरण दिया गया है, श्रीमन्।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री --

मान्यवर, मैंने यह पूछा है कि चिरगाँव से 2 कि0 मी0 दूर पर जहाँ यह घटना घटित हुई उसका नाम क्या है, यह आप मन्त्री जी बतला दें क्योंकि वहाँ पर चार-चार कि0 मी0 पर गाँव बसे हुए हैं जैसे बरल, सेकड़ी आदि। माननीय मन्त्री जी यह बतावें कि वह स्थान कौन सा था ? वह स्थान कौन सी ग्राम सभा के अन्तर्गत आता है जिससे कि उस थाने से सही रिपोर्ट का पता किया जा सके ?

श्री गुलाब सेहरा---

एफ0 आई0 आर0 किस थाने में लिखाई गयी है, वह चिरगाँव थाने में लिखायी गयी थी, उसमें किसी स्थान का नाम नहीं लिखा है। बस उन्होंने यह ही लिखा है

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इतने किलो मीटर के आस-पास यह घटना घटित हुई है क्योंकि श्रीमन्, रात का टाइम था।

श्री शंकर सिंह—

आपने कहा है कि तत्काल पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर निरीक्षण के लिये गये। तो निरीक्षण के लिये कौन से अधिकारी गये ? दूसरे रात्रि-सेवा की जो बसें होती हैं, इसमें आर्म्स गार्ड की व्यवस्था होती है, तो इस बस में आर्म्स गार्ड की क्या व्यवस्था नहीं थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जैसे ही घटना की सूचना मिली तो एस0 एस0 पी0 और क्षेत्राधिकारी दोनों घटना स्थल पर पहुँचे। यह पैसेन्जर बस थी। आर्म्स गार्ड मेल बसों में लगाये जाते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करें कि क्षेत्राधिकारी जो घटना स्थल पर तुरन्त निरीक्षण करने के लिये गये तो, क्या वहाँ आस-पास के जो आधा कि0 मी0 पर गाँव हैं किसी से, प्रधान से या अन्य किसी व्यक्ति से छानबीन पर कोई बयान लिया है ? दूसरी बात आपने कहा कि 11 सवारियाँ बरल गाँव में उतर गयीं यह रास्ते में कोई स्थान नहीं है, निरीक्षण अधिकारी ने क्या यह जानकारी की कि वह कहाँ पर गये और कहाँ पर ठहरे थे।

श्री गुलाब सेहरा—

अगर स्टेटमेन्ट न लेते तो यह जांच पड़ताल न होती। और चारों अभियुक्त न पकड़े गये होते, वह माल की बरामदी के साथ पकड़े गये।

श्री धम्मन सिंह गहलौत—

मैं नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वह पैसेन्जर बस थी, मेल बस में आप गार्ड देते हैं। पैसेन्जर बस रुकती हुई जाती है, उसमें तो गार्ड की और अधिक आवश्यकता होती है। तो क्या माननीय मन्त्री जी पैसेन्जर बसों में गार्ड की व्यवस्था करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

जो सेन्सटिव इलाके हैं वहाँ पर इसको देख लिया जायगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं मा0 मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जानकारी मैंने दी है और जो जानकारी आयी है, उसके आधार पर सी0 आई0 डी0 की जांच करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मुझे आश्चर्य लगता है कि इन्हें सी0 आई0 डी0 का नशा है। सभी अभियुक्त माल सहित पकड़ लिये गये तो सी0 आई0 डी0 का प्रश्न कहाँ से उठता है ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मा0 मन्त्री जी का सारा वक्तव्य झूठा है इसलिए सी0 आई0 डी0 की मांग करता हूँ।

गाजियाबाद में एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की कथित हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—इसको पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री गुलाब सेहरा—हरिजन समाज कल्याण राज्य मन्त्री

(प्राप्त सूचनानुसार, दिनांक 13-3-83 को प्रातः लगभग 9 बजे श्री ओम प्रकाश पुत्र शिवली गूजर ने थाना लोनी, जिला गाजियाबाद में 5 नामजद एवं 5-6 अज्ञात हथियार बन्द व्यक्तियों द्वारा लगभग 7 बजे प्रातः जंगल प्रहलादपुर स्थित उसके मकान पर आकर अपने पिता शिवली, भाई किशोरी उर्फ किशोर चन्द्र एवं 4 वर्षीय बच्चे चरनसिंह की हत्या किए जाने की लिखित सूचना दी जिसमें यह भी बताया गया कि मुल्जिमान ने उसके हाथी को भी मार डाला और दिल्ली की ओर भाग गये ।

सूचना पर अ0स0 41 धारा 147/148/149/302/452/429 भा0 दं0वि0 कायम करके पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची । क्षेत्राधिकारी भी शीघ्र ही पहुंच गये । उसी दिन घटनास्थल का निरीक्षण जिलाधिकारी, पुलिक अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक तथा परगनाधिकारी ने भी किया ।

घटनास्थल पर पहुँचने के बाद पुलिस ने अभियुक्तों के भागने की दिशा में उनका पीछा किया । ज्ञात हुआ कि रास्ते में अभियुक्तों ने एक ट्रक रोका व उसमें बैठकर बंधा-रोड तक गये और उसके बाद ग्राम समयपुर के पास से एक जीप में बैठकर भाग गए । पुलिस द्वारा मामले में हर सम्भव स्थानों पर दबिश दी गयी लेकिन अभियुक्त उपलब्ध नहीं हुए । न्यायालय से आदेश प्राप्त करके दिनांक 15-3-83 को नामजद अभियुक्तों की कुर्की की गयी । अभियोग विवेचनाधीन है ।

मृतक शिवली मूलतः ग्राम घिटौरा, थाना खेकड़ा, जनपद मेरठ का निवासी था, किन्तु पिछले अनेक वर्षों से वह जनपद गाजियाबाद के प्रहलादपुर जंगल में एकान्त स्थान पर एक मकान बनवा कर सपरिवार रहने लगा । सूचनानुसार वह और उसका पुत्र किशोरी दोनों अच्छे आचरण के व्यक्ति नहीं थे । दिनांक 14-8-82 को थाना लोनी पर पंजीकृत अभियोग अ0स0 142 धारा 302/307 भा0दं0वि0 में ये दोनों अभियुक्त थे । इस मामले की प्रथम सूचना के अनुसार, दिनांक 13/14-8-82 में रात्रि लगभग 12 बजे शिवली आदि ने दुलीचन्द्र (नामजद अभियुक्त) के भाई ब्रह्मचन्द गूजर के घर पर हमला करके उसकी पत्नी, 12 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार, 10 वर्षीय पुत्री कुमारी बबीता, 5 वर्षीया कुमारी करुणा एवं ढाई वर्षीया कुमारी अर्चना को मारपीट कर चोटें पहुँचायी थी । अस्पताल में सुनील एवं अर्चना मृत घोषित किए गए थे । घटनास्थल पर पहुँचने के पहले उन्होंने रास्ते में ही एक वृद्ध की भी हत्या की । पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र के आधार पर यह अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

चूंकि उपर्युक्त घटनाओं के लिए 2 परिवारों के ही लोग अधिकांशतः उत्तरदायी

हैं अतः ग्राम गढ़ीसबलू तथा शिवली के प्रह्लादपुर जंगल स्थित मकान पर निरन्तर सशस्त्र पुलिस गार्ड द्वारा गश्त की व्यवस्था की गयी है। घटना 2 परिवारों की पारस्परिक रंजिश के परिणामस्वरुप प्रतीत होती है। भय और आतंक का वातावरण व्याप्त नहीं है। स्थिति सामान्य है।)

श्री अध्यक्ष —

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा—

बहुत छोटा है, इसको पढ़वा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

पढ़ा हुआ मान लिया गया।

जनपद फैजाबाद के पत्रकार को परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा गिरफ्तार कर अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व मन्त्री श्री बैजनाथ कुरील—

[प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अवधेश कुमार मेहरोत्रा पत्रकारिता के अतिरिक्त व्यापार का भी काम करते हैं। इन पर वर्ष 1975-76 से लेकर वर्ष 1977-78 तक का बिक्रीकर मुबलिग रुपया 5389-71 तथा जिसका 15-1-83 तक का ब्याज मुबलिग रुपया 3665-29 देय था, बकाया था। उक्त धनराशि को मालगुलारी के बकाया के रूप में वसूल करने के लिये जिलाधिकारी को समय-समय पर वसूली प्रमाणपत्र प्राप्त हुये। राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा धनराशि वसूल करने हेतु प्रयास किये गये। इन्हीं वसूली प्रयासों के अनुक्रम में दिनांक 20-12-81 तथा 5-10-82 को गिरफ्तारी के अधिपत्र जारी किये गये। किन्तु इनकी निरन्तर टालमटोल के कारण गिरफ्तारी के अधिपत्रों का न तो निष्पादन ही किया जा सका और न ही वसूली सम्भव हो पायी। अतः पुनः अधिपत्र दिनांक 11-1-83 जारी कर परगनाधिकारी के सहयोग से श्री मेहरोत्रा को नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 15-1-83 को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने उसी दिन लगभग 3 घन्टे के पश्चात कुल बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया। फलतः इन्हें तत्काल रिहा कर दिया गया।

श्री अवधेश कुमार मेहरोत्रा ने उन्हें उत्पीड़ित करने व अपमानित करने के सम्बन्ध में एक प्रार्थनापत्र जिलाधिकारी फैजाबाद को दिया है। इस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद द्वारा जांच की जा रही है।]

श्री राम आसरे वर्मा—

अपने बयान में स्वयं इस बात को माना है कि अमृत प्रभात समाचार पत्र के श्री अवधेश कुमार मेहरोत्रा को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जिस तरह के शब्दों का प्रयोग परगनाधिकारी ने किया वह शर्मनाक है।

नोट : [ ] पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

(समय 7 बजे सांय)

× श्री राम आसरे वर्मा—

बिक्री कर कर का बकाया हो या कोई भी बकाया हो उसको वसूल करने के लिये रेवेन्यू बोर्ड से एक सिद्धान्त तय किया गया और उसके अनुसार नोटिस दी जानी चाहिए थी और तब यह कार्यवाही की जानी चाहिए थी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस अवधेश कुमार पत्रकार को गिरफ्तारी के पहले उनको कोई नोटिस दी गयी अथवा नहीं ? यदि नोटिस नहीं दी गई तो जो पैसा उनसे वसूल हुआ है उसके साथ नोटिस का खर्चा भी लिया गया या नहीं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, नोटिस दी गई थी या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है लेकिन इसमें जो जमींदारी एबोलिशन ऐन्ड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट है उसकी धारा 279 पर यह दिया है कि—

दि एरियर आफ लैन्ड रेवेन्यू में बी रिकवर्ड बाई ऐनी वन आर मोर बाई दि फालोइंग प्रोसेसेज—

(अ) बाई सर्विंग रिट आफ डिमान्ड और साइटेशन टु ऐपियर आन ऐनी डिफाल्टर।

(ब) बाई अरेस्ट एन्ड डिटेन्शन आफ हिज परसन।

(स) बाई अटेचमेन्ट एन्ड सेल आफ हिज मूवेबिल प्रापर्टी इन क्लूडिंग प्रोड्यूस।

(द) बाई अटेचमेन्ट आफ दि होल्डिंग इन रेसपेक्ट आफ विच एरियर विच इज ड्यू।

श्री अध्यक्ष—

इसका आप हिन्दी अनुवाद कर दें।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, इसमें यह है कि दो-तीन तरीके में से किसी भी तरह से एरियर्स वसूल किये जा सकते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि जिस समय अवधेश कुमार मेहरोत्रा गिरफ्तार किये गये थे उस समय परगनाधिकारी ने यह शब्द इस्तेमाल किये थे— मैं तुमको जेल में बन्द करवा दूंगा और भविष्य में पत्रकारिता करना सिखा दूंगा। तुमने पैसा जमा कर दिया वरना मैं बता देता मान्यवर, एक परगनाधिकारी एक पत्रकार के लिये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि किन-किन नियमों का पालन किया जा सकता है वसूली के लिये। वसूली के लिये पहले साइटेशन वसूल होता है और खर्चा भी वसूल किया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस वक्त वसूली के पहले जब साइटेशन का नोटिस इश्यू हुआ था और जो मुतालबा लिया गया तो क्या साइटेशन का 5 रुपया भी खर्चा वसूल किया गया? मान्यवर, क्या साइटेशन इसलिये नहीं किया गया क्योंकि यह गिरफ्तारी द्वेष के आधार पर थी।

श्री बैजनाथ कुरील—

श्रीमन्, 5 रुपया तो वसूल किया गया है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मेरे पास रसीद मौजूद है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप तो मन्त्री जी के पीछे बैठे हैं, बात कर लें। (व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) इस तरह से प्रश्न का अन्त नहीं होगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि श्री अवधेश कुमार मेहरोत्रा ने उन्हें उत्पीड़ित करने व अपमानित करने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिया है, उस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा जांच करायी जा रही है। क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि परगनाधिकारी और अपर जिला मजिस्ट्रेट में कोई फर्क नहीं है तो इसकी जांच किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निष्क्रियता एवं राजकीय बसों की दुर्दशा के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

(इस समय 6 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

×श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, बहुत अफसोस के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की दुर्दशा और उसकी कार्यप्रणाली पर बहस और चर्चा प्रारम्भ करना चाहता हूँ। जब रोडवेज विभाग सरकार के सीधे नियंत्रण में था तो इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि इसकी कार्यप्रणाली को सुधारने और जन जीवन तक सुविधा पहुँचाने की दृष्टि से इसकी स्थापना की जाय।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब से यह निगम बना तब से रोडवेज की दुर्दशा होती रही, दिन पर दिन हालत खराब होती चली जा रही है। अपने 10 वर्षों में ही निगम लगभग 30 करोड़ के घाटे में पड़ गया और आज हालत यह है कि सरकार की ओर से अनुदान, जीवन बीमा निगम की ओर से अनुदान और अन्य संस्थाओं से कर्ज लेने के बावजूद न तो आपकी बसें ठीक हैं और न साधारण जनता को सही सुविधाएं आप उपलब्ध करा पा रहे हैं। नतीजा यह है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम को लोगों को परिवहन की सुविधा पहुँचाने के लिए करीब 12 हजार बसों की आवश्यकता है और उसके अनुपात में इनके पास 58 और 59 सौ बसें हैं। उसके लिए भी आप कहते हैं कि साल के अन्त तक उनमें से 22 सौ बसें आफ दि रोड हो जायेंगी। उसके लिए भी आपको 50 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराये जांय तो आपको तीन अरब रुपये तत्काल चाहिये जो हमारे जैसे गरीब प्रदेश के लिए सम्भव नहीं है। अगर देना भी पड़ता है तो इस बात की गारन्टी नहीं है कि जनता को सही रूप में सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे।

अगर दूसरे प्रदेशों की तुलना में देखें तो हमारे प्रदेश के परिवहन निगम की हालत बहुत ही खराब है। सुविधाओं के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, प्रशासनिक मामलों में जितनी रद्दी हालत हमारे परिवहन निगम की है, शायद हिन्दुस्तान में बिहार को छोड़ कर कहीं नहीं है। यह मुझे अफसोस और चिंता के साथ कहना पड़ता है कि इसका इलाज क्या है। तमिलनाडू जैसे राज्य में इसके 6-6 निगम बने हैं। इसी तरह उड़ीसा और कर्नाटक में है। हमारा इतना बड़ा प्रदेश है जिसमें एक निगम सबको सामान्य सुविधा नहीं उपलब्ध करा पायेगा, उसके लिए यह अक्षम है। इसलिए इसको आप बाइफरकेट करें, इसके डिवीजन करें और उनको खुद मुख्तार करें। अगर ज्यादा नहीं तो तीन मंडलों पर एक निगम आपको बनाना चाहिये जिससे शासन पर पकड़ मजबूत रहे और साधारण जनता को सुविधा प्राप्त हो सके।

दूसरी समस्या सीटी बस सर्विस की है। यह सर्विस घाटे में सेवा कर रहा है। हम यह नहीं कहते कि आप इसे बन्द कर दें, हम यह भी नहीं कहते कि इसको इसी रूप में रखा जाय। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। 54 फीसदी भाड़ा बढ़ाने के लिए निगम ने प्रस्ताव किया और आपने 30 प्रतिशत बढ़ा दिया। आज इस बात की पूरी आशंका है कि जब यह सदन उठ जायेगा और यह निश्चित हो जायेंगे तो परिवहन निगम किन्हीं बजूहात का बहाना लेकर फिर से भाड़ा बढ़ायेगा, इस बात का पूरा इमकान है। आपके यहाँ जो मुख्य घाटा है, उसका मूल कारण सीटी बस सर्विस है जो गाँवों में बस चलती हैं, वह मुनाफे पर चलती हैं, हो सकता है आँकड़ों के अभाव में मैं गलत हूँ, उसमें आप सुधार कर लें। मैं यह भी नहीं कहता कि निजी हाथों से काम हो लेकिन इतना कहता हूँ कि वैस्ट बंगाल की सरकार जो सी0 पी0 एम0 की सरकार कही जाती हैं, जो निजी स्वामित्व की विचारधारा के विरुद्ध है, उसने भी कलकत्ता जैसे महानगरी में सीटी बस सर्विस को सुधारने के लिए मिनी बसों के परमिट निजी लोगों को दे दिये हैं। हमारी जानकारी है कि चालीस हजार ग्रेजुयेट और अंडर ग्रेजुयेट्स को निजी

बसों के परमिट दिये हैं, उससे एक तरफ सीटी बस सर्विस के घाटे को पूरा किया है और दूसरी तरफ शहरी जनता को अच्छी सुविधा उपलब्ध करायी है। तो क्या आप भी इस पर विचार करेंगे ? लखनऊ विश्वविद्यालय से होकर जाने वाली बस आपको बन्द करनी पड़ी क्योंकि जितने भी हीवेट पालिटैक्निक और लखनऊ पालिटैक्निक के लड़के उसमें बैठते थे, वह आपके कंडक्टर से कहते थे, कि तुमको नहीं मालूम कि मैं पालिटैक्निक का स्टूडेंट हूँ।

तो बिचारा कंडक्टर मारा जाता है और बस टूटती है, हर कदम पर बस रुकती है और इसलिये आपको घाटा होता है। अतः आपको सोचना चाहिये कि जो ग्रेजुएट अनइम्प्लायेड, बेरोजगार हैं, उनको मिनी बसों के परमिट देकर, जो सुधार की सम्भावनाएं हैं, उस पर आपको विचार करना चाहिये।

मान्यवर, तीसरी कठिनाई है कि आपने वायु शीतित बस सेवा शुरु की किन्तु वह न वायु शीतित है और न वायु आच्छादित हैं लेकिन यह बसें मुसाफिरों को लूट करने के लिये एक नया धंधा आपके निगम ने जरूर शुरू कर दिया है। इसलिये इसमें मेरा सुझाव है कि जब थोड़ी दूर बस चलती है तो जो खिड़की से टिकट नहीं लेता है, वह दौड़ कर बस में बैठता है, कुछ बिना खिड़की से टिकट लेकर आते हैं उनको बस में खड़े-खड़े चलना पड़ता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि जैसे दूसरे राज्यों में है वैसे ही यहाँ भी, आपको आरक्षण की व्यवस्था खिड़की से करना चाहिये चाहे थोड़ा पैसा भी ले लें लेकिन सीट का रिजर्वेशन खिड़की से करें। इन सुझावों के साथ, चूंकि समय कम है, इस चर्चा की शुरुआत इस निदा के साथ मैं करता हूँ कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम न तो सस्ता है, न सुलभ है और न जनता को उचित सेवा करने में ही सक्षम है, इसलिए निगम की कार्यप्रणाली में आप आमूल चूल परिवर्तन करें, यही शासन से मेरा अनुरोध है।

× परिवहन एवं पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

अधिष्ठाता महोदय, मा0 मोहन सिंह ने जो सुझाव दिये हैं वे सुझाव विचारणीय हैं। मैं सिर्फ एक बात से उनसे सहमत नहीं हूँ, उन्होंने जो निष्क्रियता और दुर्दशा की बात कही है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। यदि वह ऐसा कहते हैं तो वह सच्चाई से बहुत दूर जाते हैं। सच्चाई यह है कि उ0 प्र0 में निगम एक व्यावसायिक संस्था है और वह व्यवसायिक संस्था को सरकार के अनुदान पर चलाना कहाँ तक सम्भव है, यह श्री मोहन सिंह भली प्रकार जानते हैं। उस समय की प्रसन्नता की बात मैं करता हूँ जबकि सरकार रोडवेज के नाम पर इन बसों को चलाती थी तो इसमें शक नहीं कि उसके मुनाफे और घाटे की जिम्मेदारी सरकार की थी। मान्यवर, निगम एक अलग आटोनामस बाडी है, वह अपना अलग बजट बनाती है अपने लिये और अपने लिये तय करती है कि उसे क्या करना है प्रदेश में। इसमें शुबहा नहीं कि शुरू-शुरू में कार्य अच्छा चला और जब से निगम बना, मैं कुछ दिन पहले की बात कहता हूँ कि बसों की जो स्थिति है,

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको आप और दूसरे मा0 सदस्य भी जानते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने वेस्ट बंगाल का उदाहरण दिया, मैं दूसरे प्रदेशों का उदाहरण उनके सामने रखना चाहता हूँ और जब आप अनुमान लगाएं कि हम निष्क्रिय हैं या सक्रिय हैं, दुर्दशा है या अच्छी दशा है। इस सम्बन्ध में मैं अन्य प्रदेशों को फीगर्स दो-तीन सालों की आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो दूसरे प्रदेश प्रोग्रेसिव कहलाते हैं, उनकी स्थिति आप देख लें और अपनी स्थिति देखें। तो मैं आन्ध्र प्रदेश जो अच्छा प्रदेश है, उसका उदाहरण देना चाहता हूं।

काफी जो प्रगतिशील प्रदेश हैं, उसकी 80-81 में 20 करोड़ 53 लाख का घाटा हुआ और उसे 81-82 में 11 करोड़ 24 लाख का घाटा हुआ है इसी प्रकार गुजरात में 80-81 में 20 करोड़ 24 लाख का घाटा हुआ है। (व्यवधान) (श्री काशी नाथ मिश्र के कुछ कहने पर) माननीय मिश्रा जी को यह बात शोभा नहीं देती है। जब हमको निष्क्रिय बताया जाता है तो निष्क्रियता का यह जवाब है। वैसे मैं उनके सुझावों पर आ रहा हूं। महाराष्ट्र बहुत अच्छा प्रदेश है, वहां 80-81 में 37 करोड़ 53 लाख का और 81-82 में 23 करोड़ 75 लाख का घाटा हुआ है और हमारे यहाँ 7 करोड़ 82 लाख का इस समय घाटा हुआ है कि पहले 10 करोड़ 26 लाख का था। तो इससे नतीजा लग सकता है कि हम सक्रिय हैं या नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपने जो दूसरे स्टेट्स के आंकड़े दिए हैं, उनका सोर्स क्या हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मैं आपको योजना आयोग के परिपत्र के आधार पर बता रहा हूं (व्यवधान) मोहन सिंह जी ने जो बातें कही हैं, अब मैं उनकी ओर आ रहा हूं। उनका जो एक सुझाव है कि अलग-अलग निगम बनाया जाए या मंडलीय स्तर पर निगम बनाए जाएं ... (व्यवधान) इससे प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक बढ़ने वाला है, लेकिन यह प्रश्न विचारणीय है। जो फैक्ट्स हैं उनको आपको समझना चाहिये। बसों में बढ़ोत्तरी करने का हमारा विचार है, लेकिन जैसा आप समझते हैं निगमों की आर्थिक स्थिति सुधरने पर ही नई बसों को लाकर खड़ा किया जा सकता है। शहर में बसों के परिचालन के सम्बन्ध में जो आपने भारी घाटे की बात कही है, वह बात अपनी जगह शत प्रतिशत सही है। शहर में मुनाफा हो नहीं सकता है। जो आपका मिनी बस का सुझाव है, वह बहुत ही विचारणीय सुझाव है और उस पर अवश्य विचार होना चाहिए। उससे शहर वालों को यात्रा की सुविधा का और दूसरा लाभ हो सकता है। हमारे यहाँ वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, बरेली, आगरा और लखनऊ जैसे बड़े-बड़े शहर हैं, अगर उनमें मिनी बसों की व्यवस्था परीक्षण के तौर पर कर दी जाए तो यह एक बहुत अच्छी बात होगी। इस पर विचार करना आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी, बाद में फिर अवसर मिलेगा, तो फिर जवाब में सब कवर कर लीजिएगा।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर मैंने बता दिया कि निष्क्रियता एवं दुर्दशा के दोनों शब्द मुझ पर लागू नहीं होते हैं। माननीय सदस्य उसको वापस ले लें।

×श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी सच्चाई की तलाश में हैं कि जो उनका निगम है, उसमें सच्चाई कहाँ है। सच्चाई तो सिर्फ इतनी है कि जब यात्री सफर करता है, तो उर्दू, हिन्दुस्तानी में सफर शुरू करता है, और अन्त करता है, तो अंग्रेजी का सफर हो जाता है। हालत जो है आपकी, तो सारा टेक्निकल उसमें कैटेगिरोज किया जाता है, ए0 बी0 सी0 डी0 और ई0 होता है। डी0 कैटेगिरी वह होता है जो बियांड इकौनामिकली रिपेयर होती है और ई0 कैटेगिरी वह होती है जो साल्वेज में जाने की होती है। आपकी पूरे निगम की बसें ई0 कैटेगिरी में साल्वेज में जाने की हैं। इसमे 10 करोड़ का घाटा बतला रहे हैं, लेकिन इसमें आप अपना टियर-बियर और बेकार बसों को रि-सेल वल्यू वगैरह आप जोड़ें, तो 50 करोड़ से कम नहीं बैठेगा।

अब आप जो फोगर्स के जाल में फंसे हैं इसीलिए इसकी मरम्मत सही आप कर नहीं पा रहे हैं। असल में आप उसको देखें असलियत यह है कि एक प्राइवेट बस आपरेटर, अबरार साहब को काफी तजुर्बा है, एक बस पर या दो बस पर अपना सारा टियर-बियर, आपका टैक्स, जो आर0 टी0 ओ0 ने पकड़ लिया, फलाने ने पकड़ लिया, अपने ड्राइवर और कंडेक्टर, क्लीनर से लेकर वह 6 हजार-6 हजार रुपये का लाभ उठाता है जैसे हमारे मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर का रूट है, उसका परमिट की कीमत आज तक ढाई-तीन लाख रुपया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसमें तो मेरा एक ही सुझाव है कि अनुबन्धित बसें जो आपकी हैं, जिनसे आप रायल्टी पर वसूली करते हैं, उनसे घाटा होता, तो फिर आप अपनी बसों को भी नीलाम करके, उसी तरह से रायल्टी पर क्यों न लें और इस निगम को तोड़ दें।

श्री ईद अहमद—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बाबू मोहन सिंह द्वारा दी गयी सूचना की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की हालत ऐसी है कि मुसाफिर जब उस पर सफर करने के लिए निकलता है, तो उसको यह पता नहीं होता है कि उसे कब बस मिलेगी और किसी वजह से मिल भी गयी, तो उसको यह पता नहीं रहता है कि वह कब अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचेगी, उसका भी अंदाजा नहीं रहता है। मान्यवर, अगर वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, तो वह मुसाफिर कहता है कि हम आज बहुत ही भाग्यशाली थे, जो बस पहुँच गयी। मान्यवर, आज बसों की हालत ऐसी है कि कभी भी कोई मुसाफिर यह नहीं जानता कि कब बस पहुँची और कहाँ पर बिगड़ जायगी। आज पूरे बसों की हालत यही है कहीं पहिया पंचर हो रही है, कहीं टिन खड़खड़ा रही है, कहीं कुछ खराब है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की आज हालत सुधारने की अत्यन्त आवश्यकता है। जो सुझाव आया है कि निगम को डिवीजन वाइज बांट दिया

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय, 3,3 डिवीजन पर एक निगम बना दिया जाय तो यह सुझाव उचित है। जब तक निगम को छोटा नहीं किया जायगा तब तक प्रशासनिक कुशलता नहीं बढ़ेगी। प्रशासनिक कुशलता बढ़ाने के लिए निगम को छोटा करना आवश्यक है। आज निगम अपना समुद्र के रूप में बना हुआ है इनको पता नहीं है कि किस अधिकारी की बात मानें और किस अधिकारी की बात न मानें। बड़े अधिकारी कुछ लिखते हैं और छोटे अधिकारी कुछ लिखते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अपने जिले में अलीगंज नामक स्थान पर बुकिंग आफिस खोलने के लिये मैंने लिखा। जो0 एम0 और शासन स्तर से जवाब आया कि जाँच करायी गयी कामर्शियल हित में खोलना हितकर नहीं है। मैंने ए0 आर0 एम0 से बात की। उसने कहा कि आप जगह दिलवा दें हम खुलवा देंगे। तो शासन स्तर के बड़े अधिकारियों का जवाब आया है कि जाँच करायी गयी, बुकिंग आफिस खोलना विभाग के हित में नहीं होगा। जबकि मेरी निश्चित जानकारी है कि जाँच करायी नहीं गयी और न कोई पूंछताछ हुयी। तो अधिकारियों का आलम यह है कि वह कुछ करते नहीं हैं, और अगर लिखते हैं तो कार्यवाही तक नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता—

मुईद साहब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मुईद अहमद—

तो मान्यवर, जहाँ तक इस निगम की बात है, इसको तोड़कर छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दें जिससे कि प्रशासनिक सुधार हो सके। जो टेक्निकल्टीज बतायी गयी हैं, उनको खत्म करके डाइरेक्ट बसों को अटैच करके यात्रियों को सुविधा दी जाय, यह मेरा निवेदन है।

× श्री शंकर सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने कहा और माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि जितने राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उन पर चलाने के लिये 12 हजार बसों की आवश्यकता है। आपकी पौने 6 हजार बसों में से 22 सौ बसें रिटायर हो गयी हैं। आज ही मेरा एक प्रश्न था, उसमें सरकार का उत्तर आया है कि चार सौ या साढ़े चार सौ बसें 'ए' कैटेगरी की हैं। बाकी जो बसेज हैं, वह सब ई0 या डी0 कैटेगरीज की हैं जो चलाने के लायक नहीं हैं। तो मेरा कहना है कि जितनी बसों की आपको आवश्यकता है उसकी 1/4 बसें हीं आपके पास हैं बाकी बसें बेकार हैं। तो यह बात आप स्वीकार करेंगे कि प्रदेश की जनता के साथ यह अन्याय हो रही है। आप चाहे घाटे पर जायं या मुनाफे पर जायं आप क्या करते हैं इसको जनता को जानने की फुरसत नहीं है। आप प्लान बनाते रहें लेकिन ईश्वर के लिये प्रदेश की गरीब जनता के लिए सुविधा दें। गरीब जनता के पास कोई दूसरा साधन नहीं है, कार या हवाई जहाज नहीं है, रेलों में जगह नहीं है तो उसके लिए आप बसों को मुहैय्या कराएं। जितने आपके राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, उनके लिये 8 हजार बसों की आवश्यकता है, आप खुले दिल से सोचें और निजी बसों को अनुबन्धित करें। अच्छी से अच्छी बसे हैं, आप कड़ी से कड़ी

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शर्त लगा दें। नई से नई बसें आपको मिल जायेंगी। इसमें घाटे का सवाल नहीं है जितना पैसा आप लेना चाहते हैं बढ़ा दें लेकिन कम से कम प्रदेश की जनता को सुलभ यातायात तो मुहैय्या हो सके।

वास्तविकता तो यह है कि आने वाले सहालत के दिनों में पीक सीजन में आपको दिक्कत होगी जो कुछ व्यवस्था करनी हो अभी से कर लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रदेश की गरीब जनता को बड़ी दिक्कत होगी। आपके घाटे का मुख्य कारण है जहां आपकी बसें चलती हैं, वहाँ डिपो के बाहर आप देख लीजिये पचासों मिनी बसें, जीपें, टैक्सियां बिना परमिट के वह डग्गा मार करके राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चल रही हैं। मैं चाहूँगा कि माननीय मन्त्री जी इधर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता —

आप बैठें।

×श्री काशी नाथ मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का तर्क सुन रहा था, उन्होंने कहा कि परिवहन निगम घाटे में चल रहा है, इसकी वकालत उन्होंने की और सिद्ध किया दूसरे प्रान्तों में भी घाटा है, इसलिए हमारे यहाँ भी घाटा है। यह उदाहरण तो वैसे ही हुआ जैसे कोई कहे कि साहब काशी नाथ मिश्र चोर है, तो मैं कहने लगूं कि मोहन सिंह भी चोर हैं, हुक्म सिंह बड़े चोर हैं, रियासत साहब बहुत बड़े चोर हैं, तो यह कोई जवाब नहीं हुआ। परिवहन निगम के घाटे में चलने का कोई औचित्य तो नहीं है।

हमारे जिले में आज से 20 साल पहले एक पाठक ने टूटी गाड़ी लेकर चलाना शुरू किया, उन्होंने उसे तीन हजार में खरीदा था, लेकिन आज वे 20 बसों के मालिक हैं और उनकी सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट सर्विस हमारे जिले में हैं, जब एक प्राइवेट निजी बस वाला इस तरह का मुनाफा कमा सकता है 20 साल के अन्दर, तो निगम को घाटे में चलने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन का निगम साधन सम्पन्न होते हुए भी दिनोंदिन घाटे में चला जा रहा है, इसका कारण क्या है, घाटे में चलने का मतलब है चपरासी, कन्डेक्टर से लेकर आला अफसर सब इसको लूट रहे हैं, खा रहे हैं, अफसरों के लिए शोषण का साधन आपका निगम बना हुआ है।

मान्यवर, हमारा एक रिश्तेदार बलिया का है, वे बलिया से चला उस डीलक्स बस पर जिसका किराया 38-40 रुपये है, सबसे अच्छी बस है, बलिया से वह रसड़ा आयी, ड्राइवर ने कहा कि बस का पहिया नीचे फट रहा है, इस तरह से रसड़ा में वह आकर बिगड़ गयी, लेकिन रसड़ा से फिर बैक होकर बलिया चली गयी, बलिया से एक-डेढ़ घन्टे लेट से दूसरी बस मिली, जो सुल्तानपुर में आकर हाल्ट हो गयी, रुक गयी, फिर तीसरी बस से वे आज दोपहर को यहाँ पहुँचे, उन्होंने आकर यह किस्सा बताया, तो यह दुर्दशा है।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी वेस्ट बंगाल का जिक्र आया, 1947 के बाद जब रिफ्यूजीस की समस्या हल हुई तो पं नेहरू ने विधान चन्द्र राय को लिखा कि तुम उनको बस का परमिट दे दो, इन रिफ्यूजीस को उन रूटों पर दे दो, जिन पर सरकारी बसें चलती है, पहले तो उन्होंने आनाकानी की, लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया। नतीजा यह हुआ कि पंजाबी सब सैटल हो गये, और सरकार भी घाटे में नहीं गयी। बंगाल में किस तरीके से व्यवस्था है, आंध्र प्रदेश में किस तरीके से है जिन जगहों पर घाटा है, वहाँ निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बसों को घाटे में चलना ही नहीं चाहिए।

श्री अधिष्ठाता —

अब एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मैं यह कहना चाहूँगा कि माननीय मन्त्री जी निगम को तोड़ दें। हर रूट पर आप निजी बसें, मिनी बसें या और जो बसें हैं उनसे कम से कम जनसाधारण की खिदमत होनी चाहिए। बड़े-बड़े धनी लोगों के पास तो कारे हैं, गाड़ियाँ हैं, लेकिन जनसाधारण का ख्याल होना चाहिए। माननीय अंसारी साहब के साथ मैं एक दिन उनकी कार से इलाहाबाद से प्रतापगढ़ गया। प्रतापगढ़ से मुझे लखनऊ आना था। मैं एक सरकारी बस में सवार हुआ। जाड़े के दिन थे, उस बस के शीशे फूटे हुए थे जब बस चलने लगी, तो शीशे टूटे होने की वजह से भारी हवा अन्दर आने लगी, मेरे पास तो कोट और कम्बल था, लेकिन जाड़े के मारे उस बस में सवार गरीब लोग ठिठुर रहे थे, जाड़े के मारे बेचारे मरे जा रहे थे। तो, यह बसों की दुर्दशा है। यह आपकी बसें, बसें नहीं लोहे का कबाड़ बनी हुई हैं और कुछ नहीं हैं, यह जो बसें हैं, इनको कोई कबाड़ी भी नहीं खरीद सकता है, कोई शौकीन कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा। इसी तरह की बहुत सी शिकायतें हैं, जो आपको दी गयी हैं, आप इस मुल्क के लिए लड़े हैं, जो गरीब समाज है, जो जन-साधारण बसों पर चलते हैं।

जन साधारण की दिक्कत है। आप निश्चित रूप से निगम को तोड़ दीजिये और तोड़ कर सारी व्यवस्था निजी रूप में लें। यह जन साधारण की चर्चा की बात है इसलिये मैंने भाग लिया।

श्री राम गोविन्द

माननीय मोहन सिंह जी ने जो परिवहन निगम की निष्क्रियता के विषय पर चर्चा रखी। मन्त्री जी ने कहा मैं निष्क्रिय नहीं हूँ। मान्यवर, मैं समझता हूँ परिवहन विभाग से ज्यादा निष्क्रिय कोई विभाग नहीं है। मान्यवर, इस विभाग में बसों की इतनी कमी है कि जनपद बलिया में यात्री बसों की छत पर बैठकर सफर कर रहे हैं। बसें मिल नहीं रही हैं। कचहरी और मुख्यालय से आने जाने के लिये। इसलिये मैं मन्त्री जी से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि तमाम रूटों पर जिन पर रोडवेज की बसें चल रही हैं, अगर यात्रियों को सुविधा देनी है तो प्राइवेट बसों को चलवायें। तब आपस में कम्पटीशन में बसें चलेंगी तो सरकार को भी लाभ होगा और जन साधारण को सुविधा भी मिलेगी। मान्यवर, जैसा काशी नाथ मिश्र जी ने कहा—आज लखनऊ से बलिया और

बलिया से लखनऊ आने के लिये कोई बस ठीक नहीं है किसी का शीशा टूटा हुआ है। सब लोग जाड़े से कांपते रहते हैं और गर्मी हुई तो सड़क की धूल बस में चली आती है।

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि परिवहन निगम के सारे कर्मचारी निगम को लाभ पहुँचाने का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी व्यक्तिगत पूंजी बढ़ाने में लगे हैं। निगम को लाभ हो या न हो। मान्यवर, आज परिवहन निगम की इतनी दुर्दशा हो रही है कि यह निष्क्रियता की निशानी बन गया है। मान्यवर, बलिया जनपद में जो बसें चल रही हैं उनमें 5-6 को छोड़कर कोई बस सड़क पर चलने लायक नहीं है। लेकिन उन खटारा गाड़ियों को वहाँ चलवा रहे हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप इस निगम को तोड़कर प्राइवेट सैक्टर में इसको दे दें। ताकि आप दुर्दशा से बच सकें और जन साधारण को सुविधा मिल सके। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे इन सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

मैं प्राइवेट आपरेटर हूँ और मेरे नाम बसें हैं। चला रहा हूँ। मान्यवर, जो परिवहन निगम की बसें है वह बहुत पहले मर चुकी थी और इन लाशों को आप ढो रहे हैं इस उम्मीद से कि इन लाशों में यात्री आकर बैठें और आपको पैसा दें। यह शर्म की बात है। आज नहीं तो कल इस निगम को आपको तोड़ना पड़ेगा यह स्तर आपके निगम का हो गया है और आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि इस निगम का सुधार हो सके। मान्यवर, मैं इस सिलसिले में 2-3 सुझाव देना चाहता हूँ। आज यह दशा है कि हर जिले के मुख्यालय पर टैक्सी, मिनी बसें, वैन और बड़ी बसें डग्गेमारी करती रहती हैं, और यह वजह क्यों है? इनके चलने से जनता को जो कुछ सहूलियतें मिल रही हैं इनके बन्द होने से वह भी सहूलियतें खतम हो जायेंगी। आज भी आधे से ज्यादा यात्रियों को वे बसें ढो रही हैं जिनके पास कोई परमिट नहीं है। जब यह व्यवस्था चल रही है तो आप अपने निगम को फायदे में लाने के लिये तमाम बसों को अपने अधीन लें, उनसे रायल्टी ले कर चलाएँ और मैं बता रहा हूँ कि छोटे-छोटे मार्ग पर चलने वाली बसों को रोककर इनको चाहिए, अपनी बड़े मार्ग पर चलायें और उन टैक्सियों और बसों को रायल्टी के आधार पर परमिट देकर चलायें तो जो कमी बसों की उसको इस तरह से आप पूरा कर लेंगे और लम्बे मार्ग का आपकी जो बसे हैं, ठीक से चलने लगेंगी। अगर आप अपने वर्कशाप डिपार्टमेंट पर कड़ी नजर रखेंगे तो जिस तरीके से यह लोग पुराने पुर्जों की मरम्मत करके फिर उसी को नये की जगह लगा दिया जाता है इस तरह निगम को लगातार नुकसान में लाया जा रहा है इसको रोक सकें तो मैं समझता हूँ कि आप तमाम समस्याओं को पूरा कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता —

अबरार साहब, आपके बोलने का समय समाप्त हुआ।

श्री जटाशंकर सिंह —

इस चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। राजकीय सड़क परिवहन निगम, जिसकी अभी मंत्री जी वकालत कर रहे थे, उन्होंने आंकड़ों को जुबानी यह सिद्ध करना चाहा है कि मोहन सिंह द्वारा लगाया आरोप, बसों की दुर्दशा और परिवहन निगम की निष्क्रियता, दोनों गलत हैं। जो आपका स्वर अभी निकल रहा था, ध्यान करें, संगीत के आचार्यों ने केवल 7 सुर बनाये हैं और आपके परिवहन निगम में सप्त-शतम स्वर सुनाई देता है; आपकी बसों और मैं, यहाँ आपकी भाषा में भी वही स्वर सुनायी दे रहा है। ऐसा मुझे लगा। समय चूँकि दो ही मिनट मिला है इसलिए जो निष्क्रियता है, उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। 26 अगस्त, 1980 को मैने पत्र लिखकर परिवहन निगम को सूचना दी थी कि मेरे जनपद बहराइच से शाहजहाँपुर और बरेली आने वाली बसें मिहींपुरवा न जाकर तीन किलोमीटर पहले, रेलवे क्रासिंग से निकल जाती हैं जिससे वहाँ के यात्रियों को तीन किलोमीटर पैदल चल कर कस्बे तक जाना होता है। जबकि 6 कि0 मी0 का किराया टिकट में शामिल रहता है। उस पर आज तक कान से बहरा और निष्क्रियता ही नहीं, बल्कि घोर अकर्मण्यता का एक मात्र जिम्मेदार आप का निगम कुछ नहीं कर सका और उसके बाद 18 फरवरी, 1981 को मैने फिर पत्र लिखा। उसके बाद भी कोई उत्तर नहीं। बाद में मान्यवर, मैंने विधान सभा में प्रश्न किया और वह विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1981 के पहले बुध को 41 नम्बर पर आया और उसमें कहा गया कि बसों को जाने के निर्देश हैं और उन्हें जाने के लिये ताकीद की गयी। कण्डक्टर और ड्राइवर को दण्डित किया गया और बसें अब जायेंगी। उसके बाद से आज तक बसें वहाँ फिर नहीं गयीं और मैने पुनः इस सत्र में प्रश्न लगाया और वह प्रश्न आया वर्तमान सत्र के चौथे बुध के अतारांकित प्रश्न 104 में और उसमें यह कह दिया कि ढाई माह से बसों के बेड़े में बसें न होने के कारण वहाँ बसें भेजना बन्द कर दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मन्त्री जी को कि सन् 80 से लेकर के आज तक वहाँ कस्बे में उक्त कोई बस आपकी गयी ही नहीं तो ढाई महीने से बन्द क्या कर दिया कहना व्यर्थ है। जब कि सच्चाई यह है कि...

श्री अधिष्ठाता —

आपके भाषण का समय समाप्त हुआ।

श्री जटाशंकर सिंह—

परिवहन निगम के कर्मचारी इस तरह से लापरवाही करते हैं उन पर आपका नियन्त्रण है ही नहीं मन्त्री जी क्या यह सभी बातें अपने जबाब में बतायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामप्रसाद (मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

जब सरकार को रोडवेज की बसों से नुकसान होता है, मा0 मन्त्री जी ने सुझाव दिया था कि वह कुछ बसें खरीदना चाहते हैं, नुकसान को देखते हुये बसों को न खरीदा

जाये। प्राइवेट बसों को परमिट दे दिया जाये जिससे देहात की जनता को उससे फायदा हो। एक प्राइवेट आदमी ने बस का परमिट लिया। उस पर छापा मारा गया तो 74-75 परमिट मिले। उसने एक परमिट लिया था। जब एक प्राइवेट परमिट लेने से इतना फायदा हो सकता है तो सरकार के घाटे को देखते हुये प्राइवेट बसें ही एलाऊ की जांये। प्राइवेट बसो में किराया भी कम है रोडवेज की अपेक्षा।

श्री अधिष्ठाता —

जरा माइक पर बोलें, सुनाई नहीं पड़ रहा है। रिपोर्टस को लिखने में दिक्कत होती है।

श्री रामप्रसाद (मुजफ्फरनगर)—

प्राइवेट बसों को परमिट दे देने से जनता को साधन भी मिल सकेंगे और सरकार का नुकसान भी बच जायेगा।

मेरठ, मुजफ्फरनगर के विधायक जब लखनऊ से हापुड़ उतरते हैं, तब उन्हें कोई ट्रेन का साधन नहीं मिलता। हम लोगों के लिये रोडवेज की बस हापुड़ में मिलती है जो कि बहुत ही पुरानी और टूटी-फूटी हालत में है। कई-कई घन्टे रास्ते में खड़ी हो जाती है जिससे समय का नुकसान होता है। मन्त्री जी ध्यान दें और कोई नई बस रोड-वेज की लगाने के आदेश देने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामप्रसाद (मुजफ्फरनगर)—

एक मिनट ले लूं। मेरा सुझाव यह है कि प्राइवेट गाड़ियों के परमिट दिये जांय जिससे जनता को लाभ हो।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

स्पष्टीकरण एक करूंगा, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता—

स्वष्टीकरण नहीं। तिवारी जी एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। (मोहन सिंह से) मोहन सिंह जी आपकी तरफ के काफी लोग बोल चुके हैं।

एक सदस्य —

मेरे जिले की बात नहीं आई।

श्री अधिष्ठाता—

जिले की बात नहीं है। परिवहन निगम की बात हो रही है।

श्री श्याम नरायन तिवारी—

मान्यवर, निगम कोतोड़ें न तोड़ें। करीब करीब सभी मौकों पर प्राइवेट गाड़ियाँ, बसें और ट्रक लोगों को ऐंठ रहे हैं और यह मुख्य कारण है निगम के घाटे का। इस घाटे को रोंकना पड़ेगा। निगम की खराबी तो देखी जा रही है। निगम द्वारा चालित बसें न हों तो मुसाफिरों की दुर्दशा हो जाये। मान्यवर, हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया है।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शांति रखें।

श्री श्याम नरायन तिवारी—

पुराणों में कहा गया है कि गिद्ध 4 योजन देखता है। 4 योजन देखता है या नहीं, मालूम नहीं। दूर तक अवश्य देखता है। देखता क्या है—डांगर। मान्यवर, मरे हुये को देखता है, मलाई नहीं देखता। रोडवेज की बसों में खराबी रहती है। प्राइवेट हाथों में देने से मुसाफिरों की दुर्दशा हो जायेगी। निगम के हर आदमी की जिम्मेदारी फिक्स की जाये। सुधार के लिये सभी लोग अपनी निगाह रखें तो निगम से फायदा है। निगम की आवश्यकता है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है। इस चर्चा में मोहन सिंह जी को और माननीय मन्त्री जी को अकेले छोड़ दिया जाये। दोनों अकेले तय कर लें कि क्या होना चाहिये।

श्री रियासत हुसैन

मान्यवर, दोनों को बस में बैठा दिया जाये। उसमें मामला तय हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

अगर यह चर्चा इस सदन में न होती तो यह बात जो संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कही, बहुत रचनात्मक थी। वही अच्छा होता। मिश्र जी एक मिनट में अपनी बात कहें, ताकि इस चर्चा को समाप्त किया जा सके।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री मोहन सिंह जी ने जो राज्य सड़क परिवहन निगम के सम्बन्ध में चर्चा रखी है।...

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ वह इस प्रकार है :—

बूये गुल नालाये दिल, दूदे चरागे महफिल,
जो तेरी बज्म से निकला, वो परेशां निकला।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

तथा उसके सम्बन्ध में आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अभी जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी कहा है, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। यह ठीक है कि निगम ने बहुत काम किये हैं लेकिन मान्यवर, इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि निगम ने इतना बुरा काम किया है, शायद इसके लिये मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, इसको कैसे प्रस्तुत करूँ। आपने कहा कि हजारों-हजारों बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, और हजारों-हजारों टैक्सियाँ भी चलती हैं और ठीक वहीं से चलती हैं जहाँ से नित्य बसें भी चला करती हैं। क्या माननीय मन्त्री जी ने अपने विभाग को कभी यह निर्देश दिया कि वे बसें और वे प्राइवेट टैक्सियाँ कोई टैक्सी के रूप में चलती हैं ये सभी प्राइवेट के रूप में चलती हैं और उनसे एक पैसा भी सरकार को लाभ नहीं मिलता है, मान्यवर, मेरा ख्याल है कि एक बस पर करीब-करीब 400/- के कर्मचारी से लेकर 2000/- तक का अधिकारी रखा गया है। यदि आपकी कोई बस

अगर देवरिया से चलती है तो आगे आकर खड़ी हो जाती है। और अगर सलेमपुर से चलती है तो तीन कदम तहारी में आकर खड़ी हो जाती है और यदि बड़ौत से चलती है तो उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है और ड्राइवर पैसेन्जरों को ज्यों का त्यों छोड़कर चला जाता है, और होता क्या है मान्यवर, वह मुख्यालय पर इसकी सूचना देगा, और वहाँ से मैकेनिक आयेगा और वह उसे ठीक करेगा तब वह गाड़ी वहाँ से आगे जायेगी। मैं मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से कह रहा था कि अगर आप निगम को वास्तविक रूप देना चाहते हों।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ, कृपया अब आप बैठें।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसे बाँट दिया जाय। लेकिन मैं बाँटने की बात नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना जरुर कहना चाहता हूँ कि जो आज निगम के अन्दर व्यवस्था हो रही है, वह ठीक नहीं हो रही है। अतएव, मान्यवर, इस निगम को सुचारु रूप से चलाने के लिये आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि इसकी व्यवस्था सुचारु रूप से चलनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी आप पहले कुछ कहना चाहते हों। वैसे तो माननीय श्री मोहन सिंह जी को पहले संक्षिप्त उत्तर देना चाहिये उसके बाद माननीय मन्त्री जी अन्तिम उत्तर देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार अग्निहोत्री—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि इस निगम की निष्क्रियता के नाम पर बुन्देलखण्ड के सभी विधायकों ने झाँसी के क्षेत्रीय प्रबन्धक जो लाखों रुपये के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है कि एक शिकायती पत्र आपको दिया था 6 महीने पहले ? लेकिन उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय आपने उसकी प्रोन्नति हेतु सिफारिश की है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह आश्वासन चाहता हूँ कि पक्ष और विपक्ष के 28 विधायकों ने जो शिकायती-पत्र आपको दिया था उसके सम्बन्ध में आप जांच करायेंगे तथा उसे मुअत्तल करेंगे ?

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया। मोटे तौर पर माननीय मन्त्री जी को छोड़कर किसी भी माननीय सदस्य ने उनके कार्यकलापों की सराहना की हो। दूसरी बात मैं मान्यवर, कहना चाहता हूँ कि बहुत से ठोस सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से यहाँ पर आये हैं और मैं समझता हूँ कि उन सभी सुझावों को ध्यान में रखकर माननीय मन्त्री जी, जो परिवहन निगम की गति विधियाँ हैं, उनमें कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरुरत है। मान्यवर, घाटे का एक इलाज है ये कह देते हैं कि हमारे पास स्टाफ बहुत ज्यादा है, इसको छँटना होनी चाहिये।

छंटनी के नाम पर निकाला कौन जाता है-चौकीदार, चपरासी, कण्डक्टर या ड्राइवर। मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी बसें परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत की जाती हैं, उनकी फीगर कारपोरेशन में रहनी चाहिये। दोनों का तालमेल होना चाहिये जिससे कि जो पंजीकृत बसें हैं, उनको परिधि में लेकर चलवा सकें, रायलटी ले सकें, इसके लिये आपको परिवहन विभाग से बातचीत करनी चाहिये। जैसे रेलवे विभाग है, वहाँ के जितने अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, वह भी रेल से चलते हैं लेकिन आपके परिवहन विभाग के अधिकारी, ए0 आर0 एम0 तक सभी को कार चाहिये। यदि आप अपने निगम में इकानामी करना चाहते हैं तो कार उनसे वापस ले लीजिए, उसको टैक्सी के रूप में चलवाकर लाभ लीजिये, वे लोग बस से यात्रा करें, तभी मैं आपकी मंशा समझूंगा कि आप निगम में सुधार लाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन बिन्दुओं पर मा0 मंत्री जी के विचार सुनना चाहूँगा।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मैं मा0 मोहन सिंह जी और दूसरे मा0 सदस्यों का आभारी हूँ। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, मैंने पहले ही कहा कि वे विचारणीय हैं, उन पर विचार किया जायगा, लेकिन कुछ मेरी कठिनाइयां हैं, मा0 सदस्य इस पर भी विचार करें। कठिनाइयां यह हैं कि अगर हम सख्त पड़ते हैं तो रुकावट हो जाती है, इस बात को समझ लें। अभी मा0 सदस्य बता रहे थे कि भ्रष्ट अधिकारियों को झाँसी में रखा है। ऐसा नहीं है हमारा तो आदेश है कि जायं। इधर से और उधर से वही बात कह रहे हैं। मैं तो आपके सामने 8 महीने का बच्चा हूँ इस विभाग में, और विभागों का तो मैंने काम किया है लेकिन इसमें बच्चा हूँ। मुझे काम करने का मौका दीजिये, मेरे हाथों को मत पकड़िये।

इस समय हमारी 2175 बसें हैं जो आफ रोड हैं, खराब हैं, उनकी जगह पर अगर बसें चलें तो 50 करोड़ रु0 की जरुरत है। ऐसी स्थिति निगम में नहीं है लेकिन फिर भी प्राइवेट बसों को अनुबन्धित करके 700 से अधिक बसें अनुबन्धित हैं, 9000 बसें प्राइवेट चल रही हैं। कहा गया कि उदारतापूर्वक परमिट दिये जांय। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी, 1981 में एलान किया था कि उदारतापूर्वक परमिट दिये जायेंगे, लेकिन वह चैलेंज हो गया, हाईकोर्ट में यू0 पी0 गवर्नमेंट का नोटीफिकेशन सही समझा गया, उसके बाद प्राइवेट बस ओनर्स सुप्रीम कोर्ट चले गये, उन्होंने कहा कि सारा गलत है। जब तक सड़क परिवहन निगम के नियमों में परिवर्तन नहीं होगा, उदारतापूर्वक परमिट नहीं दिये जा सकते। हम इस बात की कोशिश में हैं कि परमिट मिलें, प्राइवेट बसों को अनुबन्धित करें, जो रायल्टी पर देने के लिये तैयार हों। हमारा जो राष्ट्रीय मार्ग है 22116 कि0 मी0 हैं, इस पर 11000 बसों की जरूरत है।

पुरानी बसें जो 4 लाख से ज्यादा चल चुकी हैं, उनका आँक्शन करने के लिये आदेश कर दिये हैं। नयी बसों को लाने का भी प्रस्ताव है। वह प्रस्ताव तो वही है कि जब किसी से कर्जा लेने की बात है, चाहे रिजर्व बैंक से हो या एल0 आई0 सी0 से हो,

उससे लेकर नयी बसें खरीदने का प्रस्ताव है। हमारे सामने सबसे अच्छा एक सुझाव आया माननीय मोहन सिंह जी का कि मिनी बसों को लेकर शहर में चलाया जाये। मैं समझता हूँ कि यदि ऐसा किया जाये तो काफी कठिनाई हमारी हल हो सकती है और निगम को तोड़ने की जो बातें कही गयीं, वह मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, और न ही सम्भव है फिलहाल। इससे और अव्यवस्था फैल सकती है, इससे और दो तीन निगम पैदा हो सकते हैं।

दूसरे कर्मचारियों के बारे में कहा गया, इस विषय में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हरेक एक-एक, दो-दो की तादाद बढ़ाने की शिफारिस करता है जिसके लिये हमने कह दिया कि अब हम नई भरती कोई नहीं करेंगे, और जो आफिसर ऐसा करता है तो वह अपनी तनख्वाह से उसे तनख्वाह देगा, इसलिये इस पर हमने पूरी तरह रोक लगा रखी है। इस वक्त हमारे पास 46 हजार कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश में और हमारे पास 4000 बसें हैं तो आप स्वयं सोच लीजिए कि हमारी एक बस पर कितना आदमी हुआ। इसमें हम आपका पूर्णतया सहयोग चाहते हैं और जब आपका सहयोग होगा 'हमारी कुछ समस्याओं में कमी भी आयेगी। साथ ही हमारा यह भी प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा बस चलाएं ताकि निगम में हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो सके, इसके लिये भी मैं। आपका सहयोग माँगता हूँ केवल आलोचनाओं से काम नहीं चलेगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं, कल 11-00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
23 मार्च, 1683

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश,

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 554 पर।)

दि0 10-1-83 का मांग पत्र

1. वर्ष 1982 में विभाग से जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की हैं उन्हें पुनः उनकी अखण्ड सेवाओं पर रखा जाय।

2. विभाग के जिन कार्यों को ठेकेदारों से कराया जा रहा है उन्हें ठेकेदारों से न कराकर विभागीय कर्मचारियों से ही कराया जाये।

3. तीन वर्ष के कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को रेगूलर किया जाय ज्येष्ठता के आधार पर।

4. रिंग मशीनों का कार्य पूर्व की भाँति डिलर व डिवलपमेंट इन्चार्ज से ही कराया जाय। तथा यह पद और बढ़ाया जाय।

5. प्रदेश की रिंग मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों को वही सुविधा दी जाये जो भारत सरकार की रिंग मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों को प्राप्त है।

6. समान कार्य का वेतन दिया जाय, वेतन विसंगता दूर की जाय।

7. लिपिक वर्ग का नया वेतन मान तुरन्त लागू किया जाय।

8. पुलिस विभाग की तरह से सिंचाई विभाग में भी वाहन चालकों में से 10 प्रतिशत ड्राइवरों को पदोन्नति किया जाय।

9. सेक्सन मिस्त्रियों का नाम बदल कर व्लाक्टेनीशियन या क्षेत्रीय प्रवर अभियन्ता किया जाय।

10. विभाग के समस्त कर्मचारियों को सेक्शन ग्रेड दिये जांय।

11. विभाग में सेक्शन मिस्त्री से अवर अभियन्ता ज्येष्ठता योग्यता के आधार पर बनाये जांय विभागीय परीक्षा समाप्त की जाय।

12. विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को दस वर्ष में एक पदोन्नति अवश्य मिले या उसे उसका स्केल प्राप्त होता रहे। टाइम स्केल दिये जांय।

13. विभाग में सिंचाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश को स्थाई मान्यता प्रदान की जाय। व खण्ड स्तर पर कमेटियाँ बनाकर द्विपक्षीय वार्ता की सुविधा प्रदान की जाय।

14. विभाग में प्रत्येक कर्मचारी की हाजिरी रजिस्टर में प्रतिदिन अंकित हो इसका स्थाई रिकार्ड रखा जाय।

15. रिंग मशीनों पर डिलर व कम्प्रेसर चालकों को भर्ती की योग्यता आगे के लिये आई0 टी0 आई0 व इन्टर मीडियेट रखी जाय एवं सेक्सन मिस्त्रियों की भी आई0 टी0 आई0 व हाई स्कूल रखी जाय।

16. उ0 प्र0 वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत वेतन क्रम व अन्य सुविधाएं वर्कचार्ज कर्मचारियों को पूरी प्रदान की जाय।

17. वर्कचार्ज कर्मचारियों को ग्रुप बीमा योजना की सुविधा प्रदान की जाय।

18. वर्कचार्ज के समय की सेवा अवधि को रेगुलर सेवा में जोड़ा जाय।

19. वर्कचार्ज के मृत कर्मचारी के परिवार-जन को नौकरी प्रदान की जाय।

20. मास्टर रोल पर कार्यरत कर्मचारियों को जिन्हें कार्य करते हुये 240 दिन हो गये हैं उन्हें रेगुलर किया जाय।

21. फील्ड कर्मचारियों व रिंग मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय व उनकी व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति विभाग द्वारा प्रदान की जाय।

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 565 पर।)

(विधना सभा प्रथम सत्र 1983 के सातवें बुधवार के लिये श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी के अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर का संलग्नक)

तालिका

क्रम सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृति दिनांक	2/83 तक की प्रगति (किमी0 पूर्ण	मार्ग पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि	अभ्युक्ति
1.	गेंठीछेड़ा दोन्दल उपरास् मोटर मार्ग	—	—	—	स्वीकृत नहीं है।
2. (क)	उपल्डा देहलचौरी पौड़ी मोटर मार्ग का प्रथम भाग (किमी0 0.800 से 2.500 तक)	9-2-79	2.500	6/84	
(ख)	उपल्डा देहलचौरी पौड़ी मोटर मार्ग का द्वितीय भाग (किमी0 2.500 से 8.500 तक	21-4-80	5.00	6/84	
(ग)	उपल्डा देहलचौरी पौड़ी मार्ग का तृतीय भाग (किमी0 8.500 से 13.500 तक)	30-4-82	शून्य	6/84	
3.	पौड़ी से अदवानी	—	—	—	सा0नि0वि0 का मार्ग है जिस पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है।
(क)	अदवानी से नाहसैन	30-4-82	—	—	

(ख) नाहसैग बहेड़ाखाल मोटर मार्ग (बगानीखाल बसन्तपुर अनुभाग)	21-4-80	—	12/83
(ग) नाहसेव बहेड़ाखाल मोटर मार्ग का विस्तार (बसन्तपुर अनुभाग)	30-4-82	0.25	3/84
4. बौसाल मुण्डनेश्वर कल्जीखाल मोटर मार्ग (वेसाल बौसाल मुण्डनेश्वर) मोटर मार्ग	23-8-76-	28.55	12/83
5. पीपला बैंड टेका मोटर मार्ग	11-3-81	4.00	6/84
6. (क) बूंगा सकिनखेत मोटर मार्ग (प्रथम भाग) 3 कि0 मी0	11-3-81	3.00	3/83
(ख) बूंगा सकिनखेत मोटर मार्ग (द्वितीय भाग) किमी0 4 से 6 तक	30-4-82	0.10	12/83

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-98 का उत्तर पीछे पृष्ठ 566 पर।

गोकुल विधान सभा चुनाव क्षेत्र में पड़ने वाले राजबाहों एवं अल्पिकाओं का विवरण

क्र0 सं0 राजवाह/अल्पिकाओं का नाम	कुल लम्बाई (कि0 मी0)	शीर्ष स्थल पर डिस्चार्ज
1—मांट शाखा	14.484	1950
2—सादाबाद रा0	8.751	242
3—आयराखेडा रा0	11.462	44.2
4—महावन रा0	16.477	56
5—कारव रा0	13.01	34
6—कुरसंडा रा0	13.277	79
7—जुगसमा रा0	5.632	97
8—दघैटा रा0	8.046	120
9—बल्देव रा0	18.507	126
10-बिरहना मा0	10.942	29
11-करील मा0	6.235	6.0
12-गोणा मा0	1.408	4.0

13—डंहरआ मा0	6.839	10.75
14—कटैला मा0	6.236	14.9
15—पिंडारी मा0	4.124	5 0
16—सिहोरा मा0	5.23	7.0
17—नबीपुर मा0	3.42	7.25
18 - लोहबन मा0	3.42	5.0
19—पचावर मा0	3.621	3.0
20—बन्दी मा0	2.414	4.0
21—ब्यौही मा0	2.615	4.0
22—बैरनी मा0	11.265	32.4
23—आंगई मा0	7.2667	14.0
24—दौलतपुर मा0	6.839	10.0
25 गढ़सौली मा0	8.046	11.28
योग	199.4667	

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 568...पर।)

शासकीय आदेश 5448/26-2-81–243/81 दिनांक 17 अगस्त 1981 के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान से सम्बन्धित भुगतान स्थिति का विवरण।

क्रम सं0	अनुदान ग्रहीता का नाम	स्वीकृत सहायता	अन्य विवरण
1	2	3	4
1.	श्री चन्द्रमा उपाध्याय डायमेट्री प्राइवेट वार्ड 118 द्वारा श्री अशोश प्रसाद शुक्ला कपड़ा भण्डार आँख का अस्पताल सीतापुर	300–00	भुगतान किया जा चुका है।

2.	श्री फकीरा लाल पुत्र श्री गोबरे ग्रा0 व पो0 अलीगंज लखीमपुर खीरी।	300-00	भुगतान किया जा चुका है।
3.	श्री कालका पुत्र श्री ठाकुर नाई ग्राम भुडहा पो0 सनिगावा लखीमपुर खीरी	150-00	भुगतान किया जा चुका है।
4.	श्री राम लोटन पुत्र श्री कामता (हरिजन) ग्रा0 भुडहा पो0 सनिगावा लखीमपुर खीरी	150-00	भुगतान किया जा चुका है।
5.	श्री कन्धई लाल पुत्र श्री चेतई ग्राम व पो0 नीमगाँव लखीमपुर खीरी।	250-00	भुगतान किया जा चुका है।
6.	श्रीमती शिवरानी ग्राम मिदानिया पो0 लखीमपुर खीरी।	150-00	भुगतान किया जा चुका है।
7-	श्री सूर्य जगन्नाथ पुत्र श्री बंशा ग्राम व पो0 बनौरा जिला खीरी।	150-00	भुगतान किया जा चुका है।
8.	श्री संतोष कुमार मिश्रा एल0एल0बी0 (तृतीय वर्ष) पुत्र श्री राज बहादुर मिश्रा ग्राम व पो0 करनपुर कमा बेहजम जिला खीरी।	400-00	भुगतान किया जा चुका है।
9.	श्रीमती लालमनी देवी पत्नी श्री गंगेशवर सिंह भृगुराज सदन 289/28 मोती नगर लखनऊ।	सिलाई मशीन	मशीन क्रय करने हेतु नगद भुगतान किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10.	कु0 उमा देवी द्वारा श्री रमेश चन्द्र कुतुबपुर डालीगंज मं0नं0 500/63 पम्पिंग सेट के पास लखनऊ।	सिलाई मशीन	मशीन क्रय करने हेतु नगद भुगतान किया जा चुका है।
11.	श्रीमती रमा देवी पत्नी श्री राम बली शुक्ला डी0 कैबिनेटगंज विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ।	सिलाई मशीन	मशीन क्रय करने हेतु नगद भुगतान किया जा चुका है।
12.	श्रीमती चन्द्रावती सिंह पत्नी श्री राम जनम सिंह मं0नं0 2/77 लामाटीनियर का पुरवा लखनऊ।	सिलाई मशीन	मशीन क्रय करने हेतु नगद भुगतान किया जा चुका है।
13.	श्री राम कुमार (हरिजन) ग्रा0 सतरही पो0 अरोरा तहसील अकबरपुर फैजाबाद।	सिलाई मशीन	मशीन क्रय करने हेतु नगद भुगतान किया जा चुका है।
14.	श्रीमती तारा देवी पत्नी स्व0 प्रेम बल्लभ तिवारी द्वारा श्री गोबरधन तिवारी ग्रा0 रेतखाना पो0 चांमू अल्मोड़ा।	300–00	भुगतान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
15.	श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री मोहन चन्द्र ग्रा0 धारासंगरौली (ब्रजवासी) पो0चायखान, अल्मोड़ा।	300–00	भुगतान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
16.	श्री राम मनोहर लाल ग्रा0 हुलास पुरवा तहसील निधासन जिला खीरी।	150–00	अनुदान गृहीता के द्वारा पते पर उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है।

विधान सभा

17.	कु0 मुन्नी देवी पुत्री श्री मूल चन्द्र पासी ग्रा0 व पो0 नीमगाँव लखीमपुर खीरी ।	सिलाई मशीन	जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी खीरी को भुगतान करने हेतु बैंक ड्राफ्ट भेजा जा चुका है । भुगतान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।
18.	सुश्री सावित्री देवी मोहल्ला अड़गड़ा हुसेनगंज लखनऊ ।	सिलाई मशीन	भुगतान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।
19.	सुश्री सुषमा श्रीवास्तव डी0 डी0 निगम स्कूल के पास हुसेनगंज अड़गड़ा लखनऊ ।	सिलाई मशीन	भुगतान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।
20.	श्री राम शब्द पाठक कछरा खुदायार खां सहादतगंज लखनऊ ।	सिलाई मशीन	भुगतान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—110 का उत्तर पीछे पृष्ठ 570 पर ।)

(संलग्नक 'क')

रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप की सूचना

	अप्रैल		मई	
	79-80	80-81	79-80	80-81
1. नई बस बाडी की संरचना	71	76	64	58
2. इंजनों की संख्या	256	266	257	266
3. एफ0 आई0 पम्प	490	480	421	475
4. गियर बाक्स	270	384	346	322
5. गियर एक्सल	150	134	104	145
6. टायरों की संख्या	1300	1248	1404	1248
7. अतिकाल का भुगतान	130,976	243,605	297,036	291,371

	जून		जुलाई	
	79-80	80-81	79-80	80-81
1. नई बस बाडी की संरचना	43	37	50	44
2. इंजनों की संख्या	260	262	232	267
3. एफ0 आई0 पम्प	490	450	500	483
4. गियर बाक्स	353	322	275	361
5. गियर एक्सल	114	137	95	130
6. टायरों की संख्या	1352	1200	1352	1296
7. अतिकाल का भुगतान	21,56,85	286,368	168296	162,301

	अगस्त		सितम्बर	
	79-80	80-81	79-80	80-81
1. नई बस बाडी की संरचना	46	40	44	50
2. इंजनों की संख्या	211	223	246	250
3. एफ0 आई0 पम्प	403	415	425	450
4. गियर बाक्स	294	293	400	342
5. गियर एक्सल	84	112	112	127
6. टायरों की संख्या	1144	975	1300	1005
7. अतिकाल का भुगतान	135941	177,611	91200	115,445

	अक्टूबर		नवम्बर		दिसम्बर	
	79-80	80-81	79-80	80-81	79-80	80-81
1. नई बस बाडी की संरचना	46	59	46	51	52	74
2. इंजनों की संख्या	231	203	247	201	253	245
3. एफ0आई0 पम्प	440	430	450	381	470	490
4. गियर बाक्स	393	380	418	342	378	339
5. गियर एक्सल	114	117	111	102	112	130
6. टायरों की संख्या	1248	988	1176	951	1248	1068
7. अतिकाल का भुगतान	140364	275939	107839	259034	121982	263345

	जनवरी		फरवरी		मार्च	
	79-80	80-81	79-80	80-81	79-80	80-81
1. नई बस बाडी की संरचना	75	75	70	68	63	74
2. इंजनों की संख्या	267	265	260	232	247	269
3. एफ0आई0 पम्प	453	467	459	452	461	500
4. गियर बाक्स	383	360	399	340	404	422
5. गियर एक्सल	128	115	116	115	116	130
6. टायरों की संख्या	1352	1150	1228	1131	900	1230
7. अतिकाल का भुगतान	152685	330,300	263,300	318,851	283323	391710

संलग्नक (ख)

रोडवेज एलेन फारेस्ट वर्कशाप की सूचना

वर्ष 1979-80

उत्पादन

माह	एलेन फारेस्ट कार्यशाला चेसिस व बाडी का जीर्णोधार	केन्द्रीय कार्यशाला बाडी संरचना	कुल उत्पादन	ओवरटाइम की धनराशि
1. अप्रैल	62	18	80	75,448-50
2. मई	61	9	70	57,958-70
3. जून	65	5	70	57,162-00
4. जुलाई	65	14	79	58,674-00
5. अगस्त	65	5	70	61,721-85
6. सितम्बर	55	10	65	62,032-45
7. अक्टूबर	34	16	50	49,256-75
8. नवम्बर	50	7	57	21,724-35
9. दिसम्बर	50	2	52	38,734-60
10. जनवरी	50	6	56	29,365-90
11. फरवरी	50	10	60	55,600-30
12. मार्च	55	25	80	52,914-80

वर्ष 1980-81

1. अप्रैल	59	21	80	52,989-20
2. मई	52	28	80	70,906-35
3. जून	55	10	65	57,946-15
4. जुलाई	55	28	83	87,907-20
5. अगस्त	55	10	65	82,669-05
6. सितम्बर	57	19	76	69,802-85
7. अक्टूबर	55	10	65	95,713-80
8. नवम्बर	52	13	65	88,848-20
9. दिसम्बर	50	13	63	82,042-30
10. जनवरी	55	5	60	125,684-20
11. फरवरी	50	14	64	99,754-15
12. मार्च	50	11	61	141,733-75

एल० 83 विधान सभा (134)

1-7-83

P. O. No. H.O. 67 विधान सभा दि० 5-12-83

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश